द्वादश माला, खंड 6, अंक 8

बुधवार, 9 दिसम्बर, 1998

18 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस॰ गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री राम लाल गुलाटी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय सूची

द्वादश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 1998/1920 (शक)
अंक 8, बुधवार, 9 दिसम्बर, 1998/18 अग्रहायण, 1920 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 144	2-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 145 से 160	24-56
अतारांकित प्रश्न संख्या 1602 से 1831	56-352
सभा पटल पर रखे गये पत्र	352-355
प्राक्कलन समिति	
पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत	355
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	355-356
की गई कार्यवाही संबंधो छठा और सातवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश -- प्रस्तुत	
आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त समिति	356
(एक) प्रतिवेदन – प्रस्तुत	
(दो) साक्ष्य – सभा पटल पर रखे गए	
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	356-357
सतत्तरवां प्रतिवेदन से अस्सीवां प्रतिवेदन – सभा पटल पर रखे गये	
समितियों के लिए निर्वाचन	357-358
(एक) राष्ट्रीय सांयात्रिक कल्याण बोर्ड	357
(दो) राजघाट समाधि समिति	357-358
नियम 377 के अधीन मामले	383-389
(एक) मध्य प्रदेश में पंडरिया तहसील में चीनी मिल खोले जाने की आवश्यकता	
श्री पुन्नू लाल मोहले	383
(दो) कानपुर स्थित जे॰ के॰ कैंसर इंस्टीट्यूट का दर्जा बढ़ाकर उसे क्षेत्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट बनाए जाने और वहां पर आधुनिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री जगतवीर सिंह द्रोण	383-384

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(तीन)	उत्तर प्रदेश में चंदौली रेलवे स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री आनन्द रत्न मौर्य	384
(चार)	देश में हीरा उद्योग के विकास के लिए योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिभाई चौधरी	385
(पांच)	तीन नए राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और वनांचल के शीघ्र सृजन हेतु विधान बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री मोतीलाल वोरा	385
(छह)	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने के निर्णय को वापस लेने और उनके पुनरुद्धार के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुनील खां	385-386
(सात)	उत्तर प्रदेश के लालगंज संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री दरोगा प्रसाद सरोज	386
(आठ)	तमिलनाडु में कोल्ली हिल्स में आदिवासियों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	डॉ. सरोजा वी.	386-387
(नौ)	बिहार के समस्तीपुर और वैशाली जिलों में गंगा द्वारा हुए अत्यधिक भू–कटाव को रोकने के लिए बिहार सरकार को तकनीकी जानकारी और पर्याप्त निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. अजित कुमार मेहता	387
(दस)	वस्त्र उद्योग द्वारा झेली जा रही समस्याओं की जांच किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ए. गणेशमूर्ति	387-388
(ग्यारह)	जम्मू–कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री उमर अब्दुल्ला	388-389
(बारह)	उत्तरी बिहार में चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	डॉ. शकील अहमद	389

विषय	कॉलम
उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) संशोधन विधेयक	390-416
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवन्त सिन्हा	390-391
श्री पी. सी. चाक्को	391-396
श्री चेतन चौहान	396-401
श्री वारकला राधाकृष्णन	401-404
कुमारी ममता बनर्जी	404-406
श्री मोहन सिंह	406-408
श्री जी. एम. बनातवाला	408-410
श्री रामदास आठवले	410-411
श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन	412-413
श्री एस. सुधाकर रेड्डी	413-414
श्री थावरचंद गेहलोत	414-416
नियम 193 के अधीन चर्चा	416-470
देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार	
श्री आरिफ मोहम्मद खां	416-425
श्री पी. शिव शंकर	425-441
श्री सत्य पाल जैन	441-457
श्री इन्द्रजीत गुप्त	457-470
कार्य मंत्रणा समिति	
सातवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	425

लोक सभा

बुधवार, 9 दिसम्बर, 1998/18 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे सभा को हमारे भूतपूर्व सहयोगी श्री दशरथ देव के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री दशरथ देव पहली से तीसरी और पांचवीं लोकसभा के सदस्य थे तथा उन्होंने 1952–67 और 1971–77 के दौरान पूर्वी त्रिपुरा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री दशरथ देव एक सक्रिय समाज सेवक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे। श्री दशरथ देव ने त्रिपुरा में अनेक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करवाई और शिक्षा के विकास के लिए त्रिपुरा राज्य जन शिक्षा समिति का गठन किया।

श्री दशरथ देव ने विभिन्न संगठनों में अनेक पदों पर कार्य किया तथा वे राज्य में झूमिया कृषकों और विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए अथक रूप से कार्य करते रहे।

श्री दशरथ देव का निधन 78 वर्ष की आयु में 14 अक्तूबर, 1998 को अगरतला में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने में मेरा साथ देगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कृपया मुझे इस संबंध में कुछ कहने की अनुमति दें। वे त्रिपुरा के एक उत्कृष्ट मुख्यमंत्री थे परन्तु इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वे इस देश के एक जाने–माने किसान और जनजातीय नेता थे। महोदय, कम से कम इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपने जो कुछ कहा वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

अब सदस्य गण दिवंगत आत्मा की याद में उनके सम्मान के रूप में कुछ समय के लिए मौन खड़े होंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

बिहार को वित्तीय सहायता

+

***141. श्री प्रभात चंद्र तिवारी :**

श्री राजो सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आज तक कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार और अन्य राज्यों को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) इस योजना के माध्यम से कितने किसान लाभान्वित हुए, और

(ग) नौवी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए कितनी वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान अभी तक बिहार तथा अन्य राज्यों का विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत निर्मुक्त की गयी धनराशि को दर्शाने वाला एक परिशिष्ट संलग्न है।

(ख) ये केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें उत्पादन उन्मुखी कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य नवीनतम प्रौद्योगिकी और आदानों का अधिकाधिक प्रयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। इन स्कीमों के अंतर्गत किसान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से लाभान्वित होते हैं। अतः उपर्युक्त की दृष्टि से, इन सभी स्कीमों से लाभान्वित होने वाले किसानों की कुल संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) नौवी पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

परिशिष्ट

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत कृषि के विकास के लिए राज्यवार जारी/निर्मुक्त की गयी धनराशि।

(लाख रुपये में)

क्र सं.	राज्य का नाम	1997–98	1998–99 1.10.98 के अनुसार	9वीं योजना में 1.10.98 तक जारी की गयी कुल राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7725.40	3513.50	11238.98
2.	अरुणाचल प्रदेश	504.66	216.34	721.00
3.	असम	397.48	256.90	654.38
4.	बिहार	1198.83	335.91	1534.74
5.	गोवा	100.06	122.40	222.46
6.	गुजरात	4066.30	3105.54	7171.84
7.	हरियाणा	2913.54	1111.06	4024.60
8.	हिमाचल प्रदेश	1152.47	451.43	1603.90
9.	जम्मू व कश्मीर	1528.60	896.77	2425.37
10.	कर्नाटक	8122.59	5641.11	13763.70
11.	केरल	3568.26	2413.33	5981.59
12.	मध्य प्रदेश	6995.95	3238.15	10234.10
13.	महाराष्ट्र	9947.47	8357.51	18304.98
14.	मणिपुर	1146.40	292.52	1438.92
15.	मेघालय	256.28	180.05	436.33
16.	मिजोरम	723.77	619.55	1343.32
17.	नागालैण्ड	884.73	349.77	1234.50
18.	उड़ीसा	4116.26	1943.76	6060.02
19.	पंजाब	2538.78	1146.04	3684.82
20.	राजस्थान	9716.43	7341.39	17057.82
21.	सिक्किम	340.76	260.82	601.58
22.	तमिलनाडु	5886.95	3864.15	9751.10
23.	त्रिपुरा	533.97	360.85	894.82
24.	उत्तर प्रदेश	10306.87	3557.51	13864.38
25.	पश्चिम बंगाल	1056.20	530.36	1586.56
	योग	85729.09	50106.72	135835.81

श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जवाब संतोषप्रद नहीं है। मेरा प्रश्न यह था कि विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को प्रांतवार एवं योजनावार कितनी राशि दी गई है, इसकी सूचना की अपेक्षा थी, लेकिन मंत्री महोदय ने अपने अनुबंध में कुल राशि, निर्मुक्त राशि का ब्यौरा स्टेटवार दिया है। इन्होंने बिहार के लिए मात्र 1534.74 लाख रुपया आबंटन दिखलाया है जबकि अन्य छोटे प्रांतों में इससे अधिक राशि निर्मुक्त की गई है। महोदय, बिहार एक बड़ा प्रांत है, क्षेत्रफल एवं उत्पादन में भी बढ़ा है। क्या मंत्री जी बिहार में इससे अधिक राशि निर्मुक्त करने की मंशा रखते हैं और अगर नहीं तो क्यों?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों 1997–98 और 1998–99 में जो राशि बिहार के लिए अवमुक्त की गई उसका यहां विवरण है। यह राशि योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच बात होने के बाद ही निश्चित की जाती है। राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विचार–विमर्श के बाद जो राशि निर्धारित की गई है वह राज्य के आकार एवं आवश्यकताओं के अनुरूप और उनकी सहमति से ही निर्धारित की गई है। यह कहना सही नहीं है कि यह राशि दूसरे राज्यों की अपेक्षा कम है।

श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने कहा है कि केंन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें उत्पादन उन्मुखी कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य नवीनतम प्रौद्योगिकी और आदानों का अधिकाधिक प्रयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। इस संबंध में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समेकित आहार विकास कार्यक्रम में गेहूं, जो केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, वह मात्र छः प्रांतों में चलायी जाती है लेकिन वह विहार में नहीं चलाई जाती जबकि बिहार में काफी गेहूं होता है। क्या भविष्य में सरकार समेकित अनाज विकास कार्यक्रम में खास कर गेहू के तहत इस कार्यक्रम को बिहार में कार्यान्वित करने का इरादा रखती है या नहीं ?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में गेहूं की योजना बिहार में नहीं है। इसमें चावल को सम्मिलित किया गया है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि ऐसा राज्य सरकार की सहमति से किया जाता है। राज्यों को जिस खाद्यान विशेष के लिए उपर्युक्त पाया जाता है, उन्हें वैसी केंद्रीय और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं दी जाती हैं।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर को चुनौती देता हूं। इनको पूर्ण रूप से उत्तर देने के लिए समय लेना चाहिए था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने 'ख' भाग का उत्तर ही नहीं दिया। जो उत्तर सभा पटल पर रखा गया है, उसमें लिखा है कि इन सभी स्कीमों में लाभान्वित होने वाले किसानों की कुल संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है, यह अधूरा उत्तर है। इन्होंने कहा कि नौंवी पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है।, यह भी एक अधूरा उत्तर है। इसके लिए समय लेना चाहिए था। इन्होंने जो उत्तर दिया है, उसी के आधार पर मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। नौवीं पंचवर्षीय योजना का अभी तक कोई स्पष्ट स्वरूप दिखाई नहीं पड़ रहा है। आठवीं योजना के समाप्त होने के बाद सरकारों की अस्थिरता के कारण नौवीं पंचवर्षीय योजना के दो वर्ष यूं ही निकल गए। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए दो वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन दो वर्षों में मौसम भी किसानों का दुश्मन बना रहा। कृषि उत्पादन पर विपरीत परिस्थिति का खराब असर पड़ा। पिछले दो वर्षों में कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा इससे संबंधित योजनाओं पर क्या सरकार ने आवश्यकतानुसार खर्च किया ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : मैंने सप्लीमैंटरी ही पूछा है। मैंने पूछा कि दो वर्ष बीत गए और खराब मौसम रहा, उसके लिए आपने कौन सी व्यवस्था की ? मेरा यह पूरक प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि दो वर्ष बीत गए और तीन वर्ष बाकी हैं, क्या सरकार पूरी योजना का दो वर्ष का रुपया बढाकर बिहार या अन्य राज्यों को देगी या नहीं ?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो केंद्रीय और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं कृषि उत्पादन के संवर्द्धन के लिए लागू की जा रही हैं, उनसे कितने कृषक लाभान्वित होते हैं, इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते। कुछ योजनाएं ऐसी अवश्य हैं जिनसे किसानो को कितना लाभ हुआ, उनके संबंध में आंकड़े रखे जाते हैं। इसकी जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है, वह मैं माननीय सदस्य को देना चाहूंगा। किसानों को एक राज्य से दूसरे राज्य में कृषि के संबंध में जानकारी बढ़ाने के लिए, लाने ले जाने और प्रशिक्षित करने की एक योजना है। इसके अंतर्गत 1996–97 में बिहार के 80 किसानों को ऐसी शिक्षा इस विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत की गई। दूसरे, किसानों और वैज्ञानिकों के बीच चर्चा करके किसानों को वैज्ञानिक जानकारी अच्छी और उन्नत खेती के बारे में देने की योजना के अंतर्गत 475 किसानों को लाभ हुआ। कृषि विस्तार से संबंधित स्वयं सेवी संगठनों की योजनाओं में 12187 किसानों को लाभ हुआ। किसानों के लिए कुछ विद्यालय भी चलाए जाते हैं जिन्हें फील्ड स्कूल्स कहा जाता है।

उसमें 248 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया । कृषि विस्तार सेवा और समेकित परजीवी नियंत्रण, जिसे इंटीग्रेटड पैस्ट मैनेजमेंट स्कीम कहते हैं उससे 1240 किसानों को लाभ हुआ। इसी तरह आई.पी.एम. एस. में 7440 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है और ट्रैक्टर विशेष अनुदान राशि 439 किसानों को दी गई है। जहां तक नौवीं पंचवर्षीय योजना का सवाल है उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह बात सही है कि दो चुनावों और बार–बार दूसरे चुनावों के आने से और जब हम आये तो हमने देखा कि इसकी प्राथमिकताओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और जब उसे अंतिम रूप दिया जायेगा तभी यह बात बताई जा सकती है कि उसमें राशि बढ़ाई गई है अथवा नहीं। मैं आपको वर्तमान की सूचना दे चुका हूं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तर से स्पष्ट है कि सरकार ने 1998–99 में अभी तक सारे देश में 501 करोड़ रुपया दिया है जिसमें बिहार का हिस्सा 50 करोड़ रुपया बनता है लेकिन इसमें 3 करोड़ 35 लाख रुपया बतलाया गया है। देश में कुल 1358 करोड़ 35 लाख रुपया दिया गया है जिसमें बिहार का हिस्सा 135 करोड़ रुपया बनता है जबकि 15 करोड़ रुपया दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां बिहार को 50 करोड़ रुपया मिलना चाहिए था, वहां 3 करोड़ मिला, जहां देश को 1300 करोड़ रुपया मिला, वहां बिहार को 135 करोड़ रुपया दिया गया है, क्या इस तरह बिहार के साथ भेदभाव और बेइंसाफी केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं की जा रही है? क्या सरकार बिहार के साथ हुई इस बेइंसाफी को दूर करने के लिये कोई स्पेशल प्रोग्राम, विशेष योजना खेती की तरक्की और किसानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये बना रही है ? केन्द्र सरकार द्वारा जो हिस्सा मार लिया गया है, उसे देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी क्योंकि बिहार को कुल राशि का दसवां हिस्सा मिलना चाहिए उसमें भी नौवां हिस्सा मिल रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): उस समय मिनिस्टर कौन था?

एक माननीय सदस्य : यह सवाल कर रहे हैं या बवाल कर रहे हैं ?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : यह माकूल सवाल है। इसका सरकार के पास जवाब नहीं है।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चर्चा की है कि बिहार सरकार को कम राशि दी गई है। वे स्वयं केंद्रीय सरकार में मंत्री रह चुके हैं और बिहार में भी मंत्री रहे हैं, उन्हें मुझसे ज्यादा बिहार के बारे में जानकारी है। फिर भी मैं उन्हें अवगत कराना चाहता हूं कि बिहार को वर्ष 1992–93 से 1997–98 या इस वर्ष तक जो राशि दी गई है, उसका 47.77 प्रतिशत भाग उपयुक्त हुआ है। मैं उनसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार को राशि दी जाती है तो उसकी आवश्यकता के अनुसार ही दी जाती है। यदि इसके वितरण पर दृष्टि डालेंगे तो मालूम होगा कि 1992–93 में 52.17 प्रतिशत, 1993–94 में 35.26 प्रतिशत, 1994–95 में 38.17 प्रतिशत, 1995–96 में 39.27 प्रतिशत राशि उपयोग की गई है। लेकिन 1996–97 में यह स्थिति सुधरी और 77.6 प्रतिशत राशि प्रयुक्त हुई। इस तरह कुल मिलाकर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 47.77 प्रतिशत राशि का उपयोग बिहार सरकार कर पाई।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आप अन्य राज्यों के बारे में बताइये।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने जितनी राशि का उपयोग किया, वह आधे से भी कम है। इसलिए जब राशि दी जाती है तो उसमें यह ध्यान रखा जाता है कि पहले साल और उसके पहले सालों में जो धनराशि दी गई थी, उसका कितना भाग वह प्रयोग कर पाये हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बता दें कि बिहार के अलावा देश के और कितने ऐसे प्रदेश हैं जहां यह राशि अनप्रयुक्त पड़ी हुई है, जबकि यह सवाल पूछा नहीं गया है।

सवाल पूछा गया कि आपने क्यों नहीं दिया। यह नहीं पूछा कि उसका उपयोग हुआ या नहीं। अनुपयोग हुआ है तो और राज्यो का भी बताइये।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपनी सरकार को इस ओर प्रेरित करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे कि जितनी राशि उन्हें दी गई है, उसका उपयोग करें और उसकी जानकारी हमें भेजें। इन दोनों चीजों के आधार पर राशियां मुक्त की जाती हैं तो यह कथन सही नहीं है कि उनको राशि कम दी गई है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मंत्री जी ने बाकी राज्यों का नहीं बताया है। ...*(व्यवधान)* केंद्र सरकार द्वारा पैसा ऐसी शर्तों पर दिया जाता है जिससे राज्य सरकार खर्च नहीं कर सके। क्या यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इसको देखे ? ...*(व्यवधान)* एक शब्द मंत्री जी ने इस बारे में नहीं कहा। वहां किसान के साथ क्या हो रहा है? ..*(व्यवधान)* 50 करोड़ रुपये के बदले तीन करोड़ रुपया दिया और वह भी वर्ष के शुरू में। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगले प्रश्न पर चर्चा के लिए प्रमथेस मुखर्जी को बुला लिया है। कृपया बैठ जाइए।

लाइसेंस फीस का भुगतान

\+

*142. **श्री प्रमथेस मुखर्जी** :

डॉ. प्रभा ठाकुर :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को जन प्रतिनिधियों से सेलुलर मोबाइल टेलीफोन आपरेटरों को लाइसेंस फीस के भुगतान की समय सीमा और लाइसेंस अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 24 अक्तूबर, 1998 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार मेट्रो सेलुलर आपरेटरों द्वारा सरकार को कई करोड़ रुपये की बकाया लाइसेंस फीस की राशि का भुगतान करने से इंकार कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा ऐसे मेट्रो सेलुलर आपरेटरों पर कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है;

(च) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बी. आई. सी. पी.) ने सेलुलर मोबाइल टेलीफोन आपरेटरों की मांग के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य सिफारिशें क्या–क्या हैं; और

(ज) इस मामले पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को सैल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी. एम. टी. एस.) प्रचालकों की समस्याओं के संबंध में जन–प्रतिनिधियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कुछ अभ्यावेदनों में निम्नलिखित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है :–

(i) लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर मोहलत देने की मंजूरी की आवश्यकता।

(ii) लाइसेंस की अवधि बढ़ाना।

(ग) और (घ) मैट्रो सैल्युलर प्रचालकों ने लाइसेंस के चौथे वर्ष से उनसे वसूल किए जाने वाले लाइसेंस शुल्क की मात्रा के बारे में इस आधार पर एक मामला उठाया था कि प्रति उपभोक्ता से प्राप्त वास्तविक राजस्व, उस राशि से काफी कम है, जिसके आधार पर लाइसेंस करार में निर्धारित लाइसेंस शुल्क परिकलित किया गया है। 30.11.1998 की स्थिति के अनुसार, चौथे वर्ष की पहली तिमाही की कुल बकाया राशि 62.75 करोड़ रुपये है।

(ङ) सरकार ने उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में दूरसंचार पर एक दल गठित किया है, जो अन्य बातों के साथ–साथ सेल्युलर सेवाओं के मौजूदा लाइसेंसधारकों से संबंधित मामलों पर अपनी सिफारिश देगा साथ ही उपयुक्त उपचारात्मक उपाय सुझाएगा।

(च) जी, हां।

(छ) बी. आई. सी. पी. द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ज) दूर संचार पर गठित दल की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी।

विवरण

ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एण्ड प्राइसिज (बी. आई. सी. पी.) की मुख्य सिफारिशें :

1. मासिक किराया 156/– रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 600/– रुपये प्रतिमाह किया जाए।

2. भावी निवेश योजनाओं की पुनरीक्षा करके अदक्ष प्रचालक, दक्ष प्रचालकों की कार्य–कुशलता का स्तर प्राप्त करें।

3. दूर संचार विभाग को चाहिए कि वह परियोजनाओं की पूंजीगत लागत को कम करने के लिए, और अधिक बेस स्टेशन स्थापित करने के बजाए मैट्रो और सर्किलों के प्रमुख जिला मुख्यालयों में हायर फ्रीक्वैंसी स्पैक्ट्रम के विकल्प को प्रोत्साहित करें।

4. दूरसंचार विभाग, आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करे और एक निर्धारित समय–सीमा के अन्दर विभिन्न सरकारी एजेंसियों से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया बनाए।

[*अनुवाद*]

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, मुझे यह कहते हुए वास्तव में दुख हो रहा है कि मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर या उनके द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री के रूप में उनका यह पहला उत्तर है इसलिए आपको इसकी तारीफ करनी चाहिए। कार्यभार संभालने के बाद वे पहली बार उत्तर दे रहे हैं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, फिर ठीक है। सुपर–प्रौद्योगिकी के इस युग में सेलुलर उद्योग का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। लाइसेंस प्रति उपभोक्ता वार्षिक 6,023 रुपये की दर से लाइसेंस शुल्क के भुगतान किए जाने की शर्त पर सबसे ऊंची बोली बोलने वाले को जारी किया गया था। परन्तु यह दुख की बात है कि सेलुलर मोबाइल टेलीफोनधारियों ने अपने बकायों का भुगतान नहीं किया और सरकार पर कुल बकाया राशि 3,100 करोड़ रुपये हो गई है जो सरकारी राजकोष की भारी हानि है। इसलिए यह कोई साधारण मामला नहीं है परन्तु एक गंभीर मामला है। लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए एक वर्ष की छूट की अवधि की उनकी मांग तथा 10 से 15 वर्ष तक लाइसेंस अवधि बढ़ाने के लिए उनकी मांग को सरकार ने पहले ही स्वीकार कर लिया है।

ऐसी परिस्थितियों में भी सरकार अपने बकायों का भुगतान नहीं कर सके जो कि 3,014 करोड़ रुपये के लगभग है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि लाइसेंस शुल्क के भुगतान के रूप में भारी राशि को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

श्री जगमोहन : महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट किया है सरकार दूर संचार संबंधी अध्ययन दल की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद इस पर गौर करेगी। अब सवाल यह है कि सरकार को विभिन्न भागों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। संसद के काफी प्रतिष्ठित सदस्यों के एक समूह ने इन लोगों को राहत देने की मांग की थी क्योंकि उद्योग में अच्छा काम नहीं हो रहा है और उन्हें सही मायने में कठिनाई हो रही है, सवाल यह है। एक अन्य दल था जिसने यह अभ्यावेदन दिया था कि धन वसूल किया जाना चाहिए और उन्हें कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए। तीसरा, कुछ जन हित में मुकदमे हैं जिन्हें इस संबंध में दायर किया गया है। हम इन सभी कारकों पर समूह तथा सरकार में विचार करना चाहेंगे। मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए

गए ठोस तर्क को पूरी तरह समझता हूं और इसकी प्रशंसा करता हूं।

मुझे ध्यान है कि सात मूल बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। एक है लाइसेंसिंग की निबंधन और शर्तें। और उन शर्तों से विमुख होने पर विधायी और सांविधिक प्रभाव। यह एक संगत कारक है जिस पर हमें विचार करना होगा। दूसरी बात यह है कि हमें देखना है कि इस निर्णय का प्रभाव क्या होगा जो हम अन्ततः अपने वित्तीय घाटे के बजटीय संसाधनों के संबंध में लेंगे। तीसरा कारण उपभोक्ता का हित है। चौथा कारण उद्योग की स्थिति है। हमें उद्योग की स्थिति पर ध्यान देना है। पांचवां कारण वातावरण की अनुकूलता है जो विदेशी निवेश को आकर्षित करती है। हमें इस पहलू को भी ध्यान में रखना है। एक अन्य कारण लिए गए निर्णय को लागू करने से पड़ने वाले प्रभाव हैं। इसके अलावा भी अन्य कारण है कि यह एक परिपाटी है कि यह निर्णय स्थापित हो। इन सभी संगत कारणों को यह गठित किया गया दल समुचित बल देगा और हम इस पर पूरी तौर पर गौर करेंगे और फिर सरकार इस मामले को अधिक महत्व देते हुए तथा इसमें लगे काफी धन को देखते हुए इस पर गौर करेगी। माननीय सदस्य द्वारा दिए गए आंकड़े काफी सही हैं परन्तु मैं आपको अद्यतन आंकड़े दे सकता हूं।

मैं एक मुख्य बात कहना चाहता हूं कि सरकार को इस मामले में शामिल विभिन्न मुददों पर विचार करना होगा। हमें इन सभी बातों का संतुलन बनाना होगा। इन संगत विचारों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक निर्णय लेना होगा। मैं माननीय मंत्री जी को यह आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार इस राशि को उगाहने के लिए काफी उत्सुक है। हम इस पर जल्दी ही गौर करेंगे। दो दिन पहले मुझे इस दल के एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और अगली बैठक 15 तारीख को होना तय हुआ है। मेरा प्रयास रहेगा कि एक सप्ताह या दस दिनों के भीतर इस अध्ययन दल की सिफारिशों को प्राप्त कर सकूं और यथाशीघ्र इस पर सरकार के विचार जान सकूं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : माननीय मंत्री ने पहले ही स्वीकार कर दिया है कि सरकार कहां विफल रही और सरकार क्यों विफल रही है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को राहत और अपनी शिकायतों के निवारण के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है। मैट्रो सेलुलर टेलीफोन प्रचालक मध्यस्तता के लिए न्यायालय में जा सकते हैं और इस बारे में कोई संदेह नहीं है। किंतु प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि पूरे मामले को औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो को सौंप दिया गया है। औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो ने सेलुलर टेलीफोन प्रचालकों की मुख्य मांगों का अध्ययन किया और एक सिफारिश की जैसा कि माननीय मंत्री ने पहले ही स्वीकार कर दिया है। क्या मैं माननीय मंत्री से एक सरल प्रश्न पूछ सकता हूं कि इस संबंध में औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो की मुख्य सिफारिशों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

श्री जगमोहन : कोई विशेष सिफारिश नहीं है। ब्यूरो ने इस मामले में सम्मिलित विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय दी है और कहा है कि ये उद्योग द्वारा किए गए गलत परिकलन हैं। वे अपने कार्य–निष्पादन में और सुधार कर सकते हैं। ब्यूरो ने हमें कुछ तथ्य–परक जानकारी उपलब्ध कराई है। जैसा कि मैंने कहा है इस मुद्दे पर औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो ने हमें जो भी संकेत दिये हैं उन पर इस दल द्वारा विचार किया जाएगा। ब्यूरो ने जो भी सिफारिशें की हैं या राय दी है या तथ्य रखे हैं उन पर इस दल व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। आखिर इसे सरकार ने ही ब्यूरो को सौंपा है।

श्री मुरली देवरा : आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह जानने के लिए इन प्रचालकों के लेखापरीक्षित तुलन पत्रों की जांच की है कि उनके द्वारा भारी घाटा होने का तर्क सही है। यदि उन्हें भारी घाटा हुआ है तो विगत तीन वर्षों में हुए घाटे के आंकड़े क्या हैं?

श्री जगमोहन : ये उनके द्वारा किए गए दावे हैं। हम उनसे सभी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा है कि अभ्यावेदन दोनों पहलुओं के बारे में दोनों पक्षों से प्राप्त हुए हैं। सरकार में होने के नाते हम तुलन–पत्रों व लेखापरीक्षित प्रतिवेदन और हमारे पास उपलब्ध तथ्यों तथा इस संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों के पास उपलब्ध तथ्यों की भी जांच करवाएंगे। उन सभी तथ्यों पर विचार किया जाएगा।

श्री मुरली देवरा : घाटे के आंकड़े क्या हैं ?

श्री जगमोहन : उन्होंने हमें घाटे के आंकड़े नहीं दिए हैं किंतु मैं आपको सरकार को देय राशि के बारे में बता सकता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : उन्होंने पहले ही यह जानकारी दे दी है।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : मेरे पास घाटे के आंकड़े हैं। छह कंपनियां हैं। उनका कुल घाटा 3000 करोड़ से अधिक है ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : इन कंपनियों ने उपभोक्ताओं से कितनी राशि संग्रहित की है ? ...*(व्यवधान)* मंत्री जी उन्होंने आपको, उनको हुए घाटे की राशि के बारे में बताया है।

श्री जगमोहन : वही मैं भी कह रहा हूं .....*(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी : उन्होंने पहले ही पैसा संग्रहित कर दिया है किंतु उन्होंने इसे सरकार को नहीं दिया है .....*(व्यवधान)*

श्री जगमोहन : मुझे उसकी जांच करनी होगी।

श्री अनिल बसु : किंतु वे कहते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

श्री जगमोहन : बात यह है कि ये उनके दावे हैं और हमें उन दावों का सत्यापन करना है।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : आप उनके दावों का सत्यापन कर सकते हैं किंतु प्रश्न देय राशि का है ....*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : मोबाइल फोन प्रचालकों के साथ सरकार का एक संविदात्मक समझौता है। उसकी क्या स्थिति है ? उन्होंने भारी राशि संग्रहित की है किंतु वे सरकार को भुगतान नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात समाप्त करने दें।

(व्यवधान)

श्री मुरली देवरा : हो सकता है इसका उत्तर कार्य दल के चैयरमैन दे सकें।

श्री जगमोहन : जैसा मैंने कहा है कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम इस राशि को वसूल नहीं करेंगे। जो भी सरकार को देय होगा, जो भी राशि उन्होंने उपभोक्ताओं से वसूल की हो हम लाइसेंस की शर्तों के अनुसार पूरी राशि वसूल करेंगे।

श्री पृथ्वीराज दा. चह्वाण : महोदय, कार्यदल की अध्यक्षता भी माननीय विदेश मंत्री ही करेंगे, हम मानते हैं वे बहुत ही सक्षम मंत्री हैं।

[हिन्दी]

पर प्रधानमंत्री जी उनको कितना काम देंगे, उनको कितना काम देंगे, अब वे फॉरेन पालिसी चलाएंगे, प्लानिंग कमीशन देखेंगे या टेलीकॉम देखेंगे, पता नहीं।

[अनुवाद]

सत्य यह है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, मेरा मानना है कि सरकार का एक भी पैसा खर्च किए बिना सेलुलर प्रचालकों द्वारा दस लाख से अधिक लाइनें स्थापित करना एक बड़ी उपलब्धि है। किंतु जिस प्रकार इन मैट्रो लाइसेंसों के मामले से निपटा गया वह विवादास्पद है। दुर्भाग्यवश भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना किए बिना हमने निविदा प्रक्रिया आरम्भ कर दी और वहीं से समस्या शुरू हुई। मैट्रो लाइसेंस शुल्क के बारे में सारी समस्या पर एक संसदीय समिति गौर कर रही है। किसी प्रमुख अवसंरचना परियोजना के निजीकरण में यह सरकार का पहला अनुभव है। वहां समस्याएं हैं।

सेलुलर प्रचालकों ने अपने तुलन–पत्र औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो को सौंप दिए हैं। इसलिए माननीय सदस्य श्री मुरली देवरा ने एक विशेष प्रश्न पूछा है। उन्होंने वे आंकड़े सरकार और औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो दोनों को दिए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये प्रचालक अपने देयों को देने के लिए सहमत हो गये हैं क्या उन्होंने सरकार को किसी वित्तीय समझौते के साथ आस्थगित भुगतान योजना दी है जिसमें वे एक निश्चित समयावधि में अपने देयों का भुगतान करेंगे। क्या आपको कोई ऐसी योजना दी गई है? क्या आप उस योजना पर विचार कर रहे हैं?

श्री जगमोहन : आपने दो मुद्दे उठाये हैं। इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला यह है कि विगत में इस मुद्दे से ठीक से नहीं निपटा गया। ठीक है पिछली सरकार इस मुद्दे से निपटी थी और आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। इस मुद्दे से निपटने के मामले में हम आपकी चिंता समझ सकते हैं।

जहां तक समुचित सबक का संबंध है हम इस गलती से समुचित सबक लेंगे।

तीसरी बात जो आपने कही है वह यह है कि धनराशि की वसूली के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। मैंने प्रश्न के मूल उत्तर में पहले ही कह दिया है कि हम पूरी धनराशि वसूल करने के इच्छुक हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वैध देयों की वसूली हो। किंतु हमें इसमें सम्मिलित अन्य कारकों को भी देखना पड़ेगा। आखिरकार जब हमें कोई खामी नजर आती है तो हम निबंधन और शर्तों को लागू करते हैं और अधिग्रहण करते हैं। इसके व्यावहारिक प्रभाव क्या हैं ? उपभोक्ताओं का क्या होगा ? उपभोक्ता कैसे प्रभावित होंगे? अन्य मुद्दों की क्या स्थिति है ? इसलिए हमें उन पर विचार करना होगा। किंतु मैं आपको आश्वासन देता हूं और जैसा मैंने कहा है कि सभी प्रासांगिक विचारों में संतुलन बनाना होगा और हम इस मामले में सर्वोत्तम समाधान पर पहुंचना चाहेंगे। ...*(व्यवधान)* हम इसे करेंगे ...*(व्यवधान)*।

श्री पृथ्वीराज दा. चह्वाण : हमने आस्थगित भुगतान योजना के बारे में विशेष रूप से पूछा है। क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं ? कृपया मुझे बताइये।

श्री जगमोहन : जैसा मैंने मुख्य उत्तर में कहा है कि उन्होंने दो साल तक रोक की बात की है। उन्होंने कहा है कि लाइसेंस की अवधि बढ़ाई जाए। उन्होंने ये दो शर्तें रखी हैं।

अन्तर-राज्य नदी जल विवाद

+

***143. श्रीमती जयन्ती पटनायक** :

श्री रामशकल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार अन्तर–राज्य नदी जल विवाद के निपटान हेतु लंबित पड़े मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार द्वारा इन विवादों को निपटाने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(घ) सभी विवादों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) संघ सरकार बातचीत द्वारा, अंतर्राज्यीय

नदी/नदी–घाटी के विकास के लिए बोर्डों का गठन कर अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के समाधान का प्रयास करती है। जब जल–विवादों का अन्यथा समाधान नहीं होता है तो किसी भी पक्षकार राज्य के अनुरोध पर अन्तर्राज्यीय नदी जल–विवाद के समाधान के लिए अधिकरणों का गठन किया जाता है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, रावी–व्यास तथा कावेरी नदियों के जल–विवादों का समाधान करने के लिए अधिकरण गठित किए गए हैं। पहले तीन अधिकरणों ने अपने अंतिम निर्णय पहले ही दे दिए हैं जबकि आज की तिथि में कावेरी और रावी–व्यास जल–विवाद, अधिकरण के न्यायाधीन है।

(घ) अधिकरणों के लिए विवादों का समाधान करने के वास्ते समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : हम जानते हैं कि एक राष्ट्रीय जल नीति है जिसमें जल संसाधनों के विकास और नियोजन के लिए राष्ट्रीय संकल्प किया गया है जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को विनियमित करेगा। हम यह भी जानते हैं कि परियोजनाओं की योजना बनाने या कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न मुद्दों के बारे में अन्तर–राज्य विवादों को हल करने के बारे में सलाह देने के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद भी है। हम यह भी जानते हैं कि यदि राष्ट्रीय नदी जल विवादों का अन्यथा समाधान नहीं होता है तो फिर अधिकरणों का गठन किया जाता है।

अपने राज्य के बारे में मैं उन विवादों की बात नहीं कर रही हूं जिनका आपने उत्तर में उल्लेख किया है। क्या यह सत्य है कि महानदी सहित अन्तर–राज्य नदी के बारे में उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच स्थायी समझौते के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार उड़ीसा सरकार से परामर्श किए बिना महानदी पर नई परियोजनाएं स्थापित कर रही है और इस प्रकार उड़ीसा में हीराकुंड जलाशय में जल प्रवाह प्रभावित हो रहा है फलतः बड़ी मात्रा में गाद जमा हो रही है। यदि ऐसा है तो क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार इस पर ध्यान देगी और उड़ीसा सरकार की सहायता करेगी?

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार राष्ट्र के जल संसाधनों का समुचित विकास करने और जो नदियां कई राज्यों में होकर बहती हैं, उनके जल का समतामूलक उपयोग सभी राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार प्रयत्न करती रहती है। जहां तक उड़ीसा और मध्य प्रदेश के इस समझौते की बात है, तो केंद्र सरकार इसमें पहल कर करती है। उसमें यह है कि जो भी सम्बधित राज्य हैं, उनमें परस्पर बैठकर चर्चा की जाए और उनके बीच समझौता कराकर उसका समाधान किया जाए। यदि ऐसा समाधान नहीं किया जा सकता तो फिर उसके संबंध में केंद्र सरकार को संविधान की धारा 246 और 262 के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वह इस संबंध में कानून भी बना सकती है, कार्पोरेशन और रिवर बोर्ड भी स्थापित कर सकती है। उसके बावजूद भी यदि समाधान नहीं होता तो ट्रिब्यूनल स्थापित किया जा सकता है, संयुक्त नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए जा सकते हैं और क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जा सकता है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : हमें मालूम है।

श्री सोमपाल : इन दोनों राज्यों के बीच जो विवाद है, केंद्र सरकार प्रयास कर रही है कि इन राज्यों के जितने भी विवाद हैं उनको बैठकर हल किया जाए और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर दूसरे उपायों के ऊपर विचार किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक : आंध्र प्रदेश में बांसाधार नदी पर नेरादी बैराज के बारे में उड़ीसा सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच अन्तर–राज्य विवाद के समाधान की दिशा में क्या प्रगति हो रही है?

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : इस एक विशेष परियोजना के संबंध में मेरे पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह माननीय सदस्या को उपलब्ध करा दी जाएगी।

श्री रामशकल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में दिया है कि सरकार अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद के समाधान का प्रयास करती है और किसी भी राज्य के अनुरोध पर अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद समाधान के लिए अधिकरणों के गठन की बात की जाती है। उत्तर के अंत में आपने कहा कि विवादों का समाधान करने के लिए, अधिकरणों के लिए समय सीमा निर्धारित नही की गई ; क्या भविष्य में सरकार एक समय सीमा के अन्दर इन विवादों के निपटारे हेतु कोई समय–सीमा तय करेगी?

श्री सोमपाल : अभी तक समय–सीमा तय करने का प्रावधान नहीं है परंतु इस संबंध में सरकारिया आयोग ने कुछ संस्तुतियां की हैं और सरकारिया आयोग ने यह कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के उपरान्त यदि एक वर्ष तक किसी विवाद का हल नहीं होता है तो केंद्र सरकार ट्रिब्यूनल्स स्थापित कर सकती है। अभी तक जो इस प्रकार के पंचाट स्थापित किये गये थे, उनके लिए भी कोई समय–सीमा निश्चित नहीं थी परन्तु सरकारिया आयोग की यह सिफारिश है कि इस तरह के ट्रिब्यूनल्स प्रायः तीन वर्ष और अधिक से अधिक पांच वर्ष में इस प्रकार के विवादों के संबंध में अपना निर्णय दे दें। इस बारे में सरकार विचार कर रही है और जैसा भी इस बारे में निर्णय होगा, सदस्यों को सूचित किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : माननीय प्रधानमंत्री ने हाल में पूर्व को पश्चिम से और उत्तर को दक्षिण से जोड़ने के लिए देश में 7000 किमी. सड़क के निर्माण की घोषणा की है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या इसी तरह से सरकार गंगा को कावेरी तथा बेकार यह रही नदियों, जिनका पानी अरब सागर में बेकार बह रहा है, को जोड़ने पर विचार कर रही है ताकि यह झगड़े स्वयं समाप्त हो जायें।

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, ...

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : महोदय, मैंने अनुपूरक प्रश्न अंग्रेजी में पूछा है। माननीय मंत्री जी को इसका जवाब केवल अंग्रेजी में देना ही चाहिए।

श्री सोमपाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, नदियों को आपस में मिलाने और एक नदी के बेसिन का पानी अन्य नदी में स्थानांतरित करने तथा उत्तरी क्षेत्र की नदियों को दक्षिणी क्षेत्र की नदियों के साथ मिलाने की ऐसी योजना स्वर्गीय श्री के. एल. राव के समय में बनाई गई थी जिन्होंने दो योजनाएं बनाई थीं, एक थी हिमालयन गारलैंड कैनाल और दूसरी थी इसका दक्षिणी प्रायद्वीप घटक। लेकिन इसके लिए इतने अधिक संसाधनों की आवश्यकता है कि वर्तमान में हमारे संसाधन हमें इतने बड़े स्तर पर कार्य करने की अनुमति नहीं देते।

दूसरा, नदियों को इस तरह से परस्पर जोड़ने और नदी के पानी को अन्य नदी के बेसिन से स्थानांतरित करने और उत्तरी क्षेत्र की नदियों को दक्षिणी क्षेत्र की नदियों के साथ मिलाने से होने वाली अन्य कठिनाइयों और प्रभावों का भी अध्ययन किया जा रहा है। भू–वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की अपनी सीमाएं हैं, उन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आकारिकीय, भू–वैज्ञानिक परिवर्तनों तथा भौगोलिक कठिनाइयों सहित कुछ गंभीर बातें हैं। भू–वैज्ञानिक गतिविधियों के कारण गाद जमने अथवा गाद के न जमने, भूमि कटाव अथवा भूमि कटाव न होने के प्रभावों का अभी मूल्यांकन होना है। यह एक दीर्घावधिक परियोजना है। अभी इतना कहना काफी होगा कि हमारे संसाधन हमें अनुमति नहीं देते हैं।

श्री टी. आर. बालू : श्री के. एल. राव की क्या सिफारिश थी? उस समय यह सोचा गया था कि विन्ध्या–सतपुड़ा पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर पानी खींचना न केवल कठिन था बल्कि इसकी लागत भी बहुत होगी। इसके साथ ही उन्होंने ऊपर से नीचे बहते हुए पानी से विद्युत उत्पन्न करने के लिए पानी के उपयोग के बारे में भी नहीं सोचा होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू, यह प्रश्न काल है और न कि चर्चा।

श्री सोमपाल : महोदय, जहां तक कि सिंचाई और विद्युत उत्पादन के बहुमुखी लाभों का संबंध है, उनके बारे में हम भली–भांति जानते हैं। मैं अपनी बात को दोहराना चाहूंगा कि जिन संसाधनों की इस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता है, वह इस समय उपलब्ध नहीं है।

दूसरे पूरे भू–विज्ञान, भूगोल, स्थलाकृति, आकाराकृति तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले अनेक दीर्घावधिक व अन्य प्रभाव हैं। इसलिए, कम से कम इस समय तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार जल विवादों को अपने स्तर से भी इनिशिटिव लेकर निपटारा करने की कोशिश करती है या जब तक विवाद बढ़कर भयंकर रूप न ले ले, आर्बिट्रेशन की नौबत आ जाए या दोनों तरफ से आन्दोलन होने लगें, इसका इन्तजार करती है ? कारण यह कि दामोदर नदी के पानी के बंटवारे को लेकर बिहार में असंतोष है, क्योंकि इसका शत–प्रतिशत बंटवारा पश्चिम बंगाल के पक्ष में हुआ और बिहार के खेत सूखे रह गए थे और सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था। यह समस्या कोई उग्र रूप ले, क्या उसके पहले ही अपने स्तर पर आप इनिशिटिव लेकर इस समस्या का समुचित समाधान करने की कोशिश करेंगे या इन्तजार करेंगे कि कोई बड़ा आन्दोलन शुरू हो ?

श्री सोमपाल : महोदय, माननीय सदस्या की यह बात सही है कि किसी भी विवाद के संबंध में जितना शीघ्र हो, उसका निपटान हो जाना चाहिए, नहीं तो परिणाम और खराब होते हैं और दोनों तरफ कटुता व्याप्त होती है। इस संबंध में जो भी बात केंद्रीय सरकार के संज्ञान में लाई जाएगी, दोनों राज्यों को बैठाकर, बातचीत करके तथा दूसरे उपायों से, जिनके बारे में मैंने अभी सदन को सूचित किया, इन विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि अन्तर–राज्य विवादों को निपटाने के लिए पांच अधिकरण बनाए गए थे और उनमें से तीन ने विवादों के संबंध में अपने अंतिम निर्णय दे दिए थे। लेकिन यह पाया गया कि कई बार कुछ राज्य अधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों का उल्लंघन करते हैं और केंन्द्र सरकार उसमें कुछ नहीं कर पाती है। जैसा कि अलमाट्टी बांध के मामले में हुआ जब कर्नाटक सरकार ने अधिकरण के निर्णय का उल्लंघन किया था और बांध की ऊंचाई बढ़ा दी थी जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया। अधिकरण द्वारा अपना निर्णय लिए जाने के बाद यदि मामला एक बार फिर उच्च न्यायालय में ले जाया जाना है तो अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णयों की क्या माननीयता है ? जब आप निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए नए अधिकरण की नियुक्ति करते हैं तो क्या आप अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए निर्देश भी देते हैं ?

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय, कर्नाटक राज्य ने कभी किसी निर्णय का उल्लंघन नहीं किया। वह कर्नाटक राज्य पर कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसके साथ ही आपको प्रश्न काल के नियमों का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए।

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय, माननीय सदस्य बिना सोचे कोई आरोप नहीं लगा सकते ...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश ने केंद्र सरकार को बताया है कि कर्नाटक अलमाट्टी बांध के लिए केंन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई के बांध का निर्माण कर रही है। बाद में वह सर्वोच्च न्यायालय भी गए और मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय के लिए पड़ा है। अतः मामला निर्णयाधीन है। जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाता, केंद्र सरकार मामले में कुछ भी करने के लिए लाचार है।

श्री सी. श्रीनिवासन : महोदय, भूतपूर्व सरकार ने अन्तरिम निर्णय को अस्वीकार कर दिया। अन्त में, नाम के लिए इसे अभी स्थापित किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि अधिकरण के लिए कोई समय सीमा क्यों नहीं दी गई। क्या आप सोचते हैं कि केंद्र के ऐसे बेमन से किए गए उपाय के कोई चिरकालिक परिणाम होंगे और वह भी राष्ट्रीय नदी नीति के न होने पर। मेरी नेता पुरातच्छी थैल्लवी ने कावेरी जल को छोड़े जाने के संबंध में निगरानी के लिए दो महत्वपूर्ण कोर समितियों को गठित करने के संबंध में जोर देने के लिए उपवास रखा। मैं शीघ्र ही कावेरी अधिकरण के निर्णय को कार्यान्वित करने के संबंध में सरकार के विचार जानना चाहूंगा।

श्री सोमपाल : मैंने पहले ही कहा है कि अब तक अन्तिम निर्णय लेने के लिए अधिकरण को कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है।

श्री सी. श्रीनिवासन : महोदय, ऐसा क्यों है?

श्री सोमपाल : जहां तक कि इस अन्तरिम निर्णय का संबंध है, माननीय प्रधानमंत्री ने पहल की है। मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी और हम पहले ही एक समझौता कर चुके हैं, जिसके अनुसार अधिकरण के इस अन्तरिम निर्णय को कार्यान्वित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 144।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. राधाकृष्णन : यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : कृपया पांच मिनट का समय और दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए कि एक प्रश्न के लिए 25 मिनट दिए गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सी. पी. राधाकृष्णन : इस संबंध में व्यापक चर्चा की जानी चाहिए। आपको आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, आप अध्यक्ष पीठ की अनुमति के बिना कैसे बोल सकते हैं? कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। यह क्या है ? आप हर समय सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

***144. श्री महेश्वर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक ऐसे कितने एक्सचेंज पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं;

(ग) क्या देश में ऐसे अधिकांश एक्सचेंज काम नहीं कर रहे हैं और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में ऐसे नब्बे प्रतिशत एक्सचेंज खराब पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में संतोषजनक टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

संचार मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) इनके वर्ष–वार ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वर्ष	एक्सचेंजों की संख्या
1995–96	894
1996–97	742
1997–98	990
1998–99 (अब तक)	156

(ग) जी, नहीं। ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश सहित देश में अधिकांश ग्रामीण एक्सचेंज, प्रायः काफी हद तक संतोषजनक ढंग से काम करते हैं।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(i) विद्युत संयंत्र तथा बैटरी प्रणाली का उन्नयन किया जा रहा है।

(ii) एक्सेस नेटवर्क का उन्नयन करना।

(iii) वर्ष 2000 तक सभी एक्सचेंजों में उत्तरोत्तर रूप से एस. टी. डी. सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

(iv) वर्ष 2002 तक सभी ग्रामीण एक्सचेंजों में विश्वसनीय संचारण माध्यम प्रदान करना।

(v) ग्रामीण क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकियां स्थापित की जा रही हैं।

(vi) कम क्षमता के मल्टीपल स्विचों के स्थान पर पर्याप्त क्षमता का एक ही स्विच प्रदान किया जा रहा है।

(vii) सी–128 पोर्ट सी–डॉट ग्रामीण ऑटोमेटिक एक्सचेंजों (आर. ए. एक्स.) का सी–256 पोर्ट ग्रामीण ऑटोमेटिक एक्सचेंजों (आर. ए. एक्स) में उन्नयन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, संचार मंत्री महोदय ने 'ग' भाग के उत्तर में कहा है कि अधिकांश एक्सचेंज सुचारु रूप से काम कर रहे हैं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं जबकि स्थिति बिल्कुल विपरीत है। एम. ए. आर. आर. सिस्टम, मल्टी एक्सैस रूरल रेडियो सिस्टम के अन्तर्गत लगाए गए अधिकांश एक्सचेंज काम नहीं कर रहे हैं। क्या मंत्री जी इसकी छानबीन करवा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे एक्सचेंज ठीक काम करें। दूसरे, आपके विभाग में यह प्रथा चली आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जब तक 10 लोग एक हजार रुपए प्रति उपभोक्ता जमा नहीं करते, वहां कोई एक्सचेंज नहीं लगाया जाएगा। वर्षों से लोगों ने वहां पैसा जमा करवाया है लेकिन आपने एक्सचेंज नहीं लगाया। क्या आप टेलीफोन एक्सचेंज लगाने की कोई समय अवधि निश्चित करेंगे ताकि लोगों को वर्षों तक इंतजार न करना पड़े।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : महोदय, माननीय सदस्य ने तीन भागों में अपना अनुपूरक प्रश्न पूछा है। इसका एक भाग हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : आप उनके प्रश्न के प्रासंगिक भाग का उत्तर दीजिए।

श्री जगमोहन : इन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में जो कहा वह सत्य है। और हमारा अनुभव है कि प्रौद्योगिकी जिसे अभी तक प्रयोग में लाया गया है वह पर्याप्त नहीं है। एम. ए. आर. आर. प्रौद्योगिकी कई संदर्भों में असफल रही है। इसलिए हम डब्ल्यू. एल. एल. नामक नई प्रौद्योगिकी स्थापित कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रौद्योगिकी के लगाए जाने से हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों से हो रही कठिनाइयां, और शिकायतें दूर हो सकेंगी और सेवा में सुधार होगा।

जहां तक विशेष रूप से गांवों में विद्यमान ग्रामीण एक्सचेंजों के कार्यकरण का संबंध है मुझे उन स्थानों पर वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों का दल भेजने में प्रसन्नता होगी जिसकी माननीय सदस्य सिफारिश करेंगे। वे संयुक्त रूप से वहां का दौरा करके देखेंगे कि कितने एक्सचेंज काम कर रहे हैं और कितने एक्सचेंज काम नहीं कर रहे हैं। मुझे भी यह पता लगाने के लिए उन क्षेत्रों का दौरा करने और यह देखकर प्रसन्नता होगी कि हमारे द्वारा स्थापित किये गए एक्सचेंज उचित प्रकार से कार्य कर रहे हैं और इन ग्रामीण एक्सचेंज को प्रभावशाली और अध्यवसायी ढंग से बनाए रखा गया है।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने स्वयं यहां कहा कि एम. ए. आर. आर. सिस्टम सुचारु रूप से नहीं चल रहा है इसलिए लेटस्ट टैक्नोलोजी डब्ल्यू. एल. एल. सिस्टम को लागू किया जाएगा, क्या वह इस बात से अवगत हैं कि हिली एरियाज और विशेष रूप से स्नो बाउंड एरियाज, जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर और भरमौर जो जन–जातीय क्षेत्र हैं, वहां हिम खंडों के टूटने से टेलीफोन के खंभे, तार और केबल्स सभी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। वहां के लोग महीनों तक दूर संचार व्यवस्था से वंचित रह जाते हैं। क्या इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर डब्ल्यू. एल. एल. सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि उन लोगों को सुचारु रूप से संचार व्यवस्था मिल सके। मैंने पहले जो प्रश्न पूछा था कि रूरल एरियाज के लोग एक हजार रुपए जमा करवा देते हैं लेकिन वर्षों तक वहां एक्सचेंज नहीं लगते। लोग इधर–उधर घूमते रहते हैं। इसके लिए क्या आप कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाएंगे? रूरल एरियाज में टेलीफोन के लिए जमा की जाने वाली राशि एक हजार रुपए से बढ़ा कर तीन हजार रुपए कर दी है और कॉल्स की संख्या ढ़ाई सौ से घटा कर सौ कर दी है। पहले उन्हें 25 परसेंट छूट मिलती थी। क्या रूरल एरियाज में उसे पुनः लागू करेंगे।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : महोदय, जहां तक नयी प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाए जाने हेतु पहले पहलू का संबंध है मैं विद्वान सदस्य के तर्क से पूरी तरह सहमत हूं कि नयी प्रौद्योगिकी का प्रयोग में लाने के लिए लाहौल और स्पीति जैसे दूरस्थ क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि यदि टेलीफोन सम्पर्क कट जाता है तो बहुत परेशानी होती है कश्मीर में कार्य करने से मुझे पता है कि लेह और कारगिल जैसे क्षेत्रों में कितनी कठिनाई होती है। अतः हम इस क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान करेंगे और मैं यह सुनिश्चित कराऊंगा कि यह नयी प्रौद्योगिकी पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों को वरीयता प्रदान करते हुए सभी क्षेत्रों में शीघ्रता से लगाई जाए।

जहां तक 1000 रुपये जमा करने का संबंध है यदि ग्रामीण एक्सचेंज यह राशि जमा करने के बाद भी नहीं स्थापित किए जाते हैं तो जैसा कि मैंने कहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करूंगा जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि एक दल वहां भेजा जाएगा।

विलम्ब के कारणों और निदानों का पता लगाया जाएगा। हम स्थिति को सुधारेंगे।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर को देखकर मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि 1995–96 में 894, 1996–97 में 742 और 1997 में 990 एक्सचेंज लगे लेकिन 1999 में सिर्फ 156 ही लग पाये हैं। जैसे टेल में पानी पहुंचते–पहुंचते खत्म हो जाता है, वैसा ही हमारे यहां हुआ है। आपको यह देखना है।

दूसरी बात यह है कि मैंने कई पत्र लिखे हैं कि राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंज काम नहीं कर रहे हैं। मैं सैकड़ों गांवों में गया हूं। हर जगह यही शिकायत है। मेरे ख्याल में मेरे खतों से तंग आकर सुषमा जी यहां से छोड़कर चली गई हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले को देखिये। आपको निमंत्रण दिया है और आप चलने के लिये तैयार हैं। आपने कश्मीर की घाटियां और पहाड़ देखे हैं। अब राजस्थान के टीले और पहाड़ देखिये जहां लोग पानी के लिये तरसते हैं। 6–6 साल हो गये हैं, कोई कुछ काम नहीं होता है। क्या आप कष्ट करेंगे कि जो मैंने लिखकर दिया है, उसका निराकरण करेंगे। आप मुझे विश्वास दिलायें कि आप इस मामले में काम कर सकेंगे क्योंकि मुझे 156 देखकर डर लगता है कि मामला साफ है।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : पहली बात यह है कि इस वर्ष नवम्बर तक कार्य की गति धीमी क्यों रही है। इसका उत्तर यह है कि उपकरण जुटाने और उपकरणों हेतु निविदाएं आमंत्रित करने में समय लगता है और उसके बाद वहां इनको लगाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि हम लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। जो कुछ भी कमियां वहां हैं उनके संबंध में सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि मेरा प्रयास निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। आप देखेंगे कि 31 मार्च, 1999 तक सभी 1351 टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे होंगे।

जहां तक इनका मेरे लिए राजस्थान के लिए निमंत्रण का संबंध है मुझे रेगिस्तान का दौरा करने में भी बहुत प्रसन्नता होगी लेह भी रेगिस्तान है ठंडा रेगिस्तान है। मुझे गर्म रेगिस्तान में भी जाने में बहुत प्रसन्नता होगी।

माननीय सदस्य ने कहा है कि कठिनाइयों को बताते हुए कुछ पत्र भेजे गए हैं मैं उनके प्रत्येक पहलू की अवश्य छानबीन करूंगा। मैं ठोस उत्तर के साथ आपके पास आऊंगा।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : अध्यक्ष महोदय, देश भर की ग्राम पंचायतों के साथ–साथ महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन दिये गये थे.

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : समय बहुत कम है। आप संक्षेप में अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : अध्यक्ष महोदय, जहां तक महाराष्ट्र की ग्राम पंचायतों का सवाल है वहां पर पिछले कई वर्षों से टेलीफोन बंद पड़े हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन की सुविधा जल्द–से–जल्द मुहैय्या कराने के लिये क्या कदम उठाने वाले हैं ?

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : जहां तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का संबंध है मैं स्वीकार करता हूं कि स्थिति अत्यन्त संतोषजनक नहीं है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् का गठन कर एक अध्ययन किया गया था इसमें यह देखा गया कि इन टेलीफोनों में से लगभग 40% काम नहीं कर रहे थे। इस संबंध में माननीय संसद सदस्य की शिकायत उचित है। जैसा कि मैंने आपको आश्वासन दिया है हम कई प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को प्रयोग में लाएंगे और इनसे बेहतर सम्पर्क रखेंगे जिससे सुनिश्चित हो सकेगा कि सभी के टेलीफोन उचित दक्षता से कार्य कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : मंत्री महोदय, कृपया समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें। ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं। देश में 90 प्रतिशत एम. ए. आर. आर. टेलीफोन कार्य नहीं कर रहे हैं। कृपया सभा में इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने की अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय उत्तर देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा करना चाहते हैं। यदि मंत्री जी सहमत हैं तो मैं इसकी अनुमति दूंगा।

श्री जगमोहन : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की जाएगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुबाद]

विभागेत्तर कर्मचारियों की मांगें

*145. **श्री नृपेन गोस्वामी** :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग के विभागेत्तर कर्मचारी अपनी मांगों के लिए लम्बे समय से आंदोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन विभागेत्तर कर्मचारियों की विस्तृत मांगें क्या हैं;

(ग) क्या कुछ समय पूर्व डाक कर्मचारियों की हड़ताल सरकार द्वारा तलवार समिति की सिफारिशें स्वीकार करने का आश्वासन दिए जाने के बाद वापस ले ली गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं;

(च) यदि हां, तो इन्हें किस तारीख को स्वीकार किया गया; और

(छ) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक स्वीकार किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (छ) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के नियोजन की सेवा–शर्तों से संबंधित मामलों की जांच के लिए सरकार समय–समय पर समितियां गठित करती रही है और ये समितियां सामान्यतः तब गठित की जाती रही हैं जब कभी नियमित सरकारी कर्मचारियों की सेवा–शर्तों आदि की जांच के लिए केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन किया गया। डाक–विभाग के अतिरिक्त विभागीय एजेंट अपनी सेवा–शर्तों में सुधार के लिए समय–समय पर मांगें भी उठाते रहे हैं। इन समितियों की विभिन्न सिफारिशों को लागू करने के परिणामस्वरूप पिछले कई वर्षों से अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के नियोजन की शर्तों में धीरे–धीरे सुधार हुआ है। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की स्थापना के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने डाक विभाग के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के भत्तों में संशोधन तथा नियोजन की अन्य शर्तों आदि की जांच के लिए 31.3.1995 को न्यायमूर्ति चरणजीत तलवार की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति भी गठित की थी। न्यायमूर्ति तलवार समिति के समक्ष विचारार्थ मुद्दे निम्नानुसार थे :

(क) अतिरिक्त विभागीय एजेंसी प्रणाली, नियोजन की शर्तों, वेतन–ढांचे की जांच करना।

(ख) भविष्य निधि तथा सेवा–निवृत्ति पर मिलने वाले लाभ प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

(ग) भर्ती की पद्धति में परिवर्तन।

(घ) जनता को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा करना।

न्यायमूर्ति तलवार समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 30.04.1997 को सौंपी।

समिति द्वारा उनकी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है :

(1) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों का दर्जा और उनका पदनाम

(2) वित्तीय लाभ :

वेतनमान व वेतन–वृद्धियां प्रदान करना

पेंशन प्रदान करना

ड्यूटी से हटाए जाने पर भत्ता सेवानिवृत्ति लाभ, आदि।

(3) नियोजन शर्तें :

शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाना

सेवा में प्रविष्टि की आयु

कार्य–घंटे

स्थानांतरण देयता

अवकाश सुविधा, आदि।

(4) पुनर्संगठन :

आगे किसी भी पद का सृजन नहीं

आगामी 10 वर्षों तक कोई अतिरिक्त विभागीय उप–डाकघर/शाखा डाकघर न खोला जाए

रिक्त पदों पर भर्ती पर पूर्णतया पाबंदी

रिक्त पदों की समाप्ति।

(5) जन सुविधाएं

बचत बैंक से धन निकालने की सीमा बढ़ाई जाए।

न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों पर, जो पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ–साथ ही प्राप्ति हुई थीं, पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के तत्काल बाद कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके कार्रवाई आरम्भ कर दी गई थी। फलस्वरूप, सरकार ने न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों की विस्तृत रूप से जांच किए जाने तक अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के मूल मासिक भत्ते में 3.25 गुणा वृद्धि करने के आदेश दिनांक 12.11.1997 को जारी किए। तथापि, इन आदेशों का कर्मचारी फेडरेशनों द्वारा विरोध किया गया व इन्हें आस्थगित रखना पड़ा।

दो डाक फेडेरेशनों तथा उनकी संबद्ध इकाइयों द्वारा 8/9 जुलाई से 16 जुलाई, 1998 तक डाक हड़ताल की गई थी। वे इस हड़ताल में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे तथा उनके मांग–पत्र में अन्य बातों के साथ–साथ न्यायमूर्ति तलवार समिति की सकारात्मक सिफारिशों का कार्यान्वयन व प्रतिकूल सिफारिशों को रद्द करने की मांग भी शामिल थी।

तत्कालीन संचार मंत्री द्वारा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श के दौरान की गई अपील तथा न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों सहित सभी मुद्दों का सहानुभूतिपूर्वक तथा शीघ्रातिशीघ्र निपटान किए जाने संबंधी आश्वासन के प्रत्युत्तर में डाक कर्मचारी फेडेरेशनों की संयुक्त कार्रवाई परिषद् ने हड़ताल वापस ले ली थी।

अतिरिक्त विभागीय डाक प्रणाली पर न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

गन्ने की खोई पर आधारित विद्युत संयंत्र

***146. श्री इन्द्रजीत मिश्र** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में गन्ने की खोई पर आधारित 'सह–उत्पादन वाले विद्युत संयंत्रों' को स्थापित करने का पुरजोर प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस विधि से विद्युत उत्पादन की लागत में भारी कमी आएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे विद्युत संयंत्रों को किन–किन राज्यों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें देश की चीनी मिलों में ईष्टतम खोई आधारित सह–उत्पादन का संवर्द्धन करना शामिल है।

(ख) और (ग) किसी नई या वर्तमान चीनी मिल में तकनीकी और प्रचालन पैरामीटरों, प्रणाली विन्यास और परियोजना–स्थल पर निर्भर करते हुए खोई आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं की पूंजीगत लागत लगभग 2.5 करोड़ रुपये से 3.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट के बीच भिन्न–भिन्न होती है।

(घ) महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में 21 परियोजनाओं के माध्यम से 106 मेगावाट की समग्र अतिरिक्त सह–उत्पादन क्षमता पहले की स्थापित की जा चुकी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में 24 परियोजनाओं के माध्यम से 171 मेगावाट की समग्र अतिरिक्त क्षमता निर्माणाधीन है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में 20 परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 145 मेगावाट की समग्र अतिरिक्त क्षमता आयोजना एवं निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

धान और गेहूं का समर्थन मूल्य

*147. **श्री रामपाल सिंह** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय धान और गेहूं आदि जैसे कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ख) समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या इस समर्थन मूल्य को निर्धारित करते समय किसान द्वारा कृषि कार्य में किए गए श्रम पर भी विचार किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) सरकार कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करती है–कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशें, राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों के विचार एवं अन्य संगत कारक, जो सरकार के विचार में समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

(ख) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय इन बातों को ध्यान में रखता है–

(i) उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने एवं अधिकतम उत्पादन के लिए उत्पादकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता;

(ii) भूमि, जल एवं अन्य उत्पादन संसाधनों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना; एवं

(iii) मूल्य नीति का शेष अर्थव्यवस्था, विशेषकर जीविका लागत, मजदूरी के स्तर, औद्योगिकी लागत संरचना, आदि पर संभावित प्रभाव।

मूल्य नीति पर अपनी अनुशंसा तैयार करते समय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग विभिन्न महत्त्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखता है–जैसे उत्पादन की लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, आदान/उत्पादन मूल्य समानता, बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति, मांग एवं आपूर्ति, अंतर–फसली मूल्य समानता, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीविका लागत पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य स्थिति, भुगतान किए गए एवं प्राप्त किए गए मूल्यों की समानता (व्यापार की शर्तें)।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन

*148. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका स्थित भारतीय मिशन ने कश्मीर और उससे संबंधित मुद्दों के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के दृष्टिकोण को शामिल करने के बाद गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में बदले हुए माहौल के संबंध में विदेश मंत्रालय को पर्याप्त रूप से सतर्क कर दिया था;

(ख) क्या भारतीय मिशन ने कश्मीर मुद्दे के संबंध में विदेश मंत्रालय से निर्देश मांगे थे; और

(ग) यदि हां, तो मिशन को क्या निर्देश दिए गए ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) चीन और पाकिस्तान को पिछले अनेक वर्षों से गुट–निरपेक्ष आंदोलन में क्रमशः

पर्यवेक्षक और सदस्य होने की हैसियत मिली हुई है। अमरीका को पहली बार डरबन में आयोजित गुट–निरपेक्ष आंदोलन के शिखर–सम्मेलन में भाग लेने के लिए अतिथि की हैसियत प्रदान की गई थी। तथापि, पर्यवेक्षक और अतिथि गुट–निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन के औपचारिक और समापन समारोहों में ही भाग ले सकते हैं, और उसके मूल कार्य में हिस्सा नहीं ले सकते। दक्षिण अफ्रीका में स्थित भारतीय मिशन मंत्रालय के नियमित संपर्क में था जिसने उन्हें उन मुद्दों के बारे में निदेश दिए जो गुट–निरपेक्ष आंदोलन के शिखर–सम्मेलन की कार्य–सूची का भाग थे और जिन पर उनकी ओर से कार्रवाई की जानी थी। जम्मू और कश्मीर डरबन में हुए गुट–निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की कार्य–सूची में नहीं था और शिखर सम्मेलन द्वारा पारित अन्तिम दस्तावेज में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

महासागर विकास कार्यक्रम

***149. श्री अनंत गंगाराम गीते :**

श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महासागर विकास से संबंधित उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो सरकार के विचाराधीन है;

(ख) प्रत्येक प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान आज तक महासागर विकास कार्यक्रम पर केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उसकी उपलब्धि क्या रही ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) वर्तमान में महासागर विकास कार्यक्रम से सम्बद्ध कोई भी परियोजना प्रस्ताव अनुमोदन के लिए सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) महासागर विकास विभाग द्वारा पिछले प्रत्येक दो वर्ष और आज की तिथि तक समुद्र विकास कार्यक्रमों पर किया गया व्यय नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996–97			1997–98			1998–99 (1/12/98 तक)	
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अनुमोदित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अनुमोदित अनुमान	बजट अनुमान	अनुमोदित अनुमान
योजना	52.00	45.00	44.99	88.10	85.00	83.96	88.00	49.58
गैर योजना	14.83	19.38	19.38	17.85	17.11	16.83	19.50	17.09
कुल योग	66.83	64.38	64.37	106.95	102.11	100.79	107.50	56.67

(घ) उपर्युक्त अवधि अर्थात् 1996–97 से आज की तिथि तक विभाग के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2
1. अंटार्कटिक कार्यक्रम वार्षिक वैज्ञानिक अभियान योजना तथा वैज्ञानिक परीक्षणों में सहयोग देने के लिए मैत्री में संभार तंत्र का व्यवस्थित उन्नयन।	अंटार्कटिक को सोलहवां व सत्रहवां भारतीय वैज्ञानिक अभियान भेजा गया। अंटार्कटिक में पृथ्वी विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान, जैव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान तथा इंजीनियरी एवं संचार पर बहुविधात्मक वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। 18वां अभियान 14/12/1998 को भेजने का प्रस्ताव है। पर्यावरण प्रोटोकॉल के संबंध में अंटार्कटिक में पर्यावरणीय स्वच्छता अभियान शुरु किए गए।

1	2
गोवा में प्रथम ध्रुवीय अनुसंधानशाला–अंटार्कटिक अध्ययन केन्द्र की स्थापना करना।	अंटार्कटिक अध्ययन केन्द्र ने नए भवन से कार्य प्रारम्भ कर दिया है।
2. बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम	
चुनिंदा स्थानों पर बहुधात्विक पिण्डिका और समय शृंखला समुद्र वैज्ञानिक आंकड़ा संग्रह के लिए मध्य हिन्द महासागर बेसिन में भूस्थानिक स्रोत मूल्यांकन को अद्यतन बनाना।	खनन स्थल में 12.5 कि.मी. ग्रिड पर सर्वेक्षण और अन्वेषण पूरा किया गया और आंकड़ा आधार को अद्यतन किया गया। 5 कि.मी. समीपी ग्रिड पर स्थानिक नमूने लेने और प्रतिदर्श केन्द्रों का स्थानिक छायांकन शुरू किया गया। सी. आई. ओ. में आधार रेखा समय शृंखला समुद्रविज्ञानी आंकड़े एकत्र किए गए और संदर्भ परीक्षण स्थलों का पता लगाया गया तथा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए गए। अग्रणी क्षेत्र का अतिरिक्त 10 प्रतिशत क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण के लिए छोड़ा गया।
पिण्डिका संग्रह तथा धातुकर्म निष्कर्षण हेतु प्रायोगिक अभियान चलाया जाना।	लगभग 10.5 टन पिण्डिकाएं एकत्रित की गई एन. एम. एल. जमशेदपुर में 100 किग्रा./दिन क्षमता के प्रायोगिक संयंत्र अभियान चलाए गए।
उथला संस्तर खनन प्रणाली, सुदूर संचालित वाहन और अन्य अंतःजल प्रणालियों, उप–प्रणालियों का अभिकल्पन और विकास।	बहुउद्देशीय उपप्रणालियों का अभिकल्पन और विकास किया गया।
3. समुद्र से औषधियां	
समुद्री वनस्पतिजात और प्राणिजात से औषधि और संगत रसायनों का निर्माण करना।	जीव वैज्ञानिक और रसायन मूल्यांकन के लिए समुद्री वनस्पतिजात और प्राणिजात की लगभग 200 प्रजातियों को एकत्र किया गया। 100 से अधिक विशुद्ध यौगिकों को पृथक किया गया और उनकी विशेषताएं बताई गई।
समुद्री अवयवों से औषधि निर्माण के आगामी क्रमिक चरण जारी रखना।	परियोजना के चरण–3 के तहत समुद्री अवयवों से औषधि निर्माण के आगामी क्रमिक उपायों को जारी रखा गया।
पारंपरिक पद्धति के तहत उत्पादों के चरण I और II हेतु नैदानिक परीक्षणों को एक साथ शुरू करना।	एण्टी वाईरल, एण्टी एमिबिक, एण्टी डायबिटिक, एण्टी एक्सीओलिटिक और लार्वीसाइडल गतिविधियों वाले पांच अवयवों का अनुवर्ती मूल्यांकन। एण्टी डायबिटिक के जड़ी–बूटी स्रोत का अत्यंत विषालुता अध्ययन पूरा किया गया।
4. समुद्री सजीव संसाधनों का मूल्यांकन	
भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ठोस विकास और प्रबंधन हेतु समुद्री सजीव संसाधनों की संभाव्यता पर वास्तविक और विश्वसनीय सूचना प्राप्त करना।	समुद्री सजीव संसाधन कार्यक्रम के कथित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपर्युक्त अवधि में एफ. ओ. आर. वी. सागर संपदा ने 32 समुद्री यात्राएं कीं।
5. समुद्र प्रेक्षण और सूचना सेवा	
वास्तविक प्रेक्षित और परिमापित आंकड़ा से महासागर और तटीय दूर संवेदी आंकड़ा, समुद्र सतह तापमान के रूप में, तटीय और समुद्री आंकड़ा और आंकड़ा उत्पादों का निर्माण और प्रसार, संभाव्य मत्स्य क्षेत्र परामर्शी तथा अन्य समुद्री विशेषताओं यथा तरंग, अपवैलिंग, समुद्री चक्रवातों, क्लोरोफिल तथा प्रलंबित तलछट भार आदि का संश्लेषण करना।	एन. ओ. ए. ए. उपग्रह से उत्पन्न समुद्र सतह तापमान द्वारा संभाव्य मत्स्य क्षेत्र परामर्शी का निर्माण और उसे द्विसाप्ताहिक आधार पर 170 मत्स्य अलोदन केन्द्रों को प्रसारित करना।

1	2
समुद्री उपग्रह संवेदकों हेतु प्रामाणिक अभियान संचालित एवं आयोजित करना तथा समुद्र तथ्यपरक आंकड़ा एकत्र करना।	मॉड्यूलर ऑप्टीकल स्कैनर संवेदक का प्रमाणिक अभियान भी चलाया गया और हिन्द महासागर से क्लोरोफिल आंकड़ा प्राप्त करने संबंधी एल्गोरिथ्म प्रणाली विकसित की गई।
तटीय मानचित्रों का निर्माण।	समस्त तटवर्ती राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप व अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में समुद्री दूर संवेदी तथा तटीय आर्द्र भूमि मानचित्रों के माध्यम से प्रवालभित्तियों वाले क्षेत्रों के मानचित्र तैयार किए गए।
राष्ट्रीय आंकड़ा प्लव कार्यक्रम का संचालन।	क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय आंकड़ा प्लव कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत पूर्वी और पश्चिमी तटों के पास वास्तविक समय आधार पर समुद्र वैज्ञानिक आंकड़ों की प्राप्ति और प्रसार के लिए (उथले समुद्र में 7 और अपतट क्षेत्रों में 5) 12 आंकड़ा प्लव लगाए गए। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई में प्रयोक्ता अभिकरणों के लिए आंकड़ों की प्राप्ति अभिलेखन और प्रसार के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा प्लव केन्द्र की स्थापना की गई है।
6. अनुसंधान परियोजनाओं, जनशक्ति विकास आदि के लिए सहायता	
समुद्र विज्ञान में बुनियादी अनुसंधान के लिए चुंनिदा विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना।	समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 42 परियोजनाओं और 84 शोधार्थियों ने वित्तीय सहायता प्राप्त की।
चुनिंदा संस्थानों विश्वविद्यालयों में समुद्र संबद्ध विज्ञान के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन।	छः विश्वविद्यालयों में समुद्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और संबद्ध मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण में ऊंचे दर्जे के अनुसंधान को बढावा देने के लिए समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्ष स्थापित किए गए। ये कक्ष यथा समय उत्कृष्टता केन्द्र बन जाएंगे।
7. राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एन. आई. ओ. टी.)	
धारा उर्जित नौवहन प्लवों जैसी तट आधारित युक्तियों तैरती हुई युक्तियों में अनुप्रयोग के लिए ऊर्जा माड्यूल दोलायमान जल स्तंभ तथा जनरेटरों का इष्टतमीकरण।	विजिंझम, केरल के जल ऊर्जा प्रणाली की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए उन्नत ऊर्जा माड्यूल के साथ प्रयोग प्रारम्भ किया गया।
सीजेन विश्वविद्यालय, जर्मनी द्वारा विकसित क्रालर एवं राईजर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 500 मीटर की गहराई में खनन प्रणाली का प्रदर्शन किया गया। इस प्रणाली में एक मेनीपुलेटर होगा जिसमें कर्दम पंप इत्यादि जैसी अन्य प्रणालियों के साथ 500 मीटर गहराई में खनन हेतु तलमार्जन कटर लगा होगा।	क्रालर का नवीकरण किया गया एवं गोवा तट से दूर 70 मीटर गहराई में क्षेत्र अध्ययन पूर्ण किए गये। लगभग 500 मीटर की गहराई में इस प्रणाली का प्रदर्शन जनवरी 99 में प्रारम्भ किया जाएगा।
भारत के तटीय सागरों के साथ चुने गये मुहानों पर अपशिष्ट भार आवंटन एवं आमेलन क्षमता का निर्धारण।	तटीय तरंग गतिकी हेतु गणितीय प्रतिदर्शों का विकास एवं तलछट परिवहन की भविष्यवाणी करना गणितीय प्रतिदर्शों के वैधीकरण हेतु संकरी खाड़ी में जल गुणता प्राचलों के माप प्रारम्भ किए गये।
ध्वानिक ज्वार प्रमापी एवं सुदूर प्रचालित समुद्र मथित्र आर. ओ. एस. एस. की अभिकल्पना एवं परीक्षण।	ध्वानिक ज्वार प्रमापी की अभिकल्पना एवं परीक्षण पूरा करना, आर. ओ. एस. एस. की अभिकल्पना एवं विकास।

1	2
जलयान को प्लेटफार्म के रूप में उपयोग करके I मैगावाट क्षमता वाला (सकल) ओ. टी. ई. सी. प्रारम्भिक संयंत्र स्थापित करना।	टूटीकोरिन से दूर I मैगावाट क्षमता वाले तैरते हुए ओ. टी. ई. सी. संयंत्र की प्रारम्भिक अभिकल्पना पूरी हुई एवं विस्तृत अभिकल्पना एवं हार्डवेयर की प्राप्ति का कार्य प्रगति पर है।
8. तटीय समुद्री प्रबोधन एवं भविष्यकथन प्रणाली	
देश की तटरेखा के साथ 77 केन्द्रों पर जल में भारी धातुओं एवं पीड़कनाशी अवशेष, तलछट एवं जीववैज्ञानिक अवयव इत्यादि जैसे प्रदूषकों पर आंकड़ा का प्रणालीबद्ध संग्रह।	तट रेखा के साथ 77 स्थलों पर समुद्री प्रदूषण का प्रबोधन करना जिससे स्वच्छ समुद्र जल गुणता के क्षेत्रों एवं समुद्र में 25 किमी. तक के क्षेत्र में प्रदूषकों के निम्न मध्यम एवं उच्च जमाव के क्षेत्रों की पहचान करना। घरेलू एवं औद्योगिक स्रोतों से सीधे समुद्र में अपशिष्ट निपटान बिन्दुओं, संकरी खाड़ियों, मुहानों एवं अन्य जल निकायों का राज्यवार विवरण; अपशिष्ट जल के निपटान बिन्दुओं सहित इन बहिःस्रावों को ग्रहण करने वाले जल निकायों का पता लगाया गया।
उत्पादित आंकड़ा का उपयोग करके प्रदूषकों एवं उनके चरम नियति की गतिकी की भविष्यवाणी करने के लिए प्रतिदर्शों का विकास।	नियंत्रण एवं उपचारात्मक उपायों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकारियों को सूचना प्रसारित की गई। समुद्री संसाधनों का सतत विकास एवं प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत तटीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंध इकमाम कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।
9. समुद्री यंत्रीकरण	
"तट से मत्स्यन जलयान संचार प्रणाली" परियोजना का दूसरा चरण प्रारम्भ किया गया।	अन्य क्षेत्रों नामतः पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तरी गोवा तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपों, लक्षद्वीप व पांडिचेरी के संघ शासित क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का विस्तार पूरा होने को है।
मछुआरा समुदाय में वितरण हेतु 100 एकीकृत मत्स्य खोजी व नौवहन मार्गदर्शी प्रणाली (आई. एफ. एफ. एन. जी. एस.) का विकास अभिकल्पना एवं संरचना।	एकीकृत मत्स्य खोजी व नौवहन मार्गदर्शी प्रणाली (आई. एफ. एफ. एन. जी. एस.) विकसित करने के लिए एक योजना प्रारम्भ की गई, जिसका उद्देश्य मछुआरों का समुद्र में मत्स्य जलयानें की स्थिति तय करना एवं मत्स्य झुण्डों का पता लगाने में सहायता करना है। तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, केरल, कर्नाटक एवं गोवा के तटीय राज्यों में 50 एकीकृत मत्स्य खोजी व नौवहन मार्गदर्शी प्रणाली (आई. एफ. एफ. एन. जी. एस.) मछुआरों को बांटी गई।
10. अन्य योजनाएं	
10.1 द्वीप विकास कार्यक्रम	
अम्ल सल्फेट में श्रिम्प कृषि, फिनफिश की मिश्रित कृषि एवं प्रवाल भित्ति पुनः नवीकरण हेतु प्रौद्योगिकी प्रदर्शन	अम्ल सल्फेट मृदा में श्रिम्प कृषि की वैज्ञानिक विधि का प्रदर्शन अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में पूरा किया गया। अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में प्रवाल भित्तियों की पुनर्नवीकरण परियोजना प्रारम्भ की गई।
मूल द्वीप वासियों के लाभ हेतु सहयोजित द्वीप विकास कार्यक्रम प्रारम्भ करना।	एनकॉड एवं अंडमान एवं निकोबार श्रिम्प फार्म अनुसंधान एवं विकास एजेन्सी को मिलाकर राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के अन्तर्गत द्वीप विकास पर मिशन मोड कार्यक्रम प्रारम्भ करना।
10.2 तटीय अनुसंधान जलयान	
"सागर पूर्वी" एवं "सागर पश्चिमी" जलयानों का जलावतरण।	1996–97 से तटीय सागरों में प्रदूषण का निरन्तर प्रबोधन करते हुए तटीय अनुसंधान जलयान "सागर पूर्वी" और "सागर पश्चिमी" ने क्रमशः 32 और 44 समुद्र वैज्ञानिक समुद्री यात्राएं पूरी कीं।

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

*150. **श्री विक्रम देव केशरी :**

श्री प्रभूदयाल कठेरिया :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास आज तक राज्य–वार कितनी बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित सिंचाई लाभप्रद कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार आबंटित राशि और प्रत्येक राज्य द्वारा उपयोग में लाई गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से कुल कितनी सिंचाई क्षमता सृजित की गई; और

(घ) लंबित सभी परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केन्द्र सरकार के पास लंबित सिंचाई परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्र. सं.	राज्य का नाम	वृहद	मध्यम	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8	2	10
2.	असम	1	2	3
3.	बिहार	7	1	8
4.	गुजरात	1	1	2
5.	हरियाणा	5	2	7
6.	हिमाचल प्रदेश	1	2	3
7.	जम्मू व कश्मीर	–	16	16
8.	कर्नाटक	4	1	5
9.	केरल	2	1	3
10.	मध्य प्रदेश	9	–	9
11.	महाराष्ट्र	15	24	39
12.	मणिपुर	1	1	2
13.	मेघालय	–	–	
14.	नागालैंड	–	1	1
15.	उड़ीसा	6	6	12
16.	पंजाब	3	1	4
17.	राजस्थान	5	5	10
18.	सिक्किम	–	–	–
19.	तमिलनाडु	1	1	2
20.	त्रिपुरा	–	–	–
21.	उत्तर प्रदेश	11	–	11
22.	पश्चिम बंगाल	1	–	1
23.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
24.	गोवा, दमन, दीव	–	–	–
	कुल	81	67	148

लघु सिंचाई परियोजनाएं राज्यों द्वारा स्वतः अनुमोदित की जाती हैं।

(ख) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम केवल 1996–97 में शुरु किया गया था। इसलिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधियां और राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय का दो वर्षों का ब्यौरा उपलब्ध है। इसका विवरण इस प्रकार है :

क्रम	राज्य का नाम	सी. एल. ए. 1996–97		सी. एल. ए. 1997–98	
		जारी	किया गया वास्तविक व्यय	जारी	किया गया वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	35.25	44.46	74.00	126.69
2.	असम	05.23	10.65	12.40	24.08
3.	बिहार	13.50	03.115	14.04	35.13
4.	गुजरात	74.7725	443.440	196.90	716.01

1	2	3	4	5	6
5.	गोवा	00.00	00.00	05.25	05.28
6.	हरियाणा	32.50	00.00	12.00	00.00
7.	हिमाचल प्रदेश	00.00	00.00	06.50	07.50
8.	जम्मू व कश्मीर	01.30	00.00	00.00	00.00
9.	कर्नाटक	61.25	171.44	90.50	177.31
10.	केरल	03.75	07.31	15.00	08.87
11.	मध्य प्रदेश	63.25	178..99	114.50	196.792
12.	महाराष्ट्र	14.00	28.59	55.00	114.818
13.	मणिपुर	04.30	15.60	26.00	27.13
14.	उड़ीसा	48.45	90.686	85.00	140.284
15.	पंजाब	67.50	249.78	100.00	373.00
16.	राजस्थान	02.675	08.000	42.00	89.28
17.	त्रिपुरा	03.7725	07.25	05.10	06.28
18.	तमिलनाडु	20.00	10.51	00.00	00.00
19.	उत्तर प्रदेश	43.50	123.636	78.00	184.58
20.	पश्चिम बंगाल	05.00	10.704	20.00	20.00
	कुल	500.00	1404.161	952.19	2253.034

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995–96 से 1997–98 में वृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं से 6.77 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजित होने का अनुमान है।

(घ) सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा किए गए प्रेक्षण (आब्जर्वेशन) पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन योजनाएं

*151. **डॉ. सुशील इन्दौरा :**

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अक्तूबर, 1998 के "बिजिनस स्टेण्डर्ड" में "इंडियाज एंटी–पावर्टी स्कीम्स फ्लेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या हाल ही में प्रकाशित विश्व बैंक की रिपोर्ट में गरीबी उन्मूलन के लिए भारत में चलायी जा रही योजनाओं पर असंतोष व्यक्त किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार गरीबी उन्मूलन के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित सुधारों का ब्यौरा क्या है; और

(च) ये सुधार कब तक क्रियान्वित कर दिए जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने पर, विशेष रूप से शिशुओं की मृत्यु में कमी लाने के लिए आवश्यक देखभाल प्रदान करने में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की असफलता पर चिंता व्यक्त की गई है, इसके अतिरिक्त रिपोर्ट

में यह कहा गया है कि गरीबी–रोधी कार्यक्रमों के अधिकांश लाभ उन लोगों को प्राप्त हो रहे थे जो गरीब नहीं हैं, ऐसा विशेष रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी. डी. एस.) के अंतर्गत हो रहा था जिसमें धनवान ग्रामीण–परिवार, सब्सिडी–प्राप्त खाद्यों का लाभ उठा रहे थे, उन्होंने गरीबी–रोधी कार्यक्रमों में सुधारों का सुझाव दिया है और शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करने को कहा है।

(ग) सरकार विश्व बैंक द्वारा व्यक्त विचारों से पूर्णतः सहमत नहीं है। तथापि वह इस आवश्यकता के प्रति सचेत है कि शिक्षा और स्वास्थ्य तक सब की पहुंच में सुधार हो और यह सुनिश्चित हो सके कि बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएं, इस उद्देश्य के लिए, इन क्षेत्रकों में बड़े निवेशों के साथ, विशेष कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। जहां तक पी. डी. एस. का संबंध है यह कार्यक्रम विशिष्ट रूप से गरीबों के लिए ही लक्षित नहीं था। बहरहाल, जून, 1997 से एक लक्ष्यबद्ध पी. डी. एस. शुरू की गई है। लोक निर्माण कार्यक्रम स्व–लक्षित है और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (आई. आर. डी. पी.) के स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत, लाभ–प्राप्तकर्ताओं का चयन, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे पहचान किए गए परिवारों की सूची में से किया गया है।

(घ) से (च) विभिन्न गरीबी–रोधी कार्यक्रमों के प्रभाव का पता लगाने के लिए, नियमित पुनरीक्षा और मानीटरिंग की प्रक्रिया और समवर्ती मूल्यांकन की प्रणाली भी है। उनके निष्कर्षों के आधार पर कार्यक्रमों की क्षमता में सुधार करने के कदम उठाए जाते हैं। जहां नौवीं पंचवर्षीय योजना में स्व–रोजगार के लिए चालू गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और अनुपूरक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम जारी रहेंगे, वहीं इन्हें गरीबी उन्मूलन के अधिक प्रभावकारी उपाय बनाने के लिए इनका युक्तिकरण किया जाएगा और इन्हें पुनः डिजाइन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वितरण में सुधार और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में लोगों की अधिक भागीदारी के, विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं और स्व–सहायता समूहों के माध्यम से, प्रयास किए जाएंगे।

पवन ऊर्जा

***152. श्री जयसिंह जी चौहान :**

श्री एस. एस. ओवेसी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का अभ्युदय एक प्रमुख पवन विद्युत उत्पादनकर्ता के रूप में हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में राज्यवार उत्पादित पवन ऊर्जा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों को पवन ऊर्जा के उत्पादन हेतु और अनुदान/राजसहायता देने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्यों को और अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या कुछेक राज्य सरकारों ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन प्रस्तावों की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई तथा कितनी परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और डेनमार्क के बाद भारत विश्व में 992 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता के साथ चौथा सबसे बड़ा पवन विद्युत उत्पादक देश है।

(ख) अब तक पवन विद्युत परियोजनाओं से 3.7 बिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित विद्युत का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा पवन संसाधन मूल्यांकन और प्रदर्शन पवन फार्म परियोजनाओं की संस्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में पवन विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना के लिए कई पहलें की गई हैं। पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए संभावित स्थलों की पहचान करने हेतु अधिकाधिक राज्यों और नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमि. (इरेडा) से उदार शर्तों पर ऋण सहित कई राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए अनुकूल नीतियों की घोषणा करने हेतु राज्यों से अनुरोध किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के 'नवरत्नों' और 'मिनीरत्नों' तथा साथ ही निजी क्षेत्र की सर्वोत्तम कंपनियों से अनुरोध किया गया है कि वे पवन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करने पर विचार करें।

(ङ) और (च) प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और उनकी वर्तमान अवस्थिति संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में तीन प्रदर्शन परियोजनाओं को क्लीयर किया गया और इन्हें राज्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जा रहा है। तथापि, इस अवधि के दौरान वाणिज्यिक परियोजनाओं के माध्यम से छः राज्यों में 610 मेगावाट की कुल पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई।

विवरण–I

पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान पवन विद्युत परियोजनाओं से राज्यवार विद्युत का उत्पादन (के. डब्ल्यू. एच.)

राज्य	1995–96	1996–97	1997–98
आंध्र प्रदेश	7,676,741	39,979,632	51,925,399
गुजरात	58,230,856	117,856,316	132,409,292
कर्नाटक	315,603	7,250,605	11,715,975
केरल	2,041,468	2,565,150	1,867,326
मध्य प्रदेश	813,273	5,977,195	7,426,841
महाराष्ट्र	1,162,914	2,577,778	3,308,370
तमिलनाडु	426,198,886	702,169,655	779,801,751
कुल	496,439,741	878,376,331	988,454,954

विवरण–II

पवन विद्युत प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव

क्रम सं.	प्रस्ताव/राज्य	क्षमता (मेगावाट)	अवस्थिति
1	2	3	4
01	गुडेपंचगनी/महाराष्ट्र	1.84	अनुमोदित
02	रामाकलमेडू/केरल	2	23 सितम्बर, 1998 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ; आगे और सूचना मांगी गई है।
03	नालाथानी/केरल	2	आगे और सूचना मांगी गई है।
04	हनुमानहट्टी/कर्नाटक	2	आगे और सूचना मांगी गई है।
05	सोगी/कर्नाटक	2	10 जून, 1998 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ; आगे और सूचना मांगी गई है।
06	फ्रासरगंज/पश्चिम बंगाल	2	अनुमोदित
07	सागर द्वीप/पश्चिम बंगाल (पवन–डीजल हाइब्रिड प्रणाली)	0.5	सिद्धांत रूप से अनुमोदित
08	जैसलमेर/राजस्थान	2	16 अक्तूबर, 1998 को अंतिम प्रस्ताव प्राप्त हुआ; इसे प्रोसस किया जा रहा है।
09	सिंघानामाला/आंध्र प्रदेश	2	सिद्धांत रूप से अनुमोदित, राज्य द्वारा आरंभ नहीं किया गया।

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

***153. श्री अनूपलाल यादव** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए व्यय की गई धनराशि का अलग–अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन योजनाओं से प्रत्येक राज्य में किसान लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों के अन्तर्गत सिक्किम समेत उत्तर पूर्वी राज्यों को निर्मुक्त की गई धनराशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का उद्देश्य उत्पादन की उन्नत तकनीक का प्रयोग करके कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी लाना है और इनमें से अधिकांश स्कीम क्षेत्र/फसल विशिष्ट और राजसहायता उन्मुखी हैं, इनसे किसानों को लाभ पहुंचता है।

विवरण

आठवीं योजना के दौरान विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत उत्तर–पूर्वी राज्यों में कृषि के विकास के लिए निर्मुक्त धनराशि।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1992–93	1993–94	1994–95	1995–96	1996–97	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	116.60	174.31	316.21	472.85	221.08	1301.05
2.	असम	882.12	839.90	1251.67	861.00	1054.31	4889.00
3.	मणिपुर	159.98	116.82	583.46	1033.77	1228.69	3122.72
4.	मेघालय	102.69	208.95	254.99	159.59	442.29	1168.51
5.	मिजोरम	128.63	537.77	724.94	501.07	515.54	2407.95
6.	नागालैण्ड	95.89	407.52	774.62	737.61	786.50	2802.14
7.	सिक्किम	399.89	425.69	384.81	424.90	314.72	1950.01
8.	त्रिपुरा	156.55	250.61	307.16	308.31	379.39	1402.02
	योग	2042.35	2961.57	4597.86	4499.10	4942.52	19043.40

राजस्थान में एस. टी. डी./पी. सी. ओ. की स्थापना

***154. श्री नरेन्द्र बुडानिया** : यह संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान कितने एस. टी. डी./पी. सी. ओ. स्थापित किए गए;

(ख) इनको स्वीकृति दिए जाने के लिए अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में प्रत्येक राज्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

संचार मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थापित किए गए एस. टी. डी./पी. सी. ओ. की संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) शहरी क्षेत्रों में 10वीं कक्षा पास और ग्रामीण क्षेत्रों में 8वीं कक्षा पास शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की एस. टी. डी./पी. सी. ओ. आबंटित किए जाते हैं। ये एस. टी. डी./पी. सी. ओ. प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र (एस. एस. ए.) के लिए अलग–अलग गठित एस. टी. डी./पी. सी. ओ. आबंटन समिति द्वारा वरीयता आधार पर आबंटित किए जाते हैं। इस समिति में दो सरकारी सदस्य तथा गौण स्विचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य का एक–एक प्रतिनिधि शामिल होता है। निम्नलिखित वर्ग के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है :

1. नेत्रहीन व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्ति
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक
3. भूतपूर्व सैनिक तथा युद्ध में मारे गए जवानों की विधवाएं
4. दूरसंचार विभाग के सेवा निवृत्त कर्मचारी या उनके आश्रित
5. स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित
6. धर्मार्थ संस्थाएं/अस्पताल

(ग) एस. टी. डी./पी. सी. ओ. के लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। 1998–99 के लक्ष्य संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण–I

1995–96, 96–97 और 97–98 के दौरान संस्थापित एस. टी. डी./पी. सी. ओ.

सर्किल/जिला	1995–96	1996–97	1997–98
1	2	3	4
अंडमान निकोबार	6	4	22
आंध्र प्रदेश	1976	1774	2918
असम	329	532	784

1	2	3	4
बिहार	376	2513	2555
गुजरात	1776	4017	3402
हरियाणा	673	413	1135
हिमाचल प्रदेश	113	266	355
जम्मू और कश्मीर	91	351	450
कर्नाटक	1307	2576	6087
केरल	2070	2145	2442
मध्य प्रदेश	2057	2326	2522
महाराष्ट्र	4041	2525	5200
उत्तर पूर्व	145	246	458
उड़ीसा	713	1092	572
पंजाब	3220	3318	4548
राजस्थान	1233	1873	3775
तमिलनाडु	1702	1270	1528
उत्तर प्रदेश (पूर्व) / उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	2348	5108	9359
पश्चिम बंगाल	602	1443	813
मुम्बई	1374	1561	1852
कलकत्ता	1717	1219	2388
दिल्ली	2134	1683	1962
चेन्नई	798	2546	925

विवरण–II

1998–99 के लिए एस. टी. डी. सार्वजनिक टेलीफोनों का लक्ष्य

क्रम. सं.	सर्किल/जिले का नाम	एस. टी. डी./आई. एस. डी./ पी. सी. ओ.
1	2	3
1.	अंडमान निकोबार	35
2.	आंध्र प्रदेश	6000
3.	असम	1500
4.	बिहार	6000
5.	गुजरात	4500
6.	हरियाणा	1715
7.	हिमाचल प्रदेश	750
8.	जम्मू और कश्मीर	750
9.	कर्नाटक	6000
10.	केरल	2250
11.	मध्य प्रदेश	6000
12.	महाराष्ट्र	7500
13.	उत्तर–पूर्व	750
14.	उड़ीसा	900
15.	पंजाब	3000
16.	राजस्थान	4500
17.	तमिलनाडु	7500
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	7500
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	4500
20.	पश्चिम बंगाल	4500
21.	मुम्बई	4500
22.	कलकत्ता	5500
23.	दिल्ली	4500
24.	चेन्नई	3000
	कुल	93650

गौवध पर प्रतिबंध

***155. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गौवध पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान गौमांस के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) गोपशु के संरक्षण और परिरक्षण का मामला संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य की सूची में आता है। अधिकांश राज्यों ने गाय और उसकी

संतति के वध को सीमित करने अथवा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाए हैं।

(घ) गोमांस के निर्यात पर प्रतिबंध है। अतः गोमांस के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रश्न नहीं उठता।

आलू–प्याज की मांग और आपूर्ति

***156. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आलू–प्याज की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इन वस्तुओं के लिए निर्धारित न्यूनतम भंडारण सीमा क्या है और इस समय की भंडारण क्षमता कितनी है;

(ग) गत वर्ष सड़कर खराब हुए आलू–प्याज की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) भविष्य में ऐसे पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का किसानों के लाभ के लिए आलू और प्याज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो कब तक ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) इस विभाग ने आलू और प्याज की मांग और आपूर्ति से संबंधित अलग से कोई आंकलन तैयार नहीं किया है। तथापि, 9वीं योजना के अंत तक सब्जी की कुल आवश्यकता 131 मिलियन मी. टन होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें आलू और प्याज भी शामिल है। पिछले तीन वर्षों में आलू और प्याज का उत्पादन इस प्रकार रहा है।

(उत्पादन लाख मी. टन में)

जिंस	1995–96	1996–97	1997–98 (अग्रिम अनुमान)
आलू	188.40	250.70	192.00
प्याज	40.08	44.30	36.85

(ख) इन जिंसों के भण्डारण की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। उपलब्ध कोल्ड स्टोरेज क्षमता लगभग 105.55 लाख मी. टन है।

(ग) पिछले वर्ष सड़ने वाले आलू और प्याज की मात्रा उपलब्ध नहीं है, हालांकि नैफेड के अनुसार, रख–रखाव, भंडारण और परिवहन के दौरान 8–10 प्रतिशत जिंस खराब हो गयी थी।

(घ) सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

1. भारत सरकार ने अपने कोल्ड स्टोरेज आदेश को निरस्त कर दिया है ताकि बिना किसी लाइसेंस के कोल्ड स्टोरेज स्थापित किये जा सके।
2. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 35 लाख रुपये तक की रियायती ऋण सहायता प्रदान कर रहा है जिस पर मात्र 4 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगाता है।
3. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भी सहकारिता के क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
4. कृषि एवं संसाधित खाद्य विकास प्राधिकरण (अपेडा) भी निर्यात के लिए पत्तनों पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(ङ) और (च) सरकार एक विपणन हस्तक्षेप स्कीम क्रियान्वित कर रही है जिसके अन्तर्गत एक निश्चित समय में सहमति प्राप्त मूल्य दर पर पूर्व निर्धारित मात्रा में जिंसों की खरीद के लिए संबंधित राज्यों के विशेष अनुरोध पर विचार किया जाता है ताकि कीमतों को नीचे आने से रोका जा सके और किसानों को उनके अपने उत्पादों की मजबूरी में बिक्री करने से बचाया जा सके। ऐसा करने से यदि कोई घाटा होता है तो उसे केन्द्र और राज्य सरकारें 50 : 50 के आधार पर वहन करती हैं। विपणन हस्तक्षेप स्कीम के तहत खरीदारी करने के लिए नैफेड को नोडल एजेन्सी बनाया गया है।

खाद्यान्न

***157. श्री ए. वेंकटेश नायक :**

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् 2000 तक देश की जनसंख्या के लिए आवश्यक खाद्यान्न की अनुमानित मात्रा 23.5 करोड़ टन होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मांग को पूरा करने के लिए कोई ठोस योजना तैयार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय देश में अनुमानतः कितने खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादन के लिए कृषि आंकड़ों में सुधार एवं कृषि जिंसों की मांग एवं आपूर्ति प्रक्षेप संबंधी कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार, आदर्श दृष्टिकोण को अपनाते हुए 2001–2002 में खाद्यान्नों की मांग 194.50 मिलियन मी. टन आंकलित की गई है। तथापि, व्यवहारगत दृष्टिकोण के अनुसार 6% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धिदर की स्थिति में उपभोग आवश्यकता 214.25 मिलियन मी. टन एवं 7% वृद्धि दर की स्थिति में 216.50 मिलियन मी. टन आंकलित की गई है।

(ख) और (ग) सरकार, विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन एवं

उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए चावल/गेहूं/मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, चरित मक्का विकास कार्यक्रम एवं दलहन विकास परियोजना क्रियान्वित कर रही है। इस कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत अधिक उपज देने वाली बीज किस्मों के प्रयोग, समेकित कृमि प्रबन्ध का उपयोग, लघु सिंचाई सहित वैज्ञानिक जल प्रबंध, उन्नत कृषि उपकरणों का उपयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी के प्रभावी हस्तांतरण के लिए किसानों के खेतों पर किसानों एवं कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण सहित क्षेत्र प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। मुख्य खाद्यान्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा एवं नोडल अभिकरणों के माध्यम से खरीद के प्रबन्ध के द्वारा सरकार किसानों को मूल्य एवं मंडी समर्थन दे रही है। उर्वरकों की राजसहायता प्राप्त आपूर्ति से खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर बनाए रखने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त शासन चलाने के लिए राष्ट्रीय एजेंडा के अनुसार क्षेत्र-विशेष विकास नीति को अपनाने, कृषि अवसंरचना के निर्माण एवं संसाधनों के उचित उपयोग के माध्यम से अगले दस वर्षों में खाद्य उत्पादन को दुगुना करने को सरकार ने पुनः प्राथमिकता दी है।

(घ) 1997-98 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 193.12 मिलियन मी. टन होने का अनुमान है एवं चालू वर्ष (1998-99) की संभावनाएं काफी बेहतर हैं।

सूखा

*158. **श्री अरविन्द काम्बले :**

श्री मोहन सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस वर्ष राज्यवार इन क्षेत्रों में औसतन कितनी वर्षा रिकार्ड की गई तथा इस वर्ष राज्यवार कितनी वर्षा रिकार्ड की गई;

(ग) सूखे के कारण राज्यवार फसल का कितना नुकसान हुआ है;

(घ) क्या भयंकर सूखे तथा चारे की कमी के कारण बड़ी संख्या में पशु मारे गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या बड़ी संख्या में लोग जीविकोपार्जन की खोज में निकटवर्ती राज्यों में पलायन कर गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो राज्य सरकारें तथा केन्द्र सरकार सूखे की स्थिति से निपटने और लोगों के पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून अवधि (जून से सितम्बर, 1998) के दौरान विभिन्न राज्यों में सूखे से प्रभावित जिले तथा उनमें रिकार्ड की गई वर्षा का उल्लेख करने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) विभिन्न राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सूखे से प्रभावित फसल क्षेत्र इस प्रकार हैं :

राज्य	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हेक्टे.)
केरल	0.81
उड़ीसा	10.66
राजस्थान	61.57
पश्चिम बंगाल	0.60

(घ) और (ङ) जबकि राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया गया है, 281.73 लाख पशु प्रभावित हुए तथा चारे की कमी महसूस की जा रही है, इनमें से किसी भी राज्य से, गंभीर सूखे के कारण बड़े पैमाने पर पशुओं के मरने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(च) इन राज्यों में से किसी से भी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(छ) ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आपदा राहत कोष के आबंटन से राहत और पुनर्वास उपाय करना मूल रूप से राज्य-सरकार की जिम्मेवारी है। तात्कालिक राहत कार्य करने के लिए वर्ष 1998-99 के लिए केरल को 48.08 रु., उड़ीसा को 40.77 करोड़ रुपये का आपदा राहत कोष का समस्त केन्द्रीय अंश तथा राजस्थान को 111.69 करोड़ रुपये तथा पश्चिम बंगाल को 32.02 करोड़ रुपये की केन्द्रीय अंश की तीन किस्तें पहले ही निर्मुक्त की जा चुकी हैं। केरल और उड़ीसा राज्य सरकारों ने आवश्यक राहत और पुनर्वास उपाय कर लेने की सूचना दी है।

विवरण

दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि (जून से सितम्बर, 1998) के दौरान विभिन्न राज्यों में सूखा से प्रभावित जिले तथा इन जिलों में रिकार्ड की गई वर्षा।

राज्य	जिला	सामान्य वर्षा (एम. एम.)	वास्तविक वर्षा (एम. एम.)	सामान्य से % विपथन
1	2	3	4	5
उड़ीसा	बोलानगीर	1250	668	-47
	कालाहांडी	1110	625	-44

1	2	3	4	5
	क्योंझरगढ़	1264	785	–38
	फुलबनी	1196	819	–32
	सुन्दरगढ़	1359	905	–33
	सम्बलपुर	1355	941	–31
उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	1085	798	–26
पंजाब	फरीदकोट	330	228	–31
	संगरूर	474	333	–30
	अमृतसर	448	311	–30
बिहार	वैशाली	952	577	–39
राजस्थान	जालोर	388	185	–52
	पाली	468	340	–27
	भीलवाड़ा	601	350	–42
	बून्दी	641	467	–27
	झालावार	905	629	–31
	कोटा	815	493	–39
	सिरोही	804	538	–33
मध्य प्रदेश	छतरपुर	1053	659	–37
	होशंगाबाद	1345	837	–38
	राजगढ़	949	630	–34
	सेहोर	1120	790	–30
	सिवनी	1153	546	–53
	शिवपुरी	785	572	–27
	बस्तर	1271	937	–26
	मण्डला	1246	572	–54
	राजनन्द गांव	1000	543	–46
	सतना	953	612	–36
	रायपुर	1195	841	–30
	शहडोल	1120	729	–35
	सिद्धी	1020	701	–31
हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	1536	1104	–28
जम्मू एवं कश्मीर	लद्दाख	36	11	–71
	श्रीनगर	163	76	–53
	ऊधमपुर	1255	875	–30
	कुपवाड़ा	265	107	–59
गुजरात	कच्छ	395	240	–39
असम	जोरहाट	1159	800	–31
	धुबड़ी	1929	1407	–27
	काबरी–एंगलांग	1901	604	–68
केरल	वायनाड	2919	1875	–36
तमिलनाडु	कन्याकुमारी	434	268	–38
	साऊथ आरकोट	395	276	–30
	तिरूवन्नामालाई	451	308	–32
पश्चिम बंगाल	हुगली	1123	800	–29
	हावड़ा	1228	632	–49
	बंकुरा	1012	745	–26

[अनुवाद]

शीतल पेयों में विदेशी निवेश

***159. श्री रवि सीताराम नायक** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अक्तूबर, 1998 की स्थिति के अनुसार देश में शीतल पेयों में कुल कितना विदेशी निवेश हुआ;

(ख) विदेशी कंपनियों के पास बाजार का अनुमानतः कितना हिस्सा है;

(ग) क्या उदारीकरण नीति के तहत उनका हिस्सा बढ़ जाने की संभावना है जिसके अन्तर्गत इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) 30 अक्तूबर, 1998 की स्थिति के अनुसार देश में शीतल पेयों में कुल 2586 करोड़ रु. का निवेश हुआ।

(ख) विभिन्न कंपनियों, इनमें शीतल पेय बनाने वाली विदेशी कंपनियां शामिल हैं, के पास बाजार के अनुमानित हिस्से के बारे में सूचना सरकार द्वारा नहीं रखी जाती।

(ग) और (घ) ऐसी कोई प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

कृषि आधारित उद्योग

***160. श्री विठ्ठल तुपे :**

श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने किसानों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पांच सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्य और कृषि आधारित उद्योगों की प्रबंधन नीति के संबंध में कोई कृतिक बल गठित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यह कृतिक बल अपनी रिपोर्ट कब तक सरकार को प्रस्तुत कर देगा; और

(च) इससे किसानों को क्या लाभ होंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (च) खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने चार दिवसीय "एग्रो" एडवान्टेज–महाराष्ट्र सम्मेलन का उद्घाटन करते समय निम्नलिखित 5 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी ·

1. सरकार ने लघु किसान कृषि व्यापार संघ द्वारा केन्द्र में उच्च स्तर के समन्वयन निकाय के रूप में कार्य करने हेतु और राज्यों में कृषि व्यापार में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु काम करने के लिए उपाय किए हैं। यह सरकारी क्षेत्र एवं नियमित क्षेत्र के बीच परस्पर लाभकारी सहयोग को भी प्रोत्साहित करेगा।

2. सरकार ने बहुत–सी वस्तुओं में भविष्य में होने वाले विनियम को मजबूत एवं विस्तृत करने हेतु भी कदम उठाए हैं। एक उपयुक्त भावी विनियम महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे किसानों को अन्य व्यापारों की तरह बाजार शक्तियों के प्रभावों से बचने में मदद मिलेगी। इससे इन्हें अपनी फसल को इकट्ठा करने हेतु स्थान मिलेगा और उनके जोखिम कम होंगे। केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में फारवर्ड मार्किट कमीशन को मजबूत किया है। इसके जल्दी ही कई क्षेत्रीय कार्यालय खुलेंगे।

3. भारत की अच्छी भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी स्थिति का लाभ उठाते हुए कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। हमारा देश विकासशील देशों को निर्यात करने हेतु संयुक्त उद्यमों की स्थापना के वास्ते एक बहुत अच्छा उत्पादन आधार भी बन सकता है। वाणिज्य मंत्रालय ने फार्म उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक विस्तृत योजना तैयार की है जिससे विश्व व्यापार में हमारी वर्तमान कम भागीदारिता को पर्याप्त रूप से बढ़ाने में मदद मिलेगी।

4. सरकार शीघ्र ही एक राष्ट्रीय ग्रामीण सहकारी नीति शुरू करेगी और काफी समय से लंबित बहु–राज्य सहकारी अधिनियम को बनाएगी।

5. सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय कार्यदल की सिफारिशों के मद्देनजर सरकार ने कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों में बड़े पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी का विकास करने का निर्णय लिया है। सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादन और विपणन में उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाने हेतु एक महत्त्वपूर्ण साधन हो सकता है। केन्द्र शीघ्र ही एक राष्ट्रीय स्कीम शुरू करेगा जिससे फार्म क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाओं को परस्पर सहयोगी ढांचे के रूप में सहायता मिलेगी।

प्रधानमंत्री महोदय ने इस क्षेत्र के अति महत्त्व के मद्देनजर यह भी घोषणा की कि सरकार कृषि मंत्री श्री सोमपाल की अध्यक्षता में खाद्य एवं कृषि उद्योग प्रबंधन नीति संबंधी एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन करेगी जिसमें राज्यों, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों और इस क्षेत्र में प्रमुख किसानों एवं व्यवसायियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यदल अगले 3 माह के भीतर सरकार द्वारा जांचने एवं स्वीकार करने हेतु एक कार्रवाई योजना प्रस्तुत करेगा।

समुद्री कटाव रोधी कार्यक्रम

1602. श्री टी. गोविन्दन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समुद्री कटाव रोधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस संबंध में लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और कितना क्षेत्र इसके अन्तर्गत लाया जाना बाकी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों को समुद्री कटाव रोधी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता संबंधी मानदंडों को बदलने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) देश की समुद्री रेखा का इक्कीस प्रतिशत भाग समुद्री कटाव की दृष्टि से असुरक्षित क्षेत्र है जिसमें से लगभग छियालीस प्रतिशत क्षेत्र को आठवीं योजना के अंत तक उचित सुरक्षा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

(ख) और (ग) समुद्री कटावरोधी कार्यों के लिए भारत सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है क्योंकि ऐसे कार्यों की आयोजना अन्वेषण, कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर अपनी ही राज्य योजना निधियों से किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) समुद्री कटाव रोधी कार्य प्रारंभ करने के लिए समुद्र तटीय राज्यों को इस समय कोई भी केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा रही है। फिर भी, समुद्र तटीय राज्यों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के आधार पर देश की समुद्री रेखा के अधिकांश असुरक्षित भागों को सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना केन्द्रीय जल आयोग में तैयार की जा रही है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में टी. वी. ट्रांसमीटर/आकाशवाणी केन्द्र

1603. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में आकाशवाणी केन्द्र उच्च/निम्न शक्ति वाले/अति निम्न शक्ति वाले टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में किसी भी मौजूदा आकाशवाणी केन्द्र का और विकास किए जाने प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) (ख) जी, हां। आकाशवाणी का मंजेरी और कासरगोड़ में केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है जबकि दूरदर्शन ने कालीकट स्थित उ. श. ट्रा. का 1 कि. वा. से 10 कि. वा. में उन्नयन करने और कन्नौर में उ. श. ट्रा. (डी. डी.–1), कोचीन और त्रिवेन्द्रम में डी. डी–2 के लिए 2 उ. श. ट्रा., पाला, मंजेरी, कोट्टाराक्कारा में 3 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर इराट्टूपेट्टा मुंडाकायम में 2 अश्व अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें शुरू की हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) केरल में आकाशवाणी के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं :–

1. एलैप्पी स्थित 100 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर को 200 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर में बदलना।
2. त्रिवेन्द्रम स्थित 10 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर को कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर में बदलना।
3. कालीकट स्थित 1 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर को 10 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर में बदलना।
4. त्रिवेन्द्रम और कालीकट में स्टीरियो स्टूडियो सुविधा।

अनुफंगी

1604. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पत्तियां झडने की समस्या अर्थात् खतरनाक बीमारी "अनफंगी" ने शिमला और कुल्लू के सम्पूर्ण सेब उत्पादक क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया है जिससे सेब उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बीमारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में 5000 फुट से 7500 फुट (लगभग 1524 मीटर से 2287 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित बागानों पर ही प्रभाव पड़ा है।

(ख) इस रोग की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. व्यापक रूप से स्थान विशिष्ट परीक्षणों के बाद ऐसे रोग पर नियंत्रण करने के लिए फफूंदनाशियों का छिड़काव किए जाने का कार्यक्रम।
2. बाग मालिकों को राजसहायता के साथ कारगर कीट नाशी उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
3. बाग मालिकों को इस रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी देने के लिए कृषि एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी (सोलन) के वैज्ञानिक डॉ. वाई. एस. परमार के सहयोगे से प्रशिक्षण शिविर लगाये जा रहे हैं।
4. इस रोग के नियंत्रक से संबंधित साहित्य का प्रकाशन किया गया है और बाग मालिकों को इसका मुफ्त वितरण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

नई कृषि प्रौद्योगिकी

1605. श्री राम टहल चौधरी :

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई प्रौद्योगिकी बिहार के किसानों को प्रभावी रूप से हस्तान्तरित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एवं कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा इसका क्षेत्र प्रदर्शन किया जा रहा है, तथा राज्य में किसानों को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बिहार में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बिहार में 21 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए हैं। केन्द्र की गतिविधियों में किसानों को व्यावसायिक दक्षता पर आधारित प्रशिक्षण, उनकी जानकारी को अद्यतन बनाने के लिए विस्तार कार्मिक को सेवा काल में प्रशिक्षण, खेत पर जांच तथा विभिन्न कृषि प्रौद्योगिकियों पर अग्र पंक्ति के प्रदर्शन शामिल हैं। इसके अलावा संस्थान ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम के जरिए प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा सुधार के लिए तीन केन्द्रों तथा प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा प्रभाव मूल्यांकन के लिए 5 केन्द्रों को भी स्थान विशेष के आधार पर नई विकसित प्रौद्योगिकी के प्रभावी स्थानातरण के लिए चलाया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रमुख तिलहनी तथा दलहनी फसलों की उत्पादन क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र ने बिहार में 1997 के दौरान बारानी तथा सिंचित दशाओं के तहत 507 हैक्टर में 3000 क्षेत्र परीक्षण किये हैं। कुल 1387 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिससे फसल उत्पादन, पशुधन उत्पादन तथा प्रबंध, फल तथा सब्जियां और कृषि उपकरण एवं औजारों के उपयोग के विभिन्न क्षेत्रों में 35822 किसानों को लाभ मिला।

(ङ) नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान मौजूदा प्रायोजनाएं चलती रहेंगी। इसके अलावा भा. कृ. अ. प. का किसानों तथा अन्य उपभोक्ताओं के लिए एक ही जगह से प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है। कृषि विज्ञान केन्द्र के अतिरिक्त कार्य को शुरू करने के लिए रोहतास तथा दुमका के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

फल और सब्जियों का उत्पादन

1606. डॉ. सुशील इन्दौरा :

प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों में फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान फलों का उत्पादन कितना था तथा चालू वर्ष के दौरान भी कितने उत्पादन का अनुमान है;

(ग) क्या आजकल फल और सब्जियों की खेती के लिए अधिक भूमि का उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में फल और सब्जियों की खेती के अन्तर्गत भूमि के क्षेत्र का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां। अद्यतन उपलब्ध वर्षों के लिए देश में फल और सब्जियों के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

उत्पादन, मिलियन मी. टन में

	1993–94	1994–95	1995–96
फल	37.26	38.60	41.51
सब्जियां	65.79	67.29	71.59

वर्तमान वर्ष के लिए फलों और सब्जियों के कुल उत्पादन का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) अद्यतन उपलब्ध अवधि के लिए फलों और सब्जियों के तहत कवर किए गए क्षेत्र का तुलनात्मक ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(क्षेत्र, मिलियन हैक्टेयर में)

	1993–94	1994–95	1995–96
फल	3.18	3.31	3.36
सब्जियां	4.88	5.01	5.34

बिहार में फल प्रसंस्करण उद्योग

1607. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार राज्य में फलों के उत्पादन की पर्याप्त संभावना को देखते हुए विदेशी सहयोग से फल प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में फल प्रसंस्करण एककों को कितनी सहायता प्रदान की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं या विदेशी सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करता। मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के जरिए प्रसंस्कृत फल उत्पादों समेत विभिन्न प्रसंस्कृत खाद्यों के लिए बुनियादी तथा प्रसंस्करण सुविधाओं के सृजन/उन्नयन के वास्ते वित्तीय सहायता देता है। ये स्कीमें राज्य या स्थान–विशिष्ट नहीं होती।

पिछले तीन वर्षों (1995–96 से अब तक) के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बिहार में चार खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए 9.92 लाख रु. की सहायता दी है।

[अनुवाद]

समुद्र के साथ दीवार का निर्माण

1608. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने समुद्री कटाव से प्रभावित पारादीप तथा अन्य तटीय क्षेत्रों पर समुद्र के साथ दीवार का निर्माण करने हेतु कोई केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार द्वारा बालासोर, केन्द्रपाड़ा, पुरी और गंजम जिलों में समुद्री कटाव को रोकने के लिए तटीय संरक्षण के वास्ते 263.50 करोड़ की लागत के अनुरोध के उत्तर में योजना आयोग ने वर्ष 1997–98 के दौरान 4.54 करोड़ रुपये की एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की थी। उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव में पारादीप में समुद्री दीवार के निर्माण के लिए विशिष्ट रूप से कोई स्कीम शामिल नहीं की गयी थी।

[हिन्दी]

नहरों का निर्माण

1609. श्री अमन कुमार नागरा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि अम्बाला क्षेत्र (हरियाणा) के लाखों किसान उस क्षेत्र में सिंचाई प्रयोजन हेतु नहरों के न होने के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि में इस क्षेत्र में कुछ और नहरों के निर्माण का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि अम्बाला क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

(ग) और (घ) सिंचाई राज्य का विषय है और सभी सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन, योजना, वित्तपोषण और मानीटरिंग करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

मालदीव को भारतीय सहायता

***1610. श्री प्रसाद बाबूराव परांजपे :**

श्री एस. एस. ओवेसी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालदीव ने चालू वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मालदीव को भारत सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) दोनों देशों के बीच सहयोग की चल रही प्रक्रिया के एक भाग के रूप में भारत सरकार विभिन्न तकनीकी सहायता तथा छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत मालदीव की सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में सहायता प्रदान करती रही है। भारत औषधि, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर विज्ञान, नर्सिंग तथा कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मालदीव के अभ्यर्थियों को शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करता रहा है।

चंडीगढ़ में टेलीफोन एक्सचेंज

1611. श्री सत्यपाल जैन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार 1998–99 के दौरान नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में टेलीफोन कनैक्शन की प्रतीक्षा सूची में कितने लोग हैं; और

(ङ) इस प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) :

(क)

वर्ष	एक्सचेंजों की संख्या
1995–96	13
1996–97	15
1997–98	14
1.4.1998 से 31.10.98	14

(ख) जी, नहीं।

(ग) उक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रतीक्षा सूची में 9034 व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं।

(ङ) प्रतीक्षा सूची के मार्च, 99 तक निपटाए जाने की संभावना है बशर्ते कि उपस्कर, भंडार और वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जाएं।

मत्स्यन घाट

1612. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा मालापुरम जिले में पोन्नई मत्स्यन घाट के विकास के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल सरकार ने इस दौरान इस विषय में अपेक्षित तकनीकी रिपोर्ट, प्रतिरूप अध्ययन रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेज दी है;

(ग) यदि नहीं, तो कौन-कौन सी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है; और

(घ) इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को शीघ्र संस्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) भारत सरकार को केरल के मालापुरम जिला स्थित पोन्नानी में मत्स्यन बंदरगाह के विकास के लिए 916.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से अप्रैल, 1995 में एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट मिली थी। परियोजना प्रस्ताव में ब्रेक वाटर, घाट, नीलामी हॉल तथा अन्य सहायक सुविधा सहित बंदरगाह सुविधाओं की व्यवस्था है।

(ख) से (घ) केरल सरकार ने परियोजना के लिए मॉडल अध्ययन कार्य शुरू कर दिया है तथा राज्य सरकार से मॉडल अध्ययनों पर आधारित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

त्रिवेन्द्रम में "सैटेलाईट अर्थ स्टेशन" स्थापित किया जाना

1613. श्री पी. सी. थामस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में कोई "सैटेलाईट अर्थ स्टेशन" स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र को निजी मलयालम टी. वी. चैनल की तुलना में प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र लाभ अर्जित कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नक़वी): (क) और (ख) ज़ी. हां। केरल क्षेत्रीय सेवा अर्थात् मलयालम कार्यक्रम प्रसारित करने वाले डी. डी. 4 चैनल को अपलिंक करने के लिए त्रिवेन्द्रम में स्थित उपग्रह भू-केन्द्र को चालू कर दिया गया है।

(ग) केरल क्षेत्रीय सेवा रिले करने के लिए केरल के सभी उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर उपग्रह के माध्यम से दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम से जुड़े हुए हैं। केरल क्षेत्रीय सेवा अर्थात् डी. डी.-4 कार्यक्रम भी उपयुक्त डिश एन्टिना प्रणाली का उपयोग करके पूरे देश में उपलब्ध है। दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम से रॉयल्टी पर अच्छी गुणवता वाले कार्यक्रमों, प्रायोजित तथा दूरदर्शन द्वारा स्व-निर्मित कार्यक्रमों को प्रतिदिन प्रसारित किया जाता है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन केन्द्र त्रिवेन्द्रम द्वारा अर्जित राजस्व निम्न अनुसार है :

(करोड़ रुपए में)

1995-96	15.62
1996-97	17.51
1997-98	21.68

[हिन्दी]

डाक सामग्री के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि

1614. श्री मोती लाल वोरा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 31 अगस्त, 1998 से डाक सामग्री के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितने अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) 31 अगस्त, 1998 से केवल आठ डाक सेवाओं के संबंध में शुल्क में संशोधन किया गया था ताकि उन विभिन्न डाक सेवाओं की बढ़ी हुई प्रचालन लागत को पूरा किया जा सके, जिनके लिए आम बजट से अत्यधिक आर्थिक सहायता लेनी पड़ती थी। यह अनुमान है कि शुल्क में संशोधन के बावजूद राजस्व अधिकांश डाक सेवाओं की प्रचालन लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

(ग) ऐसा अनुमान है कि शुल्क में वृद्धि से प्रतिवर्ष 272 करोड़ रु. तथा चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 159 करोड़ रु. अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

पर्वतीय क्षेत्रों में संचार सुविधा

1615. श्री राम शकल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी पर्वतीय क्षेत्रों को संचार नेटवर्क से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में इस संबंध में कोई प्रगति नहीं होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी, हां। प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन तथा पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश में मांग पर टेलीफोन प्रदान करने का उद्देश्य राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में प्रस्तावित किया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में निम्नलिखित टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गई हैं :

अब तक एक्सचेंजों की संख्या	20
30.11.98 को ग्रामों की संख्या	1346
30.11.98 को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या	508

जिन गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान नहीं की गई है, वहां उत्तरोत्तर प्रदान की जा रही है।

[अनुवाद]

वेटरिनेरी प्रैक्टिस का निजीकरण

1616. श्री महबूब जहेदी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वेटरिनेरी प्रैक्टिस का निजीकरण करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) क्या हाल ही में राज्य के पशुपालन/पशु चिकित्सा सेवा के मंत्रियों की दिल्ली में हुई बैठक में इस योजना के विरुद्ध सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त बैठक में उन्होंने पशुधन संबंधी प्रस्ताव के प्रारूप का ब्यौरा प्रस्तुत किया है;

(घ) देश में वेटरिनेरी प्रैक्टिस को नियमित करने हेतु केन्द्र अथवा राज्य में से किसको विधि सम्मत अधिकृत किया गया है; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों में वेटरिनरी प्रैक्टिस को नियंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को अधिकृत किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) हाल ही में ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है।

(घ) केन्द्र में–भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्तर पर–राज्य/संघ शासित पशु चिकित्सा परिषद्।

(ङ) जी, नहीं।

पासपोर्ट कम्पलैक्स

1617. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न स्थानों पर आवासीय ब्लाकों सहित पासपोर्ट कम्पलैक्स स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और ये कम्पलैक्स कहां–कहां स्थापित किये गये हैं;

(ग) इस प्रयोजन के लिये विदेश कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत कितनी धनराशि का बजटीय आबंटन किया गया है और नियत बजटीय आबंटन में से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(घ) वर्ष 1998–99 के दौरान ऐसे कितने कम्पलैक्सों के निर्माण का लक्ष्य है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) भारत सरकार के स्वामित्व वाले पासपोर्ट कार्यालयों और रिहायशी परिसरों के निर्माण के प्रस्ताव मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं। कोचीन और कोजीकोड में कार्यालय भवनों का निर्माण पूरा हो गया है और इन जगहों पर रिहायशी ब्लाकों का निर्माण कार्य चल रहा है। अहमदाबाद में पासपोर्ट कार्यालय परिसर तथा आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हैदराबाद और पटना में निर्मित सम्पतियों की खरीद की गई है। इन दोनों जगहों पर अतिरिक्त आन्तरिक कार्य प्रगति पर है। भवन निर्माण के लिए भुवनेश्वर, कलकत्ता, चण्डीगढ़, लखनऊ, पणजी में प्लाटों का अर्जन किया गया है तथा त्रिवेन्द्रम में निकट भविष्य में अर्जित करने की सम्भावना है। दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई में पासपोर्ट कार्यालय सरकारी भवनों में स्थित हैं।

(ग) पासपोर्ट कार्यालय परिसरों पर होने वाला व्यय विदेश मंत्रालय के पूंजीगत परिव्यय बजट से होता है जिसमें से अक्तूबर, 1998 तक 3.00 करोड़ रुपये खर्च हो गए हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 4.61 करोड़ रुपये और खर्च होने की सम्भावना है।

(घ) अहमदाबाद, कोचीन, कोजीकोड और हैदराबाद में निर्माण कार्य प्रगति पर है। पणजी में निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करना तय है। अन्य परियोजनाएं इस मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

बागवानी परियोजना

1618. श्री एस. अजय कुमार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र को केरल सरकार से बागवानी विकास के संबंध में 1200 करोड़ रुपए का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) केरल में बागवानी के विकास के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग को 1200 करोड़ रुपए का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि केरल राज्य सरकार, बागवानी फसलों जैसे--सब्जी, काजू, नारियल एवं पुष्पकृषि के विकास के लिए समय-समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करती रही है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यक्रमों के अलावा वर्ष 1997-98 के दौरान बागवानी विकास के लिए केरल सरकार को 23.73 करोड़ रुपए प्रदान किये गए हैं। चालू वर्ष के लिए विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत कुल आबंटन 29.77 करोड़ रुपए है।

डाक से पुस्तक भेजने के लिए निर्धारित दरें

1619. श्री सुशील चंद्र वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक से पुस्तक भेजने के लिए निर्धारित की गई डाक दरें रियायती हैं या साधारण हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार पुस्तकें प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इस पर विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) रियायती।

(ख) मुद्रित पुस्तकें निम्नलिखित डाकशुल्क की दरों पर बुक-पोस्ट द्वारा भेजी जा सकती हैं :

(i) प्रथम 100 ग्राम या उसके किसी भाग के लिए 50 पैसे

(ii) 100 ग्राम से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 100 ग्राम या उसके किसी भाग के लिए 50 पैसे

50 रु. तक की मुद्रित पुस्तकों वाली अंतर्देशीय मूल्य देय डाक के लिए 1.25 रु. का रियायती पंजीकरण शुल्क है।

(ग) और (घ) चूंकि मुद्रित पुस्तकों के लिए मौजूदा डाक दरें पहले ही रियायती हैं, अतः ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सिक्किम में टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार

1620. श्री भीम दाहाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में दूर-संचार सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से वहां विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों की वर्तमान क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितना खर्च हुआ है; और

(घ) विस्तार योजना कब तक पूरी होगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कुल व्यय लगभग 35.48 करोड़ रु. है।

(घ) विस्तार योजना के 31 मार्च, 1999 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

विवरण

मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता विस्तार का स्थानवार ब्यौरा

क्रम सं.	एक्सचेंज का नाम	मौजूदा क्षमता	तक विस्तार
1.	गंगटोक	4900	4000
2.	गेजिंग	478	522
3.	सिंगटम	478	522
4.	चुंगथुंग	88	64
5.	मंगन	184	152
6.	रैंगपो	184	152
7.	सोरेंग	184	152
8.	रानीपूल	392	608
9.	टाडोंग बाजार	368	632
10.	मेल्ली	56	96
11.	फूडांग	56	96
12.	रांगली	56	56
13.	पेकांग	360	640
14.	रावंगल	152	152

फील्ड ड्रेन

1621. श्री ए. सी. जोस : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से फील्ड ड्रेन के लिए मौजूदा दर को 1000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने के

संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार से केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खेत नाली (फील्ड ड्रेन) के निर्माण के लिए मौजूदा दर 1000/– रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और बाद में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार से कुछ सूचना और स्पष्टीकरण मांगा गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता

1622. श्री प्रदीप कुमार यादव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं अनुमोदन के लिए सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) पिछले तीन सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और विकास के लिए 731.46 लाख रु. की वित्तीय सहायता दी गई है। इनके वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

(लाख रु. में)

वर्ष	उपलब्ध कराई गई सहायता
1995–96	512.56
1996–97	151.35
1997–98	67.55

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तीन प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। इनमें से एक उद्यमशीलता कार्यक्रम आयोजित करने और बाकी दो फल और सब्जी उत्पाद, दाल और मसालों के लिए खाद्य प्रसंस्करण और प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना से संबंधित हैं।

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

1623. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास अनेक बड़ी, मझौली और छोटी सिंचाई परियोजनाएं पर्यावरण संबंधी मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इनको शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय में स्वीकृति की शर्त पर अनुमोदित की गई वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य सरकारों द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा की गई टिप्पणियों की अनुपालना पर निर्भर करती है।

विवरण

परियोजना का नाम	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति का माह/वर्ष	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत बशर्ते कि
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1. पलीचिंताला सिंचाई	4/96	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति
2. कृष्णा डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण	4/96	पर्यावरण स्वीकृति

1	2	3
3. भीमा लिफ्ट सिंचाई	4/96	पर्यावरण स्वीकृति
4. श्री राम सागर परियोजना चरण–II	4/96	वन स्वीकृति
5. श्री राम सागर परियोजना से बाढ़ प्रवाह नहर	4/96	पर्यावरण स्वीकृति
बिहार		
6. स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना	12/92	वन स्वीकृति
7. सिकतिया बराज	8/88	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति
8. अपर साकरी जलाशय परियोजना	9/84	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति
जम्मू और कश्मीर		
9. रणबीर नहर का आधुनिकीकरण	9/97	पर्यावरण स्वीकृति
मध्य प्रदेश		
10. बाण सागर परियोजना यूनिट–II (नहरें)	1/94	पर्यावरण स्वीकृति
11. सिंध सिंचाई (फेज–II)	12/92	वन स्वीकृति
12. बारगी बहुप्रयोजनी	9/89	पर्यावरण स्वीकृति
13. थनवर बहुप्रयोजनी	3/91	पर्यावरण स्वीकृति
14. माहन	6/83	पर्यावरण स्वीकृति
15. राजघाट नहर परियोजना	8/93	वन स्वीकृति
महाराष्ट्र		
16. वर्ना	8/88	वन स्वीकृति
17. संगोला शाखा नहर	5/89	पर्यावरण स्वीकृति
18. तिल्लारी	12/89	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति
19. लोअर वूना	9/89	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति
मणिपुर		
20. तिपाईमुख बहुप्रयोजनी	8/95	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति
उड़ीसा		
21. लोअर इन्द्रा	2/97	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति
22. लोअर सुकतल	2/97	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति
पंजाब		
23. यू. बी. डी. सी. चरण–II (संशोधित) सहित रणजीत सागर बांध	4/92	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति

1	2	3
राजस्थान		
24. इंदिरा गांधी नहर चरण–I (ई. आर. एम.)	8/95	पर्यावरण स्वीकृति
उत्तर प्रदेश		
25. मेजाबांध को ऊंचा करना	3/95	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति
26. बाण सागर नहर	1/94	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति
27. मऊदाहा बांध	9/97	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति
28. चित्तौडगढ़ जलाशय	2/97	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति
29. राजघाट नहर	11/93	वन स्वीकृति
30. बुंदेलखंड क्षेत्र का लाइनिंग चैनल	6/94	पर्यावरण स्वीकृति

परियोजना का नाम	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति का माह/वर्ष	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत बशर्ते कि
आन्ध्र प्रदेश		
1. पालेमबाणु	11/93	वन स्वीकृति
हिमाचल प्रदेश		
2. सिधति सिंचाई परियोजना	9/97	वन स्वीकृति
महाराष्ट्र		
3. जंगमजाटी लिफ्ट सिंचाई परियोजना	5/86	वन स्वीकृति
4. मोरना गुरेघर परियोजना	5/86	वन स्वीकृति
5. हेटवाने सिंचाई परियोजना	1/88	वन स्वीकृति
मणिपुर		
6. झिरी सिंचाई परियोजना	4/88	वन स्वीकृति
उड़ीसा		
7. मनजोरे सिंचाई परियोजना	3/93	वन स्वीकृति
8. सकुरा सिंचाई परियोजना	8/93	वन स्वीकृति
राजस्थान		
9. चाकम सिंचाई परियोजना	8/95	वन स्वीकृति

[अनुवाद]

ज्वार/मक्का का समर्थन मूल्य

1624. श्री के. पी. नायडू : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ज्वार और मक्का की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या किसान न्यूनतम समर्थन मूल्यों से कम मूल्य पर ज्वार और मक्का को बेचने के लिए बाध्य है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से एफ. सी. आई. द्वारा ज्वार और मक्का की खरीद करने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां। (क) 1998–99 के चालू खरीफ विपणन मौसम के लिए सरकार ने ज्वार और मक्का दोनों के लिए 390 रु. प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि ज्वार और मक्का की विवशतावश कोई बिक्री नहीं हुई है।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य में चालू खरीफ विपणन मौसम, 1998–99 में भारतीय खाद्य निगम मक्का की खरीद कर रहा है तथा 4.12.1998 तक राज्य में 15 मी. टन मक्का की खरीद की जा चुकी है।

[हिन्दी]

स्पीड पोस्ट (त्वरित डाक सेवा) सुविधा

1625. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1998–99 के दौरान देश में राज्य में कितने स्पीड पोस्ट केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : महोदय, नये क्षेत्रों में नए स्पीड पोस्ट केन्द्र खोलना एक अनवरत प्रक्रिया है तथा यह किसी स्थान विशेष की प्रचालन संबंधी व्यवहार्यता व परियात/राजस्व जुटाने की संभावना पर निर्भर करती है। अतः इसके लिए कोई वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं तथा प्रत्येक मामले की जांच उसके गुणावगुण के आधार पर की जाती है।

[अनुवाद]

बिहार में प्रधान डाकघर

1626. श्री सोम मरांडी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के साहेबगंज जिला मुख्यालय में एक प्रधान डाकघर खोलने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

हीराकुड बांध

1627. श्री नरेश पुगलिया : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हीराकुड बांध के निर्माण के चालीस वर्ष पश्चात् भी बांध के कारण हुए अनेक विस्थापितों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सभी विस्थापितों को मुआवजे का भुगतान कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) हीराकुड बांध के निर्माण से जलमग्नता के कारण उड़ीसा में 249 गांवों और मध्य प्रदेश में 34 गांवों के लगभग 18,000 परिवार विस्थापित हुए। ऐसे मामलों को जहां दिया गया मुआवजा विवादग्रस्त हो गया है और जहां व्यक्तिगत पक्षों के अधिकारों में विवाद उत्पन्न हो गया है, को छोड़कर सम्पूर्ण जलमग्न क्षेत्र में मुआवजे का प्रस्ताव पूरा हो गया है और खाली हुए गांवों को कुल मिलाकर मुआवजे का भुगतान भी कर दिया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डाकघर

1628. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में डाकघर का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में डाकघर नहीं खोले गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 1998–99 के दौरान उक्त जिले में डाकघर खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) देश में एक विशाल डाक नेटवर्क पहले ही है। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 23344 डाकघर थे, जिनकी संख्या 31.3.98 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 153,454 हो गई है। प्रत्येक डाकघर द्वारा औसतन 21.42 वर्ग कि. मी. क्षेत्र व औसतन 5502 लोगों को सेवा प्रदान की जाती है। तथापि, डाकघर खोलने के लिए नीति यह है कि विभाग

द्वारा अपनाए गए कतिपय मानदंडों के आधार पर जहां कमी अनुभव हो, वहां डाकघर खोले जाएं।

(ख) उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले को 411 डाकघरों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। सीतापुर जिले में आखिरी बार 14.11.96 को एक डाकघर खोला गया था।

(ग) और (घ) जी, हां। वार्षिक योजना, 1998–99 के दौरान सीतापुर जिले में दो नए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कीटनाशकों की कीमतों में वृद्धि

1629. श्री बीर सिंह महतो : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक जैसे रसायनों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के कारण ये किसानों की पहुंच से बाहर हो गए हैं जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो इन कीमतों को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त किये जा रहे कीट–नाशियों/कृमिनाशियों की कीमतों में पिछले तीन वर्षों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। अतः किसानों को कीटनाशियों की उपलब्धता पर इनकी कीमतों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है जिसके कारण कृषि उत्पादन में कमी आये, इसके अलावा, कीटनाशियों की समुचित दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(i) कीटनाशियों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ii) आयातित कीटनाशियों तथा कच्ची सामग्री पर सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क कम कर दिया गया है।

(iii) कीटनाशियों को सामान्य खुले लाइसेंस के तहत लाया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

1630. श्री राजनारायण पासी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों, निदेशकों तथा संस्थानों के प्रभारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच संबंधी कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रति वर्ष कितने मामलों की जांच की गई;

(घ) कितने मामले केन्द्रीय सतर्कता आयोग/केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गए;

(ङ) वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कितने जांच मामले कार्यवाही करने हेतु उपयुक्त पाए गए तथा उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दोष मुक्त किए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता मामले

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	मामले का स्वरूप	के. स. आ./के. अ. ब्यूरो को जब भेजा गया	कार्रवाई/कार्रवाई करने के लिए सही पाए गए मामले	के. स. आ. द्वारा दोषमुक्त मामले
1	2	3	4	5	6
	वर्ष 1995				
1.	श्री के. एल. बोकोलिया संयुक्त निदेशक, भा. कृ. अ. सं., नई दिल्ली	कुछ सहायकों की पदोन्नति और एक नव नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी की भर्ती के संबंध में प्रशासनिक अनियमितताएं	1995	जी हां, जांच प्रगति पर है।	
2.	(i) डॉ. जे. एस. ग्रेवाल				

1	2	3	4	5	6
	निदेशक (सेवा निवृत्त) के. आ. अनु. संस्थान, शिमला (ii) डॉ. एस. के. भट्टाचार्य, प्रधान वैज्ञानिक (सेवा निवृत्त) (iii) डॉ. एन. पी. सुकुमारन प्रभागाध्यक्ष	विदेशी फर्म से महंगे उपकरण खरीदने में अनियमितता जिसके परिणामस्वरूप परिषद् को हानि हुई	23.8.95	जी हां, जांच प्रगति पर है।	–
3.	डॉ. एस. बाल रवि प्रधान वैज्ञानिक रा. ज्वार. अनु. केन्द्र हैदराबाद	झूठे यात्रा भत्ते का दावे	2.3.95	जी हां आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। जवाब प्राप्त हो जाने पर तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करने पर मामला समाप्त कर दिया गया।	जी हां
4.	डॉ. के. सी. गर्ग वरिष्ठ वैज्ञानिक, भा. कृ. अ. प. मुख्यालय	कंप्यूटर के उपकरण की चोरी का प्रयास	2.3.95	जी हां, जांच प्रगति पर है।	
5.	डॉ. एम. के. नायर निदेशक, के. कंद फसल अनु. सं. कासरगौड़	3 घटिया भवन निर्माण में गंभीर अनियमितताएं जिसमें रु. 10 लाख का व्यय शामिल है।	2.5.95	जी हां, जांच पूर्ण हो गई है।	सजा दी गई।
6.	डॉ. जे. एल. सहगल निदेशक (सेवा निवृत्त) एन. बी. एस. एस. एंड एल. यू. पी.	नक्शे के मानचित्र–कला और छपाई कार्य में अनियमितताएं	2.5.95	जी हां, जांच प्रगति पर है।	–
7.	डॉ. पी. एन. भट्ट तात्कालिक निदेशक, भा. प. चि. अ. संस्थान, इज्जतनगर	वित्तीय और प्रशासनिक गंभीर अनियमितताएं तथा खरीद में शामिल अनियमितताएं	22.11.95	जी हां, आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है।	–

1	2	3	4	5	6
8.	श्री जे. के. केवलरमानी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भा. प. चि. अनु. सं.	खरीददारी सहित प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताएं	22.11.95	जी हां, आरोप पत्र जारी किया जा रहा है।	—
9.	श्री संजय कांत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भा. प. चि. अ. संस्थान	—वही—	—वही—	—वही—	—
10.	(i) डॉ. एस. एल. मेहता उप महानिदेशक (शिक्षा) भा. कृ. अ. प., मुख्यालय (ii) डॉ. एस. के. सिन्हा राष्ट्रीय प्राध्यापक	भा. कृ. अ. सं. में फर्नीचर की खरीद में अनियमितताएं	16.6.95	केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिया गया परामर्श सक्षम प्राधिकारी के अंतर्गत विचाराधीन है।	—
11.	डॉ. (श्रीमती) पी. पी. भट्ट प्रधान वैज्ञानिक, अब भा. कृ. अ. प. मुख्यालय में तैनात	नियुक्तियों में अनियमितताएं	22.11.95	जी हां, आरोप पत्र जारी किया जा रहा है।	—
12.	श्री सी. पी. बोहरा वरिष्ठ वैज्ञानिक के. कृ. अभि. सं. भोपाल	वर्ष 1995 के दौरान ए. आई. टी. बैंकॉक में अप्राधिकृत नौकरी	—	बॉन्ड की राशि किश्तों में वसूल की जा रही है।	—
वर्ष 1996					
13.	श्री के. एल. बोकोलिया संयुक्त निदेशक, भा. कृ. अ. सं., नई दिल्ली	सी. बी. आई. द्वारा पकड़ा गया मामला	अप्रैल, 1996	जी हां, जांच प्रगति पर है।	
14	डॉ. एस. एन. पाण्डेय निदेशक (सेवा निवृत्त) पटसन प्रौ. अनु. प्रयोगशाला, कलकत्ता	रु. 75 लाख मूल्य के उपकरणों की खरीद में गंभीर अनियमितताएं	31.5.96	जी हां, जांच प्रगति पर है।	—

1	2	3	4	5	6
15.	डॉ. एस. सी. अग्रवाल निदेशक, भा. ला. अनु. सं. रांची	झूठे यात्रा भत्ते दावे	13.5.96	जी हां, जांच प्रगति पर है।	—
16.	डॉ. जयसिंह, विशेष कार्याधिकारी (निदेशक) सी. आई. पी. एच. ई. टी. लुधियाना	नियुक्ति में भाई–भतीजावाद (इनके लड़के और भतीजे सहित)	24.5.96	जी हां, आरोप पत्र जारी कर दिया गया है।	—
17.	डॉ. एम. एस. राम मोहन राव प्रभारी अधिकारी के. मृ. एवं जल सं. अनु. एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून का बेलारी अनुसंधान केन्द्र	वित्तीय अनियमितताएं	27.9.96	जी हां, जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है।	—
18.	डॉ. वी. एम. भान निदेशक, रा. खरपतवार विज्ञान अनु. केन्द्र जबलपुर और श्री बलवंत राय, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	नियुक्ति में अनियमितताएं	22.3.96	जी हां, जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है।	—
19.	डॉ. आर. एल. शर्मा वैज्ञानिक (एस. जी.) भा. प. वि. अ. सं. इज्जतनगर	स्थानान्तरण यात्रा बिल में झूठा टैक्सी दावा	31.10.96	जी नहीं, के. स. आ. के परामर्श के अनुसार आगामी जांच नहीं की जा रही है।	—
20.	श्री परमजीत सिंह ड्राइवर, भा. प. वि. अ. सं. इज्जतनगर	डॉ. आर. एल. शर्मा के स्थानांतरण के दौरान स्टाफ कार का गलत इस्तेमाल	31.10.96	—वही—	—
21.	डॉ. आर. एन. प्रसाद सहायक महानिदेशक भा. कृ. अ. प., मुख्यालय	एडवोकेट को अप्राधिकृत भुगतान	सितम्बर, 96	नहीं, सी. बी. आई. रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।	—

1	2	3	4	5	6
22.	डॉ. वी. एन. त्रिपाठी तात्कालिक निदेशक पशु परियोजना निदेशालय और भूतपूर्व निदेशक, के. भैंस अनु. सं., हिसार	प्रशासन और सड़क निर्माण में अनियमितताएं	4.6.96	जी हां, जांच प्रगति पर है।	--
23.	श्री एम. कलिदुरई, वैज्ञानिक, जै. नि. प्रा. निदेशालय बंगलौर	वर्ष 1996 के दौरान आपसी स्थानान्तरण का मामला	—	त्यागपत्र स्वीकृति की प्रतीक्षा है। यदि त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है तो आरोप समाप्त कर दिए जाएंगे।	—
वर्ष 1997					
24.	डॉ. ए. एन. अस्थाना निदेशक, दलहन निदेशालय, कानपुर	यात्रा भत्ता दावे में अनियमितताएं	6.10.97	जी हां, जांच पूर्ण कर ली गई है। जांच अधिकारी को रिपोर्ट की जांच की जा रही है।	--
25.	(i) डॉ. पी. सी. दुबे प्रधान वैज्ञानिक, भा.प.चि.अ.सं., और (ii) डॉ. पी. एल. यादव प्रभागाध्यक्ष, भा. कृ. अ. सं.	भा. प. चि. अ. सं. में दूध की बिक्री में अनियमितताएं	27.2.97	जी हां, जांच प्रगति पर है।	
26.	डॉ. आर. देब राय, निदेशक (सेवा निवृत्त) रा. कृ. वा. अ. के. झांसी	अनियत मजदूरों के लिए किराए में अनियमितताएं	10.1.97	आगामी स्पष्टीकरण तैयार किया जा रहा है।	
27.	(i) श्री पी. बपय्या भू. पू. प्रशासनिक अधिकारी प. प्रौ. अनु. प्रयोगशाला, (अब भा. कृ. अ. प. मुख्यालय में तैनात) (ii) डॉ. एस. एस. रेड्डी तात्कालिक वैज्ञानिक प. प्रौ. अ. प्र., कलकत्ता	उपकरणों की खरीद में अनियमितताएं	मार्च, 97	जी हां, स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है। के. स. आ. के परामर्श के अनुसार मामला समाप्त कर दिया गया है।	जी हां।

1	2	3	4	5	6
	(iii) डॉ. ए. डे. प्रधान वैज्ञानिक और प्रभागाध्यक्ष प. प्रौ. अनु. प्रयोगशाला, कलकत्ता				—
28.	—	कृ. वै. नि. मं. द्वारा सहायकों/अनुभाग अधिकारियों की परीक्षा के आयोजन में अनियमितताएं	29.4.97	के. अ. ब्यूरो के जवाब की प्रतीक्षा है।	—
29.	डॉ. विश्वनाथ प्रधान वैज्ञानिक भा. कृ. अ. सं., नई दिल्ली	जाली हस्ताक्षर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत	जून, 97	के. अ. ब्यूरो द्वारा जांच प्रगति पर है।	—
30.	श्री नंद गोपाल प्रधान वैज्ञानिक, रा. मू. अनु. केन्द्र जूनागढ़	रा. मू. अनु. केन्द्र, जूनागढ़ में वित्तीय अनियमितताएं	जुलाई, 97	के. अ. ब्यूरो द्वारा जांच प्रगति पर है।	—
31.	डॉ. ए. के. बंधोपाध्याय निदेशक, रा. मू. अनु. केन्द्र,	—वही—	अगस्त, 97	के. अ. ब्यूरो द्वारा जांच प्रगति पर है।	—
32.	—	भा. कृ. अ. सं. में एल. टी. सी. में घोटाले के विरुद्ध जांच	21.11.97	मामला के. अ. ब्यूरो को भेज दिया गया है।	—
33.	श्री बी. एल. भदु कृषि मंत्री के भू. पू. निजी सचिव	कूरार परियोजना की स्वीकृति में अनियमितताएं	3.2.97	जांच के. अ. ब्यूरो के पास है।	—
34.	डॉ. ओ. एस. वर्मा परियोजना समन्वयक भा. गन्ना अनु. संस्थान, लखनऊ	—वही—	नवम्बर, 97	—वही—	—

1	2	3	4	5	6
35.	डॉ. ए. एस. नेगी निदेशक, के. उ. उ. संस्थान, लखनऊ	वर्ष 1997 के दौरान प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत	—	संस्थान से प्राप्त कागजातों की जांच की जा रही है।	
36.	डॉ. टी. एस. नायर वरि. वैज्ञानिक भा. प. वि. अ. सं. बंगलौर परिसर	ठेके प्रदान करने में अनियमिताएं मामला वर्ष 1997 के दौरान दर्ज किया गया।	—	प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा के. स. आयोग को भेजी जा रही है।	
वर्ष 1998					
37.	डॉ. एच. पी. एस. आर्य संयुक्त निदेशक, भा. प. चि. अनु. सं.	कूरार परियोजना की स्वीकृति में अनियमितताएं	7.4.98	जांच के. अ. ब्यूरो के पास है।	—
38.	डॉ. एम. एल. पुंज भू. पू. निदेशक, के. भैंस अनु. संस्थान, हिसार	खरीद में और दूध की बिक्री में अनियमितताएं	26.2.98	जी हां, आरोप पत्र जारी किया जा रहा है।	
39.	श्री चिरोंजी लाल मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भा. प. चि. अनु. संस्थान	भा. प. चि. अ. सं. में एल. टी. सी. के झूठे दावों की स्वीकृति	26.2.98	के. स. आयोग ने और अधिक साक्ष्य मांगे हैं।	—
40.	श्री नंद किशोर वरि. प्रशासनिक अधिकारी, के. मा. प्रौ. संस्थान,	—वही—	26.2.98	—वही—	
41.	श्री जे. एन. शर्मा, टी–6, भा. प. चि. अ. सं.	भा. प. चि. अ. सं. इज्जतनगर में पत्रिकाओं की खरीद में अनियमितताएं	29.3.98	जी हां, आरोप पत्र जारी किया जा रहा है।	
42.	श्री एल. एन. सिंह प्रधान वैज्ञानिक भा. प. चि. अ. सं.	—वही—	29.3.98	—वही—	

1	2	3	4	5	6
43.	श्री आर. एस. तिवारी अधीक्षक और श्री ए. के. सक्सेना, वरि. प्रयोगशाला सहायक भा. प. चि. अ. सं.	--वही--	29.3.98	--वही--	–
44.	डॉ. डी. एस. चावला अध्यक्ष, के. भैंस अनु. सं. का नाभा अनुसंधान केन्द्र, हिसार	पी. वी. सी. सामान और अन्य उपकरणों की खरीद में अनियमितताएं (मामला वर्ष 1998 के दौरान दर्ज किया गया)	अप्रैल, 1998	प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और के. स. आ. को भेजी जा रही है।	–
45.	डॉ. भूरी सिंह भू. पू. निदेशक, रा. स. तो. अ. केन्द्र, भरतपुर	श्रमिकों के किराए पर लेने और नियुक्तियों में अनियमितताएं मामला नवम्बर 1998 के दौरान दर्ज किया गया।	–	प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और के. स. आ. को भेजी जा रही है।	–

कश्मीर मुद्दा

1631. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री मोतीलाल वोरा :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री के. एस. राव :

प्रो. अजीत कुमार मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुटनिरपेक्ष देशों के अध्यक्ष ने हाल ही में सम्पन्न गुटनिरपेक्ष देशों की बैठक में अपने उद्घाटन भाषण में कश्मीर मुद्दे का उल्लेख किया तथा इसके समाधान के लिए "नाम" की सहायता की पेशकश की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है किस सन्दर्भ में गुटनिरपेक्ष देशों के अध्यक्ष ने अपने उद्घाटन भाषण में कश्मीर का उल्लेख किया; और

(ग) भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) डरबन में आयोजित गुट-निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान समूचे विश्व में संघर्ष के क्षेत्रों का हवाला देते समय राष्ट्रपति मंडेला ने कश्मीर मसले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हम सभी इस बात से चिन्तित रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर मसले का समाधान शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए किया जाना चाहिए तथा इस मसले के समाधान के लिए हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

(ग) शिखर सम्मेलन में अपने महत्वपूर्ण भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे मतभेदों को द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझा लिया जाएगा तथा इस प्रक्रिया में तीसरे पक्ष के शामिल होने का कोई प्रश्न नहीं उठता चाहे यह नेकनीयती से ही क्यों न किया गया हो। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तथा इस क्षेत्र की असली समस्या सीमा-पार का आतंकवाद है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मंडेला को व्यक्तिगत तौर पर भारत की आपत्तियों से अवगत करा दिया था। अन्य दक्षिणी अफ्रीकी नेताओं को भी हमने उपयुक्त स्तरों पर अपने विचारों से अवगत करा दिया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में हुर्रियत का दौरा

1632. श्री सी. डी. गामीत :

श्री के. एस. राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेस ए. पी. एच. सी. के नेताओं को सितम्बर, 1998 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र चल रहा था न्यूयार्क जाने की अनुमति दी गई थी;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन नेताओं ने वहां भारत–विरोधी तथा अलगाववादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) सरकार को मिरवैज उमर फारूख, सबीर अहमद डर, अब्दुल मजीद बाडे–सईद युसुफ नसीर और अल्ताफ दादरी द्वारा सितम्बर, 1998 में की गई न्यूयार्क की यात्रा की जानकारी है। सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उन्होंने वहां जम्मू और कश्मीर की स्थिति के बारे में गलत और आधारहीन वक्तव्य दिए थे। सरकार विदेश में रह रहे इन व्यक्तियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए है और राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए यथावश्यक कार्रवाई करेगी।

उत्तरी कोरिया द्वारा पाकिस्तान को अत्याधुनिक और जटिल हथियार उपलब्ध कराया जाना

1633. श्री तारिक अनवर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को उत्तरी कोरिया से अत्याधुनिक और जटिल हथियारों की कई खेपें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों/मंचों पर उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार को उत्तरी कोरिया द्वारा पाकिस्तान के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के लिए प्रक्षेपास्त्र घटक सहित पाकिस्तान को भेजी गई अत्याधुनिक शस्त्र सामग्री की खेपों से सम्बद्ध रिपोर्टों की जानकारी है।

(ग) और (घ) भारत ने बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं प्रतिबन्ध लगाने की एक पक्षीय घोषणाओं और आपूर्तिकर्ता देशों पर लगी मौजूदा प्रतिबंधों के बावजूद, पाकिस्तान के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को बाहर से मिल रहे निरंतर समर्थन को बहुपक्षीय मंचों और द्विपक्षीय विचार–विमर्शों के दौरान बराबर उजागर किया है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकियों की चोरी हुयी आपूर्ति से भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है और यह इस क्षेत्र में शान्ति एवं स्थिरता को बनाए रखने में अनुकूल नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कपास का समर्थन मूल्य

1634. श्री सी. पी. राधाकृष्णन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996–97 के दौरान देश में कपास के उत्पादन और खुला स्टॉक का ब्यौरा क्या था; और

(ख) वर्ष 1995–96 और 1997–98 के लिए कपास का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) सरकारी अनुमान के अनुसार वर्ष 1996–97 के दौरान कपास का उत्पादन 142.5 लाख गाठें था जबकि कपास परामर्शदात्री बोर्ड के अनुसार शुरुआती भण्डार 39.16 लाख गांठों का था।

(ख) वर्ष 1995–96 और 1996–97 के लिए कपास की आधारभूत किस्मों का निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे दर्शाया गया है :–

वर्ष	आधार भूत किस्म	सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु./क्विण्टल)
1995–96	एफ–414/एच–777	1150
	एच–4	1350
1997–98	एफ–414/एच–777	1330
	एच–4	1530

उपग्रहों को होने वाली संभावित क्षति

1635. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

श्री मदन पाटील :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 18 नवम्बर, 1998 को पृथ्वी पर अत्यधिक संख्या में उल्काओं के संभावित रूप से गिरने के कारण हमारे कृत्रिम उपग्रहों को होने वाली अनुमानित क्षति को रोकने हेतु पहले से ही कोई उपचारात्मक उपाए किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) उल्काओं की बौछार से कृत्रिम उपग्रहों को होने वाला मुख्य खतरा उपग्रहों में संभावित भौतिकी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल क्षतियों का होना है, जिसके परिणामस्वरूप सीधे मैकेनिकल क्रेटरिंग, प्लाज्मा अथवा इलेक्ट्रो–स्थैतिक निरावेशन हो जाता है। अपने पांच इन्सैट उपग्रहों (इन्सेट–1डी, इन्सैट–2ए, इन्सैट–2बी इन्सैट–2सी और इन्सैट–2डीटी) तथा चार आई. आर. एस. उपग्रहों (आई. आर. एस.–1बी., आई. आर. एस.–1सी., आई. आर. एस.–1डी और आई. आर. एस.–पी. 3) के साथ–साथ वैज्ञानिक उपग्रह (ओस–सी2) की

सुरक्षा के लिए अन्तरिक्ष विभाग ने निम्न उपाय किये थे :

- उपग्रहों के सौर पैनलों को इस प्रकार अभिविन्यस्त किया गया था कि गिरने वाले उल्का पिण्डों के मलबों के प्रति इनका विद्यमान सतह क्षेत्र न्यूनतम रहे।
- उल्का पिण्डों की बौछार के दौरान आई. आर. एस. कैमरा प्रचालनों को बन्द रखा गया था।
- आई. आर. एस.–पी.3 पर एक्स–रे नीतभार तथा श्रोस–सी2 उपग्रह पर गामा किरण यंत्रों, जो कि अधिक मात्रा में वोल्टेज का उपयोग करते हैं, का प्रचालन इस अवधि के दौरान स्थगित कर दिया गया था।
- उल्का वर्षण की अवधि के दौरान केवल जरूरी यंत्रों को ही चालू रखा गया था।
- इन्सैट में रखे जाइरो को चालू रखा गया था, ताकि किसी भी उल्का के टकराने की स्थिति का पता लगाने के लिए इसकी कायिक गति की दर का निकटता से मानीटरन किया जा सके।
- अन्तरिक्षयान के नियंत्रण केन्द्रों (इन्सैट उपग्रहों के लिए मुख्य नियंत्रण सुविधा, हसन तथा आई. आर. एस. और श्रोस उपग्रहों के लिए इसरो दूरमिति अनुवर्तन और आदेश नेटवर्क (इस्ट्रैक, बेंगलूर) में नवम्बर 17, 1998 की रात्रि को संभावित उल्का वर्षण की अवधि के दौरान विविध उपग्रह प्रणालियों के डिजाइन इन्जीनियर और वैज्ञानिक उपस्थित थे, ताकि किसी भी इसरो उपग्रहों से उल्का पिण्डों के कणों के टकराने की स्थिति में संशोधी कार्रवाई करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।
- नवम्बर 18, 1998 की प्रातः काल सभी उपग्रहों को उनकी सामान्य प्रचालन अवस्था में वापस लाया गया।

[हिन्दी]

प्रशासनिक कानून

1636. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री सुरेश वरपुडकर :

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री ए. सी. जोस :

श्री मदन पाटील :

श्री मोहन सिंह :

श्री संदीपान थोरात :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा करने हेतु सरकार *द्वारा पी. सी. जैन की अध्यक्षता में गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत* कर दी है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा क्या प्रमुख सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच और कार्यान्वयन सरकार द्वारा कब तक दिए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कावम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों का एक सार विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) आयोग की रिपोर्ट की प्रतियां नवम्बर, 1998 में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को तथा सभी राज्यों/संघ–शासित क्षेत्र सरकारों के मुख्य सचिवों को इस अनुरोध के साथ भेज दी गई हैं कि वे उसमें दी गई विभिन्न सिफारिशों की जांच करें और इन्हें कार्यान्वित करने हेतु उपयुक्त कार्य योजना तैयार करें। सरकार ने रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों की अनुवर्त्ती कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिए सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति का गठन किया है। समिति की बैठकें नियमित तौर पर होंगी तथा वह सभी संबंधितों द्वारा विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त योजनाएं तैयार करेगी।

विवरण

1. सभी मंत्रालय/विभाग उनके द्वारा प्रशासित विभिन्न केंद्रीय कानूनों के तहत नियमों, विनियमों, आदेशों और प्रक्रियाओं तथा आम जनता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मैनुअलों के बारे में अद्यतन सूचना का संकलन करें।
2. ऐसे कानूनों सहित जिनके संबंध में कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, लगभग 109 कानूनों की विवेचनात्मक सूची में शीघ्र संशोधन करने पर विचार किया जाए।
3. अंतर्देशीय और विदेशी निवेशकों, व्यापार और उद्योग, उपभोक्ताओं, बिल्डर्स, निर्यातकों और आयातकों की संभावनाओं के संदर्भ में संविधियों, कानूनों और विनियमों के एकीकरण तथा सामंजस्य की भी जरूरत है। इस प्रक्रिया में सरकार को सभी विनियमों, नियमों और आदेशों में प्रयोग की गई भाषा को सरल बनाना चाहिए।
4. (1) आवास और रियल इस्टेट (2) कंपनी कानून (3) बैंकिंग (4) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (5) उद्योग (6) उपभोक्ता मामले (7) स्वास्थ्य (8) पर्यावरण (9) श्रम (10) आयकर (11) उत्पाद एवं सीमा–शुल्क (12) एक्सिम नीति एवं कार्य–विधि संबंधी मसले तथा (13) विद्युत से संबंधित विनियामक ढांचे के बारे में

विशिष्ट प्रस्ताव तैयार किये गए हैं। इन सिफारिशों में कार्य–कुशलता की प्रशासनिक अपेक्षाओं, समन्वय और मितव्ययिता के अलावा, प्रयोक्ता समूहों की समस्याओं और जरूरतों को आगे रखने का प्रयास किया गया है।

5. इस समय लागू लगभग 2500 कानूनों में से विभिन्न वर्गों के 1300 से ऊपर केन्द्रीय कानूनों को निरस्त करना, जो कि नीचे दिए गए हैं :

(i) 166 केन्द्रीय अधिनियम (11 राष्ट्रीयकरण से पहले के अधिनियम और 20 विधि मान्यकरण अधिनियम सहित)।

(ii) 315 संशोधन अधिनियम।

(iii) 11 ब्रिटिश संविधियां जो अभी भी लागू हैं।

(iv) 17 युद्ध–काल के स्थायी आदेश।

(v) राज्य विषयों से संबंधित 114 केन्द्रीय अधिनियम।

(vi) 700 विनियोग अधिनियम (लगभग) संसद द्वारा पास किये गए।

आयोग ने इस आधार पर इनके निरसन की सिफारिश की है कि ये नियम या तो असंगत हो गए हैं अथवा कार्य नहीं कर रहे हैं।

6. समाज के निर्धन और दयनीय सेक्टरों के जीवन को प्रभावित करने वाले कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं के संपूर्ण क्षेत्र का प्रभावी ढंग से अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है।

7. आयोग ने वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का विस्तार करने तथा विवाचन और समाधान अधिनियम का अधिक प्रभावी उपयोग करने की सिफारिश की है। आयोग ने अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों को "लोक अदालतों" को सौंपने की भी सिफारिश की है।

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा का उपयोग

1637. श्री संदीपान थोरात : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊष्मा और हाइड्रोजन के उत्पादन के क्षेत्र में गैर विद्युत उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग की पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

तलैया बांध के विस्थापित

1638. श्री आर. एल. पी. वर्मा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तलैया बांध के सभी विस्थापितों को समुचित मुआवजा दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जिन परिवारों की जमीन इस परियोजना हेतु अधिग्रहीत की गई है, उन्हें रोजगार प्रदान किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परिवारों को रोजगार और समुचित मुआवजा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

"नैफेड" के माध्यम से प्याज का आयात

1639. डॉ. चिन्ता मोहन :

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री प्रमथेस मुखर्जी :

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान "नैफेड" द्वारा कुल कितनी मात्रा में प्याज का आयात किया गया;

(ख) किन–किन देशों से किस–किस कीमत पर प्याज आयात किया गया;

(ग) क्या दूसरे देशों द्वारा सड़ी और गीली प्याज की आपूर्ति की गई;

(घ) क्या "नैफेड" ने मुम्बई बन्दरगाह से 18,000 टन आयातित प्याज की खेप उठाने से मना कर दिया;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या "नैफेड" ने सरकार को प्याज का निर्यात रोकने का सुझाव भी दिया है; और

(छ) यदि नहीं, तो "नैफेड" द्वारा मार्च, 1998 से अक्तूबर, 1998 के बीच कितनी मात्रा में प्याज का निर्यात किया गया और उसका मूल्य कितना था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) नैफेड ने सूचित किया है कि उसने अक्तूबर तथा नवम्बर, 1998 के दौरान 687 मीटरी टन प्याज का आयात किया।

(ख) ईरानी प्याज का आयात दुबई से हवाई/समुद्री मार्ग से 20677/– रु. प्रति मीटरी टन की औसत दर से तथा किर्गिस्तानी प्याज का आयात हवाईमार्ग से 28078/– रुपये प्रति मीटरी टन की औसत दर पर किया गया।

(ग) प्याज एक शीघ्र नष्ट होने वाली जिन्स है और इसकी शेल्फ लाइफ कम होने के कारण इसकी कुछ मात्रा परिवहन के दौरान सड़ जाती है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि इन देशों ने सड़े और गीले प्याज की आपूर्ति की।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) जी, नहीं। मार्च, 1998 से अक्तूबर, 1998 तक 276.71 करोड़ रु. मूल्य का 2.84 लाख मी. टन प्याज देश से निर्यात किया गया।

[अनुवाद]

भारत पाक संबंध

1640. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कोलम्बो में सम्पन्न सार्क सम्मेलन के पश्चात् पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध परोक्ष युद्ध को और अधिक तीव्र किए जाने के कारण भारत–पाक संबंध और अधिक खराब हो गए हैं;

(ख) कोलंबो सम्मेलन के बाद के महीनों के दौरान परोक्ष युद्ध की घटना विशेष का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) दसवें सार्क शिखर–सम्मेलन के दौरान 29 जुलाई, 1998 को कोलम्बो में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने यह जोर दिया कि भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का राज्य समर्थित आतंकवाद बन्द होना चाहिए। इन विचारों को भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुई संयुक्त बातचीत प्रक्रिया के दौरान पुनः व्यक्त किया गया, खेद है कि भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का राज्य समर्थित आतंकवाद लगातार जारी है। सरकार देश की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रही है।

बोफोर्स सौदा

1641. श्री एम. के. प्रेमचन्द्रन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बोफोर्स सौदे में संलिप्त व्यक्तियों के नाम का पता लगाने में कोई सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बोफोर्स दलाली संबंधी मुद्दे की जांच की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग,. राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो, बोफोर्स मामले की भारत तथा विदेश में सक्रिय रूप से जांच कर रहा है। इस बारे में, जनवरी, 1997 में, स्विस प्राधिकारियों से दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात्, उनसे उपर्युक्त मामले से सम्बद्ध सूचना/दस्तावेज उपलब्ध करवाने के क्रम में एक बार फिर अनुरोध किया गया है। भारत–सरकार और स्विट्ज़रलैंड–सरकार के बीच, दिनांक फरवरी 20, 1989 को हुए समझौता–ज्ञापन के मद्देनज़र लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों तथा उपर्युक्त मामले से जुड़े अन्य ब्यौरे का रहस्योद्घाटन नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त मामले की जांच का ब्यौरा प्रकट किए जाने से जांच की भावी प्रक्रिया भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है।

उपर्युक्त मामले की जांच के सिलसिले में बहमास, पनामा, लक्समबर्ग स्वीडन, लीचटैन्सटेन तथा जॉर्डन को अनुरोध–पत्र भेज दिए गए हैं।

बंग्लादेश में भारतीय एन्क्लेव

1642. श्री अमर राय प्रधान : क्या **विदेश** मंत्री बंग्लादेश में भारतीय एन्क्लेव के बारे में 9 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2344 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंग्लादेश में उन ग्यारह भारतीय एन्क्लेवों के नाम क्या–क्या हैं जिन्हें अहस्तांतरणीय घोषित किया गया है तथा प्रत्येक एन्क्लेव में भारतीय नागरिकों की कितनी जनसंख्या है तथा प्रत्येक एन्क्लेव का क्षेत्र कितना है;

(ख) क्या भारत–बंग्लादेश भूमि सीमा पर लगभग 41 किलोमीटर क्षेत्र का परिसीमन कार्य पूरा कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथानुमानित अपरिवर्तनीय एन्कलेवों तथा उनके अनुमानित क्षेत्रफल की सूची नीचे दी गई है :

क्र. सं.	एन्कलेवों (चिट्स) के नाम	कूच बिहार के जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया अनुमानित क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	शक्ति	95.23
2.	शक्ति	1012.38
3.	शक्ति	197.24
4.	बिनागुड़ी	763.30
5.	देखाता	34.19
6.	देखाता	1640.11
7.	बिनागुड़ी	11.50
8.	मालग्राम (चिट्)	4.73
9.	मदनाकुश (चिट्)	35.53
10.	चिट् सुरागुड़ी	2.51
11.	देखाता	2.63
	कुल क्षेत्रफल	3799.35

जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। दिसम्बर 1996 तक 34.5 किलोमीटर सीमाक्षेत्र के सर्वेक्षण का और कार्य पूरा कर लिया गया है।

[हिन्दी]

टेलीफोन देयताएं

1643. श्री मित्रसेन यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक माननीय संसद सदस्यों और भूतपूर्व संसद सदस्यों की ओर कितना टेलीफोन बिल बकाया है;

(ख) क्या मुम्बई उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने केन्द्र सरकार को इस बकाया राशि की वसूली के लिए कोई निदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसे व्यक्तियों से बकायों की वसूली समय पर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) माननीय संसद सदस्यों तथा भूतपूर्व संसद सदस्यों की ओर टेलीफोन बिलों की बकाया राशि 14.38 करोड़ रु. है।

(ख) से (घ) न्यायालय के सामान्य नागरिक और संसद सदस्य, विधायक इत्यादि जैसे पद धारण करने वाले व्यक्तियों के बीच कोई अन्तर किए बिना, वसूली करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु अनुदेश दिए हैं।

[अनुवाद]

जम्मू दूरदर्शन केन्द्र से डोगरी में समाचार बुलेटिन

1644. वैद्य विष्णु दत्त :

प्रो. चमन लाल गुप्त :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को जम्मू दूरदर्शन केन्द्र से डोगरी में समाचार बुलेटिन शुरू करने में क्या कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या जम्मू दूरदर्शन केन्द्र का दर्जा बढ़ाने और इसके प्रसारण क्षेत्र में विस्तार करने के प्रस्ताव हैं जिससे कि जम्मू क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोग यह कार्यक्रम देख सकें और उन्हें पाकिस्तानी दुष्प्रचार से दूर रखा जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि जनशक्ति, हार्डवेयर, प्रसारण समय एवं अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की बाध्यताओं के कारण फिलहाल दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू से डोगरी समाचार बुलेटिन शुरू करना सम्भव नहीं पाया गया है।

(ख) और (ग) वर्तमान में दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू में एक स्टूडियो स्थापना, डी. डी. I सेवा के लिए एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि. वा.) तथा डी. डी.–II सेवा के लिए एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर शामिल है। फिलहाल केन्द्र के उन्नयन के लिए कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा संयंत्र

1645. श्री कृष्ण कुमार चौधरी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गया में गंभीर विद्युत संकट से निपटने के लिए कोई सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का बिहार सरकार से उक्त परियोजना के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मौजूदा स्थिति क्या है; और

(घ) उस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी. एस.

ई. बी.) से गया और चकाई की 2x30 मेगावाट की विद्युत परियोजनाओं हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट 1989 में प्राप्त हुई थी। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने इन परियोजनाओं की स्थापना लाइन फोकसिंग सोलर थर्मल कलेक्टर टेक्नोलोजी के आधार पर करने का प्रस्ताव किया था। इसके पश्चात् बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को सुझाव दिया गया था कि स्थल हेतु रिकार्ड किए गए मौसम संबंधी आंकड़ों पर आधारित व्यवहार्यता रिपोर्ट को संशोधित किया जाए।

(ग) और (घ) सौर तापीय पद्धति से विद्युत का उत्पादन एक नई प्रौद्योगिकी है जिसमें काफी पूंजी लगती है। इसलिए पहले राजस्थान के जोधपुर जिले के मथानिया गांव में एक अनुसंधान एवं विकास–सह–प्रदर्शन परियोजना प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रौद्योगिकी की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता साबित हो जाने के बाद ही बाद की परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में टेलीफोन सुविधाएं

1646. श्री बाला साहिब विखे पाटील :

श्री आर. एस. गवई :

श्री कल्लाप्पा आवाडे :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अक्तूबर, 1998 की स्थिति अनुसार महाराष्ट्र में जिला–वार कितने व्यक्ति टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में विशेषरूप से अहमदनगर विदर्भ गारगोही, बृदारगढ़ क्षेत्रों में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए;

(ग) क्या सरकार ने टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) चालू वित्त वर्ष में विदर्भ क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त टेलीफोन एक्सचेंज कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे;

(छ) क्या कोल्हापुर जिला में गारगोही एवं बृदारगढ़ क्षेत्रों में टेलीफोन ठीक से कार्य कर रहे हैं;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) ये कब तक ठीक से कार्य करना शुरू कर देंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) सूचना संलग्न विवरण–I में दे दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एम. टी. एन. एल., मुम्बई सहित महाराष्ट्र में तथा अहमदनगर, विदर्भ गारगोट्टी और बृदारगढ़ क्षेत्रों में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या अलग से संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने वर्ष 2002 तक मांग आते ही टेलीफोन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव तैयार किए हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए टेलीफोन की मांग के अनुसार प्रतिवर्ष टेलीफोन प्रदान करने के लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। यह काम मांग के अनुसार मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करके तथा नए एक्सचेंज खोलकर किया जा रहा है।

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान विदर्भ क्षेत्र में लगभग 5000 लाइनों की कुल क्षमता वाले 26 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

(च) इन एक्सचेंजों के मार्च, 1999 तक कार्य शुरू कर देने की संभावना है।

(छ) से (झ) कोल्हापुर जिले के गारगोट्टी और बृदारगढ़ क्षेत्रों में बरसात के मौसम में सामान्य व्यवधानों को छोड़कर टेलीफोन संतोषप्रद ढंग से कार्य कर रहे हैं।

विवरण–I

31–10–98 की स्थिति के अनुसार एम. टी. एन. एल. मुंबई सहित महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

क्रम सं.	दूरसंचार जिला	शामिल राजस्व जिले	प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4
1.	रायगढ़	रायगढ़	1877
2.	रत्नागिरि	रत्नागिरि	5459
3.	सिन्धुदुर्ग	सिन्धुदुर्ग	2652
4.	जलगांव	जलगांव	14858
5.	नासिक	नासिक	23727
6.	धुले	धुले ननदुरबर	9201
7.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	8322
8.	शोलापुर	शोलापुर	9450
9.	सतारा	सतारा	6607
10.	सांगली	सांगली	11894
11.	अहमदनगर	अहमदनगर	19470

1	2	3	4
12.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	10083
13.	जालना	जालना	1550
14.	लातूर	लातूर	5472
15.	उसमानाबाद	उसमानाबाद	1613
16.	नांदेड़	नांदेड़	5812
17.	परभनी	परभनी	2354
18.	बीड़	बीड़	4054
19.	पुणे	पुणे	55355
20.	नागपुर	नागपुर	7953
21.	कल्याण	कल्याण	52586
22.	अकोला	अकोला, वाशिम	4916
23.	अमरावती	अमरावती	5450
24.	भांद्रा	भांद्रा	2327
25.	बुलढाना	बुलढाना	2877
26.	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर गढ़चिरौली	5180
27.	वर्धा	वर्धा	3304
28.	यवतमाल	यवतमाल	4308
29.	एमटीएनएल मुम्बई		शून्य

विवरण–II

गत तीन वर्षों के दौरान मुम्बई (एम. टी. एन. एल.) सहित महाराष्ट्र में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

वर्ष	प्रदान किए गए कनेक्शनों की संख्या (लाख में)
1995–96	4.00
1996–97	4.41
1997–98	4.89

गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

	1995–96	1996–97	1997–98
अहमदनगर	9200	10101	9509
विदर्भ क्षेत्र (अकोला, वाशिम, अमरावती, भांद्रा, बुलढाना, चन्द्रपुर, गढचिरोली, नागपुर, वर्धा, और यवतमाल दूरसंचार जिले हैं)	42354	40726	42815
कोलपुर दूरसंचार जिला (गारगोट्टी और ब्रिदरगढ़ क्षेत्र इस दूरसंचार जिले के भाग हैं)	20553	14015	12721

[हिन्दी]

इंटरनेट सुविधा

1647. श्री हरि केवल प्रसाद :

कुमारी किम गंगटे :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन शहरों को इंटरनेट से जोड़ा गया है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया तथा मणिपुर एवं पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को इससे जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जिन शहरों में इंटरनेट जोड़ काम कर रहे हैं, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। तथापि, 15 अगस्त, 1998 से स्थानीय कॉल दरों पर नजदीकी इंटरनेट जोड़ों तक इंटरनेट एक्सेस उत्तरोत्तर उपलब्ध कराई जा रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) देवरिया और बलिया में इलाहाबाद से स्थानीय कॉल आधार पर इंटरनेट संपर्कता उपलब्ध है।

मणिपुर और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए इंटरनेट जोड़ों के

प्रापण का कार्य प्रगति पर है। तथापि, इस समय मणिपुर और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों की राजधानियों को स्थानीय कॉल आधार पर नजदीकी इंटरनेट जोड़ से जोड़ा जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

इंटरनेट जोड़ वाले शहरों की सूची

अम्बाला, औरंगाबाद, आगरा, इलाहाबाद, अहमदाबाद, बैंगलूर, भुवनेश्वर, भोपाल, कालीकट, चण्डीगढ़, कोयम्बटूर, चेन्नई, कलकत्ता, धनबाद, देहरादून, दिल्ली, एर्नाकुलम, गोवा, ग्वालियर, गुवाहाटी, हैदराबाद, हुबली, इन्दौर, जयपुर, जमशेदपुर, जम्मू, जालंधर, कानपुर, कांचीपुरम, कोल्लम, कोट्टयम, लखनऊ, मैसूर, मदुरै, मुम्बई, नागपुर, नासिक, पटना, पालघाट, पांडिचेरी, पुणे, शिलांग, सिल्चर, सिलीगुड़ी, सूरत, शिमला, त्रिची, त्रिवेन्द्रम, विजयवाड़ा, विशाखापतनम।

बिहार में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

1648. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :

श्री राजो सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक बिहार में कितने टेलीफोन कनेकशन दिए गए;

(ख) वर्तमान में जिला–वार कितने व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ग) क्या सामग्री की अनुपलब्धता के कारण राज्य में विभाग द्वारा टेलीफोन कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक प्रदान किये गये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या नीचे दी गयी है :

वर्ष	प्रदान किये गये कनेक्शन	वर्ष	प्रदान किये गये कनेक्शन
1995–96	33115	1996–97	52368
1997–98	66294	1998–99 (1.4.98–30.11.98)	32510
			(कुल : 184287)

(ख) 30.11.98 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिला–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) मांग को पूरा करने हेतु टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक्सचेंजों की क्षमता अधिक बढ़ा कर तथा छोटे तथा मध्यम दर्जे के एक्सचेंज खोलकर और भूमिगत केबिलें बिछाकर प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

बिहार राज्य में जिला–वार प्रतीक्षा

क्र. सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	सम्मिलित जिलों के नाम	30.11.98 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4
1.	आरा	भोजपुर बक्सर	1750
2.	भागलपुर	भागलपुर बंका	2387
3.	छपरा	सारन गोपाल गंज सिवान	5024
4.	दरभंगा	दरभंगा बेगूसराय समस्तीपुर मधुबनी	13771
5.	डाल्टनगंज	पालामऊ गढ़वा	1183
6.	धनबाद	धनबाद बोकारो	8545

1	2	3	4
7.	डुमका	डुमका	1939
		देवघर	
		साहेब गंज	
		पाकुर	
		गोड्डा	
8.	गया	गया	2520
		औरंगाबाद	
		जहानाबाद	
		नवादा	
9.	हजारीबाग	हजारीबाग	3522
		कोडमा	
		गिरीडीह	
		चतरा	
10.	जमशेदपुर	पूर्वी सिंहभूम	6768
		पश्चिमी सिंहभूम	
11.	कटिहार	कटिहार	2658
		किशनगंज	
		पुर्निया	
		अररिया	
12.	मोतीहारी	पूर्वी चम्पारन	2482
		पश्चिमी चम्पारन	
13.	मुंगेर	मुंगेर	9354
		शेखपुरा	
		लखी सराय	
		जमुई	
14.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	8675
		वैशाली	
		सीतामढ़ी	
		शिवहर	
15.	पटना	पटना	17741
		नालंदा	
16.	रांची	रांची	1569
		गुमला	
		लोहरदगा	
17.	सहरसा	सहरसा	829
		सुपउल	
		मधेपुरा	
18.	सासाराम	रोहतास	2267
		भभुआ	
		कुल :	86984

एम. ए. आर. आर. टेलीफोन आबंटन में अनियमितताएं

1649. श्री भानु प्रताप सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के उरई जिले के टेलीफोन कार्यालय द्वारा "एम. ए. आर. आर." टेलीफोन आबंटन में कोई मापदंड न अपनाए जाने हेतु कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है और दोषी पाए गए अधिकारियों को दण्डित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां। उरई दूरसंचार मण्डल में एम. ए. आर. आर. टेलीफोन के आबंटन में मानदण्ड न अपनाने के बारे मे एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) विभागीय जांच की गई थी। कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होते।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड

1650. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने गुजरात में "स्टडीज इन रिचार्ज ऑफ ग्राउन्ड वाटर" नामक एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् भू–जल वृद्धि में कोई सुधार दिखाई दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) केन्द्रीय भू–जल बोर्ड ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के कुछ भागों में "भू–जल के पुनर्भरण संबंधी अध्ययन" पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन किया है। इन राज्यों में अध्ययनों के सकारात्मक परिणामों के आधार पर सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत पर गुजरात सहित कुछ अन्य राज्यों के कुछ "अति दोहित", "डार्क" और "ग्रे" ब्लाकों को इसमें शामिल करने के लिए इस योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) गुजरात में भू–जल के स्तर में सुधार राज्य सरकार के परामर्श से इसके ब्यौरों को अंतिम रूप दिये जाने के बाद इस योजना के सफल कार्यान्वयन पर निर्भर करता है।

सिख विद्वानों का दौरा

1651. श्री अजय कुमार एस. सरनायक :

श्री सी. डी. गामीत :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने सरकार के माध्यम से सिख विद्वानों को 1947 से लाहौर में तालाबन्द पड़ा सिख इतिहास से सम्बद्ध पुस्तकों और पांडुलिपियों का अध्ययन करने की पाकिस्तान सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार का निर्णय क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। अप्रैल, 1997 में सरकार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से पाकिस्तान में उपलब्ध सिक्ख पुस्तकों तथा पाण्डुलिपियों की सूची बनाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। यह मामला इस्लामाबाद स्थित हमारे मिशन के माध्यम से पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया गया था।

(ख) अक्तूबर, 1997 में सरकार को पाकिस्तान में उपलब्ध सिक्ख धर्म संबंधी पुस्तकों तथा पाण्डुलिपियों की एक सूची पाकिस्तान सरकार से प्राप्त हुई थी। इसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के पास भिजवा दिया गया था।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को समाप्त करना

1652. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने किसी अन्य देश के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद समाप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) डरबन में बारहवें गुट निरपेक्ष शिखर–सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने सामूहिक कार्रवाई द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने और इसे समाप्त करने के उपायों पर विचार करने और उन पर सहमति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का आह्वान किया था। उन्होंने अपनी इस अपील को न्यूयार्क में 53वें संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन में अपने अभिभाषण में उस समय दोहराया जब उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सम्मेलन को उन राज्यों और संगठनों के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के लिए बातचीत की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए जो आतंकवाद शुरू करते हैं, अथवा उसे सहायता देते हैं और प्रोत्साहित करते हैं।

(ग) प्रधानमंत्री की इस पहल को गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में व्यापक रूप से स्वीकारा गया। प्रधानमंत्री की इस पहल को गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के अंतिम दस्तावेज में परिलक्षित किया जिसमें आतंकवाद से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सामूहिक उत्तरदायित्व विकसित करने के लिए 1999 में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का आह्वान किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के चल रहे 53वें अधिवेशन में "अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त करने के उपायों" पर सर्वसम्मति से एक संकल्प लिया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय तैयार करने के लिए एक तदर्थ समिति अग्रता आधार पर विचार करेगी।

[अनुवाद]

तटबंध का निर्माण

1653. श्री श्रीराम चौहान : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 1998 के "हिन्दू" में "पाक स्ट्रक्चर काज रीवर डाईवर्जन" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) पाकिस्तान की ओर बाढ़ तटबंधों और स्परों के निर्माण के कारण, सामान्य रूप से देश का ढलान उत्तर पश्चिम से दक्षिण–पूर्व की ओर होने के कारण और रावी नदी के मार्ग परिवर्तन करने की प्रवृत्ति के कारण रावी नदी का ज्यादा बहाव भारत की ओर होता है जिसके कारण मिट्टी का कटाव होता है और फसलों तथा सीमा पर स्थित संस्थापनाओं को क्षति होती है। परन्तु नदी के मार्ग बदलने के कारण सीमान्त स्थानान्तरण (शिफ्ट) से चालू वर्ष में नदी के मार्ग में बड़ा बदलाव नहीं होता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पंजाब सरकार द्वारा जब कभी भी आवश्यकता होती है तो सुरक्षा कार्य अपने वित्तीय संसाधनों तथा भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से किये जाते हैं। "रावी और सतलज पर बाढ़ सुरक्षा तटबंधों के लिए विशेष सुधारात्मक कार्यों संबंधी समिति" वर्ष 1989 में गठित की गई। इसमें 1990 से पंजाब सरकार के प्रस्तावों की जांच की जाती है और प्रभावित क्षेत्रों के दौर के बाद विशिष्ट कार्यों के कार्यान्वयन की सिफारिश की जाती है।

[हिन्दी]

फलों का उत्पादन

1654. डॉ. राम विलास वेदान्ती : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फलों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है;

(ख) क्या सरकार दूसरे राज्यों में भी फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्ष 1995–96 के लिए उपलब्ध नवीनतम फल उत्पादन आंकड़ों के अनुसार बिहार देश का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है जहां इसका वार्षिक उत्पादन 5.47 मिलियन मी. टन है।

(ख) और (ग) सरकार उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण और शुष्क क्षेत्रीय फलों के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रही है जिसमें देश के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को कवर किया गया है। 8वीं योजना अवधि के दौरान इस स्कीम का कुल परिव्यय 74.30 करोड़ रुपये था। इस स्कीम को 17 करोड़ रु. के परिव्यय से 1997–98 में भी जारी रखा गया। इस स्कीम को 1998–99 में भी 25.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से जारी रखा जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत, गुणवत्ता वाली पौध रोपण सामग्रियों के वितरण के लिए नर्सरियों और टिशू कल्चर इकाइयों की स्थापना, क्षेत्र विस्तार, उजड़े हुए बगीचों के पुनरुद्धार, किसानों के प्रशिक्षण और प्रचारात्मक उपायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

जल प्रबंधन कार्यक्रम

1655. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

श्री फ्रांसिस्को सारदीना :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय जल प्रबंधन और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए कुछ उप–योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितनी लागत आने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन योजनाओं को कब तक मंजूर कर दिये जाने और कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हा। संघ सरकार ने विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना (एन. डब्ल्यू. एम. पी.) और केंन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी. ए. डी. पी.) के तहत बहुत सी योजनाएं अनुमोदित की हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना वर्ष 1995 में बंद हो गयी। इसके बंद होने तक इस परियोजना में 504.11 करोड़ रु. व्यय किया गया था जिसमें से 359.8 करोड़ की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक द्वारा की गयी थी। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम एक सतत चलने वाली स्कीम है। इसके वित्तीय वर्ष 1974–75 में प्रारंभ होने से लेकर मार्च, 1998 तक कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राज्यों को 1814.68 करोड़ रु. की केंद्रीय ऋण सहायता जारी की गयी है।

[अनुवाद]

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

1656. श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री अशोक प्रधान :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार और राज्य–वार केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य और हासिल की गई उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में केंद्रीय सरकार को कोई सुझाव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) संघ सरकार

द्वारा केंद्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सहायता के रूप में पिछले तीन वर्षों में जारी की गयी निधियों का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) खेत संबंधी विकास कार्यों अर्थात खेत चैनलों का निर्माण, बाराबंदी, खेत नालियों तथा खेत समतल का निर्माण, के अन्तर्गत राज्यों द्वारा निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियों के सम्बंध में राज्यों से प्राप्त ब्यौरों को क्रमशः संलग्न विवरण–II, III, IV तथा V में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण–I

वर्ष 1995–96 से 1997–98 के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राज्यों को जारी की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा :–

यूनिटः लाख रुपये में

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष के दौरान जारी केन्द्रीय ऋण सहायता			
		1995–96	1996–97	1997–98	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	190.81	99.40	3839.57	4129.78
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	62.00	0.00	124.00	1186.00
4.	बिहार	100.00	0.00	0.00	100.00
5.	गोवा	13.81	39.00	20.00	72.81
6.	गुजरात	550.14	444.38	97.11	1091.63
7.	हरियाणा	1060.00	1247.18	1116.85	3424.03
8.	हिमाचल प्रदेश	4.00	44.02	73.07	121.09
9.	जम्मू एवं कश्मीर	277.61	252.23	189.90	719.74
10.	कर्नाटक	681.80	845.59	437.87	1965.26
11.	केरल	774.46	466.96	200.00	1441.42
12.	मध्य प्रदेश	70.00	65.00	6.25	141.25
13.	महाराष्ट्र	1446.69	1439.92	298.30	3184.91
14.	मणिपुर	102.04	130.69	86.91	319.64
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	उड़ीसा	362.82	353.99	231.47	948.28
18.	राजस्थान	2925.57	3948.17	2226.65	9100.39
19.	तमिलनाडु	1212.94	2081.99	552.46	3847.39
20.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उत्तर प्रदेश	2204.13	2022.60	3057.83	7284.56
22.	पश्चिम बंगाल	206.57	112.19	90.00	408.76
23.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	केंद्रीय क्षेत्र	164.77	242.53	319.88	727.18
	कुल	12410.16	13835.84	12968.12	39214.12

टिप्पणी : दमन गंगा परियोजना गुजरात, दमन एव दीव तथा दादर एवं नगर हवेली में आती है। इसकी गणना गुजरात में की जा रही है।

विवरण-II

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत खेत चैनलों के संबंध में वास्तविक उपलब्धि

क्र.	राज्य का नाम	1995–96		1996–97		1997–98	
स.		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.17	0.09	33.35	0.03	29.20	2.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	1.67	0.74	3.05	0.15	1.90	0.44
4.	बिहार	0.84	0.00	120 कि.मी.	0.00	1.27	30.81 कि.मी.
5.	गोवा	1.45	0.27	0.80	0.10	0.32	0.00
6.	गुजरात	10.31	22.04	29.74	10.53	22.94	7.24
7.	हरियाणा	34.27	33.95	42.50	35.79	45.83	28.21
8.	हिमाचल प्रदेश	0.69	0.01	0.40	0.55	0.84	1.41
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3.82	3.95	4.49	4.52	4.76	6.97
10.	कर्नाटक	30.16	13.04	29.90	23.75	17.86	11.03
11.	केरल	28.50	17.75	18.20	14.39	15.45	7.89
12.	मध्य प्रदेश	6.04	8.95	2.88	1.41	4.63	4.23
13.	महाराष्ट्र	28.43	39.49	62.21	20.88	53.94	25.23*
14.	मणिपुर	2.45	2.50	9.15	2.24	8.26	3.33
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	उड़ीसा	10.12	8.80	13.00	18.66	6.80	7.00
18.	राजस्थान	24.31	51.83	76.50	69.39	64.00	54.25
19.	तमिलनाडु	52.55	43.94	42.60	41.61	44.74	46.61
20.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उत्तर प्रदेश	144.03	116.55	121.00	126.87	99.63	112.20
22.	पश्चिम बंगाल	4.19	5.64	8.80	5.35	4.55	0.82
23.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	385.00	369.54	498.57 + 120 कि.मी.	376.22	426.92	319.01 + 30.81 कि.मी.

टिप्पणी : दमन गंगा परियोजना गुजरात, दमन, एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली में आती है। इस परियोजना की वास्तविक उपलब्धि तदनुसार दिखाई गई है।

*खेत चैनल एव खेत ड्रेन्स की उपलब्धियां मिला दी गई हैं।

विवरण–III

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत बाराबंदी के संबंध में वास्तविक उपलब्धियां

(यूनिट 000 हेक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1995–96		1996–97		1997–98	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	14.53	11.04	32.50	11.49	29.20	4.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	1.13	0.00	1.10	0.02	1.75	0.86
4.	बिहार	2.34	0.00	1.16	0.00	7.27	0.00
5.	गोवा	1.69	1.50	1.50	1.50	0.80	0.00
6.	गुजरात	20.45	7.06	51.40	12.43	21.00	5.87
7.	हरियाणा	21.82	9.58	8.59	2.17	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2.01	0.13	0.25	0.25	1.83	2.38
9.	जम्मू एवं कश्मीर	31.00	28.37	31.20	30.92	46.06	45.64
10.	कर्नाटक	8.93	9.63	35.67	7.49	25.67	16.23
11.	केरल	15.20	3.97	21.25	11.15	14.60	9.11
12.	मध्य प्रदेश	0.00	8.48	7.00	0.00	2.33	0.17
13.	महाराष्ट्र	15.06	4.25	51.00	4.87	21.50	21.24
14.	मणिपुर	1.87	1.36	0.90	0.51	1.39	0.57
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	उड़ीसा	73.82	56.55	60.00	0.00	14.00	15.00
18.	राजस्थान	20.49	53.86	76.50	69.39	64.00	54.25
19.	तमिलनाडु	56.27	58.34	63.55	60.84	72.55	75.31
20.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उत्तर प्रदेश	293.39	198.45	225.00	204.61	155.00	170.26
22.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
23.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	580.00	452.57	669.57	417.64	478.89	421.69

टिप्पणी : दमन गंगा परियोजना गुजरात, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली में आती है। इस परियोजना की वास्तविक उपलब्धियां तदनुसार दिखाई गई हैं।

विवरण–IV

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत फील्ड ड्रेनों के संबंध में वास्तविक उपलब्धि

(यूनिट : 000 हेक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997–98		1995–96		1996–97	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (अनन्तिम)
1		2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.82	0.30	1.75	0.01	2.78	0.52
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88	0.00
5.	गोवा	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.05	0.00	1.73	0.00
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1.43	1.38	1.72	1.40	2.05	2.27
10.	कर्नाटक	1.00	0.01	12.90	0.66	5.10	0.25
11.	केरल	0.00	0.00	11.23	4.48	23.30	16.37
12.	मध्य प्रदेश	1.51	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	25.02	16.65	62.21	9.81	0.00	0.00
14.	मणिपुर	1.19	0.98	2.07	0.47	1.48	0.07
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	उड़ीसा	14.85	9.72	11.40	8.23	5.00	5.06
18.	राजस्थान	0.00	2.87	2.50	2.60	2.50	2.78
19.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उत्तर प्रदेश	4.00	0.00	705 कि.मी.	0.00	581 कि.मी.	453.71 कि.मी.
22.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	50.00	31.93	105.83 + 705 किमी.	27.66	78.82 + 581 किमी.	27.75 + 453.71 किमी.

टिप्पणी : दमन गंगा परियोजना, गुजरात, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली में आती है। इस परियोजना की वास्तविक उपलब्धियां तदनुसार दिखाई गई हैं।

विवरण–V

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि समतलन के संबंध में वास्तविक उपलब्धियां

(यूनिट : 000 हेक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1995–96		1996–97		1997–98	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां (अनन्तिम)
1		2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.20	7.41	4.70	6.00	1.20	3.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.20	0.00	0.80	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.03	0.01	0.04	0.00	0.03	0.01
6.	गुजरात	0.15	0.00	0.75	0.05	2.17	0.03
7.	हरियाणा	1.05	0.65	0.63	0.51	0.72	0.47
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1.18	2.27	2.57	1.91	1.73	2.27
10.	कर्नाटक	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	केरल	0.11	0.20	0.71	0.08	0.52	0.23
12.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	0.85	0.73	0.00	1.45	0.00	0.00
14.	मणिपुर	2.30	1.28	2.17	0.00	3.70	0.35
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	उड़ीसा	0.00	3.73	3.64	0.16	0.00	0.00
18.	राजस्थान	0.00	3.01	2.64	0.60	4.50	3.98
19.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.02	0.00	0.05	0.00
23.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	37.00	19.29	18.07	10.76	15.42	11.23

टिप्पणी : दमन गंगा परियोजना, गुजरात, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली में आती है। इस परियोजना की वास्तविक उपलब्धि तदनुसार दिखाई गई है।

[हिन्दी]

कपास के उत्पादन में कमी

1657 श्री अभय सिंह एस. भोंसले :

श्री डी. एस. अहिरे :

श्री माधवराव पाटील :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास का प्रति हैक्टर उत्पादन धीरे–धीरे कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान किस सीमा तक कपास का प्रति हैक्टर उत्पादन कम हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) मौसमी परिस्थितियों के कारण होने वाले परिवर्तनों के बावजूद कपास के उत्पादन में बढ़ने की प्रवृति रही है।

(ग) कपास के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए सरकार गहन कपास विकास कार्यक्रम का केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है जिसमें गुणवत्ता वाले बीजों, स्थान–विशिष्ट संकर किस्मों के उपयोग, समेकित कृमि प्रबंध के उपयोग, लघु सिंचाई सहित वैज्ञानिक जल प्रबंध तकनीकों के विस्तार एवं उन्नत कृषि उपकरणों के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया जाता है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने एवं भारतीय कपास निगम के माध्यम से खरीद के लिए प्रबंध करने के माध्यम से किसानों को मूल्य एवं मंडी सहायता भी दे रही है।

[अनुवाद]

सिनेमा संग्रहालय की स्थापना

1658. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

श्रीमती रानी नरह :

श्री गुरूदास कामत :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक फिल्म संग्रहालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु प्रस्तावित स्थान कौन सा है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) से (ग) युनाइटेड प्रोड्यूसर्स फोरम नामक एक एशोसिएशन ने राष्ट्रीय चलचित्र संग्रहालय स्थापित करने संबंधी एक प्रारंभिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उक्त फोरम को प्रस्तावित संग्रहालय के संबंध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

गुजरात में भू-क्षरण

1659. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :

श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अत्यधिक भू–क्षरण के लिए उत्तरदायी नदियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी भूमि प्रभावित हुई; और

(ग) सरकार द्वारा भू–क्षरण को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) नदियों के तटों एवं तलों में भूमि कटाव होना एक प्राकृतिक घटना है। गुजरात में कोई भी गंभीर नदी कटाव समस्या होने की जानकारी नहीं आई।

(ख) भूमि कटाव से प्रभावित भूमि संबंधी आंकड़े केंन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) भूमि कटाव रोकने संबंधी उपायों, उनकी आयोजना एवं कार्यान्वयन राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

कर्नाटक के लिए पृथक कृषि चैनल

1660. श्री एच. जी. रामुलु : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने फसल–योजना मंडी एवं मूल्य रुझान के संबंध में किसानों को शिक्षित करने के लिए दूरदर्शन पर पृथक कृषि चैनल उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार से आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन से संबंधित मामले प्रसार भारती के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं जिसने सूचित किया है कि संसाधनों की बाध्यताओं के कारण एक पृथक कृषि चैनल शुरू करना संभव नहीं पाया गया है। प्रसार भारती ने आगे सूचित किया है कि दूरदर्शन अपने राष्ट्रीय चैनल और क्षेत्रीय चैनलों पर कृषि संबंधी कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित करता है।

[हिन्दी]

डाकघर में हेराफेरी

1661. श्री जसवंतवीर सिंह द्रोण :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर (उ. प्र.) में लगभग एक करोड़ रुपये के टिकटों की चोरी के कुछ मामले सामने आए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस विषय में कोई जांच कराई थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई योजना बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेन्द्र पुरकायस्थ) : (क) कानपुर (उत्तर प्रदेश) में लगभग एक करोड़ रु. की डाक टिकटों की चोरी का कोई ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन कनैक्शन

1662. श्री गिरिधर गमांग :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों और महानगरों में टेलीफोन कनैक्शन की बढती मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरणों की सप्लाई और सभी गांवों को टेलीफोन से जोड़ने तथा पंचायतों में पीसीओ, एसटीडी एवं आईएसडी सुविधा प्रदान करने के संबंध में प्रदत्त प्राथमिकता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों को टेलीफोन से जोड़ने संबंधी नीति के कार्यान्वयन में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कमलेन्द्र पुरकायस्थ) : (क) सरकार ने टेलीफोन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए निवेश और वार्षिक लक्ष्यों को बढ़ा दिया है।

पिछले तीन वर्षों के लक्ष्य और उपलब्धियां तथा चालू एवं अगले वित्तीय वर्षों के लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाओं के बारे में निम्नलिखित प्राथमिकताओं/योजनाओं का निर्णय ले लिया गया है:

(i) वर्ष 2002 तक मांग पर टेलीफोन देना।

(ii) वर्ष 2002 तक सभी ग्रामों में वी. पी. टी. उपलब्ध कराना।

(iii) वर्ष 2000 तक सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में एस.टी.डी. सुविधाएं प्रदान करना।

(iv) वर्ष 2002 तक सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में विश्वसनीय संचारण मीडिया।

(ग) ग्रामीण दूर संचार की फैली हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों/ उपयुक्त प्रौद्योगिकी का अभाव तथा निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन में देरी इनका प्रमुख कारण रहा है।

विवरण

गत तीन वर्षों के लक्ष्य/उपलब्धिया तथा 1998–99 और 1999–2000 के लक्ष्य

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
		(लाख रु में)
1995–96	20.00	21.83
1996–97	24.50	25.65
1997–98	29.00	32.59
1998–99	36.00	
1999–2000	39.00	

कोरे पासपोर्टों का बरामद किया जाना

1663. श्री कमलनाथ : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश से चुराए गए कोरे पासपोर्ट हाल ही में बरामद किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने पासपोर्ट बरामद हुए तथा कुल कितने पासपोर्ट अभी भी गायब हैं;

(ग) इस चोरी के लिए किन लोगों को जिम्मेवार ठहराया गया; और

(घ) पासपोर्टों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की प्रणाली को सुचारु बनाने के लिए क्या उपाय किए गए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) गाजियाबाद स्थित पासपोर्ट कार्यालय से चोरी हुई 1000

कोरी पासपोर्ट पुस्तिकाओं में से 962 पासपोर्ट पुस्तिकाएं हाल ही में दिल्ली पुलिस ने बरामद कर ली हैं। इस प्रकार की कोई घटना दिल्ली स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में नहीं घटी है।

(ग) और (घ) चोरी के सिलसिलें में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच के अलावा, गाजियाबाद स्थित पासपोर्ट कार्यालय की कार्य प्रणाली की त्रुटियों के संबंध में एक विभागीय जांच शुरू की गई है और जिम्मेवार पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इन घटनाओं की पुनरावृति को दूर करने के लिए सभी पासपोर्ट कार्यालयों के कड़ाई से अनुपालन के लिए भंडार में कोरी पासपोर्ट पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने के संबंध में पुनः उपयुक्त निर्देश दिए गए हैं।

दूर-संचार सुविधाएं

1664. कुमारी किम गंगटे :

श्रीमती कमल रानी :

श्री फ्रांसिस्को सारदीना :

श्री राजो सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मणिपुर, उत्तर प्रदेश के पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों और गोवा एवं बिहार के पिछड़े छेत्रों में बेहतर दूर–संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या बिहार में टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भवनों के निर्माण के संबंध में सरकार की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) किए गए/प्रस्तावित प्रयासों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

(i) सन् 2000 तक सभी टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए एस.टी.डी. सुविधाएं।

(ii) सन् 2002 तक सभी टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए विश्वसनीय पारेषण माध्यम।

(iii) भूमिगत केंबल बिछाकर संपर्क (एक्सेस) नेटवर्क का उन्नयन।

(iv) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के लिए नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत करना।

(v) सभी एक्सचेंजों के लिए पर्याप्त क्षमता के विद्युत संयंत्र तथा बैटरियां।

(घ) जी, हां।

(ङ) बिहार में एक्सचेंज भवनों के शीघ्र निर्माण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

कई स्थानों पर भूमि अधिग्रहण कर ली गई है।

योजना कार्य में तेजी लाने के लिए, विभिन्न क्षमताओं के एक्सचेंजों के भवन/संरचनात्मक ड्राइंगों का मानकीकरण किया गया है।

जिन भवनों के निर्माण की योजना बनाई गई है उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बिहार के उन स्थानों के स्थानवार ब्यौरे, जहां टेलीफोन एक्सचेंजों का निर्माण किया जाना है।

स्थान	स्थान
1	2
बेतिया	बेतिया
	होरसिंधी
	जोगापट्टी
	बगहा
मोतीहारी	मोतीहारी
	पकरीदयाल
	रक्सौल
	सुगौली
	मधुबा
	बारा चकिया

1	2
सीतामढ़ी	परिहार
	शीवहर
	पुपारी
	रायपुर
मुजफ्फरपुर	रतवारा
	बसंतपुर पट्टी
वैसाली	वऊसाली
	सराय
	लालगंज
	भगवानपुर
	बिरना लाखानसेन
	महुआ
छपरा	छपरा
	एकमा
	सोनपुर
	दिघवारा
	बनियापुर
	बसंतपुर
	मशरख
	तराईयान
	गरखा
	मढ़ौरा
	परसा
	जलालपुर
	मांझी
	महाराजगंज
सिवान	सिवान
	मैरवां
दरभंगा	दरभंगा (बेलापैलेस)
	लोकाहा
	खुटौना
	समस्तीपुर
	रोसेरा
	दलसिंघसराय
	मोहिउद्दीन नगर
बेगूसराय	लखीमिनिया
खगड़िया	मुस्कीपुर
	परवाट्टा
	महेश खुंट
मधुबनी	मधुबनी
	जयनगर
	बेनीपट्टी
	घोगरडिहा
सहरसा	सिमारी
	बख्तियारपुर
	सहरसा
	सलाखुआ
मधेपुरा	मधेपुरा
	राधोपुर
	बीरपुर
अररिया	अररिया
	जोगबनी
पूर्णिया	रानीगंज
	कासवा
	वैसी
	पुरैनी
भागलपुर	कहालगांव
	असारगंज
	सुल्तानगंज
	अमरपुर
	बौसी

1	2
बांका	बांका
मुंगेर	बरियारपुर
	झाझा
देवघर	देवघर
गोंडा	गोंडा
गिरीडीह	गिरीडीह
हजारीबाग	हजारीबाग
	बरही
	सिमरिया
नवादा	नवादा
जमशेदपुर	कादमा
	बहारागोरा
	घाटसिला
चाईबासा	चाईबासा
	चक्रधरपुर
पलामू	लातेहार
	नवीन नगर
आरा	पीरो
सासाराम	कोचास
	विक्रमगंज
गया	टेकारी
	कुरथा
	अरवाल
	शेरघाटी
	दौदनगर
	लोहरदगा
पटना	पटेलनगर
	बिक्रम
	बिहटा
	नौबतपुर
	पुनपुन
	मसौरही
	बख्तियारपुर
	मोकामा
	बारह
	पटना सिटी
	राजगीर
	चंडी

फिल्म निर्माण के लिए धनराशि

1665. श्रीमती रानी नरह :

श्री गुरूदास कामत :

श्री तारिक अनवर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान कई फिल्मों के निर्माण तथा प्रसारण हेतु कुछ निजी कम्पनियों को धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में मानदंडों/दिशा–निर्देशों का पालन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) और (ख) प्रसार भारती, दूरदर्शन द्वारा कमीशनिंग स्कीम के अंतर्गत फिल्मों सहित कार्यक्रमों के निर्माण के लिए निजी निर्माताओं/कम्पनियों को धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। प्रसार भारती द्वारा यह सूचित किया गया है कि 1.12.97 से 30.11.98 तक की अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ 333 निजी निर्माताओं/कम्पनियों को 3960.60 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई थी।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने दूरदर्शन की कमीशन्ड कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत टी.वी. धारावाहिकों के चयन हेतु निम्नलिखित विस्तृत मानदण्ड/मानक निर्धारित किए हैं :–

1. दूरदर्शन की आवश्यकताओं के अनुरूप कहानी, विषय–वस्तु या विषय की प्रासंगिकता ।
2. विषय/पटकथा का निरूपण;

3. प्रसारण संहिता का अनुपालन, और

4. निर्देशक, कार्यकारी निर्माता, लेखक, कर्मीदल आदि का पिछला रिकार्ड/प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन द्वारा इन मानकों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है।

(ड) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय फर्मों को काली सूची में डालना

1666. श्री दिन्शा पटेल :

श्री टी. गोविन्दन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी प्रशासन में हाल में भारत के 200 संगठनों को काली सूची में डाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने अमेरिकी प्रशासन से इस मामले में बात की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) 13 नवम्बर, 1998 को अमरीका के वाणिज्य विभाग ने भारतीय कम्पनियों की एक सूची तैयार की थी जो अमरीका के निर्यात प्रतिबंधों के अध्याधीन होंगे। इस सूची में 40 भारतीय सरकारी संगठन, वैज्ञानिक संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी कम्पनियां शामिल हैं। उनकी सहायक संस्थाओं को मिलाकर इनकी संख्या 208 हो जाती है। अमरीकी कम्पनियों द्वारा सूचीबद्ध कम्पनियों को निर्यात के लिए अमरीका के वाणिज्य विभाग से लाइसन्स लेने की आवश्यकता होगी।

(ख) भारत सदैव यह कहता आया है कि इस प्रकार के एक पक्षीय प्रतिबंधात्मक उपाय अनौचित्यपूर्ण और विरोध पैदा करने वाले हैं। 14 नवम्बर, 1998 को भारत सरकार ने इस आशय का एक वक्तव्य जारी किया था "कि यह कदम अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है । ये प्रतिबंध व्यापार, प्रौद्योगिकी और वित्त के मुक्त प्रवाह को बाधित करती है और इनसे पारस्परिक हित के व्यावसायिक परस्पर क्रिया–कलापों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

यह निर्णय एक दमनकारी दृष्टिकोण की निरन्तरता को परिलक्षित करता है जो पूरी तरह से अनुचित और विरोध प्रकट करने वाला है। ऐसे कदम दोनों देशों द्वारा वांछित द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाने की दिशा में अर्थपूर्ण चर्चा करने में असहयोगी हैं।"

(ग) इस मामले को अमरीका के साथ कड़ाई से उठाया गया है। भारत की चिन्ताओं से अवगत करा दिया गया है। सरकार विश्व व्यापार संगठन की अनुरूपता को ध्यान में रखकर भी इस मामले पर विचार कर रही है।

(घ) अमरीका के व्यवहार में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया है।

[हिन्दी]

भारतीयों को वीजा

1667. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात, कतर और लीबिया की सरकारों ने भारतीयों को नए यात्रा वीजा जारी करने पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त मामले पर इन देशों की सरकारों के साथ कार्यवाई की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

केरल में टेलीफोन कनेक्शन

1668. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कुल कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं, और

(ख) टेलीफोन कनेक्शन के बकाया आवेदन–पत्रों पर कब तक निपटान कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) 30.11.98 की स्थिति के अनुसार केरल में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची 710495 है।

(ख) 1.4.98 से 30.11.98 तक 1.06 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतीक्षा सूची का एक भाग निपटाने के लिए 2.19 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है। बाकी प्रतीक्षा सूची को 2001 तक उत्तरोत्तर निपटाए जाने की संभावना है।

मृदा संरक्षण

1669. श्री दत्ता मेघे :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उत्पादन में सुधार लाने के लिए मृदा संरक्षण योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त योजनाओं में किन राज्यों को शामिल किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां।

कृषि मंत्रालय ने पांच मुख्य स्कीमें शुरू की हैं, जो इस प्रकार हैं :–

(i) नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण;

(ii) बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण;

(iii) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना;

(iv) क्षारीय (ऊसर) मृदाओं का सुधार;

(v) वर्षा–सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।

उपर्युक्त स्कीमें स्थायी उत्पादन के लिए मृदा की स्थिति में सुधार करती हैं।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

मृदा संरक्षण स्कीमें और इसमें शामिल राज्यों की सूची दर्शाने वाला विवरण

क्रं.सं.	स्कीम	शामिल राज्य
1.	नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, एवं पश्चिम बंगाल।
2.	बाढ़ प्रवण नदियों के क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	स्रवण, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल।
3.	झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणीपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा।
4.	क्षारीय (ऊसर) मृदाओं का सुधार	हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश।
5.	वर्षा–सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणीपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा व नगर हवेली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह।

कपास बोर्ड

1670. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने सांविधिक कपास बोर्ड के गठन हेतु केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन द्वारा प्राइम टाइम स्लाट का आबंटन

1671. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री नरेश पुगलीया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन के माफिया सरगनाओं को प्राइम टाइम स्लाट आवंटित किए हैं, जैसा कि तीन अक्तूबर 1998 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित किया गया;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कलकत्ता दूरदर्शन ने इस तरह के प्राइम टाइम स्लाट आवंटन का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो टाइम स्लाट आबंटन में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार द्वारा दूरदर्शन समय स्लॉट आबंटित नहीं किए जाते हैं। दूरदर्शन से संबंधित सभी कार्यक्रम मामले

प्रसार भारती के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जो एक स्वायत्तशासी सांविधिक निगम है। प्रसार भारती अपनी मौजूदा नीति के अनुसार, दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल (मुख्य सेवा) पर निजी निर्माताओं को प्रायोजित समाचार कार्यक्रमों को प्रसारित करने की अनुमति नहीं देता है। तथापि, मैसर्स रैनबो कम्युनिकेशंस, कलकत्ता को दूरदर्शन केंन्द्र, कलकत्ता की क्षेत्रीय सेवा में समाचार कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दी गयी थी। यह प्रसार भारती बोर्ड के अनुमोदन के बिना किया गया था। इस बीच, निर्माता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील करके कार्यक्रम के प्रसारण को आरंभ करने में किसी भी संभव हस्तक्षेप के विरुद्ध आदेश प्राप्त कर लिया था।

बोर्ड ने उपर्युक्त चूक तथा न्यायालय के आदेश पर विचार किया और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती को न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने का निर्देश दिया।

उक्त कार्यक्रम को वर्तमान में इस शीर्षक के साथ जारी रखा जा रहा है कि इसे न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत प्रसारित किया जा रहा है। इस मामले में प्रसार भारती ने कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में अपील की है। मामला न्यायाधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कार्यक्रम संबंधी सभी मामले प्रसार भारती के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और समय स्लॉटों के आबंटन सहित ऐसे मामलों में दूरदर्शन की कार्यक्रम अपेक्षाओं तथा संस्था के समग्र हित को ध्यान में रखते हुए प्रसार भारती द्वारा निर्णय लिया जाता है।

कृषि के विकास के लिए धनराशि का आबंटन

1672. श्रीमती जयाबहन भरत कुमार ठक्कर :

श्री रामपाल उपाध्याय :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषि के विकास के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया और इस संबंध में क्या उपलब्धि रही;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोगपाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में कृषि के विकास हेतु जारी की गई राशि का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) राज्यों द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग की गयी धनराशि और हासिल उपलब्धि की जानकारी अभी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण–I

केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत कृषि के विकास के लिए जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	1995–96	1996–97	1997–98	1998–99 आज तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6453.41	8555.43	7725.48	3513.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	472.85	221.08	504.66	216.34
3.	असम	861.00	1054.31	397.48	256.90
4.	बिहार	1537.13	1638.57	1198.93	335.91
5.	गोवा	219.34	163.91	100.06	122.40
6.	गुजरात	2852.42	3922.31	4066.30	3185.54
7.	हरियाणा	3113.22	2790.32	2913.54	1111.06
8.	हिमाचल प्रदेश	1400.71	1084.53	1152.47	451.43

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू व कश्मीर	1219.51	1312.72	1523.60	896.77
10.	कर्नाटक	5271.14	7062.45	8122.59	5641.11
11.	केरल	2904.05	4093.26	3668.26	2413.33
12.	मध्य प्रदेश	5973.27	8942.32	6995.95	3238.15
13.	महाराष्ट्र	11249.26	11148.58	9947.47	8357.51
14.	मणिपुर	1033.77	1228.69	1146.40	292.52
15.	मेघालय	159.59	442.29	256.28	180.05
16.	मिजोरम	501.07	515.54	723.77	619.55
17.	नागालैंड	737.61	786.50	884.73	349.77
18.	उड़ीसा	3774.39	4485.80	4116.26	1943.76
19.	पंजाब	2966.50	3113.45	2538.78	1146.04
20.	राजस्थान	8595.70	10012.04	9716.43	7341.39
21.	सिक्किम	424.90	314.72	340.76	260.82
22.	तमिलनाडु	5698.12	6191.90	5886.95	3864.15
23.	त्रिपुरा	308.31	379.49	533.97	360.50
24.	उत्तर प्रदेश	11023.32	10681.42	10306.87	3557.51
25.	पश्चिम बंगाल	2475.25	734.20	1056.20	530.36
	योग	81225.83	90875.73	85729.09	50106.72

विवरण–II

चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा मांगी गई अतिरिक्त धनराशि का ब्यौरा

स्कीम	राज्य	1998–99 के लिए परिव्यय	98–99 के दौरान मांगी गयी अतिरिक्त धनराशि (लाख रुपये)
1	2	3	4
कृषि में	राजस्थान	384.90	100.00
प्लास्टिक	आंध्र प्रदेश	1410.75	1000.00
का प्रयोग	तमिलनाडु	1060.00	2400.00
छोटे किसानों	हरियाणा	47.10	60.00
में कृषि	कर्नाटक	163.50	50.00
यंत्रीकरण	मध्य प्रदेश	244.20	205.80
	मिजोरम	4.50	7.50
	उड़ीसा	83.40	216.60

अलमट्टी सिंचाई परियोजना

1673. डॉ. सुगुण कुमारी चलामेला :

श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :

श्री के. येरननायडू :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अलमट्टी सिंचाई परियोजना के विवाद पर अपना निर्णय दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बिहार में सूखा

1674. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौसम विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में दर्ज की गई मानसूनी वर्षा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिहार में वर्षा मौसम विभाग के द्वारा अनुमानित वर्षा से कम थी;

(ग) क्या राज्य सरकार ने पलामू मंडल के सात जिलों में सूखे से उत्पन्न स्थिति और उसके कारण हुई क्षति के बारे में विवरण उपलब्ध कराया है;

(घ) सूखे के कारण हुई क्षति को पूरा करने के लिए मांगी गई सहायता और राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 1993 में सूखे की स्थिति की समीक्षा के लिए किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1996 से वर्ष 1998 के दौरान दक्षिण–पश्चिम मानसून की अवधि (जून से सितम्बर) में बिहार के निम्नलिखित जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई :

1996–पलामू, सिंहभूम, लोहरदंगा, भोजपुर, पूर्वी चम्पारन, वैशाली, जहानाबाद।

1997–मधुबनी, पश्चिम चंपारण।

1998–गोपालगंज, कटिहार, नवादा, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद।

(ग) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लम्बित सिंचाई योजनाएं

1675. श्री के. एस. राव :

श्री प्रभुनाथ सिंह :

श्री नरेश पुगलीया :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई कई सिंचाई योजनाएं अभी भी पूरी नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है तथा इनके अधूरा रहने के क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान योजना आयोग ने उनको पूरा करने के लिए कितनी–कितनी धनराशि आबंटित की है;

(घ) क्या सरकार का इन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि न होने देने के लिए प्रत्येक परियोजना हेतु पर्याप्त धन आबंटित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या अन्य उपाय कर रही है; और

(च) इन योजनाओं को कब तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (च) जी, हां। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में शुरू की गई दस सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं जो अभी भी अपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा, गत तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा आबंटित राशि तथा पूरा होने का संभावित समय संलग्न विवरण में दिया गया है। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपनी स्वयं की प्राथमिकताओं के अनुसार अपने स्वयं के संसाधनों में से किया जाता है। परियोजना का पूरा होना विभिन्न बातों पर निर्भर करता है जैसे इसका आकार, भूमि की उपलब्धता, स्वीकृतियां और भू–वैज्ञानिक स्थितियां आदि। विभिन्न परियोजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा आबंटित निधियां भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/ परियोजना का नाम	किस योजना में शुरू हुई	पूरा होने की संभावित तिथि	के दौरान आबंटित निधियां 1995–96	1996–97	1997–98	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**आंध्र प्रदेश**						
	1. नागार्जुन सागर	II	नौवीं योजना	36.00	45.90	33.00	
2.	**कर्नाटक**						
	1. भाद्रा	I	नौवीं योजना	15.00	5.00	6.00	
	2. तुंगभद्रा बांध और बायां तट नहर	I	नौवीं योजना	17.50	10.15	10.00	
	3. तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर	II	नौवीं योजना	4.00	3.50	10.00	
	4. कबीनी (एन. पी.)*	II	नौवीं योजना	*योजना आयोग द्वारा कावेरी बेसिन में गैर योजना परियोजनाओं के लिए परिव्यय नहीं किया जाता है।			
3.	**मध्यप्रदेश**						
	1. बरना	II	नौवीं योजना	लागू नहीं	लागू नहीं	3.62	* छठी योजना के दौरान पूर्ण राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गये अतिरिक्त कार्य
	2. भांदेर नहर*	I	नौवीं योजना	लागू नहीं	लागू नहीं	0.10	
4.	**महाराष्ट्र**						
	1. खडकवासला*	II	नौवीं योजना	20.00	10.00	75.13	*योजना आयोग ने निधियां प्रदान नहीं की थीं।
				(राज्य योजना प्रलेख से लिया गया)			
5.	**पश्चिम बंगाल**						
	1. कंगसबती*	I	नौवीं योजना	10.00	8.50	10.50	ए. आई. बी. पी. सहायता।
	2. दामोदर घाटी निगम की बराज सिंचाई प्रणाली	I	नौवीं योजना	7.00	2.75	4.00	
				(राज्य योजना प्रलेख के अनुसार)			

योजनाओं के लिए धनराशियों का आबंटन

1676. श्रीमती कमल रानी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में बागवानी, मत्स्यन इत्यादि क्षेत्रों में कौन–कौन सी योजना क्रियान्वित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के लिए सरकार द्वारा अलग–अलग कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या इन क्षेत्रों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या ऐसे किसी अनुसंधान संस्थान ने कोई नई तकनीक विकसित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) उत्तर प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी मूल रूप से राज्य सरकार की है। तथापि केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश में अनेक केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रही है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को जारी की गई धनराशि इस प्रकार है :

वर्ष	जारी धनराशि (करोड़ रुपये)
1995–96	112.55
1996–97	110.45
1997–98	106.69

(ग) और (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय/ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

1. समेकित अनाज विकास कार्यक्रम–चावल
2. समेकित अनाज विकास कार्यक्रम–गेहूं
3. गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास
4. गहन कपास विकास कार्यक्रम
5. विशेष पटसन विकास कार्यक्रम
6. राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना
7. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
8. त्वरित मक्का विकास परियोजना
9. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
10. कम खपत वाले तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों के उपयोग के विकास संबंधी राष्ट्रीय परियोजना
11. उर्वरकों का संतुलित तथा समेकित उपयोग
12. समेकित बीज विकास स्कीम
13. राष्ट्रीय बीज परियोजना–3
14. महत्त्वपूर्ण अभिज्ञात सब्जी फसलों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन को सरल बनाना
15. समेकित कीटनाशी प्रबंध केन्द्रां के तहत राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुदान सहायता
16. छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना
17. देश के भीतर किसानों के दौरे
18. कृषक वैज्ञानिक विचार–विमर्श
19. कृषि में महिलाएं
20. राज्य भू–उपयोग बोर्ड
21. नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
22. बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
23. क्षारीय मृदा का सुधार
24. यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से क्षारीय मृदा के सुधार संबंधी परियोजना
25. चिकित्सकीय तथा सुगन्धित पौधों का विकास
26. कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग
27. वाणिज्यिक पुष्पकृषि का विकास
28. खुम्बी का विकास
29. शुष्क, समशीतोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय फलों का समेकित विकास
30. कन्द तथा मूल फसलों का विकास
31. पान की बेल का विकास
32. सब्जियों का विकास
33. मसालों का समेकित विकास
34. ताजा पानी मत्स्य फार्म
35. अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी

36. मछुआरों का कल्याण
37. प्रशिक्षण एवं विस्तार (मात्स्यिकी)
38. अंतर्देशीय मत्स्य विपणन
39. भूमि विकास बैंकों के डिबेंचरों में निवेश
40. गैर अतिदेय कवर स्कीम
41. कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि
42. महिलाओं की सहकारी समितियों को सहायता
43. कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता
44. यथासमय रिपोर्टिंग स्कीम
45. फसल सांख्यिकी में सुधार
46. फलों, सब्जियों तथा छोटी फसलों के फसल अनुमान सर्वेक्षण/नैदानिक अध्ययन
47. पशुधन संगणना
48. कृषि संगणना

विवरण–II

उत्तर प्रदेश में स्थित अनुसंधान संस्थानों द्वारा ईजाद की गयी नई तकनीकें

	संस्थान का नाम	अनुसंधान कार्यकलाप
	1	2
1.	केन्द्रीय उप उष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान, लखनऊ	(क) आम संकर सी. आई. एस. एच. एम. आई. (ख) अमरूद सी. आई. एस. एच. जी. आई. (ग) आम के लिये कलम प्रौद्योगिकी (घ) आम में अनियमित फल लगने की समस्या (ङ) पोर्टेबल आम हार्वेस्टर
2.	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, मुक्तेश्वर	(क) सेब तथा अखरोट पर मूल्यांकन अध्ययन
3.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र मोदीपुरम	आलू की किस्में
4.	अनुसंधान केन्द्र, फैजाबाद	अफीम, लेमनग्रास, बेतीवार, धनिया, मेथीदाना, अदरक, हल्दी
5.	सब्जी अनुसंधान परियोजना निदेशालय, वाराणसी	तोरी–के. वी. जी.–16 मटर–एन. डी. वी. पी.–10 एन. डी. वी. पी.–8 वी. एस.–8 संकर ओकरा–डी. वी. आर. 1, डी. वी. आर.–2 संकर तोरी–पी. वी. ओ. जी.–2 तथा संकर टमाटर–एच–24
6.	शीतल जल मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र, भीमताल	विदेशी कार्पा मशीर

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों में वृद्धि

1677. श्री थावर चन्द गहलोत :

श्री बलराम सिंह यादव :

श्री टी. गोविन्दन :

श्री सत्य पाल जैन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत क्षेत्रों के धीमे विकास को देखते हुए योजना की अनुदान राशि में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों के प्रति संसद सदस्य 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किए जाने का मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण

1678. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :

श्री एच. पी. सिंह :

श्री मोइनुल हसन अहमद :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बाढ़ और भूमि कटाव के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किन महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके क्या निष्कर्ष रहे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) संघ सरकार ने बाढ़ एवं भूमि कटाव से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ कोई भी बैठक नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में भद्रक स्थित निम्न शक्ति वाले ट्रांसमीटर

1679. श्री अर्जुन सेठी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उड़ीसा में भद्रक स्थित निम्न ट्रांसमीटर वाला दूरदर्शन केन्द्र बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उस क्षेत्र के दूरदर्शन दर्शकों की सुविधा के लिए क्या वैकल्पिक प्रबंध किए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जबलपुर में एफ. एम. ट्रांसमीटर

1680. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी केन्द्र जबलपुर ने एफ. एम. ट्रांसमीटर तथा विविध भारती प्रसारण सेवा शुरू करने से संबंधित आवश्यक जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) जबलपुर आकाशवाणी केन्द्र से एफ. एम./विविध भारती प्रसारण सेवा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) और (ख) जबलपुर में स्थित एफ. एम. ट्रांसमीटर चालू करने के कार्य को स्टाफ की मंजूरी न मिलने के कारण स्थगित रखा गया है। सरकार द्वारा इस पर विचार करने से पहले आकाशवाणी महानिदेशालय से जबलपुर में एफ. एम. ट्रांसमीटर के लिए स्टाफ की मंजूरी हेतु प्रसार भारती का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ग) पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव में अन्तर-मंत्रालयीय परामर्श/अनुमोदन अपेक्षित है इसलिए निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं होगा।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

1681. श्री सुरेश चन्देल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को कुल कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी सिंचाई क्षमता सृजित की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित एवं जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 126.3 लाख हैक्टेयर कुल सिंचाई क्षमता सृजित होने की संभावना है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	1996–97		1997–98*		1998–99**	
		सी.एल.ए.		सी.एल.ए.		सी.एल.ए.	
		अनुमोदित	निर्मुक्त	अनुमोदित	निर्मुक्त	अनुमोदित	निर्मुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	70.50	35.25	160.70	74.00	52.17	52.170
2.	असम	10.46	05.23	026.20	12.40	10.950	10.950

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार	27.00	13.50	053.57	14.04	11.875	11.880
4.	गुजरात	101.72	74.7725	321.40	196.90	112.71	112.710
5.	गोवा	00.00	00.00	010.50	05.25	000.00	00.000
6.	हरियाणा	45.00	32.50	030.00	12.00	05.00	00.000
7.	हिमाचल प्रदेश	00.00	00.00	013.00	06.50	00.00	00.000
8.	जम्मू और कश्मीर	02.60	01.30	000.00	00.00	00.00	00.000
9.	कर्नाटक	122.50	61.25	175.00	90.50	61.00	61.000
10.	केरल	05.00	03.75	030.00	15.00	10.00	00.000
11.	मध्य प्रदेश	86.00	63.25	148.00	114.50	54.25	54.000
12.	महाराष्ट्र	28.00	14.00	090.00	55.00	40.305	40.300
13.	मणिपुर	08.60	04.30	026.00	26.00	08.330	00.000
14.	उड़ीसा	92.10	48.45	090.00	85.00	25.000	00.000
15.	पंजाब	90.00	67.50	100.00	100.00	50.000	00.000
16.	राजस्थान	05.35	02.675	111.45	42.00	51.47	51.470
17.	त्रिपुरा	06.67	03.7725	006.00	05.10	09.950	00.000
18.	तमिलनाडु	40.00	20.00	000.00	00.00	00.000	00.000
19.	उत्तर प्रदेश	67.00	43.50	153.00	78.00	46.500	00.000
20.	पश्चिम बंगाल	10.00	05.00	040.00	20.00	10.000	10.000
	कुल	818.50	500.00	1584.82	952.19	556.760	434.730

*वित्त मंत्रालय द्वारा

** नवम्बर, 1998 तक

[अनुवाद]

प्याज का मूल्य नियंत्रित करने में नेफेड की भूमिका

1682. श्री के. येरननायडू : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर भारत में प्याज की आपूर्ति और मूल्य नियंत्रित करने में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) द्वारा क्या भूमिका अदा की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार संगठन को और अधिक उपभोक्ता अनुकूल बनाने के लिए नेफेड के कार्यकरण को चुस्त-दुरुस्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार नेफेड ने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान आदि राज्यों की मंडियों से प्याज की खरीद की और इसे दिल्ली की जनता को बेचने के लिए इसकी आपूर्ति हेतु नामित एजेंसियों को की। नेफेड ने दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को भी उनके अनुरोध पर प्याज की आपूर्ति की। उपर्युक्त कार्रवाई के अंतर्गत दिनांक 2.12.98 की स्थिति के अनुसार नेफेड ने 10,100 मीटरी टन प्याज की आपूर्ति की।

(ख) और (ग) नेफेड का मुख्य उद्देश्य देश में कृषि विपणन को संगठित, प्रोत्साहित तथा विकसित करना है और इसके लिए यह मूल रूप से थोक विपणन कार्यकलापों में संलग्न है।

डाक टिकट बिक्री केन्द्र एकक

1683. श्री एम. राजैया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी पार्टियों को डाक टिकट बिक्री एकक शुरू करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश के हैदराबाद और अन्य शहरों में इस योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) इस समय नई स्कीम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लाइसेंस प्राप्त डाक–टिकट विक्रेता स्कीम पहले ही मौजूद है जिसमें उन व्यक्तियों अथवा फर्मों के माध्यम से डाक–टिकट व डाक लेखन–सामग्री बेची जाती है जिन्हें ऐसा कार्य करने के लिए विभाग द्वारा लाइसेंस दिया जाता है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज

1684. **श्री एम. बागा रेड्डी :**

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पैकेज को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आयात प्रक्रिया को सरल बनाने का भी निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास में कितनी सहायता मिलेगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हां। संबंधित विवरण–संलग्न है।

(ग) से (ङ) जी, हां। वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 16 सितम्बर, 1998 की सार्वजनिक सूचना सं. 41 (आर. टी. ई.–98)/1997–2002 के जरिए एक विशेष अग्रिम लाइसेंसिंग (अनुज्ञापत्र) योजना अधिसूचित की गई है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क मुक्त आयात किया जा सकता है। यहां तक कि उन मामलों में भी जहां मानक इनपुट–आउटपुट प्रक्रिया पहले से तय न हो। इस योजना से इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में महत्त्वपूर्ण बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है।

विवरण

संशोधित आयात–निर्यात नीति, 1997–2002 में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए किए गए उपाय

1. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ई. पी. सी. जी.) के अंतर्गत सॉफ्टवेयर क्षेत्र के लिए शून्य शुल्क की आरम्भिक सीमा 20 करोड़ रुपए से घटाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई तथा हार्डवेयर क्षेत्र के लिए यह 20 करोड़ रुपए से घटाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई।

2. शुल्क पात्रता पास बुक (डी. ई. पी. बी.) के अंतर्गत निर्यात के प्रयोजन से इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र के लिए विशेष आयात लाइसेंस पात्रता शुद्ध विदेशी आय (एन. एफ. ई.) के 15% से बढ़ाकर एन. एफ. ई. के 25% तक कर दी गई है। स्थापना–स्थल पर सॉफ्टवेयर परामर्श–सेवाओं के निर्यात के लिए आई. एस. ओ. क्वालिटी प्रमाणन धारकों को विशेष आयात लाइसेंस के लाभ की अनुमति दी गई है।

3. इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में ई. ओ. यू./ई. पी. जेड./ई. एच. टी. पी. इकाइयों के लिए मूल्य ह्रास सीमा पांच वर्ष की अवधि के लिए 70% से बढ़ाकर 90% कर दी गई है।

4. मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंस के लिए अपेक्षित मूल्य संवर्धन समाप्त कर दिया गया है।

5. इलेक्ट्रॉनिक केल्कुलेटरों, रिकार्ड की गई श्रव्य कैसेटों, दूरसंचार सॉफ्टवेयर और पेजरों पर उत्पाद शुल्क घटा दिया गया है।

6. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा–शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

7. कम्प्यूटरों पर मूल्यहास 60% तक बढ़ा दिया गया है।

8. ई. ओ. यू./ई. पी. जेड./एस. टी. पी./ ई. एच. टी. पी. इकाइयों को उनके द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयात किए गए कम्प्यूटरों को इस्तेमाल दो वर्ष के बाद मान्यता प्राप्त गैर–व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों, पंजीकृत खैराती अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से पोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों को दान देने की अनुमति दी गई है।

9. विशेष आयात लाइसेंस के अंतर्गत किए जाने वाले आयात पर कम्प्यूटर प्रणालियों की मूल्य सीमा 1.5 लाख रुपए से घटाकर 70,000/– रुपए कर दी गई है।

10. 3 करोड़ रुपए तथा इससे ज्यादा पूंजीनिवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माताओं–आयातकर्ताओं, ई. पी. जेड. तथा ई. एच. टी. पी. और एस. टी. पी. में 100% निर्यातोन्मुखी इकाइयों को आयातित वस्तुओं की शीघ्र निकासी की अनुमति दी गई है।

11. इलेक्ट्रॉनिकी तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्र से संबंधित ई. पी. सी. जी.

अनुप्रयोगों पर क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

12. इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों के निर्यात के लिए विशेष अग्रिम लाइसेंस योजना अधिसूचित दी गई है। इस योजना में इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र को निर्यात संबंधी उत्पादन के लिए उपादानों को शुल्क मुक्त उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनमें मानक इनपुट–आउटपुट मानदण्ड पूर्व निर्धारित नहीं हैं।

13. वित्त मंत्रालय ने सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए जी. डी. आर./ए. डी. आर. ये जुड़े स्टॉक विकल्प से संबंधित दिशा–निर्देश जारी किए हैं ताकि उच्च कुशलता वाले उनके सॉफ्टवेयर व्यावसायविदों को अन्यत्र जाने से रोकने की दृष्टि से प्रोत्साहन दिया जा सके।

14. भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए कार्य पूंजी वित्त की मंजूरी के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं।

15. कंपनी कार्य विभाग ने दिनांक 31.10.98 को अध्यादेश जारी किया है जिसमें श्रमसाध्य साम्यपूंजी जारी करने के लिए कंपनी अधिनियम में परिवर्तन किए गए हैं।

प्रतिभा पलायन

1685. प्रो. अजित कुमार मेहता :

श्री मोहन सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों और अभियंताओं के बीच बढ़ रहे असंतोष की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत दो वर्षों के दौरान कितने वैज्ञानिक और अभियंता संगठन छोड़कर चले गए; और

(ग) उनकी शिकायतें दूर करने और प्रतिभा पलायन के खतरे से निपटने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों/इंजीनियरों के बीच कोई असंतोष नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। पिछले दो वर्षों (अक्तूबर 1996 से नवम्बर 1998 तक) के दौरान इसरो से 242 वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने त्याग–पत्र दिया है।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जन शिकायतें

1686. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन शिकायतें एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1996, 1997 और 1998 के दौरान सरकार को कितनी जन शिकायतें मिलीं और कितनी शिकायतों का निपटान किया गया; और

(घ) संबंधित विभागों ने जन–शिकायत के कितने मामले अस्वीकृत किए ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों को इस आशय के मार्ग–दर्शी सिद्धांत जारी किए थे कि वे लोक शिकायतों के निवारण से संबंधित कार्य के लिए समय–सीमा निर्धारित करें। प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 39 मंत्रालयों/विभागों ने ऐसी समय सीमाएं निर्धारित की हैं।

(ग) शिकायतों की प्राप्ति और निपटान से संबंधित आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं और ये नीचे दिये गए हैं :

वर्ष	प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या
1995–96	2,14,516	1,24,957
1996–97	8,71,520	7,38,448
1997–98	7,06,511	4,82,048
1998–99 9/98 तक)	2,90,965	1,97,084

(घ) शिकायतों के निवारण की प्रणाली विकेन्द्रीकृत आधार पर कार्य करती है। अतः अस्वीकृत किये गये मामलों आदि के विवरण अलग–अलग मंत्रालयों/विभागों द्वारा रखे जाते हैं।

विश्व बैंक सहायता

1687. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, आज तक राज्यवार सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को विश्व बैंक और अन्य विदेशी संगठनों से प्रदत्त धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से परियोजना के लिए निधियों का उपयोग

किया जाता है तथा इसके बाद वे उक्त व्यय के लिए दाता अभिकरणों को प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गयी एवं प्रयुक्त निधियों का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	दाता	वर्ष 1996–97 से अगस्त 98 के दौरान उपलब्ध कराई गई एवं प्रयुक्त सहायता की राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1. आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना–III	विश्व बैंक	220.47
		2. कुरनूल कुडप्पा नहर परियोजना	ओ. ई. सी. एफ. जापान	0.01
		3. आंध्र प्रदेश भू–जल परियोजना	नीदरलैंड सरकार	0.90
2.	हरियाणा	1. हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	232.35
3.	कर्नाटक	1. अपर कृष्णा परियोजना चरण–II	विश्व बैंक	59.50
		2. तुंगभद्रा सिंचाई पायलट परियोजना चरण–II	नीदरलैंड सरकार	110.50
4.	केरल	1. केरल सामुदायिक सिंचाई परियोजना	नीदरलैंड सरकार	3.02
		2. केरल लघु सिंचाई परियोजना	ई. ई. सी.	10.70
5.	गुजरात	1. गुजरात में बांधों पर फ्यूजगेट एवं हाइड्रोप्लस	विश्व बैंक	132.33
6.	महाराष्ट्र	1. फसलों के विविधीकरण के लिए जल नियंत्रण प्रणाली संबंधी परियोजना	ई. ई. सी.	26.91
7.	उड़ीसा	1. उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	256.87

1	2	3	4	5
		2. अपर इन्द्रावती सिंचाई परियोजना	ओ. ई. एफ. सी. जापान	40.80
		3. अपर कोलाब सिंचाई परियोजना	–वही–	28.45
		4. रेंगाली सिंचाई परियोजना	–वही–	14.21
		5. लिफ्ट सिंचाई परियोजना	के. एफ. डब्ल्यू. जर्मनी	45.11
		6. लघु सिंचाई परियोजना	ई. ई. सी.	0.43
8.	पंजाब	1. पंजाब सिंचाई एवं जल निकास परियोजना	विश्व बैंक	199.39
9.	राजस्थान	1. लघु सिंचाई परियोजना	के. एफ. डब्ल्यू. जर्मनी	4.04
		2. सिंधमुख एवं नोहर सिंचाई परियोजना	ई. ई. सी.	53.03
10.	तमिलनाडु	1. तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	15.18
		2. टैंक सिंचाई प्रणाली चरण–II का आधुनिकीकरण	ई. ई. सी.	18.24
11.	उत्तर प्रदेश	1. बुंदेलखण्ड एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना	नीदरलैंड सरकार	2.67

नए टेलीफोन एक्सचेंज

1688. श्री डी. एस. अहिरे :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो स्थान–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में कुछ मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण और विस्तार किए जाने का क्या प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1998–99 के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) आधुनिकीकरण किए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है। वर्ष 1998–99 के दौरान राज्य में विस्तार किए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों की सूची संलग्न विवरण–III में दी गई है।

विवरण–I

1998–99 के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों के ब्यौरे

क्र.सं.	एक्सचेंज	प्रस्तावित क्षमता
1	2	3
1.	सवेडी	3000
2.	चमबुट	80
3.	खाडम्बे	80
4.	हीरडगांव	80
5.	करेगांव	80
6.	अमनरवान प्लाट	2000
7.	कुटासा	152
8.	गाधीपुर	152
9.	करडा	152
10.	भामबेरी	152
11.	कस्बे गवहान	80
12.	वसाडी	152
13.	इलोरा	152
14.	चिटेगांव	424
15.	डेहेगांव	80
16.	लोनी	80
17.	गिरावली	80
18.	सकशल पिमपरी	56
19.	आरवी	56
20.	धाबेपौन	80
21.	तिसगांव	80
22.	सतना	80
23.	गोसतखुर्द	80
24.	सन्खाली	184
25.	गणेशपुर	80
26.	अंजेनी बीके	80
27.	धाबा	80
28.	भलेर	80
29.	पचोरा–बारी	80
30.	शिवगे	56
31.	अरावे	80
32.	भामरागढ़	32
33.	येनापुर	80
34.	कोरची	80
35.	जलगांव एम. आई. डी. सी.	3000
36.	फैजपुर	1000
37.	वुकूलनी	80
38.	डभोडी	80
39.	केडरखेड़ा	80
40.	मोहरा	80
41.	कल्याण	2500
42.	वडावली	152
43.	खोडले	152
44.	अम्बरनाथ	2000
45.	नाईगांव	2000
46.	वासाई (पूर्व)	2000
47.	ढोलगरवाडी	80
48.	नरेवाडी	80
49.	लक्ष्मी 1/ई	384
50.	घोटवाडे	80
51.	जोटीबा	80
52.	भाडा	152
53.	मटाला	152
54.	लातूर एम. आई. डी. सी.	2000
55.	सताला	152
56.	कोहाली	184
57.	धमनगांव	184
58.	डोंगरगांव	184

1	2	3
59.	डहेगांव	184
60.	ज्वालागांव	88
61.	मंजराम	88
62.	मोटरगा	88
63.	डभाड	152
64.	तारडा नक्का	4000
65.	शिवरे	184
66.	पिम्पलगांव	80
67.	सतपुर	3000
68.	कोकनगांव	80
69.	क़रहे	80
70.	मालेगांव	424
71.	केशेगांव	56
72.	सरोला	56
73.	पिम्पलडारी	80
74.	भोगांव	80
75.	मूर्ति	80
76.	वाल्की	80
77.	बलेवाडी	2000
78.	धनकवाडी	9000
79.	गोरहे बीके	1000
80.	हडापसर पोर्ट	2000
81.	उत्तम नगर	2000
82.	येरवाडा	3000
83.	नीमगांव सावा	80
84.	मुलथान	80
85.	निमोरे	80
86.	भिरा	152
87.	लिपनीवाने	120
88.	खामगांव	120
89.	भालगांव	56
90.	पालस्पे	1000
91.	पिट्टलवाडी	120
92.	कोलम्बे	80
93.	कोटलुक	80
94.	तिसांगी	80
95.	मजगांव	80
96.	सोमेस्वर	80
97.	करजुवे	80
98.	धावली	80
99.	कुपवाड	1000
100.	करहार	80
101.	अम्भेरी	80
102.	राजवाडी	3000
103.	सज्जमगढ़	80
104.	अरेव	184
105.	मुटाट	184
106.	ओटवाने	184
107.	सालगर	152
108.	मल्लोली	152
109.	पटखाल	152
110.	सवलेस्वर	152
111.	सोनारा	80
112.	कन्नमवार ग्राम	80
113.	सिन्डोला	80
114.	सीता सी. पी. आई.	250
115.	कालबा देवी	10000
116.	मजगांव–2	6000
117.	वडाला टी. टी. एम. एल.	500
118.	प्रभादेवी–1	10000
119.	कुररी रोड	10000
120.	सिटि बैंक	500

1	2	3
121.	आई. सी. आई. सी. आई.	500
122.	टी. एम. एल. आई. ए.	1000
123.	वेरसोवा–2	5000
124.	खार–2	4000
125.	कलीना	14000
126.	जुह डी. एन. डी.	10000
127.	परोल–1	10000
128.	इंटरनेशनल एयरपोर्ट	2000
129.	भयांडेर	22000
130.	दहीसर	9250
131.	कांडीवली–5	4000
132.	मुध आई. एल. एल.	1000
133.	बारक	500
134.	बी. पी. सी. एल.	500
135.	एल. एंड टी. पोवाई	1000
136.	घाटकोपर–I	
137.	सीता ई. एस. टी.	7000
138.	हिंग लेन	7000
139.	कुरला (जी. के. पी.)	8000
140.	मुलंद–5	3000
141.	डब्ल्यू. ई. एस. टी.–1	10000
142.	चराई–3	10000
143.	डब्ल्यू. ई. एस. टी.–2	3000
144.	मुम्ब्रा	3000
145.	दीवा	250
146.	भनडप	15000
147.	घोर	6000
148.	कालवा	8000
149.	वाशी–1	21000
150.	वाशी–2	3000
151.	वी. एस. एच. एस. टी. एन.	1000
152.	कोपर्खेर	5000
153.	महापे	500

विवरण–II

I. 1998–99 के दौरान आधुनिकीकरण किए जाने वाले प्रस्तावित मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे

क्र.सं.	एक्सचेंज	क्षमता
1	2	3
1.	अहमद नगर	3000
2.	संगमनेर	1000
3.	जलगांव	6900
4.	डोम्बीविलि	7000
5.	लातूर	4000
6.	नादेड़	4200
7.	नासिक रोड	5400
8.	पुणे–एच. एच. एस.–I	6500
9.	सांगली	4000
10.	शोलापुर	9600
11.	मुंबई–विलेपारले–I	12500
12.	संगमनेर	500
13.	अकोला	6300
14.	वडनेर	500
15.	नासिक सिटि	9200
16.	सतारा	3900
17.	मुंबई–वडाला–I	8000
18.	मुंबई–मुलंद–I	15000
		107500

कृपया ध्यान दें : क्रम संख्या 1 से 11 पर दिए एक्सचेंजों का पहले से ही आधुनिकीकरण किया जा चुका है।

II. 1999–2000 के दौरान आधुनिकीकरण किए जाने वाले प्रस्तावित मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे

क्रम सं.	एक्सचेंज	क्षमता अभ्यक्तियां
1	2	3
1.	अमरावती	7200
2.	भिवांडी	8000

1	2	3
3.	उल्हासनगर	10000
4.	चन्द्रपुर–एम. आई. डी. सी.	400
5.	धुले	7000
6.	मालेगांव	4200
7.	इचलकरंजी	5200
8.	पुणे–एम. एच. एस.–I	3500
		45500

विवरण–III

1998–99 के दौरान विस्तार की जाने वाली प्रस्तावित एक्सचैंजों के ब्यौरे

क्र.सं.	एक्सचेंज	नियोजित क्षमता
1	2	3
1.	दिगराम (अकोली)	424
2.	करजात (पाथरदी)	424
3.	रहाता	576
4.	श्री गोंडा	576
5.	बारगांव नंदूर (पाथरदी)	296
6.	देलाली परावरी	424
7.	कोपरगांव	3000
8.	रहाता (पाथरदी)	576
9.	रशिन	384
10.	श्री रामपुर	500
11.	अहमद नगर	2500
12.	अहमद नगर (एम. आई. डी. सी.)	1000
13.	केडगांव	1000
14.	संगमनेर	576
15.	राहुरी	2000
16.	बरशीटकली	192
17.	मंगरूलपीर	704
18.	रिसोड	1000
19.	तेलहारा	1000
20.	अकोला	4000
21.	अकोट	2500
22.	वासिम	2500
23.	अमरावती	1000
24.	चंदूर रली	424
25.	नानगांव (के. एच.)	296
26.	नांनगांव पेठ	360
27.	वरूद	400
28.	बदनेरा	1000
29.	अचलापुर	2500
30.	जैकवाडी (लसूर)	1000
31.	हटलूर	384
32.	वैजापुर	1000
33.	सिल्लौड	400
34.	धरौर	1000
35.	शीरूर	384
36.	बीड	1000
37.	कादा	296
38.	अम्बीजीगई	2500
39.	पार्ली	2500
40.	ए. मोरगांव (जे. नगर)	296
41.	जे. नगर	704
42.	सालेकासा	184
43.	जवाहर नगर (गोरेगांव)	1000
44.	गोंडिया	1000
45.	बांद्रा	500
46.	तुमसार	2000
47.	देवलगांव राजा	384
48.	देवलगांव राजा	424
49.	देवलगांव राजा	184

1	2	3
50.	खामगाव	3500
51.	खामगांव एम. आई. डी. सी.	424
52.	खामगांव	600
53.	चिकली	384
54.	लुनार	424
55.	नंदुरा	600
56.	मलकापुर	500
57.	बुलदाना	2500
58.	बेम्बाल	184
59.	सीमेंट नगर	576
60.	भद्रावती (अरमोरी)	296
61.	चंद्रापुर	6000
62.	मंजरी (सिंदीवाही)	296
63.	बल्लारपुर	500
64.	चंद्रापुर–एम. आई. डी. सी.	1000
65.	ऊर्जा नगर	1000
66.	धुले–I	1200
67.	धुले–I	2000
68.	नंदुरबार	2500
69.	शिरपुर	2000
70.	डोंडैचा	2000
71.	गडचीरोली	2000
72.	गडचीरोली	400
73.	कुरखेड़ा	296
74.	भुसावल	32
75.	जल गांव	1000
76.	जलगांव आर. एल. यू.	1500
77.	बारंगांव (अदीलाबाद)	1000
78.	भदगांव	1000
79.	परोला	1000
80.	बारगांव	576
81.	पालधी	360
82.	जलगांव	7000
83.	अम्बाड	1000
84.	बस्सीन बेस्ट	7500
85.	बनेशपुरी	296
86.	जवाहर	684
87.	मंकोली	1000
88.	नल्लोसपोरा	6000
89.	उल्हासनगर–केम्प 3	4000
90.	उल्हास नगर–केम्प	4000
91.	वाशिंद	560
92.	विरार	6000
93.	वालिव	2000
94.	अनगांव	276
95.	अटगांव	696
96.	उल्हास नगर–केम्प 123	2000
97.	चारटी	324
98.	कुदूस	576
99.	कुदूस	328
100.	कोपर	2000
101.	उल्हास नगर	4000
102.	दत्तावाड	296
103.	कालम्बा	500
104.	कुरूदवाड	592
105.	वारनानगर	400
106.	बीड	296
107.	दंगली	296
108.	हलकार्नी	296
109.	हेरली	328
110.	राणाकल्ला	2000
111.	शिरोली	1000

1	2	3
112.	रूकाडी	328
113.	जयसिंह पुर	3000
114.	गांधीनगर	1500
115.	कालम्बा	1500
116.	उदगीर	1000
117.	उदगीर	2500
118.	लातूर	4000
119.	औराड (एस.)	1000
120.	नीलांगा	1400
121.	रेनापुर	360
122.	हीगना–एम. आई. डी. सी.	5000
123.	कुही (कनहान)	296
124.	भीवापुर डब्ल्यू. सी. एल. कंदरी)	328
125.	कलामना	500
126.	कम्पटी	500
127.	खामला	500
128.	नारी	1600
129.	माहल	1500
130.	कलमेश्वर	1000
131.	कोंदाली	384
132.	साकरघाटा	5000
133.	नंदेड	4000
134.	नंदेड़–एम. आई. डी. सी.	2000
135.	स्नेह नगर	1000
136.	नंदेड	3000
137.	भोकर	1400
138.	अर्धापुर	360
139.	लोहा	360
140.	नासिक रोड	3000
141.	नासिक सिटी	9000
142.	नासिक रोड	2500
143.	ओजार	2500
144.	पिम्पलगांव	3000
145.	लसलागांव	2500
146.	मनमाड	2500
147.	येअला	2000
148.	नासिक कन्नडा कार्नर	500
149.	नासिक कन्नडा कार्नर	2000
150.	नासिक–सी. आई. डी. सी. ओ.	5250
151.	नासिक रोड़	500
152.	पंचवटी	1000
153.	मुसलागांव (उत्तर पूर्व)	360
154.	दिओलाली	500
155.	रावंलगांव	296
156.	ट्रिम्बक	1000
157.	उपनगर	1000
158.	उसमानाबाद	500
159.	कलिअस	1000
160.	ओमानो	1000
161.	तेरनानागन	424
162.	वाशिम	360
163.	जिन्तूर	1000
164.	परभानी–एम. आई. डी. सी.	1000
165.	येलडारी	384
166.	परभानी	500
167.	पथरी	360
168.	सेलू	400
169.	हिंगोली	2000
170.	पुणे–शिवाजी नगर	12000
171.	पुणे–आनंद नगर	5000
172.	पुणे चिंचवाड	1000
173.	डॉड	2500

1	2	3
174.	पूणे–करकी	1000
175.	चक्कन	2000
176.	नारायण गांव	2000
177.	पूणे–सीटी	3000
178.	आला	296
179.	आला	704
180.	पुणे–औंध	5000
181.	बारामी	2500
182.	बारामती एम. आई. डी. सी.	1000
183.	पुणे–भोसारी	4000
184.	पुणे–कैंटोनमेंट	2900
185.	पुणे–चिंचवाडा	3000
186.	पुणे–हडपसर	200
187.	पुणे किरकी	1000
188.	पुणे–एम. एच. एस.–II	3000
189.	पुणे–एम. के. आर.–II	1000
190.	पुणे–मॉडल कॉलोनी	2600
191.	पुणे–सुकरवरपेथ	558
192.	पुणे–येरवाड़ा	5000
193.	पुणे–सिटी	2000
194.	पुणे–देहू रोड	700
195.	पुणे–लोनी	1000
196.	माले गांव	1000
197.	नीरा	424
198.	ससवाड़	500
199.	तालेगांव दालमधारे	296
200.	पुणे–लाले गांव	1000
201.	वारावंड (पटस)	296
202.	पुणे–चिंचवाडा	3000
203.	इंडापुर	400
204.	कुरकुंभ	360
205.	लोनोवाला	1000
206.	नसरापुर	360
207.	पटस	360
208.	बी. एम. अलीबांग	1000
209.	बोरली–पंचायत	768
210.	दिओरूख (मोरवा)	1000
211.	घाटव	768
212.	आई. पी. सी. एल.	400
213.	मनगांव	400
214.	श्री वर्धन	400
215.	थाल	384
216.	नंदगांव (मुरूद)	424
217.	बीरवाड़ी	360
218.	चिरनेर	296
219.	खोपोली	1000
220.	निजामपुर	360
221.	पटलगंगा	1000
222.	पेन	1000
223.	रोहा	400
224.	अलीबाग	8000
225.	पोयनाद	2000
226.	रेवडंडा	2000
227.	थाल	2000
228.	राजपुर	872
229.	मंडनगढ़	296
230.	सवरदा	296
231.	चिपलन	8000
232.	लोनी–पीटी	2000
233.	पपीली	2000
234.	खेड़	2000
235.	कैंवलपुर	576

1	2	3
236.	किरलोस्करवाड़ी	400
237.	कूपवाड़ टाउन	600
238.	महईसल	384
239.	पलस	1000
240.	अंखलकोप	1000
241.	कासेगांव	296
242.	कुंडल	296
243.	इस्लामपुर	1250
244.	इस्लामपुर–II	2000
245.	संगोली–मार्किट यार्ड	2000
246.	संगोली	4000
247.	दहीवाड़ी	1000
248.	कोरेगांव	400
249.	फॉलटन	500
250.	फॉलटन	576
251.	सुकुर	1000
252.	बेलावाड़े (के. आर. डी. एम. आई. डी. सी.)	296
253.	कोयनानगर	296
254.	वादर स्टेशन	296
255.	देवगढ़	1000
256.	फोन्डाघाट	360
257.	कुड़ाल	2000
258.	जेयूर	296
259.	शोलापुर	5500
260.	सोलापुर	1500
261.	अकलुज	2000
262.	भूगांव	360
263.	सेवाग्राम	600
264.	करांजिया	296
265.	सेल्को	296
266.	पुसाड़	2000
267.	वानी	2000
268.	रेलेगांव	384
269.	लोहारा	296
270.	नेर	1000
271.	यिटमाल	1000
272.	मुम्बई–कुफेपाड़े	4000
273.	मुम्बई–कोऑपरेज–1	5000
274.	मुम्बई–फाउंटेन–4	2000
275.	मुम्बई–कोऑपरेज–6	3000
276.	मुम्बई–कालकादेवी (सी. टी. आई.)	2000
277.	मुम्बई–गमदेवी–I	2000
278.	मुम्बई–मजगांव–I	1000
279.	मुम्बई–गमदेवी–31 सी. एन. ई. जे.	2000
280.	मुम्बई–बायकुल्ला–I	4000
281.	मुम्बई–बोर्ला–2	5000
282.	मुम्बई–बोर्ला–3	3000
283.	मुम्बई–प्रभादेवी (आर. एस. यू.+सी. एन. ई.)	2000
284.	मुम्बई–शिवाजी पार्क	2000
285.	मुम्बई–बादला–3	13000
286.	मुम्बई–शाइन–1	4000
287.	मुम्बई–शाइन–2	3500
288.	मुम्बई–बांद्रा–2	3000
289.	मुम्बई–बांद्रा–3 + सी. एन. ई.	3256
290.	मुम्बई–बी. डी. आर.–के. आर. एल. कैम्प	8000
291.	मुम्बई–खार	2000
292.	मुम्बई–वाइल पर्ल–3	3000
293.	मुम्बई–वाइल पर्ल–4	12500
294.	मुम्बई–वर्सोवा – आर. डी. एल. सी.	6000
295.	मुम्बई–वरसोवा–2	3000
296	मुम्बई–गोरेगांव–2 + सी. एन. ई.	5000
297.	मुम्बई–गोकुलधाम	112

1	2	3
298.	मुम्बई गोरे गांव–2	8000
299.	मुम्बई सीपज	1000
300.	मुम्बई चारकोप–2	1000
301.	मुम्बई बोरीवाली–1	7500
302.	मुम्बई भयंडर (डब्ल्यू.) आर. डी. एल. सी.	1500
303.	मुम्बई भयंडर (ई) आर. डी. एल. सी.	11000
304.	मुम्बई समता नगर	5000
305.	मुम्बई मीरा रोड	3000
306.	मुम्बई–मलद–2	5000
307.	मुम्बई शिम्पोली	1000
308.	मुम्बई भयंडर (डब्ल्यू.)	6000
309.	मुम्बई समता नगर	2000
310.	मुम्बई दहीसर	5000
311.	मुम्बई मीरा रोड	2000
312.	मुम्बई मनखुर्द–2	500
313.	मुम्बई मनखुर्द–3 + आर. एस. यू.	3000
314.	मुम्बई चेम्बूर	6250
315.	मुम्बई –जी. एच. पी.–4	2000
316.	मुम्बई गोजरेज	2000
317.	मुम्बई पोवई	4000
318.	मुम्बई नित्यानंद नगर	1000
319.	मुम्बई चेराई–1	1000
320.	मुम्बई बागले स्टेट–1	15000
321.	मुम्बई मुलंद–5	13000
322.	मुम्बई पंचपखाड़ी	500
323.	मुम्बई मुंद्रा	3000
324.	मुम्बई वाशी	1000
325.	मुम्बई टरभे–2 + सी. एन. ई.	2000
326.	मुम्बई बेलापुर	2000
327.	मुम्बई रावले	2000
328.	मुम्बई पनवेल	3000
329.	मुम्बई कलम बोली आर. एस. यू. + सी. एन. ई.	1000
330.	मुम्बई उरन	1000
331.	मुम्बई नेरूल आर. एस. यू. + सी. एन. ई.	4250
332.	मुम्बई वशी सेक्टर–7	1000
333.	मुम्बई शिवा	250
334.	मुम्बई तलोजा	1000

कम शक्ति के ट्रांसमीटर पर पूर्णकालिक कार्यक्रम

1689. श्री एन. डेनिस : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्तण्डोम और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोग तमिलनाडु में मार्तण्डोम, कन्याकुमारी स्थित कम शक्ति के ट्रांसमिशन केन्द्र के द्वारा पूर्णकालिक कार्यक्रमों के पारेषण की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न कम शक्ति के ट्रांसमिशन केन्द्रों द्वारा पूर्णकालिक कार्यक्रमों का पारेषण करने का है;

(घ) यदि हां, इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) जी, हां।

(ख) श्री एन. डेनिस संसद सदस्य द्वारा लोक सभा में दिनांक 1.6.98 को पूछे गए संसद प्रश्न के अलावा, अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, मार्तण्डोम से पूर्ण प्रसारण कराने के लिए विभिन्न भागों से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) पूर्णकालिक कार्यक्रमों जैसी सुविधाएं न रखने वाले अल्प शक्ति ट्रांसमीटर केन्द्रों में इन सुविधाओं का प्रावधान, इन केन्द्रों में पूर्ण स्टॉफ की स्वीकृति एवं तैनाती से संबद्ध है। कन्याकुमारी जिले में मार्टण्डोम सहित इन केन्द्रों में अपेक्षित स्टॉफ की स्वीकृति एवं तैनाती एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन निश्चित समय–सीमा बताना संभव नहीं है।

राष्ट्रीय नीति

1690. श्री अजय चक्रवर्ती :

डॉ. रवि मल्लू :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई राष्ट्रीय डाक नीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 में क्या परिवर्तन किए जाने हैं;

(ग) क्या वर्तमान नीति अत्यधिक प्रतिबंधित है क्योंकि सरकार का 2 किलो वजन तक के पत्र के वितरण में एकाधिकार है;

(घ) इस अधिनियम को संशोधित किए जाने के संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इस क्षेत्र में निजी कोरियर सेवा के कारण सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो नई डाक नीति किस हद तक ऐसी कार्य प्रणालियों पर रोक लगाने में समर्थ होगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डाक नीति के मसौदे पर इस समय सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। प्रौद्योगिकीय विकास तथा नई उदारीकरण नीति और विश्व भर में डाक परिदृश्य में हो रहे गुणात्मक परिवर्तनों के संदर्भ में भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 में संशोधन करने की कार्रवाई आरम्भ की गई है और यह अपने अंतिम चरण में है।

(ग) जी, हां। डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का अनन्य विशेषाधिकार केन्द्रीय सरकार का है और यह विशेषाधिकार केवल 2 किग्रा. तक के भार वाले पत्रों के संबंध में है।

(घ) हालांकि, इस संबंध में निर्धारित समय–सीमा का उल्लेख करना तो संभव नहीं कि अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी, तथापि इन संशोधनों के यथाशीघ्र अधिनियम के उद्देश्य से इस मामले पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) और (च) प्राइवेट कुरिअर, दस्तावेजों और पार्सलों की हैंडलिंग में लगे हुए हैं और भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के अनुसार पत्रों को लाने–ले–जाने पर सरकार के एकाधिकार को देखते हुए प्राइवेट कुरिअर पत्रों की ढुलाई का कार्य नहीं कर सकते। अतिरिक्त संसाधन जुटाने और प्राइवेट कुरिअर सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए विभाग स्पीड पोस्ट सेवा तथा अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं का विस्तार और उन्नयन करने का प्रयास कर रहा है।

गोकुल ग्राम योजना

1691. डॉ. वल्लभभाई कथीरिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से गोकुल ग्राम योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि आबंटित किए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कितना आबंटन किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस योजना को अन्य राज्यों में भी लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार ने गोकुल ग्राम योजना की स्कीम को अपनी वार्षिक योजना 1998–99 में शामिल कर लिया है। इस स्कीम का उद्देश्य, पांच वर्ष की समय–सीमा में सभी गांवों को बुनियादी आधार संरचना उपलब्ध कराना है। स्कीम के अंतर्गत 12 कार्यकलापों का चयन किया गया है। जिसमें सभी मौसमों के लिए अनुकूल सड़क, पेयजल, स्नान घाटों सहित गांव में तालाबों का निर्माण, मौजूदा तालाबों का पुनरुद्धार, सामुदायिक शौचालय, गांव की सफाई के लिए शोषक गर्त तथा शोषक कुएं, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भवन, सामुदायिक भवन, सामुदायिक वर्कशैड्स, ग्रामीण वानिकीकरण तथा विद्युतीकरण आदि शामिल हैं। वार्षिक योजना 1998–99 के लिए राज्य सरकार ने 10932 गांवों को शामिल करने के लिए 150 करोड़ रुपए का आबंटन किया है। योजना आयोग ने वार्षिक योजना 1998–99 के लिए इस स्कीम हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में 21 करोड़ रुपए मुहैया कराने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

किसानों से मुखखुरी फीस

1692. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशुपालकों से पशुओं को मुखखुरी इंजेक्शन देने के लिए कुल कितनी फीस ली जाती है;

(ख) क्या केन्द्र और राज्य सरकार इस इंजेक्शन के लिए अनुदान देती हैं;

(ग) क्या इसके बावजूद गरीब किसान कई बार पशुओं को लगाए जाने वाले इस इंजेक्शन का मूल्य देने में असमर्थ हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र और राज्य सरकारों का विचार इस इंजेक्शन की कुल लागत को वहन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) टीके का 50 प्रतिशत शुल्क "खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन पशु प्रजनकों से वसूल किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी निवेश

1693. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई महत्त्वपूर्ण नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस उपाय किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन नीति की कब तक घोषणा किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उदार नीति की पहले से ही घोषणा कर दी है जो इस प्रकार है

(i) दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण क्षेत्र में 51 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी के स्वतः आधार पर भागीदारी तथा विशेष अनुमोदन के जरिए 51 प्रतिशत से अधिक की विदेशी इक्विटी।

(ii) बुनियादी टेलीफोन सेवाओं में 49 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की भागीदारी की अनुमति दी गई है।

(iii) स्टोर और फॉरवार्ड, स्टोर और रीट्रीन सेवाओं सहित ई–मेल, वॉयसमेल, ऑन लाइन इनफोरमेशन तथा डाटा रीट्रीवल, ऑन लाइन इनफोरमेशन और/अथवा डाटा प्रोसेसिंग एनहांस्ड/वेल्यू ऐडेड फेसिमाइल में 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति दी गई है।

(iv) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन, रेडियो, पेजिंग वी–सेट, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन्स, रेडियो ट्रंकिंग, इंटरनेट आदि में 49 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति है।

(v) दूरसंचार क्षेत्र में निवेश के लिए स्थापित निवेश कंपनियों में 49 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति है। लाइसेंसधारक कंपनी में इन कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को घरेलू इक्विटी का भाग माना जाएगा और इसकी गणना "कुल विदेशी इक्विटी" के तहत नहीं की जाएगी।

(vi) बाह्य वाणिज्यिक ऋणों (ई. सी. वी.) की सीमा को बढ़ाकर परियोजना लागत वो 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंटरनेट सेवाएं

1694. डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड का महाराष्ट्र विशेषरूप से छोटे नगरों में इंटरनेट सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने की दृष्टि से अतिरिक्त रूट्स स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ये रूट्स कब तक स्थापित किए जाएंगे;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा उक्त व्यवस्था होने तक इंटरनेट सेवाओं के लिए एस. टी. डी. लाइनों पर शुल्क मुक्त उपलब्धता कराने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरसंचार विभाग द्वारा स्वयं अतिरिक्त नोड स्थापित किए जा रहे हैं। कोल्हापुर, कल्याण, भिवानी, जलगांव तथा नांदेड़ में दूरसंचार विभाग के इंटरनेट नोडों के शीघ्र ही चालू हो जाने की संभावना है। नासिक, नागपुर तथा औरंगाबाद में दूरसंचार विभाग के इंटरनेट नोड पहले ही काम कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने निकटतम नोड तक एस. टी. डी. प्रभार के बजाय स्थानीय कॉल आधार पर संपर्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

दूरदर्शन/आकाशवाणी में कर्मचारियों की भर्ती

1695. श्री वी. धनंजय कुमार :

श्री जुआल उराम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए तकनीकी और अन्य कर्मचारियों की नई भर्ती का मामला काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या तकनीकी और अन्य कर्मचारियों की कमी के कारण कई दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा सही ढंग से कार्य करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती के लिए कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के परिणामस्वरूप इंजीनियरी सहायकों के वेतनमान में संशोधन के फलस्वरूप संवर्ग पुनर्रचना एवं वेतनमान में विसंगतियों संबंधी समस्याओं के कारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधीनस्थ इंजीनियरी संवर्गों के तकनीकी पदों पर वर्ष 1995 के बाद नियुक्ति नहीं की जा सकी।

(ख) जी, नहीं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र स्टाफ संबंधी समस्याओं के बावजूद सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। तथापि, स्टाफ की कमी के कारण कुछ ट्रांसमीटर केवल अंशकालिक प्रसारण कर रहे हैं। स्टाफ संबंधी स्वीकृतियां लंबित होने के कारण तकनीकी रूप से तैयार कुछ दूरदर्शन ट्रासमीटरों एवं आकाशवाणी केन्द्रों को चालू नहीं किया जा सका।

(ग) रिक्तियों को भरने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना पर पहले ही कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

अनुसंधान केन्द्र

1696. श्री अशोक प्रधान :

श्रीमती कमल रानी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थित अनुसंधान परिषदों, अनुसंधान केन्द्रों और परियोजनाओं के नाम और वे कहां–कहां पर स्थित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र–वार और परियोजना–वार खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन अनुसंधान केन्द्रों की क्या उपलब्धि रही और इन अनुसंधानों का राज्यों के कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) महोदय, उत्तर प्रदेश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कार्यरत अनुसंधान केन्द्रों तथा प्रायोजनाओं के नाम तथा स्थान संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन अनुसंधान केन्द्रों/प्रायोजनाओं आदि पर किए गए खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) इन अनुसंधान केन्द्रों/प्रायोजनाओं आदि की उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है। स्थिरता के आधार पर संपूर्ण उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने में इन अनुसंधान उपलब्धियों का प्रभाव बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है।

विवरण–I

उत्तर प्रदेश में संस्थानों तथा राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों को अनुदानों को जारी करने के संबंध में ब्यौरा

	(रु. लाख में) 3 वर्षों के लिए कुल* 1995-98	
	योजना	गैर योजना
1	2	3
केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण अनु. एवं प्रशि. संस्थान, देहरादून	484.79	1682.33
भा. चारागाह एवं अनु. संस्थान, झांसी	320.41	1434.39
विवे. पर्व. कृ. अनु. शाला, अल्मोड़ा	295.00	382.93
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	266.58	1011.16
भारतीय पशु चिकित्सा अनु. संस्थान, इज्जतनगर	1281.06	5579.77
केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान, लखनऊ	454.99	581.58

1	2	3
राष्ट्रीय मछली अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ	953.39	153.50
केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम	417.16	553.12
केन्द्रीय पक्षी अनु. संस्थान, इज्जतनगर	334.31	730.09
भारतीय दल. अनु. संस्थान, कानपुर	448.81	568.74
रा. अनु. केन्द्र–कृषि वानिकी, झांसी	291.11	116.44
रा. अनु. केन्द्र–शीत जल मात्स्यिकी, भीमताल	99.66	95.95
प्रायो. निदे. मवेशी, मेरठ	455.33	126.62
प्रायो. निदे. सब्जी, वाराणसी	846.05	77.13
प्रायो. निदे. फसल प्रणाली अनु. मोदीपुरम	410.28	182.59
अ. भा. स. अनु. प्रा., फसल प्रणाली अनुसंधान	32.52	
अ. भा. स. अनु. प्रा., बारानी	1012.00	
अ. भा. स. अनु. प्रा., कृषि मौसम विज्ञान	26.15	
अ. भा. स. अनु. प्रा., खरपतवार नियंत्रण	30.44	
अ. भा. स. अनु. प्रा., सूक्ष्म जीव विज्ञान अपघटन	4.40	
अ. भा. स. अनु. प्रा., सूक्ष्म तथा गौण पोषक तत्त्व	24.62	
अ. भा. स. अनु. प्रा., दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण	5.67	
अ. भा. स. अनु. प्रा., मृदा जांच फसल सह–संबंध	13.53	
अ. भा. स. अनु. प्रा., सेब स्केब, पंतनगर	5.46	
अ. भा. स. अनु. प्रा., उपोष्ण फल, पंतनगर	8.81	
अ. भा. स. अनु. प्रा., सब्जी, पंतनगर	9.04	
अ. भा. स. अनु. प्रा., राष्ट्रीय बीज, पंतनगर	5.81	
अ. भा. स. अनु. प्रा., आलू, पंतनगर	13.62	
अ. भा. स. अनु. प्रा., खूम्बी, पंतनगर	8.01	
अ. भा. स. अनु. प्रा., सूक्ष्म क्षेत्र फल, फैजाबाद	12.65	
अ. भा. स. अनु. प्रा., चिकित्सा तथा संगधीय, फैजाबाद	18.02	

1	2	3
अ. भा. स. अनु. प्रा., मसाले, कुमारगंज	5.60	
अ. भा. स. अनु. प्रा., सब्जी, फैजाबाद	6.78	
अ. भा. स. अनु. प्रा., आलू, फैजाबाद	9.76	
अ. भा. स. अनु. प्रा., खूम्बी, फैजाबाद	8.58	
अ. भा. स. अनु. प्रा., कंदवर्गीय फसल, फैजाबाद	4.06	
अ. भा. स. अनु. प्रा., सब्जी, कानपुर	8.54	
अ. भा. स. अनु. प्रा., राष्ट्रीय बीज, कानपुर	11.72	
अ. भा. स. अनु. प्रा., ऊर्जा नवीनीकरण, पंतनगर	17.71	
अ. भा. स. अनु. प्रा., फार्म उपकरण मशीनरी, इलाहाबाद	13.69	
अ. भा. स. अनु. प्रा., गुड़ तथा खांडसारी, पंतनगर	8.31	
अ. भा. स. अनु. प्रा., फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	12.43	
अ. भा. स. अनु. प्रा., पावर टिलर, फैजाबाद	17.26	
अ. भा. स. अनु. प्रा., नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत, पंतनगर	10.62	
अ. भा. स. अनु. प्रा., पशु ऊर्जा का उपयोग, इलाहाबाद	27.75	
अ. भा. स. अनु. प्रा., अरहर, वाराणसी	49.16	
अ. भा. स. अनु. प्रा., चना, कानपुर	34.98	
अ. भा. स. अनु. प्रा., मूंगफली, मैनपुरी	8.35	
अ. भा. स. अनु. प्रा., तोरिया तथा सरसों, कानपुर, वाराणसी पंतनगर, फैजाबाद	47.39	
अ. भा. स. अनु. प्रा., मुलार्प, पंतनगर/फैजाबाद	75.66	
अ. भा. स. अनु. प्रा., सोयाबीन, पंतनगर	12.01	
अ. भा. स. अनु. प्रा., तिलहन/कानपुर/ मुरानीपुर/फैजाबाद/मैनपुरी	93.40	

1	2	3
अ. भा. स. अनु. प्रा., गन्ना, पंतनगर/ शाहजहांपुर	20.38	
अ. भा. स. अनु. प्रा., कपास, मथुरा	15.11	
अ. भा. स. अनु. प्रा., पटसन और संबद्ध रेशा, बहराइच	15.77	
अ. भा. स. अनु. प्रा., तम्बाकू, सराईमिरान	3.93	
अ. भा. स. अनु. प्रा., चावल, फैजाबाद/ पंतनगर/कानपुर/बनारस/गोदरा, गोदराघाट	99.05	
अ. भा. स. अनु. प्रा., गेहूं, फैजाबाद/ कानपुर/पंतनगर/बनारस	111.46	
अ. भा. स. अनु. प्रा., मक्का औली/कानपुर/ बहराइच/पंतनगर/बुलंदशहर	87.02	
अ. भा. स. अनु. प्रा., ज्वार, पंतनगर और मुरानीपुर	37.74	
अ. भा. स. अनु. प्रा., जौ, कानपुर/फैजाबाद/ बनारस	49.23	
अ. भा. स. अनु. प्रा., छोटे–छोटे अनाज, रानीचौरी	11.17	
अ. भा. स. अनु. प्रा., अप्रयुक्त और अल्पयुक्त पौध, फैजाबाद	3.49	
अ. भा. स. अनु. प्रा., चारा, फैजाबाद/पंतनगर	20.78	
अ. भा. स. अनु. प्रा., आर. एण्ड डी. एफोर्टस इन हाईब्रिज पंतनगर/कानपुर/ अल्मोड़ा/फैजाबाद	57.91	
अ. भा. स. अनु. प्रा., प्रजनक बीज उत्पान, कानपुर/पंतनगर/मैनपुरी	21.40	
अ. भा. स. अनु. प्रा., राष्ट्रीय बीज, बनारस/कानपुर/पंतनगर/अल्मोड़ा/झांसी	165.16	
अ. भा. स. अनु. प्रा., सफैद सुंडी, पंतनगर	6.49	
अ. भा. स. अनु. प्रा., मधुमक्खी, पंतनगर	7.34	
अ. भा. स. अनु. प्रा., जैविक नियंत्रण, पंतनगर	7.07	
अ. भा. स. अनु. प्रा., गोलकृमि, कानपुर	3.43	
अ. भा. स. अनु. प्रा., कीटनाशी अवशेष, कानपुर	10.68	
अ. भा. स. अनु. प्रा., कृषि एकोनॉमी के. प्र. शि. सं., प्रशिक्षण केन्द्र, चिन्हट, लखनऊ	70.95	
कृषि विज्ञान केन्द्र		
शाहजहांपुर	35.02	
पिथौरागढ़	54.30	
टिहरी गढ़वाल	54.37	
बिजनौर	61.46	
सहारनपुर	40.20	
बदायूं	80.65	
गाजियाबाद	54.51	
रामपुर	64.05	
बहराइच	50.97	
बलिया	42.35	
मऊ	61.95	
बनारस	40.10	
बस्ती	66.42	
झांसी	43.30	
मथुरा	46.77	
रायबरेली	28.25	
फतेहपुर	39.80	
अलीगढ़	47.25	
लखनऊ	43.85	
मुजफ्फरनगर	63.16	
सुल्तानपुर	58.11	
एटा	87.26	
गौंडा	62.95	

1	2	3
बांदा	54.06	
इलाहाबाद	77.48	
सिद्धार्थनगर	56.99	
हस्तीनापुर	54.66	
इज्जतनगर	69.60	
कुल	11476.50	13276.34

एन. आर. सी.–राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र पी. डी.–प्रागोजना निदेशालय

ए. आई. सी. आर. पी.–अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना

विवरण–II

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियां

दालें– चने की तीन नई किस्में (डी. सी. पी. 92–3, करनाल चना 1–1 तथा डब्ल्यू सी. जी.–1), अरहर की दो किस्में (एच. 82–1 व सरिता), उड़द की चार किस्में (के. यू.–301, यू. जी.–218, एल. बी. जी.–648, वंबन–2) पांच किस्में अन्य दलहनी फसलों की (मूंग की एक किस्म–पंत मूंगबी–4, दो मसूर की किस्में डी. पी. एल. 62 व डब्ल्यू बी. एल. 58, लेथाइरस की एक किस्म बायो एल.–212 तथा गोल मटर की एक किस्म (एच. एफ. पी. 8712) जारी की गई तथा कृषि के लिए अधिसूचित की गई। अरहर की एक नई संकर किस्म को जारी करने से पूर्व गुणन के लिए पहचाना गया। कृषि के लिए जारी की गई अधिकतर किस्में प्रमुख रोगों की प्रतिरोधी हैं जिनसे गंभीर रोग समस्याओं के संक्रमण से फसल की सुरक्षा हो सकती है।

चने की पछेती फसल के मामले में खरपतवार के कारगर प्रबंध के लिए अंकुरण से पहले 0.75 कि./है. की दर से पेंडीपेथालिन के प्रयोग तथा इसके साथ बुआई के 45 दिनों बाद एक बार हाथ से निराई–गुड़ाई करना उपयोगी है। परीक्षण के नतीजों से यह पता चला है कि देश के समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में अनुवर्ती फसल के रूप में रबी मौसम के पहले अरहर की बुआई काफी उपयोगी साबित हुई है।

चारा फसलें–वर्ष के दौरान चारा फसलों की नौ किस्मों–ज्वार(3), लोबिया(2), शफताल(1), दीनानाथ घास(1), संकर नेपियर बाजरा(1) और बरसीम(1) को जारी तथा अधिसूचित किया गया।

गन्ना–सात नई किस्में जैसे–को पंत 90223, बो 120, को बी. एल. एन. 9605, को 86249, को 83711, को एम. 88121 तथा को जे. एन. 86141 को देश के विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में व्यावसायिक खेती के लिए जारी किया गया। इनमें से तीन (को पंत 90223, बो 120 और को 86249) किस्में लाल सड़न रोग के प्रति सामान्य रूप से प्रतिरोधी हैं। गन्ने की कटाई और रोपाई करने वाले एक यंत्र का विकास किया गया है जो धन और ऊर्जा के मामले में परम्परागत विधि की तुलना में 40 प्रतिशत सस्ता है।

फल–दशहरी × चौसा के संकर से तैयार आम की संकर किस्म सी आई. एच. एम.–2 का अच्छा प्रदर्शन रहा। इस संकर किस्म की उत्पादन क्षमता अच्छी है क्योंकि इसके फल की सतह कज्जली फफूंद से मुक्त होती है और इस पर भारी वर्षा का भी असर नहीं होता है। इसका फल दशहरी आम जैसा ही होता है लेकिन दशहरी से 15 दिन बाद तैयार होता है।

अमरूद की दो किस्में नामतः सी. आई. एस. एच. जी.–2 और सी. आई. एस. एच. जी–3 आशाजनक पाई गईं। सी. आई. एस. एच. जी.–2 का फल आकर्षक व किरमिजी रंग का होता है तथा इसमें सफेद धारियां होती हैं और बीज मुलायम व कम होते हैं। सी. आई. एस. एच. जी.–3 के फल आकर्षक और गूदा गुलाबी रंग का होता है। इससे बने पेय में इसका गुलाबी रंग भंडारण अवस्था में भी एक वर्ष से अधिक समय तक बना रहता है।

सब्जियां–सब्जी फसलों में 5 संकरों और चार किस्मों की पहचान की गई जो विभिन्न क्षेत्रों में खेती के लिए उपयुक्त पाई गई हैं–वे क्षेत्र इस प्रकार हैं :–

फसल	संकर	किस्म
बैंगन	फुले संकर–2	–
	पूसा संकर–9	
		बी. बी. 13
मिर्च	ए. आर. सी. एच.–236	
	एच. ओ. ई.–888	
बंदगोभी	नाथ–501	
मटर		एन. डी. वी. पी.–8
प्याज		पी. बी. आर.–5
फ्रांसबीन		आई. आई. एच. आर.–909

*अनेक उन्नत कृषि तकनीकों जैसे मिट्टी में खाद डालना, खड़ी फसल में खाद डालना, पत्तियों पर छिड़काव, दो पौधों के बीच की दूरी, खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग आदि का विकास किया गया तथा अधिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उगाने के लिए सब्जी की विभिन्न फसलों की सिफारिश की गई है। कीट व्याधियों के नियंत्रण के लिए उन्नत अनुसूची व रसायनों का ब्यौरा तैयार किया गया तथा उनकी पहचान की गई है तथा कीट व्याधियों के प्रकोप को कम करने के लिए उनकी सिफारिश की गई है।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंध : उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :

*संसाधन के सक्षम इस्तेमाल और उच्च उपज के लिए संगठक फसल लेने के लिये विकसित प्रौद्योगिकी :

- अनुकूलतम रोपाई समय
- फसल ज्यामिती व बीज दर
- उर्वरकों की जरूरत व अनुप्रयोग अनुसूची
- खरपतवार नियंत्रण के उपाय
- सिंचाई की अनुसूची

*विभिन्न फसल क्रमों के लिए अनुकूल किस्मगत संयोजनों की पहचान की गई।

*विभिन्न फसल प्रणालियों के तहत जुताई की जरूरत।

*किसानों के खेतों में उपज कम करने वाले तथ्यों की पहचान।

*विभिन्न फसलों और मिट्टी के प्रकारों के लिए उर्वरकों के कारगर स्रोतों की पहचान की गई।

*पोषक तत्त्वों के इस्तेमाल से सक्षमता बढ़ाने के लिए जैविक खादों का मूल्यांकन किया गया।

*विभिन्न फसल प्रणालियों में आई. एन. एम.।

*फसल उपज और मृदा उर्वरता पर लम्बे समय तक रासायनिक उर्वरकों के प्रभाव का अध्ययन करना।

*अनाज–अनाज फसल प्रणालियों में फलीदार फसलों को उगाने के विकल्पों को तैयार किया गया।

*अन्तः फसल प्रणाली के लिए अनुकूल फसल संयोजनों और रोपण विधि विकसित की गई।

संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किसानों के समक्ष उपयोगी परिणामों का प्रदर्शन किया गया जिससे उन्हें विभिन्न फसलों की उत्पादकता बनाये रखने में मदद मिली। इन परियोजनाओं का मुख्य लक्ष्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंध है। अतः फसल किस्मों की सही सिफारिश और कारगर इस्तेमाल प्रति इकाई क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं।

पशु-स्वास्थ्य–महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययनों से बड़े तथा छोटे जुगाली करने वाले पशुओं में ब्रुसलोसिस रोग होने का पता चला है। सामान्यतया प्रभावित पशुओं के सीरम में ब्रुसिला मेलीटेन्सिस की तुलना में ब्रुसिला अबोरटस प्रतिजीवी प्रधान तौर पर पाए जाते हैं तथा भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गोपशुओं में व्यापक रूप से ब्रुसलोसिस की घटनाओं को देखते हुए यह एक महत्त्वपूर्ण महामारी विज्ञान संबंधी प्रेक्षण है।

देश में विकसित, गोपशुओं के सीरम के नमूनों के एक राष्ट्रीय सीरम विज्ञानीय सर्वेक्षण एविडिन–बायोटिन एलाइजा से देश 20 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में भैंसों में व्यापक आई. बी. आर. संक्रमण होने के प्रमाण मिले हैं।

भारत सरकार की पशु महामारी उन्मूलन राष्ट्रीय परियोजना हेतु केन्द्रक प्रयोगशाला "एडमास" द्वारा राज्यों से प्राप्त नमूनों की जांच की जाती रही तथा उनके द्वारा देश में किसी व्यापक पशुमहामारी जीवाणु के सक्रिय होने की पुष्टि नहीं की गई है। इसी से संबंधित एक अध्ययन में "एडमास" ने देश के विभिन्न भागों में भेड़ों तथा बकरियों और गोपशुओं में नाशीजीव रुमिनैन्ट प्रतिजीवी मौजूद होने की सूचना दी है। ये प्रथम रिकार्ड एक महत्त्वपूर्ण योगदान है। बीमारियों के अनुवीक्षण तथा निगरानी हेतु राष्ट्रीय नमूना फ्रेम तैयार करने के लिए 6.34 लाख गांवों की संगणना करके एक रजिस्ट्री तैयार की गई है। इसका उपयोग राष्ट्रीय पशुमहामारी निगरानी कार्यक्रम में किया जा रहा है।

विशिष्ट स्थलों, पशुधन जनांकिकी, कृषि वातावरणीय तथा मानव हस्तक्षेप के कारण पैदा होने वाली पशुओं की बीमारियों के सूक्ष्म स्तर के पारिस्थितिकी–रोग विज्ञान संबंधी क्षेत्रों को परिभाषित करने, उनका चित्रण तथा सीमांकन करने हेतु एक नया तरीका अपनाया गया है। आशा है कि इस नए तरीके से बीमारियों के अनुवीक्षण पूर्वानुमान, नियंत्रण तथा निर्यात नीति मजबूत होगी।

देश में पहली बार इस तकनीक का उपयोग एफ. एम. डी. विषाणु की नस्ल के प्रादुर्भाव के आणविक लक्षणों के वर्णन के लिये किया गया है। क्योंकि यह प्रमाणित हो चुका है कि आई. डी. जीन वाइरल पॉलीपेप्टाइड वी. पी. आई. के लिए संकेत करता है जो कि विषाणु के प्रति प्रतिरक्षाजनत्व में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः एक आसान, विशिष्ट तथा त्वरित तकनीक का विकास किया गया है। 0 प्रकार के 60, एशिया 1 प्रकार के 30 तथा ए एवं सी प्रकार के चार–चार पृथक्कृत आई. डी. जेनोमिक क्षेत्रों को बिना किसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया के पी. सी. आर. उत्पादों की अपेक्षित लम्बाई तक सफलतापूर्वक परिवर्धित किया गया। जाति-विकास मूलक विश्लेषण किया गया, डेन्ड्रोग्राम तथा जाति विकासीय वंशावलि तैयार की गयी।

अश्व संक्रामक रक्ताल्पता (ई. आई. ए.) की सीरम संबंधी चौकसी से अगस्त 1996 के पश्चात् ऐसी घटनाएं नगण्य पाई गई हैं। रोग के बारे में निरंतर निगरानी तथा अनुवीक्षण अध्ययनों के जरिए इस रोग की घटनाओं का पता लगाकर तथा प्रभाव डालने वाले रोगाणुओं को समाप्त करके और अन्य नियंत्रण उपाय अपनाने से पिछले एक वर्ष के दौरान इस बीमारी में बहुत कमी आई है।

अश्व हरपीज विषाणु (ई. एच. वी.–1) के प्रति सीरम–महामारी विज्ञानीय अध्ययनों से ई. एच. वी.–1 प्रतिजीवियों के होने का पता चलता है, जबकि हेमैगलूटिनेशन इन्हीबिशन टेस्ट के जरिए ए/अश्व–1/प्राग/56 तथा ए अश्व–2/लुधियाना/87 एन्टीजन का प्रयोग करके अश्व एनफेलेजा ए/अश्व–1 (एच. एन.) तथा ए/अश्व–2 (एच. एन.) के प्रति सीरम संबंधी चौकसी अध्ययनों से इस बीमारी की घटनाएं नगण्य होने का पता चला है।

व्यापक प्रयोगशाला परीक्षणों के उपरांत गोपशुओं में ब्रूसेलोसिस का सीरम विज्ञानीय निदान करने हेतु एक लिपो–पोलीसेकराइड आधारित "एवीडिन–बायोटिन" एलाइसा किट विकसित की गयी है। एडमास ब्रूसेलोसिस किट की सूक्ष्मग्राहिता तथा विशिष्टता अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आई. ए. ई. ए.) विएना द्वारा उत्पादित मोनोक्लीनीकल आधारित अप्रत्यक्ष एलाइसा किट के समान है। देश में उच्च गुणवत्ता तथा कम लागत वाली नैदानिक किट के उत्पादन के क्षेत्र में यह एक मील का पत्थर है।

गुम्बोरो बीमारी के विषाणु के एक भारतीय आइसोलेट को अपनाकर सेल कल्चर में और सुधार किया गया है। इसे अभिरंजक गुम्बोवेन–394 वैक्सिन के रूप में उपयुक्त पाया गया है।

पशुधन सुधार–जमुनापारी बकरे की नस्ल के मेमनों का चयन बकरी से मिलने वाले दूध की मात्रा तथा 6 अथवा 9 महीने के वजन की सूचिका के आधार पर किया गया। जन्म के समय 3 माह तथा 6 महीने में मेमने का औसत वजन क्रमशः 2.90 + 0.06, 9.78 + 0.41 तथा 11.79 + 0.42 किग्रा. था।

पशुपोषण

बकरी : आहार गोलियां (30% सूखे सुबबूल की पत्तियां + 70% सांद्रण मिश्रण) ऊर्जा चालित आहार गोली बनाने वाले यंत्र की सहायता से तैयार की गई तथा 6 प्रौढ़ मारवाड़ी बकरों को 300 ग्रा./दिन/पशु की दर से खिलाया गया। इसी समान आयु, लिंग और प्रजाति के छह बकरों के अन्य समूह को भी 300 ग्रा. प्रतिदिन की दर से उपरोक्त सांद्रण मिश्रण (मक्का 20%, ज्वार 15%, जी. एन. सी. एक्सपैलर 20%, जी. एन. सी. डॉक 15%, गेहूं की भूसी 27%, खनिज मिश्रण 1.5% तथा लवण 1.5%) बिना सुबबूल की पत्ती मिलाये खिलाया गया। दोनों वर्गों के 12 पशुओं को, चाहे उन्हें कोई भी उपचार दिया जा रहा था सूखा चारा (ल्यूसर्न (मेडिकेगो सेटाइवा) हे–एड लिब) दिया गया। वर्ग एक व दो के लिए प्रति कि. ग्रा./दिन शुष्क पदार्थ की मात्रा 100 कि. ग्रा. शरीर भार के अनुसार क्रमशः 3.12 और 3.22 पाई गई। सी. पी. और टी. डी. एन. प्रति कि. ग्रा. लेने पर डब्ल्यू. क्रमशः 10.14, 10.28 और 45.95 ग्रा. पाया गया। इस प्रकार बकरियों के तैयार गोली वाले आहार में सांद्र मिश्रण की 30% मात्रा के स्थान पर सुबबूल की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

6 से 12 माह के शिशुओं के लिए उपयुक्त शिशु आहार देने वाला फीडर और जल उपकरण (सी. आई. आर. जी. के. एफ. आर.–4) में तैयार किया गया और इसके प्रदर्शन की जांच की गई। इस उपकरण के तैयार होने से बकरी के दूध पर पलने वाले विभिन्न आयु वर्ग के शिशुओं के लिए उपलब्ध उपकरणों का सैट पूरा होता है। ये उपकरण दूध की बर्बादी को रोकने और आहार सामग्री को खराब होने से बचाने में सक्षम हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किये गये एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के शिशु आहार एवं जल देने वाले उपकरणों का बहुतायत में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मानकीकृत नहीं है।

गोपशु : मानव उपयोग के लिए अन्न की बचत को देखते हुए कम अन्न या अन्न रहित लेकिन वानस्पतिक प्रोटीन की समुचित मात्रा वाले सस्ते उपोत्पाद जैसे गेहूं की भूसी/चावल की भूसी को आमतौर पर मिलने वाले गेहूं के भूसे के साथ मिलाकर बछड़ों को खिलाने तथा हरा चारा/बरसीम/जई/मक्का को दूध देने वाली गायों को खिलाने से बछड़ों की वृद्धि दर 500–600 ग्रा./दिन तथा गायों का दूध उत्पादन लगभग 10 कि. ग्रा. हुआ।

राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र (1989) द्वारा संस्तुत स्तर से 20% अधिक प्रोटीन संकर बछड़ियों को खिलाने पर शरीर भार में 780 ग्रा./दिन की वृद्धि हुई जबकि नियंत्रित से 600 ग्रा./दिन की वृद्धि हुई।

सुबबूल खिलाई गई बकरियों की जुगाली से डी. एच. पी. निम्न क्षमता वाले स्ट्रेप्टोकोकस बोविस की एक प्रजाति को अलग किया गया जिसे फिर गोपशुओं में स्थानांतरित कर दिया गया तथा उन्हें केवल सुबबूल के ही आहार पर रखा गया। कई जैव–विषों की विषैली मात्रा से अधिक मात्रा में 28 दिन तक खिलाए जाने के बाद भी किसी भी पशु में विषाक्तता के लक्षण देखने को नहीं मिले। 3, 4 डी. एच. पी. यथा स्थान के पूर्ण निम्नीकरण से पता चलता है कि गायों की जुगाली में शुद्ध संबंध की बसावट हो जाती है तथा इससे जुगाली किण्वीकरण में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। इस संबंध को व्यापारिक स्तर पर उन पशुओं के लिए तैयार किया जा सकता है जो सुबबूल के प्रति संदेनशील होते हैं।

पशु शरीर विज्ञान : बारबरी, जमुनापारी, जखराना, कच्छी, मारवाड़ी और सिरोही नस्ल की बकरियों का वीर्य की मात्रा, संगत और प्रतिक्रिया अवधि के लिए मूल्यांकन किया गया। औसतन शुक्राणु संख्या 4020.4 + 7 करोड़/मिली, लेकिन कच्छी और जमुनापारी में यह संख्या कम थी। जिन बकरियों को ताजा घुले वीर्य से गहरी सर्वीकल ए. आई. तकनीक से ग्याभिन कराया गया, उनमें 80% गर्भाधान सफल रहा जबकि इसी तकनीक से जमे हुए वीर्य द्वारा ग्याभिन बकरियों में गर्भाधान की प्रतिशतता 60 रही। बारबरी और सिरोही नस्ल की बकरियों में वृषण विकास अधिकतम 4–5 महीने की उम्र में देखा गया, जबकि अच्छी कच्छी में यह 3–4 माह की उम्र में था। बकरियों में 11.95 प्रतिशत बांझपन देखा गया। हार्मोन और गैर–हार्मोन सामग्री से 10 गैर–आर्तव बकरियों में आर्तव प्रविष्ट कराया गया।

पशु उत्पाद प्रौद्योगिकी : केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान में किए गए अध्ययनों से पता चला कि चूर्णित उत्पादों को तैयार करने

में शीतलीकरण और लम्बे प्रसंस्करण के बिना भी गर्म अस्थिरहित मांस लाभदायक तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। चिकन उत्पादन की पैकिंग शीतलन अवस्था के अंतर्गत (–5 डिग्री सें.) के तहत तीन हफ्तों तक तथा 3 महीने तक शीत भंडारण (–18 सें.) अवस्था में सूक्ष्मजैविक दृष्टि से सुरक्षित रही तथा इसे ऑरगैनोलैप्टिक दृष्टि से स्वीकार भी किया गया।

मत्स्य आनुवंशिक संसाधन

हिमीकृत शुक्राणुओं के माध्यम से जीन बैंकिंग, जलजंतु उत्पादन बढ़ाने तथा द्रव्य जनन द्रव्य स्रोतों के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी स्रोत ब्यूरो में 1989 में एक प्रायोगिक लघु मत्स्य जीन बैंक स्थापित करके हिमीकृत शुक्राणुओं की दीर्घकालीन सक्षमता की पुष्टि की है तथा जनन द्रव्यों के स्थानांतरण में उल्लेखनीय योगदान किया है तथा नई प्रजातियों के साथ–साथ मौजूदा तकनीकों में सुधार किया है।

जीन बैंक में नौ प्रजातियों के शुक्राणु हैं। इनमें व्यावसायिक मत्स्य प्रजातियां जैसे कतला, रोहू, मृगाल, कॉमन कार्प, रेनबो ट्राउट और विलुप्त प्रायः प्रजातियां जैसे गोल्डन महशीर, डेक्कन महशीर और हिलसा शामिल हैं। सुदूरवर्ती और छितरी में हुई जनसंख्या के बीच अन्तः प्रजनन कार्यक्रम के लिए जननद्रव्य स्थानांतरण करने में हिमप्रशीतित शुक्राणुओं का प्रयोग करने में उल्लेखनीय सफलता मिली है।

पहाड़ी शीत जल धाराओं का सर्वेक्षण

हिमालय के उपराऊं क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सुनहरी महशीर और स्नो ट्राउट मछलियों के विकास और फिर से शुरू करने के लिए कुमाऊं में विद्यमान मत्स्य स्रोतों का मिश्रित सर्वेक्षण और जैव पारिस्थितिकी अध्ययन किए गए। लढिया, काली, गोरी, कोसी, रामगंगा पद्धति के सक्षम क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें से कुछ नदियों में चुने हुए स्थानों पर गोल्डन महशीर के बच्चे भी पाले गए।

जिंस बोर्ड की स्थापना

1697. श्री अन्ना साहिब एम. के. पाटील : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कॉफी बोर्ड की तरह कपास, मिर्च, आम, हल्दी, चीनी जैसे जिंस बोर्ड की स्थापना करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) मिर्च, आम तथा हल्दी के लिये जिंस बोर्ड की स्थापना करने संबंधी अनुरोध वाणिज्य मंत्रालय में प्राप्त हुए थे जबकि अखिल भारतीय कपास बोर्ड की स्थापना का अनुरोध कपड़ा मंत्रालय में प्राप्त हुआ था। परन्तु चीनी के संबंध में ऐसा कोई अनुरोध शर्करा एवं खाद्य तेल विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

मिर्च सहित विभिन्न मसालों के विकास, अनुसंधान एवं विपणन/निर्यात प्रोत्साहन का कार्य कोको सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट तथा वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत मसाला बोर्ड द्वारा सुचारु रूप से किया जा रहा है तथा आम के मामले में यह कार्य कृषि विभाग, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड तथा कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) द्वारा किया जा रहा है कपास के मामले में यह कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कपास विकास निदेशालय, कपास परामर्शी बोर्ड भारतीय कपास निगम लि. द्वारा किया जाता है। अतः यह महसूस किया गया है कि इन जिंसों के लिए अलग–अलग बोर्डों के गठन की आवश्यकता नहीं है। हल्दी के मामले में भी इसके निर्यात की मात्रा तथा निर्यात प्रोत्साहन संबंधी कार्यकलापों को देखते हुए इसके लिए एक अलग बोर्ड का गठन करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

सिंचाई सुविधाएं

1698. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार कुल कितने कृषि क्षेत्र पर सिंचाई सुविधाएं पूर्णतः उपलब्ध हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा सिंचाई की अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को कोई विशेष सहायता उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) देश में निवल सिंचित क्षेत्र और इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न है। चल रही वृहद, मध्यम और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करके देश में अधिक सिंचाई सुविधाएं सृजित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 1996–97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को उन चल रही चुनिंदा वृहद और मध्यम सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की जा रही है जो राज्य सरकारों की संसाधन क्षमता के बाहर हैं और निर्माण की अन्तिम अवस्था में हैं तथा जिन्हें थोड़ी वित्तीय सहायता से पूरा किया जा सकता है। वर्ष 1996–97 से इस कार्यक्रम के तहत जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता का राज्य–वार ब्यौरा उपरिलिखित संलग्न विवरण में भी दिया गया है।

विवरण

नियल सिंचित क्षेत्र और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता का राज्य–वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य का नाम	नियल सिंचित क्षेत्र* (हजार हैक्टे. में)	ए. आई. बी. पी. के तहत जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता (करोड़ रुपये में)		
			1996–97	1997–98	1998–99**
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4123	35.25	74.00	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	36	–	–	–
3.	असम	572	5.23	12.40	10.95
4.	बिहार	3680	13.50	14.04	11.88
5.	गोवा	23	–	5.25	–
6.	गुजरात	3002	74.77	196.90	112.71
7.	हरियाणा	2761	32.50	12.00	–
8.	हिमाचल प्रदेश	101	–	6.50	–
9.	जम्मू और कश्मीर	386	1.30	–	–
10.	कर्नाटक	2302	61.25	90.50	57.00
11.	केरल	342	3.75	15.00	–
12.	मध्य प्रदेश	5928	63.25	114.50	49.00
13.	महाराष्ट्र	2567	14.00	55.00	40.30
14.	मणिपुर	65	4.30	26.00	–
15.	मेघालय	45	–	–	–
16.	मिजोरम	7	–	–	–
17.	नागालैंड	62	–	–	–
18.	उड़ीसा	2090	48.45	85.00	–
19.	पंजाब	3847	67.50	100.00	–
20.	राजस्थान	5232	2.68	42.00	51.47
21.	सिक्किम	16	–	–	–
22.	तमिलनाडु	2625	20.00	–	–
23.	त्रिपुरा	35	3.77	5.10	–
24.	उत्तर प्रदेश	11675	43.50	78.00	–

1	2	3	4	5	6
25.	पश्चिम बंगाल	1911	5.00	20.00	--
	कुल–राज्य	53433	500.00	952.19	333.31
	कुल–संघ शासित क्षेत्र	75	–	–	–
	कुल योग	53508	500.00	952.19	333.31

* निवल सिंचित क्षेत्र के आंकड़े कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वर्ष 1995–96 (अद्यतन) के भूमि प्रयोग सांख्यिकी के अनुसार हैं और प्रत्येक राज्य में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि योग्य क्षेत्र बताते हैं।

** ये आंकड़े वर्ष 1998–99 के लिए निर्धारित 1500.00 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान में से आज तक की निर्मुक्तियों के हैं।

[हिन्दी]

सोन एवं गंगा नदियों द्वारा भू-कटाव

1699. श्री एच. पी. सिंह :

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में सोन एवं गंगा नदियों द्वारा भू–कटाव होने से भारी नुकसान होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन दोनों राज्यों की समस्या पर काबू पाने हेतु कोई योजना शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो दोनों नदियों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना को कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) नदी कटाव सहित बाढ़ के कारण फसलों, सार्वजनिक सम्पत्ति जान–माल की प्रति वर्ष हुई औसत क्षति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

	फसलों को हुई क्षति (लाख हेक्टेयर में)	जन–जीवन को हुई क्षति (संख्या)	मकानों को हुई क्षति (करोड़ रु. में)	सार्वजनिक सम्पत्ति को हुई क्षति (करोड़ रु. में)
बिहार	6.34	96	13.354	27.684
उत्तर प्रदेश	11.76	273	33.000	74.108

(ग) से (ङ) भूमि–कटाव को रोकने संबंधी स्कीमों की आयोजना, अन्वेषण एवं क्रियान्वयन सहित उनका मूल्यांकन करना संबंधित राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। वर्ष 1990 में सोन एवं मुख्य गंगा सहित गंगा बेसिन के सभी नदी प्रणालियों के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने विस्तृत योजना तैयार की है। इस विस्तृत योजना में बाढ़ प्रबन्धन के साथ–साथ भूमि कटाव को रोकने के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपाय करने का सुझाव दिया गया था। इन विस्तृत योजनाओं को राज्यों की अपनी प्राथमिकता एवं उनके पास उपलब्ध योजना निधियों के अनुसार विस्तृत स्कीम तैयार करने तथा उनको कार्यान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश एवं बिहार सहित सभी गंगा–बेसिन राज्यों को भेजा गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

1700. श्री आर. एस. गवई : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 1998 के का. ज्ञा. सं. 21/48/97–सी. एस.–एक जारी करने से पूर्व विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अवर सचिव के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कितने व्यक्ति नियुक्त थे;

(ख) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा की 225 अधिकारियों की सूची में अनुसूचित जाति की श्रेणी के उनप अधिकारियों की भी पदोन्नति दिखाई गई है जो या तो मर गए हैं या फिर सेवा–निवृत्त हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, दिनांक सितम्बर 28, 1998 का का. ज्ञा.

सं.–21/48/97–के. से.–1 जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंधित अवर सचिवों की संख्या 148 थी।

(ख) और (ग) दिनांक 28.09.1998 का उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन जारी हो जाने के पश्चात्, संबंधित मंत्रालयों द्वारा अनुसूचित जाति के केवल ऐसे दो अधिकारियों से संबंधित जानकारी ही ध्यान में लाई गई थी जिनकी या तो मृत्यु हो गई थी या जो सेवा–निवृत्त हो गए थे। उपर्युक्त कार्यालय–ज्ञापन, विभिन्न मंत्रालयों से समय–समय पर एकत्र की गई जानकारी के आधार पर जारी किया गया था।

प्रधानमंत्री की कृषि संबंधी पांच सूत्रीय योजना

1701. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 नवम्बर, 1998 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पी. एम. अनवेहल्स फाइव–प्वाइंट प्लान आन एग्रीकल्चर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और उक्त प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां। चार दिवसीय" एग्रो एडवांटेज–महाराष्ट्र कॉन्फ्रेंस" के दौरान प्रधानमंत्री जी ने पांच सूत्री कार्य योजना का खुलासा किया जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

(1) सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र सहकारी समितियों आदि को शामिल करते हुए कृषि व्यापार में निगमित निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को केन्द्र तथा राज्यों में एक उच्च स्तरीय समन्वय निकाय का रूप देना।

(2) और अधिक जिन्सों में अग्रिम को प्रोत्साहन देने के लिए अग्रिम मंडी आयोग को सुदृढ़ बनाना।

(3) कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ाने के लिए विदेशों में संयुक्त उद्यम को बढ़ावा देना।

(4) राष्ट्रीय ग्रामीण सहकारिता नीति बनाना तथा काफी समय से लम्बित बहु–राज्यीय सहकारिता अधिनियम लागू करना।

(5) कृषि तथा कृषि व्यापार में सूचना प्रौद्योगिकी को व्यापक प्रोत्साहन देना।

(ग) इन कार्यों को पूरा करने के लिए अब तक कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

भारत को प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्र का दर्जा

1702. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान भारत को प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्र का दर्जा देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दर्जे के प्राप्त हो जाने के पश्चात् देश को क्या लाभ होने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) विश्व व्यापार संगठन की बाध्यताओं के अनुसरण में पाकिस्तान द्वारा भारत को अत्यन्त अनुकूल राष्ट्र का दर्जा दिया जाना अपेक्षित है। संयुक्त वार्ता प्रक्रिया के एक भाग के रूप में 10 नवम्बर, 1998 को नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग विषय पर पाकिस्तान के साथ हुई हाल की बातचीत के दौरान हमने पाकिस्तान से इस बाध्यता को पूरा करने का अनुरोध किया जिससे दोनों देशों के बीच आपसी लाभ के लिए व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होगी।

तिलहन अनुसंधान

1703. श्री राजो सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के कृषि अनुसंधान संस्थानों में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के संबंध में अनुसंधान और विकास कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान इन अनुसंधान संस्थानों द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय बिहार में अखिल भारतीय समन्वित तिलहन अनुसंधान प्रायोजनाएं राज्य के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों यानी राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर तथा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची में राज्य में तिलहनी फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्थान विशिष्ट उत्पादन प्रौद्योगिकी तैयार करने का काम कर रही है। इस समय राज्य के विभिन्न केन्द्रों में तोरिया सरसों, सोयाबीन तथा अन्य तिलहनी फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाएं चलाई जा रही हैं।

अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाओं तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के जरिए राज्य में तिलहनों पर किए गए गहन अनुसंधान के परिणामस्वरूप राज्य में कई उन्नत किस्में विकसित की गई हैं तथा खेती के लिए उनकी सिफारिश की गई है। राज्य के किसानों के लिए फसल उत्पादन से संबंधित प्रौद्योगिकी विकसित की गई है तथा अपनाने के लिए उसकी सिफारिश की गई है।

अग्रपंक्ति के प्रदर्शनों तथा तिलहन उत्पादन पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के जरिए प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए भारत सरकार द्वारा विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। इस समय तिलहनों तथा दलहनों से संबंधित प्रौद्योगिकी मिशन के तहत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में बिहार में दोनों कृषि विश्वविद्यालयों में इस समय चालू अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के नेटवर्क के जरिए अनुसंधान पर कुल 32.35 लाख रु. खर्च किए गए। इसी प्रकार पिछले तीन वर्षों में तिलहन उत्पादकता पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य में तिलहन उत्पादन कार्यक्रमों से संबंधित विकास कार्यक्रमों पर 171.78 लाख रुपये खर्च किए गए।

आलू में प्रोटीन

1704. श्री विजय कुमार "विजय" : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने प्रोटीनयुक्त आलू का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त आलू के बीज देश के किसानों को कब तक उपलब्ध करा दिए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के कृषि वैज्ञानिकों ने एमिनो अम्ल की मात्रा के रूप में अधिक पोषक तत्त्व वाली पराजीनी आलू का विकास किया है। उन्होंने अमरेन्थस हाइपोक्रो–न्डीअकस के बीजों से एक जीन को अलग किया है जो सभी आवश्यक एमिनो अम्लों में प्रोटीन को समृद्ध बनाता है पराजीनी आलू में जीन को उपयोग में लाने के परिणामस्वरूप भिन्न–भिन्न स्तरों पर सभी आवश्यक एमिनो अम्लों में बढ़ोत्तरी हुई।

(ग) सरकार के मार्गदर्शनों के अनुसार जैव सुरक्षा उपाय के लिए पूरी तरह क्षेत्र परीक्षण तथा जांच के बाद ही पराजीनी आलू की किस्म उपलब्ध होगी।

[अनुवाद]

केरल में समुद्री भू-कटाव

1705. श्री पी. शंकरन :

श्री जी. एम. बनातवाला :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के तटीय क्षेत्र में समुद्री भू–कटाव की भीषण समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो केरल को गत तीन वर्षों के दौरान तटीय क्षेत्रों में भूसंरक्षण के लिए कितनी सहायता दी गई;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य को तटीय क्षेत्रों में भूसंरक्षण हेतु कितना धन निर्धारित किया गया;

(घ) क्या चालू नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य को धन जारी किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या केरल में तटीय भू–कटाव को रोकने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों के प्रयोग की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों (1995–96 से 1997–98) के दौरान योजना आयोग ने राज्य सरकार के अनुरोध पर आपात प्रकृति के तटीय संरक्षण कार्यों को प्रारंभ करने के लिए केरल सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 3 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।

(ग) नौवीं योजना के लिए केरल सरकार को बाढ़ नियंत्रण (समुद्र कटावरोधी सहित) के लिए स्वीकृत परिव्यय 88 करेड रुपए है।

(घ) और (ङ) केरल सरकार को चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई थी क्योंकि राज्यों को राज्य योजना निधियों में से समुद्री कटावरोधी कार्यों को प्रारंभ करना अपेक्षित है।

(च) और (छ) केन्द्रीय जल आयोग में तैयार की जा रही राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना केरल सहित समुद्र तटीय राज्यों द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकियों को ग्रहण करने की एक योजना की परिकल्पना की गई है।

परमाणु खतरे को कम करना

1706. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस वर्ष नवम्बर के प्रथम सप्ताह में परमाणु खतरे में कमी करने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक संकल्प प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो संकल्प का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर विभिन्न परमाणु शक्तियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। भारत की पहल पर एक नया प्रस्ताव इस वर्ष नवंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा गया था। इस प्रस्ताव में यह स्मरण कराया गया है कि नाभिकीय शस्त्रों का उपयोग मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरा उत्पन्न करता है, और कुछ देशों द्वारा रखे गए नाभिकीय शस्त्रों के बंदूक का घोड़ा दबाने के चौकस दर्जे से नाभिकीय शस्त्रों के अनैच्छिक अथवा दुर्घटनात्मक प्रयोग, अस्वीकार्य जोखिम उत्पन्न होता है। इस प्रस्ताव में नाभिकीय शस्त्र संपन्न पांच देशों से यह भी कहा गया कि वे अपने नाभिकीय सिद्धान्तों की पुनः समीक्षा करें तथा नाभिकीय शस्त्रों के अनैच्छिक अथवा दुर्घटनात्मक प्रयोग के खतरे को कम करने के लिए शीघ्र एवं आवश्यक कदम उठाएं। प्रस्ताव में सदस्य देशों से नाभिकीय शस्त्रों के इसके सभी पहलुओं में प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने और नाभिकीय शस्त्रों का उन्मूलन करने के अन्तिम लक्ष्य के साथ नाभिकीय निरस्त्रीकरण का संवर्धन करने का आग्रह किया गया है।

(ग) अमरीका, फ्रांस, यू. के. तथा रूस ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया जबकि चीन इससे अलग रहा।

[हिन्दी]

बाण सागर अंतर्राज्यीय परियोजना

1707. श्री रामानंद सिंह :

श्री चंद्रमणि त्रिपाठी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारें मध्य प्रदेश में निर्मित की जा रही बाणसागर अंतर्राज्यीय परियोजना हेतु अपना अंशदान समय पर दे रही है;

(ख) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) बराज नहर और विद्युत संयंत्र के निर्माण में परियोजना–वार अलग–अलग कितना खर्च किया गया है;

(घ) इन प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 1998–99 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया है; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन बाण सागर अंतर्राज्यीय परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार अपना हिस्सा समय पर प्रदान नहीं कर रहे हैं।

(ख) बाण सागर नियंत्रण बोर्ड की कार्यकारी समिति जिसके सदस्य राज्य सरकार तथा संघ सरकार सदस्य हैं की नियमित बैठकों में पक्षकार राज्यों द्वारा अंशलागत के अंशदान की स्थिति पर विचार–विमर्श किया जाता है। दिनांक 23.10.1998 को आयोजित 58वीं बैठक में कार्यकारी समिति ने विचार–विमर्श किया और उत्तर प्रदेश द्वारा अब अपने हिस्सा देने संबंधी बात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि बिहार सरकार को 74.33 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि के भुगतान के संबंध में अवगत कराया जाय और उसका शीघ्र भुगतान करने के लिए कहा जाए।

(ग) बाण सागर परियोजना के निर्माण पर अक्तूबर, 1998 तक हुए व्यय का विवरण इस प्रकार है :–

(i)	बांध (बैराज) भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास सहित	553.62 करोड़ रु.
(ii)	नहरें	144.92 करोड़ रु.
(iii)	विद्युत संयंत्र	590.56 करोड़ रु.

(घ) यद्यपि संघ सरकार इस परियोजना के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं करती तथापि, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। इसके लिए वर्ष 1998–99 में 75 करोड़ रुपये की सिफारिश की गई है।

(ङ) बांध के पूरा होने की संभावित तिथि जून, 2001 है तथा नहरों के पूरा होने की संभावित तिथि 2012 है।

'फिसाइल' सामग्री का उत्पादन

1708. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने फिसाइल सामग्री के उत्पादन पर एकतरफा प्रतिबंध लगाने के संबंध में भारत के मत से अमेरिका को अवगत करा दिया है;

(ख) क्या भारत द्वारा परमाणु विस्फोट के बाद अमेरिका और इसके समर्थक यूरोपीय देशों ने भारत के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस निर्णय की समीक्षा करेगी यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका के साथ चल रही बातचीत में अनेक मुद्दे शामिल

हैं जिनमें निरस्त्रीकरण और शस्त्र–अप्रसार, भारत की सुरक्षा संबंधी चिन्ताएं और सरकार द्वारा घोषित रचनात्मक स्वैच्छिक उपाय शामिल हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि भारत एक ऐसी भेद–भाव रहित, बहु–पक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय तथा प्रभावी रूप से समर्थनीय संधि पर बातचीत में सकारात्मक रूप में भाग लेगा जिसके अन्तर्गत नाभिकीय हथियारों अथवा अन्य नाभिकी विस्फोटक युक्तियों के लिए विखण्डनीय सामग्रियों के भावी उत्पादन पर रोक लगाया जा सकेगा। जेनेवा में निरस्त्रीकरण से संबंधित सम्मेलन में होने वाली बातचीत के दौरान भारत इस क्षेत्र में किसी अन्य बहु–पक्षीय पहल पर गंभीरता से ध्यान देगा।

(ख) और (ग) अमरीका के स्थानीय कानून की अनिवार्यता के अनुसार अमरीका ने तथा कुछ अन्य देशों ने भी मई में नाभिकीय परीक्षणों के पश्चात् कुछ प्रतिबंधित आर्थिक उपायों की घोषणा की थी। दोहरे उपयोग की उच्च प्रौद्योगिकी मदों, जो विशेष रूप से अमरीका के वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित भारतीय कंपनियों की सूची से संबद्ध है, के अमरीकी निर्यात पर प्रतिबंधों और एक्सिम वित्त–पोषण पर प्रतिबंधों (जिन्हें अब हटा लिए जाने की कार्यवाही चल रही है) के अतिरिक्त भारत के साथ व्यापारिक संबंधों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

(घ) जी, नहीं। इस समय उपरोक्त "क" पर निर्दिष्ट भारत की स्थिति की समीक्षा नहीं की जा रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता

1709. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आपदा पीड़ित लोगों के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मांगी गई सहायता राशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में स्वीकृत राशि और प्रत्येक राज्य को वस्तुतः प्रदान की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आपदा पीड़ित राज्यों में कितने केन्द्रीय दल भेजे गए;

(घ) इन दलों द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) अन्तर–मंत्रालयी दल और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष द्वारा कितनी सिफारिशों पर विचार किया गया और कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई; और

(च) प्रत्येक सिफारिश के संबंध में क्या–क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) वर्ष 1995–96 से 1997–98 के दौरान राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मांगी गयी और जारी की गयी सहायता राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में से सहायता हेतु अनुरोध के बारे में स्थिति का जायजा लेने के लिए वर्ष 1995–96 से 1997–98 के दौरान कुल 54 केन्द्रीय दलों ने प्रभावित राज्यों का दौरा किया था।

(घ) से (च) राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता केवल असाधारण तीव्रता वाली आपदाओं की स्थिति में ही जारी की जाती है। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के संविधान और प्रशासन संबंधी स्कीम के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा राहत समिति विचार करती है और यह निर्णय लेती है कि क्या किसी प्राकृतिक आपदा को असाधारण तीव्रता की आपदा माना जा सकता है या नहीं या इसके लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से राहत प्रदान की जानी चाहिए या नहीं। यदि कोई आपदा असाधारण तीव्रता की मान ली जाती है तो उसके लिए दी जाने वाली सहायता की प्रमात्रा के बारे में भी राष्ट्रीय आपदा राहत समिति निर्णय लेती है। केन्द्रीय दल और अन्तर्मंत्रालयी दल की सिफारिशों से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष को राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध पर विस्तृत रूप से विचार करने में और संबंधित को राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलती है।

विवरण

विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में से राज्यों द्वारा मांगी गयी सहायता और उनको जारी की गयी धनराशि को दर्शाने वाला विवरण।

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	1995–96		1996–97		1997–98	
		सहायता		सहायता		सहायता	
		मांग	निर्मुक्ति	मांग	निर्मुक्ति	मांग	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	875.26	21.00	2819.37	142.00	1159.28	42.00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	50.50	10.00	110.53	3.00	105.15	***
3.	असम	–	–	415.91	21.00	–	–
4.	बिहार	1102.28	21.00	168.92	7.00	428.82	10.00
5.	गुजरात	–	–	282.01	***	664.33	86.90
6.	हरियाणा	588.09	39.41	102.00	***	–	–
7.	हिमाचल प्रदेश	481.96	12.49	458.37	10.58	609.78	24.80
8.	जम्मू और कश्मीर	211.08	18.17	279.97	***	–	–
9.	कर्नाटक	256.23	***	621.55	***	723.00	22.00**
10.	केरल	151.12	***	342.00	***	1106.26	12.91
11.	मध्य प्रदेश	–	–	256.19	***	2759.11	67.76**
12.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	156.76	***
13.	मणिपुर	–	–	–	–	59.13	≠
14.	मेघालय	41.13	10.00	–	–	–	–
15.	मिजोरम	59.99	4.71	–	–		–
16.	उड़ीसा	564.00	30.75	570.70	54.00	151.50	
17.	पंजाब	658.00	16.18	–		347.72	≠
18.	राजस्थान	612.99	21.00	321.00	***	51.18	≠
19.	सिक्किम	–	–	43.92	5.52	107.39	7.00
20.	तमिलनाडु	630.00	***	621.55	25.00	–	–
21.	त्रिपुरा	41.21	***	–	–	–	–
22.	उत्तर प्रदेश	357.40	***	489.90	***	566.07	***
23.	पश्चिम बंगाल	631.99	21.00	309.00	***	177.00	***
	योग	7313.23	225.69	8306.89	268.08	9172.48	273.37

*** असाधारण तीव्रता की आपदा नहीं मानी गयी।

≠ प्रक्रियाधीन

** कर्नाटक सरकार से प्राप्त 723.00 करोड़ रुपये के अनुरोध में असामाजिक वर्षा/कीट रोगों के आक्रमण के कारण मांगी गयी 397.00 करोड़ रु. की राशि और मध्य प्रदेश से प्राप्त 2759.11 करोड़ रु. के अनुरोध में ओला/भारी वर्षा के कारण मांगी गयी 2232.91 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है इन पर विभिन्न चरणों पर कार्यवाही चल रही है।

दूरसंचार सेवा लाइसेंस के मामले

1710. डॉ. रवि मल्लू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा लाइसेंस के सभी मामलों पर निर्णय लेने और निजी सरकारी क्षेत्र के तहत टेलीफोन सेवा प्रदान करने वालों के लिए लाइसेंस संबंधी शर्तों की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) समिति की रचना तथा उसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी;

(घ) क्या योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बुनियादी सेवाएं शुरू नहीं हो पाई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) नई दूरसंचार नीति तथा अन्य मुद्दों पर सिफारिशें देने के लिए सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय ग्रुप आन टेलीकम्यूनिकेशन्स (जी. ओ. टी.) का गठन किया गया है। जी. ओ. टी. बुनियादी तथा सेल्युलर सेवाओं के मौजूदा लाइसेंसों से संबंधित मुद्दों पर भी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा और नई दूरसंचार नीति के ढांचे के अंतर्गत उपयुक्त उपचारात्मक उपायों के भी संबंध में सुझाव देगा। यह ग्रुप यथासंभव शीघ्र अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। इस ग्रुप के गठन संबंधी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) योजना आयोग ने मार्च, 98 में तैयार किए गए अपने 9वें योजना दस्तावेज मसौदे मे इंगित किया है कि अनेक प्रक्रिया विधि संबंधी समस्याओं तथा अड़चनों के कारण बुनियादी सेवाओं के प्राइवेट प्रचालकों द्वारा प्रावधान शुरू करना अभी किया जाना है।

बुनियादी टेलीफोन सेवा के लिए छः लाइसेंसधारकों में से दो लाइसेंसधारकों द्वारा मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। लाइसेंसधारकों द्वारा बुनियादी सेवा प्रचालनों से संबंधित मामलों की जी. ओ. टी. द्वारा जांच की जाएगी और उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की संस्तुति की जाएगी। उनकी सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में मुद्दों का समाधान करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।

विवरण

जी. ओ. टी. के सदस्यों की सूची

1.	उपाध्यक्ष, योजना आयोग	– अध्यक्ष
2.	सदस्य (दूरसंचार), योजना आयोग	– सदस्य
3.	वित्त सचिव	– सदस्य
4.	विधि सचिव	– सदस्य
5.	सचिव, दूरसंचार	– सदस्य
6.	सदस्य (सेवाएं), दूरसंचार आयोग	– सदस्य
7.	सदस्य (उत्पादन), दूरसंचार आयोग	– सदस्य
8.	डॉ. एन. शेषगिरि, डी. जी., एन. आई. सी.	– सदस्य
9.	डॉ. रोधम नरसिम्हन, निदेशक नेशनल इन्सटीच्यूट ऑफ ऐडवांस्ड स्टडीज, आई.आई.एस. काम्प्लेक्स, बंगलौर	– सदस्य
10.	डॉ. एस. रंगराजन, निदेशक, सेटेलाइट कम्यूनिकेशन्स, अन्तरिक्ष विभाग	– सदस्य
11.	निदेशक (संचार एवम् अनुसंधान) प्रधानमंत्री कार्यालय	– सदस्य
12.	प्रधानमंत्री के सचिव	–सदस्य सचिव

केन्द्र सरकार के कर्मचारी

1711. श्री के. सी. कोन्डय्या :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में सरकारी संस्थानों में कार्यरत केन्द्रीय कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष तक करने के कारण कर्मचारियों को प्रोन्नति से वंचित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन कर्मचारियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष कर दी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) इस बारे में अपेक्षित विवरण, संलग्न है।

(ख) पदोन्नति का सेवानिवृत्ति की आयु से कोई प्रत्यक्ष, आपेक्षिक संबंध नहीं है तथा यह अन्य विभिन्न कारणों पर निर्भर करती है। तथापि, सेवा–निवृत्ति की आयु में बढ़ोत्तरी से फिलहाल कुछ कर्मचारियों की पदोन्नति स्थगित हो गई होगी।

(ग) सेवा–निवृत्ति की आयु, 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिए जाने से जिन कर्मचारियों की पदोन्नति स्थगित हो गई है, उनकी संख्या से संबंधित जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(घ) अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने अथवा अन्यथा करने के संबंध में राज्य–सरकारों को स्वयं ही निर्णय लेने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में, उन राज्य–सरकारों का ब्यौरा सुलभ नहीं है। जिन्होंने अपने कर्मचारियो की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी है।

विवरण

मार्च 31, 1997 को मौजूद स्थिति के अनुसार, केन्द्र सरकार के अन्तर्गत रोजगार का राज्य–वार अनुमान।

राज्य का नाम	कर्मचारियों की संख्या (हजारों में)
1	2
I. **उत्तर क्षेत्र**	558.7
1. हरियाणा	32.5
2. पंजाब	80.8
3. हिमाचल प्रदेश	15.7
4. चण्डीगढ़	17.2
5. दिल्ली	214.3
6. राजस्थान	170.2
7. जम्मू और कश्मीर	28.0
II. **केन्द्रीय क्षेत्र**	650.5
8. मध्य प्रदेश	216.1
9. उत्तर प्रदेश	434.4
III. **उत्तर पूर्वी क्षेत्र**	112.0
10. असम	83.1
11. मेघालय	15.1
12. मणिपुर	4.6
13. मिजोरम	0.9
14. नागालैण्ड	5.7
15. त्रिपुरा	2.6
IV. **पूर्वी क्षेत्र**	689.5
16. बिहार	196.5
17. उड़ीसा	81.2
18. पश्चिम बंगाल	411.8
V. **पश्चिमी क्षेत्र**	595.8
19. गुजरात	141.9
20. महाराष्ट्र	447.7
21. गोवा	5.8
22. दमन तथा दीव	0.4
दक्षिणी क्षेत्र	684.2
23. आंध्र प्रदेश	213.0
24. कर्नाटक	131.4
25. केरल	100.0
26. पांडिचेरी	5.1
27. तमिलनाडु	234.8
28. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	4.4
कुल	3295.1

*टिप्पणी–इन आंकड़ों में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं–

(i) रक्षा–बलों के कार्मिक।

(ii) अर्ध–सैनिक बलों के बिना किसी नियत स्थान वाले कुछ कार्मिक।

(iii) विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/दूतावासों के कार्मिक।

[हिन्दी]

अवैध सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का संचालन

1712. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों के साथ सांठ–गांठ करके अवैध सार्वजनिक टेलीफोन बूथ स्थापित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार का इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) ऐसे कुछ मामले, विभाग की जानकारी में आए हैं।

(ख) दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

(ग) सर्किलों/महानगरीय जिलों की सतर्कता यूनिट, एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन अलग से कार्य कर रही हैं जो लाइनों के विपथन तथा एस. टी. डी./आई. एस. डी. काल करने वाले गिरोह इत्यादि के कारण राजस्व हानि संबंधी मामलों को देख रहे हैं। ये यूनिटें ऐसे सभी मामलों पर निगरानी रखती हैं और जांच कार्य करती हैं।

इस प्रकार की जांच के आधार पर, अभियुक्तों को पकड़ने में सी. बी. आई. की सहायता ली जाती है।

[अनुवाद]

चीन के साथ संबंध

1713. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री तथागत सत्पथी :

डॉ. रवि मल्लू :

श्रीमती जयंती पटनायक :

श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोखरण परीक्षण के बाद भारत–चीन संबंध प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार चीन के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करने और द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) हम अपने सबसे बड़े पड़ोसी देश चीन के साथ मैत्री, सहयोग, अच्छे पड़ोसी और परस्पर रूप से लाभकारी संबंध बनाने के इच्छुक हैं। पंचशील के सिद्धान्त के आधार पर हम दोनों देशों के बीच एक ऐसी मैत्री के इच्छुक हैं जिसमें दोनों पक्ष एक–दूसरे की हित–चिन्ताओं के प्रति उत्तरदायी हों। हम अनसुलझे मसलों का समाधान करने के लिए वार्ता की प्रक्रिया को बनाए रखने के प्रति कटिबद्ध हैं।

दोनों पक्षों के बीच राजनयिक माध्यमों के जरिए नियमित संपर्क बने हुए हैं। संसदविदों की यात्राओं, लोगों से लोगों के बीच आदान–प्रदानों, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मण्डलों की यात्राओं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यात्मक आदान–प्रदान भी हुए हैं। द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हो रही है और इस वर्ष के प्रथम नौ माह में 1.4 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया, जो विगत वर्ष की इसी अवधि से 7.98 प्रतिशत तक बढ़ा है। हमारे आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग के पर्याप्त रूप से बढ़ने की क्षमता है।

सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि वह सहयोग संबंध बनाए और परस्पर लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करे।

डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

1714. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में डाकघरों का दर्जा–बढ़ाने के लिये क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात और मध्य प्रदेश में जिला–वार और वर्ष–वार कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया है; और

(ग) देश में विशेषकर गुजरात और मध्य प्रदेश में वर्ष 1998–99 के दौरान कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के मानदण्ड संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात और मध्य प्रदेश में जिन डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया, उनकी संख्या संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) वर्ष 1998–99 के दौरान देश में, विशेष रूप से गुजरात और मध्य प्रदेश में जिन डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, उनकी संख्या संलग्न विवरण–III में दी गई है।

विवरण-I

डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के मानदण्ड

1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर से विभागीय उप-डाकघर

ग्रामीण क्षेत्र में

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का न्यूनतम कार्यभार प्रतिदिन 5 घंटे होना चाहिए। अनुमेय वार्षिक घाटा सामान्य क्षेत्रों में 2400/–रु. तथा जनजातीय व पहाड़ी क्षेत्रों में 4800/–रु. से अधिक नहीं होना चाहिए।

शहरी क्षेत्र में

शहरी क्षेत्र में, डाकघर को आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए और प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दर्शाना चाहिए ताकि यह आगे बनाये रखे जाने हेतु पात्र हो सके।

20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की न्यूनतम दूरी 1.5 कि. मी. तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 कि. मी. से कम नहीं होनी चाहिए। यदि यह एक वितरण डाकघर है तो निकटतम वितरण डाकघर से इसकी दूरी 5 कि. मी. से कम नहीं होना चाहिए।

सर्किल अध्यक्षों को 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट देने का अधिकार है।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में कम से कम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिए।

2. प्रधान डाकघर

किसी उप–डाकघर का प्रधान डाकघर के बतौर दर्जा विभागीय मानदंडों के अनुसार बढ़ाया जाता है। विभागीय मानदंडों के अनुसार किसी नए प्रधान डाकघर का सृजन मौजूदा प्रधान डाकघर के लेखा

अधिकार–क्षेत्र का विभाजन करके किया जाता है, जब मौजूदा प्रधान डाकघर के अंतर्गत उप–डाकघरों की संख्या 60 से अधिक हो जाती है। यहां आगे यह शर्त है कि विभाजन के पश्चात् मौजूदा प्रधान डाकघर तथा प्रस्तावित प्रधान डाकघर के अंतर्गत रखे जाने वाले उप–डाकघरों की संख्या 20 से कम नहीं होनी चाहिए। किसी जिले में भी एक प्रधान डाकघर सृजित किया जा सकता है यदि उस जिले में प्रस्तावित प्रधान डाकघर के लेखा अधिकार–क्षेत्र के अंतर्गत रखने के लिए 20 उप–डाकघर मौजूद हों। तथापि, यह शर्त भी है कि पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए मानदंडों में ढील दी जा सकती है यदि किसी उप–डाकघर का प्रधान डाकघर के बतौर दर्जा बढ़ाने से उस डाकघर के लिए वित्त व्यवस्था करना पर्याप्त रूप से लाभदायक हो।

विवरण–II

वर्ष 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान गुजरात और मध्य प्रदेश में दर्जा बढ़ाए गए डाकघरों की संख्या

गुजरात सर्किल

	जिला	वर्ष 1995–96	वर्ष 1996–97	वर्ष 1997–98
1.	अहमदाबाद	2	2	–
2.	गांधीनगर	1	–	–
3.	बनासकांठा	–	1	–
4.	जूनागढ़	–	–	1
5.	महेसाणा	–	1	–
6.	पंचमहल	–	4	–
7.	सूरत	–	3	–

मध्य प्रदेश सर्किल

	जिला	वर्ष 1995–96	वर्ष 1996–97	वर्ष 1997–98
1.	दामोह	1	1	–
2.	रायगढ़	1	1	–
3.	रीवा	1	–	–
4.	मांडला	–	1	–
5.	खारगोन	–	1	–
6.	पन्ना	–	1	–
7.	अम्बिकापुर	–	–	1
8.	रायपुर	–	–	1

विवरण–III

वर्ष 1998–99 के दौरान देश में, विशेष रूप से गुजरात और मध्य प्रदेश में जिन डाकघरों का दर्जा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है, उनकी संख्या

योजना आयोग के साथ परामर्श करके निर्धारित किए गए योजना लक्ष्यों के अनुसार, वर्ष 1998–99 के दौरान देश में 50 विभागीय उप–डाकघर खोले जाने हैं। ऐसे विभागीय उप–डाकघर या तो मौजूदा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के माध्यम से खोले जायेंगे अथवा नए विभागीय उप–डाकघर खोलकर। डाकघर खोलना/उनका दर्जा बढ़ाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। वर्ष 1998–99 के दौरान, देश में अब तक 3 विभागीय उप–डाकघरों का प्रधान डाकघरों के रूप में दर्जा बढ़ाया जा चुका है।

गुजरात डाक सर्किल में वर्ष 1998–99 के दौरान, तीन डाकघरों के लक्ष्य की तुलना में अब तक तीन डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जा चुका है।

मध्य प्रदेश डाक सर्किल में, मौजूदा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के माध्यम से अथवा नए विभागीय उप–डाकघर खोलकर दो विभागीय उप–डाकघर खोले जाने हैं तथा वर्ष 1998–99 के लिए दो विभागीय उप–डाकघरों का प्रधान डाकघरों के रूप में दर्जा बढ़ाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

महाप्रबंधक (पूर्व) का नया कार्यालय

1715. डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंबई में आगामी पांच वर्षों के लिए महानगर टेलीफोन निगम लि. मुंबई, के विस्तार कार्यक्रम क्या हैं;

(ख) आगामी पांच वर्षों के दौरान शामिल किए जाने वाली नई लाइनों की संख्या कितनी है तथा विभिन्न स्थानों पर खोले जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है; और

(ग) नई योजनाओं तथा दूरसंचार प्रौद्योगिकी में उन्नयन का ब्यौरा क्या है जिससे आने वाले वर्षों में मुंबई में उपभोक्ताओं के लाभान्वित होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) 1999–2000 से 2003 से 2004 तक पांच वर्षों में लगभग 12.5 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है तथा नए टेलीफोन एक्सचेंज, वास्तविक मांग के अनुरूप विभिन्न स्थानों पर खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

एम. टी. एन. एल. के उपभोक्ताओं को निम्नलिखित से लाभान्वित होंगे :

(i) **प्रौद्योगिकी उन्नयन**

- 83 के लाइनों के सी.–400 इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाए जाएंगे।
- इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग एक्सचेंजों की 100 के लाइनें बदलना।
- नेटवर्क में सिंक्रोनाइज्ड डिजीटल हायरारकी सिस्टम (एस. डी. एच.) का अधिष्ठापन करके जंक्शन नेटवर्क का उन्नयन किया जा रहा है।
- घिसी–पिटी केबलों के स्थान पर फाइबर आधारित प्रणाली स्थापित किए जाने की योजना है।

(ii) सम्पर्क नेटवर्क में नई प्रौद्योगिकियां स्थापित की जा रही हैं :

नेटवर्क में निम्नलिखित प्रौद्योगिकियां स्थापित की जा रही हैं/स्थापित किए जाने की योजना है।

(क) वायर लाइन प्रौद्योगिकी में एच. डी. एस. एल. तथा ए. डी. एस. एल. जैसी नई प्रणालियों का विकास।

(ख) फाइबर आधारित प्रौद्योगिकी (एफ. एल. एल.)

(ग) बेतार प्रौद्योगिकी (डब्ल्यू. एल. एल.)

(iii) **सेवाओं में नई प्रौद्योगिकियां शुरू की जा रही हैं :**

नेटवर्क में नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके निम्नलिखित सेवाएं शुरू की जा रही हैं :

(क) इन्टेलीजेन्ट नेटवर्क सेवाएं (आई. एन.)

(ख) इन्टरनेट सेवा

(ग) एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड (ए. टी. एम.)

(घ) प्रबंधित पट्टा शुदा लाइन नेटवर्क

(ङ) ग्राहक को बिल जारी करने में समयान्तराल को कम करने के लिए मध्यस्थता व्यवस्था।

राजस्थान के लिए वित्तीय पैकेज

1716. **कर्नल सोनाराम चौधरी :** क्या प्रधानमंत्री 3 जून, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 102 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी राजस्थान को वित्तीय पैकेज जारी करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) जहां तक कृषि विकास का प्रश्न है राज्य में वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अतिरिक्त पश्चिमी राजस्थान के लिए अलग से कोई वित्तीय पैकेज नहीं है। राज्य के विभिन्न भागों के लिए नियोजन एवं विकास और इसके लिए धनराशि का आबंटन मूल रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में दूरदर्शन कवरेज

1717. **श्री कल्लाप्पा आवाडे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले के साहूवाडी, पानारा और राधानगरी पहाड़ी क्षेत्रों के लोग वहां पर टी. वी. टावर होने के बावजूद दूरदर्शन के प्रसारण से वंचित रहते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस क्षेत्र के लोगों को यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) से (ग) महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में कोल्हापुर और इचलकराजी में स्थित 2 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (अ. श. ट्रा.) तथा मलकापुर में स्थित अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के इस समय कार्य करने के बावजूद भी अत्यधिक अन्तःस्थ दूरी और स्थानीय भू–भागीय परिस्थितियों के कारण कोल्हापुर जिले के कुछ क्षेत्रों में स्थलीय टी. वी. कवरेज सीमित है। स्थान की उपलब्धता, परिणामी कवरेज की सीमा, निधियों की उपलब्धता और आधारभूत सुविधाओं व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए टी. वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है।

आम, नींबू, हरीतकी के पेड़ों में बीमारी

1718. **श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1998 में कतिपय कारणों से आम, नींबू, हरीतकी इत्यादि के पेड़ों में बीमारी लग जाने के कारण बाजार में उक्त उत्पाद कम मात्रा में उपलब्ध थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीमारी का पता लगाया जा चुका है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी बीमारी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) सरकार को जानकारी है कि आम एवं नींबू कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। तथापि 1998 के दौरान आम, नींबू एवं हरड़ आदि के वृक्षों में किसी नए रोग की सूचना नहीं मिली है। 1998 के दौरान उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु में आम के उत्पादन में मामूली कमी होने का पहला कारण उत्तर प्रदेश में प्रतिकूल वर्ष का होना एवं दूसरा कारण प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों का होना था जिसके कारण आम की फसल प्रभावित हुई। हरड़ एक जंगली पेड़ है एवं इसका उपयोग बागवानी वृक्षों के प्रसार में "रूट स्ट्रॉक" के रूप में किया जाता है। नींबू पर कार्कर, ट्विग ब्लाइट एवं फाइटोफ्थोरा रोगों के आक्रमण की सूचना मिली है। जिससे नींबू के उत्पादन में कमी आई।

(ग) नींबू एवं आम में रोगों के पुनः आक्रमण से बचने के लिए निम्नलिखित प्रतिरोधक उपाय किए गए हैं :

(i) रोगों के आक्रमण की पहचान के लिए उनकी नियमित मॉनिटरिंग करना।

(ii) पौध संरक्षण उपायों पर प्रदर्शनी।

(iii) उष्ण, शीतोष्ण एवं शुष्क क्षेत्र फलों के विकास के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्यों/के. शा. प्रदेशों को वित्तीय सहायता।

(iv) कृमियों एवं रोगों के नियंत्रण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कृमिनाशियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

उत्तर प्रदेश में कूड़े-कचरे से विद्युत उत्पादन

1719. श्री राजवीर सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए कूड़ा कचरा से बिजली पैदा करने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकार की क्या भूमिका है;

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत कितनी बिजली पैदा किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय शहरी, नगरीय तथा औद्योगिक अपशिष्ट से राष्ट्रीय ऊर्जा प्राप्ति कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कूड़े-कचरे से विद्युत उत्पादन के लिए परियोजनाओं की स्थापना भी शामिल है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य सहित सभी राज्य व संघ शासित प्रदेश सम्मिलित हैं तथा इस कार्यक्रम में इस प्रकार की परियोजनाओं की स्थापना के लिए कई प्रकार के राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान है। प्रोत्साहनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे परियोजना स्थल पर निःशुल्क कूड़े-कचरे की आपूर्ति सुनिश्चित करें, नाममात्र के किराए पर लम्बी अवधि के पट्टे पर आवश्यक भूमि उपलब्ध कराएं तथा इन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की निकासी, सम्प्रेषण, बैंकिंग, तृतीय-पक्ष बिक्री तथा राज्य बोर्ड द्वारा खरीद के लिए सुविधा उपलब्ध कराएं।

(ग) इस योजना को वर्तमान में नवीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की योजना बनाई गई है।

(घ) शहरी, नगरीय तथा औद्योगिक अपशिष्टों से देश में ऊर्जा उत्पादन की संभाव्यता कूड़े-कचरे से करीब 900 मेगावाट सहित लगभग 1700 मेगावाट है।

विवरण

शहरी, नगरीय तथा औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति पर राष्ट्रीय कार्यक्रम वित्तीय व राजकोषीय प्रोत्साहनों का विवरण

1. वित्तीय प्रोत्साहन

शहरी, नगरीय तथा औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे वित्तीय प्रोत्साहन इस प्रकार हैं :

(i) ब्याज आर्थिक राज सहायता

1.0 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट समतुल्य की अधिकतम पूंजीगत राशि के अध्यधीन संपूर्ण ऋण पुनः भुगतान अवधि के लिए ऋण राशि पर 10%।

(ii) निवेश आर्थिक राज सहायता

विद्युत उत्पादन परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपये/मेगावाट तक की परियोजना लागत में 50% की प्रत्यक्ष साम्या भागीदारी तथा अपशिष्ट से ईंधन परियोजनाओं के लिए 50.00 लाख रुपये।

(iii) शहरी, स्थानीय निकायों/नगरपालिका निगमों/राज्य नोडल एजेंसियों के लिए प्रोत्साहन

* नाममात्र किराए पर दीर्घकालिक पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुमोदन/समझौतों को अंतिम रूप देने, परियोजना स्थल पर निःशुल्क कूड़ा करकट उपलब्ध कराने तथा राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा विद्युत की निकासी, सम्प्रेषण, बैंकिंग व खरीद तथा इसकी तृतीय पक्ष की बिक्री के लिए उनके समन्वित क्रियाकलापों के अध्यधीन नगरपालिका निगमों/शहरी स्थानीय निकायों के लिए 15.00 लाख रुपये प्रति मेगावाट विद्युत।

* उपर्युक्त दर्शाए गए क्रियाकलापों में उनकी भागीदारिता के अध्यधीन राज्य नोडल एजेंसियों को 5.00 लाख रुपये प्रति मेगावाट विद्युत।

(iv) वित्तीय संस्थानों के लिए प्रोत्साहन

प्रतिपूर्ति आधार पर अधिकतम 2.00 लाख रुपये प्रति परियोजना के अध्यधीन लीड एफ.–1 के माध्यम से चैनलाइज्ड ब्याज आर्थिक राज सहायता कीन 2% की धनराशि।

(v) राज्य विद्युत बोर्ड के लिए प्रोत्साहन

* अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्य विद्युत बोर्ड निम्नलिखित प्रोत्साहनों के लिए पात्र है :–
* निकासी सुविधाओं के लिए उपकरण के लागत का 25% (अधिकतम 1.50 लाख रुपये प्रति मेगावाट)
* ग्रिड में डाली गई विद्युत के लिए नकद प्रोत्साहन।

प्रथम 50 मिलियन इकाई/वर्ष	–	5 पैसा/इकाई
अगले 100 मिलियन इकाई/वर्ष	–	4 पैसा/इकाई
अगले 150 मिलियन इकाई/वर्ष	–	3 पैसा/इकाई

(vi) डी. पी. आर., टी. ई. एफ. आर. इत्यादि की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता

अधिकतम 2 लाख रुपये के अध्यधीन लागत का 50%।

(vii) प्रदर्शन परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता

उभरती हुई प्रौद्योगिकियों/पैकेजों पर आधारित अभिनव प्रदर्शन परियोजना (ओ) की स्थापना के लिए राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि लागत सहित 3.0 करोड़ रुपये/मेगावाट तक सीमित परियोजना लागत के 50% तक की वित्तीय सहायता।

(vii) मलजल शोधन संयंत्रों (एस. टी. पी.) से ऊर्जा प्राप्ति के लिए वित्तीय सहायता

मलजल शोधन संयंत्रों (एस. टी. पी.) में विद्युत उत्पादन प्रणाली की बढ़ती हुई पूंजीगत लागत के 50% तक की वित्तीय सहायता।

2. राजाकोषीय प्रोत्साहन

(i) 100% त्वरित अवमूल्यन

(ii) अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर पांच वर्ष के लिए करावकाश

(iii) बायोगैस इंजनों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं

(iv) रियायती सीमा शुल्क (20% + 13% सी. वी. डी.)

(v) 100% आयकर छूट या 5.00 लाख रुपये की राशि जो भी कम हो।

मध्य प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन

1720. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मांडला जिले में सभी विकास खंडों और पंचायतों में टेलीफोन कनेक्शन देने की योजनाओं के संबंध में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) इन योजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश के मांडला जिले में दूरसंचार सुविधाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :

टेलीफोन एक्सचेंजों की सं. : 32

	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत
कुल	16	821
टेलीफोन सुविधा वाले	16	655
बिना टेलीफोन सुविधा वाले	शून्य	156

(ख) सभी बाकी 156 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2002 तक दूरसंचार सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग से मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर केन्द्र

1721. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग से मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1998–99 के दौरान ऐसे कितने केन्द्रों को मान्यता दिए जाने की संभावना है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने केन्द्रों की मान्यता रद्द की गई।

(घ) क्या सरकार को ऐसे किसी केन्द्र के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग कम्प्यूटर पाठ्यक्रम की मान्यता (डी. ओ. ई. ए. सी. सी.) योजना के अंतर्गत अनौपचारिक क्षेत्र (निजी सार्वजनिक) में 'ओ' (आधारभूत) 'ए' (उन्नत डिप्लोमा), 'बी' (स्नातक) तथा 'सी' (स्नातकोत्तर) जैसे विशिष्ट स्तर के कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चलाने के लिए 606 मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान हैं।

(ख) पहले से ही मान्यता प्राप्त संस्थानों के अतिरिक्त वर्ष 1998–99 में लगभग 100 संस्थानों को मान्यता प्रदान करने की संभावना है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान 350 संस्थानों की अनन्तिम मान्यता वापस ले ली गई है।

(घ) और (ङ) डी. ओ. ई. ए. सी. सी. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों के संबंध में समय-समय पर टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त हुए हैं। डी. ओ. ई. ए. सी. सी. संस्था की कार्य पद्धति के अनुसार एक विशेषज्ञ सदस्य को संस्थान में भेजा जाता है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर समुचित कार्रवाई की जाती है।

इन्टरनेट संबंधी नीति

1722. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्टरनेट संबंधी नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) सरकार ने विदेश संचार निगम लिमिटेड के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) भारतीय इन्टरनेट के साथ संयुक्त उद्यम में विदेशी इक्विटी का ब्यौरा क्या है;

(घ) निजी इन्टरनेट सेवा प्रदान करने वालों के लिए कितना लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है; और

(ङ) इनसेट क्षमता के उपयोग हेतु क्या कार्यविधि निर्धारित की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) इन्टरनेट नीति की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) प्राधिकृत सार्वजनिक/सरकारी संगठनों को, विदेश संचार निगम लि. के गेटवे के बजाय सीधे ही अन्तर्राष्ट्रीय पट्टाशुदा सर्किलों सहित अन्तर्राष्ट्रीय इन्टरनेट गेटवे सम्पर्क प्रदान करने की अनुमति है निजी इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं (आई. एस. पी.) को भी सुरक्षा संबंधी अनुमति प्राप्त करने के बाद उक्त अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे प्रदान करने की अनुमति है।

(ग) विदेशी इक्विटी, यदि कोई हो, की मौजूदा सरकारी नीति के अनुसार ही अनुमति होगी। इस समय, अनुमत्य विदेशी इक्विटी को अधिकतम मात्रा 49 प्रतिशत है।

(घ) 31.10.2003 तक प्रथम पांच वर्षों का लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया है। 1.11.2003 से पहले लाइसेंस प्राप्त करने वाले आई. एस. पी. के शेष अवधि के लिए 1.11.2003 के प्रति वर्ष मात्र एक रुपया लाइसेंस शुल्क देना पड़ेगा।

(ङ) इनसैट, एक बहु-एजेंसी, बहु-उद्देशीय भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली है। इनसैट क्षमता का आबंटन, इनसैट समन्वय समिति (आई. सी. सी.) नामक अन्तर-विभागीय सचिव स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। इन्टरनेट जैसी किसी भी नई सेवा हेतु प्राप्त विभिन्न प्रस्ताओं की, तकनीकी सलाहकार समूह (टी. ए. जी.) द्वारा तकनीकी दृष्टि से जांच की जाती है। टी. ए. जी. की सिफारिशों के आधार पर, आई. सी. सी., इनसैट क्षमताओं का आबंटन करती है।

विवरण

इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए नीति का सार

(क) 49 प्रतिशत अधिकतम विदेशी इक्वीटीधारक कोई भी भारतीय कंपनी पात्र है।

(ख) "क" श्रेणी सेवा क्षेत्र-संपूर्ण भारत, श्रेणी "ख" क्षेत्र-20 प्रांतीय दूरसंचार सर्किल, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता तथा चेन्नई महानगरों के साथ अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद तथा पुणे नामक चार बड़े शहर। श्रेणी "ग" सेवा क्षेत्र-दूरसंचार विभाग के गौण स्विचन क्षेत्रों में।

(ग) किसी भी आवेदक कंपनी को कितने भी लाइसेंस दिए जा सकते हैं तथा किसी क्षेत्र विशेष के लिए दिए जाने वाले लाइसेंसों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(घ) आवेदन पत्र का मूल्य 1000/-रु. है तथा प्रति आवेदन पत्र, पर की जाने वाली कार्रवाई का शुल्क 5000/-रु. है।

(ङ) लाइसेंस की अवधि-15 वर्ष।

(च) लाइसेंस शुल्क-प्रथम 5 वर्षों के लिए यह शुल्क माफ कर दिया गया है तथा इसके बाद की अवधि के लिए यह शुल्क 1/-रु. प्रति वर्ष लगेगा।

(छ) बैंक गारंटी-श्रेणी "क" सेवा क्षेत्र हेतु 2 करोड़ रुपए, श्रेणी "ख" सेवा क्षेत्र हेतु 20 लाख रुपए तथा श्रेणी "ग" सेवा क्षेत्र हेतु 3 लाख रुपए है।

(ज) अंतर्राष्ट्रीय संयोजकता (कनेक्टिवटी)-दूरसंचार विभाग, विदेश संचार निगम लि. अथवा अधिकृत सार्वजनिक/सरकारी संगठनों के माध्यम से सुरक्षा संबंधी अनुमति मिलने के बाद निजी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को गेटवे प्रदान करने की अनुमति है।

(झ) पारेषण लिंकों की स्थापना-निजी इंटरनेट सेवा प्रदाता, दूरसंचार, विभाग, लाइसेंसधारक बुनियादी सेवा प्रचालक, रेलवे राज्य बिजली बोर्डों, राष्ट्रीय पावर ग्रिड निगम इत्यादि से पट्टे पर पारेषण लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा प्रदाता अपने निजी पारेषण लिंक भी स्थापित कर सकते हैं बशर्ते कि ये लिंक किन्हीं अधिकृत स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो तथा इसके लिए प्राधिकारी की अनुमति ले ली गई है।

(ञ) इंटरनेट पर टेलीफोनों की अनुमति नहीं है।

दूरसंचार विभाग का निगमितिकरण

1723. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री वी. वी. राघवन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 12 नवम्बर, 1998 को दूरसंचार विभाग को स्टॉफ यूनियनों द्वारा इस विभाग के निगमितिकरण और तत्पश्चात् निजीकरण करने के विरोधस्वरूप एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका देश की दूरसंचार सेवाओं पर क्या असर पड़ा; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) दूरसंचार विभाग की कुछ गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों ने अपनी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी। दूरसंचार विभाग को निगम न बनाए जाने संबंधी मांग उन मांगों में से केवल एक मांग है। तथापि, इस समय लोक सभा में उठाए जा रहे निजीकरण के प्रश्न की मांग उनकी मांगों में नहीं है।

(ख) सांकेतिक हड़ताल के दिन अर्थात् दिनांक 12.11.98 को लोकल/एस. टी. डी./आई. एस. डी. सेवाएं पूरे देश में सामान्य रहीं। तथापि, मैनुअल ट्रंक सेवाओं तथा तार सेवाओं से संबंधित कार्य कलकत्ता टेलीफोन जिले में प्रभावित होने के साथ ही पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल तथा असम सर्किलों में भी इस कार्य पर कुछ प्रभाव पड़ा था। शेष सर्किलों में स्थिति लगभग सामान्य थी।

(ग) उनकी मांगों की जांच की जा रही है।

जम्मू कश्मीर को सहायता

1724. प्रो. चमन लाल गुप्त : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू कश्मीर में विभिन्न कृषि परियोजनाएं शुरू करने के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग के संबंध में जम्मू-कश्मीर सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निगरानी तंत्र

1725. श्री राजकुमार वंग्चा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अरुणाचल प्रदेश में सभी योजना निधियों के उचित उपयोग के लिए निगरानी तंत्र शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) योजना निधियों के समुचित उपयोग हेतु अपनाई गई मानीटरिंग क्रियाविधि राज्य-विशिष्ट नहीं है। योजना आयोग, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से व्यवस्थित आधार पर, अरुणाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों में योजना व्यय की प्रगति का निरीक्षण करता है।

2. प्रमुख योजना परियोजनाओं/स्कीमों तथा न्यूनतम बुनियादी सेवाओं जैसे कार्यक्रमों, जिनके लिए परिव्यय निर्धारित हैं, के निष्पादन की क्षेत्र निरीक्षण दौरों और विभिन्न स्तरों पर संबद्ध प्राधिकारियों के साथ अन्योन्य क्रियाओं के माध्यम से आवधिक समीक्षा की जाती है जिससे विकास कार्यक्रमों के तीव्र कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध निधियों का समुचित रूप से उपयोग किया जा सके।

[हिन्दी]

गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन

1726. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

श्री भीम दाहाल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) बिहार और सिक्किम के कितने गांवों में टेलीफोन सेवा उपलब्ध नहीं है;

(ख) इन राज्यों में टावर सिस्टम और केबल लाइनों के द्वारा अलग-अलग कितने गांवों में टेलीफोन लाइनें प्रदान की गई हैं;

(ग) टावर सिस्टम से संबद्ध गांवों में केबल लगाने का काम कब तक पूरा किया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) :

(क) बिहार 60120 ग्राम

सिक्किम 210 ग्राम

(ख) बिहार और सिक्किम में टावर प्रणाली और केबिल लाइनों पर निम्नानुसार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए :

राज्य	टावर प्रणाली पर टेलीफोन	केबल प्रणाली पर टेलीफोन
बिहार	10381	8379
सिक्किम	62	155

(ग) टावर प्रणाली से जुड़े ग्रामों में, केबिल बिछाने की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

दादरा और नागर हवेली में टेलीफोन सुविधा

1727. डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरा और नगर हवेली के जनजातीय क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा नहीं के बराबर है तथा लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों और असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस समय दादरा और नगर हवेली में जिला–वार कितने पी. सी. ओ. कार्यरत हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में इस केन्द्र शासित प्रदेश में कुछ और पी. सी. ओ. को स्वीकृति देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) दादरा एवं नागर हवेली के जनजातीय क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है। दादरा एवं नागर हवेली में निम्नलिखित स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं :

(i)	सिलवासा	–	4000 लाइन
(ii)	दादर	–	368 लाइन
(iii)	नारोली	–	184 लाइन
(iv)	दापड़ा	–	184 लाइन
(v)	खानवेल	–	184 लाइन
(vi)	सिली	–	88 लाइन

(ख) इस क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाएं उत्तरोत्तर रूप से प्रदान की जा रही हैं। मांग के आधार पर नए एक्सचेंजों की संस्थापना की जा रही है। निम्नलिखित स्थानों पर एक्सचेंजों में विस्तार कार्य चल रहा है :

दादर–2 x 256 सी–डॉट एक्सचेंज के स्थान पर 1000 लाइनों का सी–डॉट एक्सचेंज।

नारोजी–256 सी–डॉट एक्सचेंज के स्थान पर 512 लाइनों का सी–डॉट एक्सचेंज विस्तार कार्य पूरा हो जाने पर, इस क्षेत्र में और नए कनेक्शन दिए जाएंगे।

(ग) लोकल तथा एस. टी. डी./पी. सी. ओ. को मिलाकर दादरा एवं नागर हवेली में इस समय कुल 130 पी. सी. ओ. कार्य कर रहे हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) 37 और एस. टी. डी./पी. सी. ओ. का अनुमोदन मिल गया है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान इनको प्रदान किए जाने की आशा है।

(च) भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता है।

कपास प्रौद्योगिकी मिशन

1728. श्री जोगेन्द्र कवाडे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कपास उत्पादन को बढ़ाने हेतु किसानों को सुविधा देने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मिशन को कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां। केन्द्र सरकार ने किसानों को कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कपास प्रौद्योगिकी मिशन आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) मिशन 1999 के दौरान शुरू किए जाने की संभावना है।

आकाशवाणी/एफ. एम. स्टेशनों पर निदेशक के रिक्त पद

1729. श्री सुरेश कुरुप :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी समय से विभिन्न आकाशवाणी/एफ. एम. स्टेशनों में स्टेशन निदेशक के पद खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पदों को निर्धारित अवधि में नहीं भरे जाने का क्या कारण है;

(ग) क्या इन रिक्तियों के कारण विभिन्न आकाशवाणी/एफ. एम. स्टेशनों का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) और (ख) फीडर श्रेणी में उपयुक्त अधिकारियों की कमी के कारण 106 आकाशवाणी/एफ. एम. केन्द्रों में केन्द्र निदेशकों के पद वर्तमान में रिक्त पड़े हुए हैं।

(ग) उपलब्ध स्टाफ से काम चलाया जा रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि केन्द्र के काम पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(घ) अक्तूबर, 1997 की स्थिति के अनुसार फीडर ग्रेड में सभी उपयुक्त अधिकारियों को केन्द्र निदेशक के रूप में पहले ही पदोन्नत कर दिया गया है। अक्तूबर, 1998 तक के उपयुक्त अधिकारियों को पदोन्नत करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की अगली बैठक आयोजित करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

सिनेमा और दूरदर्शन धारावाहिकों में आपत्तिजनक दृश्यों का दिखाया जाना

1730. श्री के. पी. मुनूसामी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिनेमा और दूरदर्शन धारावाहिकों में विभिन्न धर्मों, जातियों, राज्यों और विभिन्न भाषा बोलने वाले व्यक्तियों को गलत ढंग से दिखाने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे दृश्यों को दिखाए जाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) सरकार को कुछ फिल्मों में ऐसे दृश्यों के बारे में शिकायतें/प्रेस रिपोर्टें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं।

(ख) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार फिल्मों की जांच की जाती है तथा उनको प्रमाणित किया जाता है। फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अंतर्गत बोर्ड को, मार्गदर्शी सिद्धान्त पहले ही जारी कर दिए गए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अन्य बातों, के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि जातिगत, धार्मिक या अन्य वर्गों के लिए अवमाननापूर्ण दृश्यों या शब्दों और सांप्रदायिक, रूढ़िवादी, अवैज्ञानिक या राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों को दिखाने वाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत नहीं किया जाए। सरकार ने दूरदर्शन के सभी कार्यक्रमों को अधिनियम के सेंसर संबंधी प्रावधानों से इस शर्त के अधीन छूट दी है कि प्रसारण हेतु कार्यक्रमों को स्वीकृत करते समय दूरदर्शन प्राधिकारी फिल्म प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखेंगे। तद्नुसार, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले, धारावाहिकों के प्रसारण से पहले, उनका दूरदर्शन द्वारा गठित समितियों द्वारा पूर्वदर्शन किया जाता है।

कश्मीर मुद्दा

1731. श्री बलराम सिंह यादव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल के संयुक्त राष्ट्र आम सभा सत्र के दौरान कश्मीर मुद्दा पुनः उठाया है;

(ख) यदि हां, तो यह मुद्दा किस प्रकार से उठाया गया; और

(ग) इस पर भारत की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 23 सितम्बर, 1998 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के तिरपनवें सत्र में अभिभाषण में कश्मीर मसले को परम्परागत रूप में विस्तार दिया। उन्होंने भारतीय सेनाओं द्वारा कश्मीर के "कब्जे" और "कश्मीर के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार" से इंकार का आरोप लगाया तथा संयुक्त राष्ट्र से कश्मीर संबंधी सुरक्षा परिषद् के संकल्पों को क्रियान्वित करने के लिए "उपयुक्त कार्रवाई" करने और तनाव कम करने तथा विश्वास उत्पन्न करने का आह्वान किया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और समितियों में कार्यवृत्त की विभिन्न मदों पर अपने वक्तव्यों में भी कश्मीर का उल्लेख किया था। हमने पाकिस्तान के निराधार और निर्मूल आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में 24 सितम्बर, 1998 के अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया था कि भारत एक पड़ोसी देश द्वारा समर्थित और शह प्राप्त आतंकवाद से लगभग दो दशकों से जूझ रहा है और हमने इसे धैर्य के साथ बर्दाश्त किया, किन्तु इस चुनौती को दबाने के लिए हमारे संकल्प के प्रति किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षिक किया कि आतंकवाद एक ऐसी चुनौती है जो हम सभी को समान रूप से प्रभावित करती है तथा जिसे केवल संगठित अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा ही पराजित किया जा सकता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की विकास दर

1732. श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए निर्धारित वार्षिक विकास लक्ष्य कितना है;

(ख) क्या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ऋण उपलब्ध कराने वाले घरेलू संस्थानों की प्राथमिकता सूची में है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की विकास दर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) कोई विशिष्ट विकास लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) वैसे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ऋण उपलब्ध करवाने वाले घरेलू संस्थानों की प्राथमिकता सूची में नहीं है। लेकिन कृषि और लघु क्षेत्र ऋण उपलब्ध कराने वाले संस्थानों की प्राथमिकता सूची में है इसलिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को भी कुछ प्राथमिकता मिल जाती है।

(घ) प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग की वृद्धि, विकास और संवर्धन के लिए मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार, अनुसंधान और विकास, मानव संसाधन विकास, गुणवत्ता नियंत्रण और अन्य संवर्धनात्मक कार्यों के लिए आसान शर्तों पर ऋण या अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता देता है।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न नीतिगत उपाय जिसमें अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करना शामिल है, कर रही है और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के लिए उत्पाद और सीमा शुल्क में वित्तीय राहतें उपलब्ध करा रही है।

नई दूरसंचार नीति

1733. श्री मदन पाटील : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूरे देश में अत्याधुनिक संचार तंत्र उपलब्ध कराने, ग्रामीण टेलीफोन सेवा में तेजी लाने तथा दूरसंचार के क्षेत्र में हो रहे बदलावों संबंधी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नई दूरसंचार नीति बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार के उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में दूरसंचार पर एक ग्रुप का पहले ही गठन कर लिया है। इस ग्रुप में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सदस्य शामिल किए गए हैं।

फिल्म आधारित कार्यक्रमों के प्रसारण समय की दर

1734. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने फिल्म आधारित लोकप्रिय कार्यक्रमों के प्रसारण समय की दरों में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन परिवर्तनों की आवश्यकता किन कारणों से हुई;

(ग) क्या निर्माताओं ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में नये डाकघर

1735. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 के दौरान उड़ीसा उड़ीसा में विशेषकर मुख्य क्षेत्र में जिले–वार कितने नये डाकघर शाखा/उप–डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) सरकार द्वारा राज्य में डाक सेवाओं में सुधार के साथ–साथ डाक–सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) उड़ीसा सर्किल में 10 (दस) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 2 (दो) विभागीय उप–डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें। डिवीजन/जिला–वार लक्ष्य संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) राज्य में डाक/मेल सेवाओं को बेहतर बनाने तथा इनका आधुनिकीकरण करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है :

(i) चालू वर्ष के दौरान 30 आधुनिकीकृत डाकघरों में बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें स्थापित की गई हैं। 50 नई मशीनों की आपूर्ति की गई है।

(ii) एस. बी. लेन सुविधा बारह (12) डाकघरों में मुहैया कराई गई है। एस. बी. सी. ओ. को अठारह (18) डाकघरों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं।

(iii) भुवनेश्वर, सम्बलपुर और बेहरामपुर में 24 डाकघरों में ई. एस. एम. ओ. सहित बी. एस. ए. टी. केन्द्र कार्य कर रहे हैं। और अधिक ई. एस. एम. ओ. केन्द्रों के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(iv) भुवनेश्वर आर. एम. एस. में कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण छंटाई शुरू की गई है। कटक आर. एम. एस. में भी कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(v) भुवनेश्वर और झारसुगुडा स्थित सिटी छंटाई कार्यालयों का आधुनिकीकरण कर दिया गया है। और अधिक आर. एम. एस. कार्यालयों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है। भुवनेश्वर ट्रांजिट मेल आफिस को भी कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

विवरण

वर्ष 1998–99 के लिए डाकघर खोलने का लक्ष्य उड़ीसा सर्किल के लिए कवर किए जाने वाले डिवीजन/जिले

क्र. सं.	डिवीजन का नाम	कवर किए जाने वाले जिले	विभागीय उप–डाकघरों के लिए आबंटित लक्ष्य		अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों के लिए आबंटित लक्ष्य	
			सामान्य	जनजातीय	सामान्य	जनजातीय
1.	भुवनेश्वर	खुर्दा	1	–	–	
2.	सुन्दरगढ़	सुन्दरगढ़	–	1	–	–
3.	बालासोर	बालासोर	–	–	1	–
4.	पुरी	पुरी, नयागढ़ और खुर्दा	–	–	1	–
5.	कटक दक्षिण	कटक और जगतसिंहपुर	–	–	1	–
6.	कटक उत्तर	कटक और जाजपुर	–	–	1	–
7.	भद्रक	भद्रक	–	–	1	–
8.	बेरहामपुर	गंजम व गजपति	–	–	1	
9.	मयूरभंज	मयूरभंज	–	–		1
10.	क्योंझर	क्योंझर	–	–	–	1
11.	कालाहांडी	कालाहांडी और नौपारा	–	–		1
12.	कोरापुट	कोरापुट, मलकानगिरि रायगडा और नवरंगपुर	–	–		1
		कुल	1	1	6	4

धान का उत्पादन

1736. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में धान की गहन–खेती के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार द्वारा धान की खेती के लिए कितना धन मांगा गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां। केरल सरकार ने अपने दिनांक 5.10.98 के पत्र के माध्यम से "खाद्य उत्पादन दोगुना करने के एक भाग के रूप में सघन दृष्टिकोण के माध्यम से केरल में चावल के उत्पादन को बढ़ाने हेतु परियोजना" नामक एक परियोजना–प्रस्ताव भेजा है।

(ख) परियोजना में जो कार्यकलाप घटक शामिल है, वे हैं– (1) कृषि संबंधी सामूहिक कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण, (2) उच्च गुणवत्ता वाले उच्च पैदावार किस्मों के बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, (3) धान के खेतों में कृषि यंत्रीकरण, (4) फसल कटाई पश्चात् रख–रखाव तथा विपणन में सुधार लाना, (5) मुफ्त विद्युत आपूर्ति, (6) सिंचाई अवसंरचना विकास के लिए सहायता, (7) धान विकास अभिकरणों के अवसंरचनात्मक विकास के लिए सहायता, (8) धान बोर्ड की स्थापना, (9) केरल कृषि विश्वविद्यालय (के. ए. यू.) को अनुसंधान संबंधी सहायता, (10) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र के लिए पुनः बुआई/पुनः पौध रोपण हेतु आकस्मिक निधि बनाना, (11) पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए राजसहायता, और (12) आई. सी. डी. पी.–चावल के लिए अतिरिक्त आबंटन। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 383.275 करोड़ रु. है जो पांच साल की अविध के लिए होगी। चालू आई. सी. डी. पी.–चावल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार का वर्ष

1998–99 के लिए 70.00 लाख रु. के अतिरिक्त आबंटन का अनुरोध मान लिया गया है।

[हिन्दी]

'नासा' और नोवा' के साथ समझौता

1737. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष अमरीका के 'नेशनल एयरोनाटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन' और 'नेशनल ओसियानिक एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन' के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत भारत के 'इनसैट' और अमरीका के जिओ–स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंट सैटेलाइट तथा अनुसंधान और सक्रिय उपग्रहों के बीच मौसम विज्ञानीय आंकड़ों का आदान–प्रदान आरम्भ हो गया है;

(ग) क्या भारत के हाल के परमाणु परीक्षण का इस आदान–प्रदान कार्यक्रम पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संचार संपर्क के पिक–अप प्वाइंट अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं। दोनो पक्षों की ओर से आंकड़ों का आदान–प्रदान संपर्क की स्थापना के बाद ही शुरू हो सकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

1738. श्री रामटहल चौधरी :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस कार्यक्रम को बिहार में किस प्रकार से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) इस संबंध में अभी तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य में कार्यक्रम के वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई. आर. ई. पी.) का उद्देश्य एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजनाओं और परियोजनाओं की तैयारी एवं कार्यान्वयन के जरिए नियमित एवं उत्पादक उद्देश्यों हेतु ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का ईष्टतम मिश्रण उपलब्ध कराना है। केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र इस कार्यक्रम के घटक हैं। केन्द्रीय क्षेत्र के घटक में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना शामिल है जिसके अंतर्गत एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजनाओं एवं परियोजनाओं की तैयारी एवं कार्यान्वयन करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में क्षमताओं को विकसित किया जाता है। इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना में राज्य एवं जिला/ब्लॉक स्तरीय आई. आर. ई. पी. परियोजना सैलों में व्यावसायिक तथा सहायक स्टाफ और परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के प्रावधान सहित इन स्टाफ के प्रशिक्षण और विस्तार के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्रदर्शन परियोजनाओं की निधियों, विभिन्न ऊर्जा युक्तियों, विस्तार और ब्लॉक स्तरीय एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम की योजनाओं एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अन्य संबंधित कार्यकलापों हेतु वित्तीय प्रोत्साहनों सहित राज्य क्षेत्र के परिव्यय का उपयोग आई. आर. ई. पी. की योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किया जाता है। ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास हेतु अन्य जारी योजनाओं और कार्यक्रमों से प्राप्त निधियों एवं संसाधनों का उपयोग आई. आर. ई. पी. के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय एककीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना के भाग के रूप में यथासंभव आई. आर. ई. पी. ब्लॉकों में किया जाता है। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना का प्रमुख उद्देश्य खासकर कमजोर वर्गों के लिए खाना पकाने, रोशनी और गर्म करने हेतु न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकताएं उपलब्ध कराना और आई. आर. ई. पी. ब्लॉकों में आर्थिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में ऊर्जा उपलब्ध कराना है।

(ख) से (ङ) वर्तमान में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई. आर. ई. पी.) का कार्यान्वयन बिहार में 16 ब्लॉकों में किया जा रहा है। वर्ष 1997–98 के दौरान भारत सरकार द्वारा आई. आर. ई. पी. के कार्यान्वयन हेतु 40 अतिरिक्त ब्लॉकों की मंजूरी दी गई थी। वर्ष 1997–98 के दौरान मंजूर किए गए 40 ब्लॉकों में से 9 ब्लॉकों हेतु सर्वेक्षणों पर आधारित परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त, बिहार राज्य में इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक राज्य स्तरीय आई. आर. ई. पी. सैल, दो जिला स्तरीय तकनीकी बैकअप यूनिट और एक राज्य स्तरीय तकनीकी बैकअप यूनिट की स्थापना की गई है। बिहार सरकार का ऊर्जा विभाग और बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (बी. आर. ई. डी. ए.) बिहार में आई. आर. ई. पी. के कार्यान्वयन के लिए क्रमशः नोडल विभाग और नोडल एजेंसी है। इस कार्यक्रम हेतु राज्य की भागीदारी को नियमित आधार पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि राज्य में कार्यक्रम के वांछित परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें।

[अनुवाद]

सरसों की खरीद

1739. श्री रंजीव विस्वाल :

श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों को अपने उत्पाद बेचने में कोई कठिनाई हो रही है;

(ग) क्या किसानों ने इस आशंका से कि अपमिश्रित सरसों काण्ड के परिणामस्वरूप सरसों की मांग कम होगी, कम पैमाने पर सरसों की खेती की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि चालू मौसम में तिलहनों के उत्पादन में कमी न हो?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चले जाने पर मूल्य समर्थन स्कीम के तहत सरसों के बीज सहित दलहन तथा तिलहन की खरीद के लिए भारत सरकार ने नेफेड को केन्द्रीय नोडल एजेन्सी नामित किया है।

(ख) जी, नहीं। चूंकि रबी 1998 मौसम के दौरान सरसों बीज की कीमतें मूल्य समर्थन स्तर से ऊपर रहीं, अतः किसानों को अपना उत्पादन बेचने में कोई परेशानी नहीं हुई।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरसों बीज की बुआई के रुख के बारे में राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चालू मौसम में तिलहन का क्षेत्र कवरेज सामान्य रहने की आशा है।

(ङ) भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 1998 में रबी अभियान पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों में जागृति अभियान, अच्छी क्वालिटी के बीजों का प्रयोग, राष्ट्रीय बीज निगम/भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा क्वालिटी बीजों की आपूर्ति आदि उपायों पर राज्यों से विचार-विमर्श किया गया।

महाराष्ट्र द्वारा धनराशि का उपयोग

1740. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997-98 के वित्त वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार ने गरीबों के उत्थान हेतु महाराष्ट्र को कुल कितनी धनराशि प्रदान की;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजनार्थ आबंटित राशि का उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार ने धनराशि का उपयोग नहीं करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से इसके कारण पूछे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर महाराष्ट्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) वित्त वर्ष 1997-98 के दौरान महाराष्ट्र में गरीबों के उत्थान हेतु केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का वित्तीय निष्पादन नीचे दिया गया है :

(करोड रुपए)

कार्यक्रम	आबंटन			व्यय	प्रतिशत
	केन्द्र	राज्य	कुल	(अनंतिम)	व्यय
आई. आर. डी. पी.	46.94	46.94	93.88	93.96	100.09
जे. आर. वाई.	169.27	42.32	211.59	214.39	101.32
ई. ए. एस. $	113.34	28.34	141.68	149.36	105.42
आई. ए. वाई.	97.80	24.45	122.25	168.57	137.89
एम. डब्ल्यू. एस.	37.87	9.47	47.34	48.56	102.58

$ जारी की गई, क्योंकि ई. ए. एस. के अतर्गत कोई राज्यवार आबटन नही किए गए हैं।

(आई. आर. डी. पी.--एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जे. आर. वाई.--जयाहर रोजगार योजना, ई. ए. एस.--रोजगार आश्वासन स्कीम, आई. ए. वाई.--इंदिरा आवास योजना, एम. डब्ल्यू. एस.--मिलियन कूप स्कीम)

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

केरल में सिंचाई परियोजनाएं

1741. श्री टी. गोविन्दन :

श्री ए. सी. जोस :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से राज्य में वृहत्, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी धनराशि आबंटित करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) केरल सरकार से अनुमोदन के लिए प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सिंचाई लाभ (हजार हैक्टेयर में)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (अद्यतन)
1.	ककरापारा–कुरियारकुट्टी बहुउद्देश्यीय परियोजना	39.64	231.03
2.	अट्टापाडी सिंचाई परियोजना (मध्यम)	8.38	83.67

(ग) सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी स्वयं की निधियों से एवं अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

डाई अमोनियम फॉस्फेट

1742. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में डाई अमोनियम फॉस्फेट के अतिरिक्त बफर स्टाक बनाने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु क्या रणनीति अपनाई गई है;

(ग) क्या यह कार्य उनके मंत्रालय को सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) इन उर्वरकों की मांग में होने वाली अचानक कोई वृद्धि या अप्रत्याशित रूप से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने डाइमोनियम फास्फेट तथा म्यूरियेट आफ पोटाश का क्रमशः 2.00 लाख मी. टन और 55,000 मी. टन तक का बफर स्टॉक रखने का निर्णय लिया है। जहां आवश्यक हो, कृषि एवं सहकारिता विभाग के निवेशों के तहत बफर स्टॉक को बनाने, उसका रख–रखाव करने तथा उसका प्रचालन करने वाली एजेंसी के रूप में मैसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेड अभिज्ञात किया गया है। देश के अलग–अलग भागों में विभिन्न अभिज्ञात स्थानों पर बफर स्टॉक का रख–रखाव किया जाएगा।

पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय

1743. श्री महबूब जहेदी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवीं लोक सभा की स्थायी समिति ने अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन में अनुसंधान एवं शैक्षिक सुविधाओं के विकास हेतु प्रत्येक राज्य में एक ऐसे पृथक पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की है जो कृषि विश्वविद्यालयों से पूर्णतया मुक्त हो;

(ख) यदि हां, तो क्या आई. सी. वी. आर. की स्थापना हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पासपोर्ट जारी करना

1744. श्री रूपचंद मुर्मू : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पासपोर्ट जारी करने का कार्य भारतीय दूतावास करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में विशेषज्ञों अर्थात् क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारियों की सेवाएं इसी कार्य के लिए नहीं लिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन विशेषज्ञों की सेवाएं विदेशों से पासपोर्ट जारी करने के कार्यों हेतु लिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यही नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के अधिकारियों की तैनाती उनके संवर्ग में लागू नियमों द्वारा अधिशासित होती है। विदेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों और केन्द्रों के कोंसली स्कन्धों में तैनात अधिकारी पासपोर्ट और वीजा जारी करने से संबद्ध कार्यों और अन्य सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए सक्षम होते हैं।

[हिन्दी]

कम्प्यूटर पर इंटरनेट सुविधा के कारण अश्लीलता

1745. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटरों पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होने के परिणामस्वरूप कई स्थानों पर अश्लील चित्र दिखाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या कुछेक स्थानों पर छोटे–छोटे क्लब स्थापित किए गए हैं जो इंटरनेट पर अश्लील फिल्में दिखाते हैं और अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिससे भारतीय संस्कृति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने मामले की जांच की है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या रणनीति अपनाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क)

और (ख) जब कभी इस प्रकार की घटना सरकार की जानकारी में आती है तो इंटरनेट पर इस प्रकार की अश्लील फिल्मों का प्रदर्शन रोक दिया जाता है ?

(ग) से (च) सरकार को ऐसे किसी क्लब की मौजूदगी की जानकारी नहीं है।

टेलीफोन सलाहकार समिति

1746. श्री महेश्वर सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में टेलीफोन सलाहाकार समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन किस तारीख को हुआ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस समिति का गठन कब किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) इस समय मंडी दूरसंचार जिले की टोलीफोन सलाहकार समिति (टी. ए. सी.) में कुल्लू जिला शामिल है। टी. डी. एम. के नियंत्रण में कुल्लू गौण स्विचन क्षेत्र का उन्नयन कर दिए जाने के परिणामस्वरूप कुल्लू दूरसंचार जिले के लिए अलग से एक टेलीफोन सलाहकार समिति गठित की जा रही है।

[अनुवाद]

सिंचाई प्रबंधन

1747. श्री के. पी. नायडू : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल संसाधन मंत्रालय ने भागीदारी सिंचाई प्रबंधन हेतु नौवीं योजना नीति प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग इस प्रस्ताव से सहमत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपने मूल प्रस्ताव में, उन सिंचाई परियोजनाओं हेतु भागीदारी सिंचाई प्रबंधन (पी. आई. एम.) संबंधी एक नई स्कीम के लिए 118 करोड़ रु. का प्रस्ताव किया था, जिन्हें वर्तमान केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) नौवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है; अतः क्षेत्रकीय निवेशों को अभी तय किया जाना है।

सर क्रीक विवाद

1748. श्री नरेश पुगलीया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक विवाद के संबंध में वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच विवाद के कौन-कौन से मुद्दे रहे; और

(ग) विवाद निपटाने हेतु हुई इस वार्ता का क्या निष्कर्ष रहा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) 9 नवम्बर, 1998 को नई दिल्ली में संयुक्त बातचीत प्रक्रिया के एक भाग के रूप में भारत और पाकिस्तान ने सर क्रीक मसले पर बातचीत की। इन वार्ताओं के दौरान सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि चूंकि भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा इस क्षेत्र में सीमा को सुलझा हुआ मान लिया गया है, इस निर्धारित और चिन्हित सीमा को औपचारिक रूप दे दिया जाना चाहिए। सरकार ने यह भी प्रस्ताव रखा कि सर क्रीक में सीमा का विलंबित औपचारीकरण, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र सीमा से शुरू होकर भूमि की ओर जाते हुए समुद्र की ओर से भारत पाकिस्तान सामुद्रिक सीमा के परिसीमन पर विचार किया जाना चाहिए। इस मामले में वार्ता जारी रखने पर सहमति हुई है।

सार्क सम्मेलन

1749. श्री माधव राव सिंधिया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1998 में कोलम्बो में सम्पन्न सार्क सम्मेलन में की गई परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व की संकल्पना की दिशा में "एशियान" की तर्ज पर सार्क देशों का निकाय बनाए जाने संबंधी प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर सार्क के विभिन्न सदस्य देशों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ख) उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री ने नाभिकीय हथियार मुक्त विश्व की दिशा में एक उपाय के रूप में सार्क देशों का आसियान किस्म का एक निकाय बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना का एक प्रस्ताव है जिसे सभी सार्क देशों ने स्वीकार कर लिया है। जुलाई, 1998 में सम्पन्न कोलम्बो शिखर-सम्मेलन में सभी सार्क नेता दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना से संबद्ध संधि पर बातचीत शुरू करने और वर्ष 2001 तक इस संधि को संपन्न करने पर जोर देने पर सहमत हुए।

[हिन्दी]

उर्वरक का मूल्य

1750. श्री विठ्ठल तुपे :

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

डॉ. प्रभा ठाकुर :

श्री राजवीर सिंह :

श्री दादा बाबूराव परांजपे :

श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यूरिया के मूल्यों में वृद्धि करने का विचार है तथा उर्वरकों के मूल्य निर्धारित करने के लिए उर्वरक उत्पादकों और सप्लायरों को खुली छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका गरीब किसानों पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) उर्वरकों के मूल्यों में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार इस मूल्य वृद्धि से किसानों को राहत दिलाने के लिए कदम उठा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने न्यूनतम दर तथा पर्याप्त मात्रा में किसानों को विभिन्न उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिये कोई नीति बनाई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका है; और

(ज) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) यूरिया ही एकमात्र नियंत्रित उर्वरक है एवं इसका खेत पर मूल्य (फार्मगेट मूल्य) सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्तमान खेत पर मूल्य जो 3660 रु. प्रति मी. टन है, में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विनियंत्रित पोटाश एवं फॉस्फेट उर्वरकों जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट, पोटाश म्यूरिएट, सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं विभिन्न श्रेणी के मिश्रणों के मामले में भी सरकार ने अधिकतम खुदरा मूल्य की घोषणा चालू रबी मौसम के दौरान कर दी है।

(च) से (ज) विभिन्न उर्वरकों को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार यूरिया के लिए राजसहायता एवं खेत पर मूल्य निर्धारित करती है एवं विनियंत्रित उर्वरकों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य निश्चित करती है। राज्यवार आबंटनों के माध्यम से यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाता है। कीटनाशियों के मामले में विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लाना, सीमा एवं उत्पाद शुल्क कम करना एवं उनके आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत लाना शामिल है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

1751. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों को विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण से विमुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के कर्मचारियों के कल्याण और प्रशासनिक मामलों की सुनवाई करने के लिए कोई पृथक इकाई गठित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के कर्मचारियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जांच करने हेतु कोई दल गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु क्या समय-सारिणी आवश्यक होगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। इस प्रयोजन के लिए वर्तमान प्रशासनिक रूपरेखा को पर्याप्त समझा जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जैव गैस प्रौद्योगिकी

1752. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उन कृषि विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्हें जैव गैस प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार भागलपुर कृषि महाविद्यालय में उपरोक्त विषय पर शिक्षा प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य

मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) बिहार राज्य में बायोगैस प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण के प्रोत्साहन के लिए सहायता केन्द्रीय क्षेत्र योजना–राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत बिहार अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (बी. आर. ई. डी. ए.), खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (के. वी. आई. सी.) तथा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (ए. आई. डब्ल्यू. सी.) जैसी राज्य नोडल एजेंसी के माध्यम से दी जाती है। तथापि, वर्तमान में, बिहार राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों को परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल नहीं किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 1998–99 के लिए बिहार राज्य को आबंटित 500 पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों तथा एक सामुदायिक अथवा संस्थानिक संयंत्र के लक्ष्य की प्राप्ति को बायोगैस संयंत्रों के निर्माण में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भागलपुर कृषि महाविद्यालय सहित किसी भी कृषि महाविद्यालय की भागीदारिता पर निर्भर नहीं माना गया है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में दूरदर्शन के प्रसारण में बाधा

1753. वैद्य विष्णु दत्त : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल आपरेटर्स की चालबाजी के कारण दूरदर्शन के प्रसारण में बाधा पड़ती है और जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं देख पाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की गतिविधि को रोकने और दूरदर्शन प्रसारण की फ्रीक्वेंसीज के उन्नयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) प्रसार भारती को केबल उपभोक्ताओं से दूरदर्शन चैनलों का घटिया प्रसारण प्राप्त होने की शिकायतें मिलती रही थीं। इस मामले की जांच करने के बाद प्रसार भारती ने दूरदर्शन चैनलों का प्रसारण प्राप्त करने और दूरदर्शन द्वारा स्थानीय प्रसारण हेतु उपयोग किए जाने वाले चैनलों को छोड़कर वी. एच. एफ. चैनलों पर उनके वितरण हेतु केबल आपरेटरों द्वारा डिश एन्टेना प्रतिष्ठापित करने का प्रावधान करने की दृष्टि से केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की थी। प्रसार भारती के इस प्रस्ताव पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है। दिनांक 31.12.97 की अद्यतन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पूरे जम्मू तथा कश्मीर राज्य में जम्मू, श्रीनगर आदि शहरों में केवल 12 पंजीकृत केबल आपरेटर कार्यरत हैं।

वर्तमान में, जम्मू तथा कश्मीर में दूरदर्शन के 2 स्टूडियो और 45 ट्रांसमीटर हैं तथा कथुआ, पुंछ एवं ऊधमपुर में स्थित ट्रांसमीटरों की क्षमता बढ़ाने हेतु स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं। बटालिक, बेफलियाज, दारहाल, रिंगडोम कोम्पा, त्रियाल एवं तरटोक में छः (6) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर भी कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अलावा, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में 28 और ट्रांसमीटर (3 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर एवं 25 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर) स्थापित करने का प्रस्ताव है बशर्ते निधियां उपलब्ध हों। जम्मू तथा कश्मीर में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु अधिक निधियां प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

स्थानीय काल सुविधा

1754. श्री इन्द्रजीत मिश्र : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, खलीलाबाद तथा मेंहदवाल और बस्ती जिलों में स्थानीय काल सुविधा उपलब्ध कराये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों पर अब तक यह सुविधा प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्रों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं। नीति के अनुसार लोकल काल की सुविधा अल्प दूरी के प्रसारण क्षेत्र (एस. डी. सी. ए.) जो सामान्यतः तहसील की तरह होता है। हालांकि नीति के अनुसार निकटवर्ती अल्प दूरी के प्रसारण क्षेत्रों के बीच भी 180 सेकेण्ड पल्स दर पर इण्टरडायलिंग की सुविधा प्रदान की गयी है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होते।

नई कृषि नीति

1755. श्री रामपाल सिंह :

डॉ. प्रभा ठाकुर :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री दिन्शा पटेल :

श्री प्रभूदयाल कठेरिया :

श्री पंकज चौधरी :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री राजो सिंह :

डॉ. रवि मल्लू :

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया :

श्री प्रदीप कुमार यादव :

श्री जोगेन्द्र कवाडे :

श्री के. पी. नायडू :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पाद बढ़ाने और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार का पूरे देश के लिए एक नई कृषि नीति बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) कृषि संबंधी राष्ट्रीय नीति प्रारूपण के अंतिम चरण में है। इसका उद्देश्य भूमि तथा जल संसाधनों के सतत प्रबंध के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध तथा संरक्षण करना है। इसमें कृषि के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक संसाधनों में पर्यावरण की दृष्टि से गैर अवक्रमणीय, तकनीकी रूप से सुदृढ़ आर्थिक रूप से व्यवहार्य तथा सामाजिक रूप से स्वीकार्य सुधार लाने की कल्पना की गई है। उक्त प्रयोजनार्थ इस नीति की उपलब्धियां इस प्रकार होंगी :

- भूमि तथा जल संसाधनों के सतत विकास के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन आधार का संरक्षण एवं जैव विविधता का संरक्षण;
- खाद्यान्न संबंधी आत्मनिर्भरता को कायम रखना;
- अधिक रोजगार सृजित करना, अधिक पारिवारिक आय तथा कृषि प्रणाली के विविधीकरण से गरीबी कम करना;
- वर्षासिंचित कृषि पर बल देकर और क्षमतावान क्षेत्रों का विकास करके क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करना;

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा को मजबूत करना;

- कृषि विस्तार का पुनर्निर्माण करके इसे अधिक मांग उन्मुखी तथा कृषक स्वीकार्य बनाना;
- आदानों का दक्षतापूर्वक उपयोग;
- सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाकर ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विस्तार;
- विपणन संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य दिलाना तथा कृषि क्षेत्र की वृद्धि के लिए अनुकूल आर्थिक वातावरण तैयार करना;

कृषि प्रसंस्करण तथा उन्नत कटाई पश्चात् सुविधाओं के माध्यम से कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ाना;

- ग्रामीण ऋण संस्थाओं में आमूल परिवर्तन करना तथा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को ऋण देने में वृद्धि के लिये ऋण को बीमे के साथ संबद्ध करना;
- अधिक कृषि निर्यात तथा भारतीय जिन्स मंडियों को विश्व बाजार से सम्बद्ध करना;
- कृषकों तथा कृषि प्रसंस्करण करने वालों में गुणवत्ता के प्रति जागृति लाना और गुणवत्ता परीक्षण के लिए सुविधाओं का विकास करना;
- कृषि क्षेत्र को उद्योग के समान लाभ दिलाना;
- उपभोक्ता समुदाय की अधिक सहभागिता;
- महिलाओं तथा ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना;
- भूमि सुधार लागू करके अधिक समता को बढ़ावा देना।

सार्वजनिक टेलीफोन और डाकघर

1756. श्री अनन्त गंगाराम गीते :

श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिलावार ऐसे कितने गांव हैं जिनमें टेलीफोन और डाकघर सुविधाएं हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष–वार और श्रेणी–वार कितने डाकघर खोले गये/दर्जा बढ़ाया गया; और

(ग) नये डाकघर खोलने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा अक्तूबर, 1998 तक इन आवेदनों की स्थिति क्या थी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) :

(क) **दूरसंचार**

महाराष्ट्र में 40023 ग्राम हैं जिनमें से 28948 ग्रामों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इसके जिला–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

डाक–महाराष्ट्र में कुल 11404 ग्रामों में डाकघर की सुविधा प्रदान की गई है। इसके जिला–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र में खोले गए/उन्नयनशुदा डाकघरों की संख्या 89 है। इसके जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण–III में दिए गए हैं।

(ग) डाकघर खोलने के संबंध में प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या 244 है।

– 115 मामलों में डाकघर खोलने का औचित्य नहीं पाया गया।

– 15 डाकघर खोलने की मंजूरी दे दी गई है।

– 114 प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

विवरण–I

क्र. सं.	जिला	टेलीफोन सुविधा प्राप्त ग्रामों की संख्या
1	2	3
1.	अकोला	1144
2.	अमरावती	1106
3.	भण्डारा	1076
4.	चन्द्रपुर	966
5.	गढ़चिरोली	387
6.	वर्धा	766
7.	यवतमाल	970
8.	रायगढ़	1441
9.	रतनागिरी	607
10.	सिन्धुदुर्ग	478
11.	नासिक	1423
12.	धुले	1194
13.	लातूर	909
14.	नांदेड़	1031
15.	परभनी	1122
16.	जलगांव	1340
17.	बुल्धाना	961
18.	सांगली	695
19.	सतारा	1250
20.	सोलापुर	1107
21.	ओसमानाबाद	551
22.	अहमदनगर	1430
23.	बीड़	856
24.	औरंगाबाद	830
25.	जालना	806
26.	कल्याण	993
27.	कोल्हापुर	1117
28.	नागपुर	1283
29.	पुणे	1109
	जोड़	28948

विवरण–II

क्र. सं.	जिला	डाक सुविधा प्राप्त ग्रामों की संख्या
1	2	3
1.	औरंगाबाद	242
2.	जालना	200
3.	बीड	299
4.	धूले	425
5.	जलगांव	664
6.	नासिक	609
7.	नांदेड़	420
8.	परभनी	283
9.	लातूर	272
10.	ओसमानाबाद	261
11.	रतनागिरि	628
12.	कोल्हापुर	503
13.	सांगली	382
14.	सिन्धुदुर्ग	357
15.	सतारा	624
16.	सोलापुर	474

1	2	3
17.	अहमदनगर	611
18.	पुणे	640
19.	थाणे	452
20.	रायगढ़	420
21.	मुंबई	—
22.	अकोला	364
23.	अमरावती	405
24.	भंडारा	289
25.	बुल्धाना	328
26.	चंद्रपुर	310
27.	गढ़चिरोली	181
28.	नागपुर	251
29.	वर्धा	165
30.	यवतमाल	345
	जोड़	11404

विवरण–III

खोले गए/उन्नयनशुदा डाकघरों की संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	1995-96		1996-97		1997-98	
		खोले गए	उन्नयन शुदा	खोले गए	उन्नयन शुदा	खोले गए	उन्नयन शुदा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0
2.	जालना	2	0	0	0	0	0
3.	बीड	0	0	0	0	0	0
4.	धुले	1	0	1	0	0	0
5.	नंदुरबार	1	0	2	0	1	0
6.	जलगांव	0	0	0	0	2	0
7.	नासिक	1	0	2	0	2	0
8.	नांदेड	0	0	0	1	1	0
9.	परभनी	0	0	0	1	2	0
10.	ओसमानाबाद	0	0	2	0	1	0
11.	लातूर	1	0	2	0	1	0
12.	सांगली	0	0	0	0	0	0
13.	कोल्हापुर	2	0	1	0	1	0
14.	रतनागिरी	0	0	2	0	2	0
15.	सिन्धुदुर्ग	0	0	1	0	3	0
16.	सतारा	1	0	1	1	0	0
17.	सोलापुर	0	0	0	0	1	0
18.	अहमदनगर	1	0	2	0	2	0
19.	पुणे	2	1	4	0	3	0
20.	थाणे	1	0	3	0	1	0
21.	रायगढ़	0	0	3	0	4	1
22.	मुंबई	0	0	1	0	0	0
23.	अकोला	0	0	0	0	0	0
24.	अमरावती	0	1	1	0	0	0
25.	बुल्धाना	0	0	0	0	2	0
26.	भण्डारा	0	0	0	0	2	0
27.	चन्दुपुर	0	0	0	0	1	0
28.	गढ़चिरोली	0	0	5	0	0	0
29.	नागपुर	0	0	3	0	0	0
30.	वर्धा	0	0	0	0	0	0
31.	यवतमाल	0	0	0	0	1	0
	जोड़	13	2	37	3	33	1

[हिन्दी]

विकास दर

1757. डॉ. सुशील इन्दौरा :

श्री चेतन चौहान :

श्री दिन्शा पटेल :

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

श्री दत्ता मेघे :

श्री के. एस. राव :

श्री डी. एस. अहिरे :

श्री माधवराव पाटील :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी वार्षिक विकास दर 6.5 प्रतिशत बनाए रखने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) योजना आयोग ने नवम्बर, 1998 में अपनी पिछली बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद को, नौंवी योजना के पांच वर्षों में, जी. डी. पी. वृद्धि की लक्ष्य दर में 7.0 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत तक प्रतिवर्ष औसत कमी लाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। इसे वर्ष 1997–98 (नौवीं योजना का प्रथम वर्ष) के दौरान 5.1 प्रतिशत वृद्धि की वास्तविक प्राप्ति तथा वर्ष 1998–99 (योजना का द्वितीय वर्ष) के दौरान लगभग 6 प्रतिशत वृद्धि की अनुमानित प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया गया है। इस लक्ष्य में योजना के शेष तीन वर्षों के दौरान 7 प्रतिशत औसत से अधिक वृद्धि निहित है।

सूरजमुखी की खेती

1758. श्री जयसिंह जी चौहान : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यवार सूरजमुखी की खेती का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात में सूरजमुखी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष प्रयास किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) 1996–97 तथा 1997–98 के दौरान सूरज मुखी की खेती के तहत आने वाले क्षेत्र का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) सूरजमुखी सहित तिलहन की खेती के संवर्धन के लिए गुजरात सहित 23 राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को बीज उत्पादन व वितरण, बीज मिनिकिटों का वितरण, स्प्रिंकलर सेटों, उन्नत कृषि उपस्करों, जिप्सम/पाइराइट, सूक्ष्म पोषक तत्त्वों और राइजोबियम कल्चर आदि के वितरण जैसे महत्त्वपूर्ण आदानों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है। इसके अतिरिक्त उन्नत उत्पादन तथा संरक्षण प्रौद्योगिकियों के प्रचार के लिए किसानों के खेतों पर अग्रणी व सामान्य प्रदर्शन भी आयोजित किये जाते हैं। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत गुजरात को 1996–97 और 1997–98 के दौरान क्रमशः 666 लाख और 1142 लाख रु. की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

विवरण

सूरजमुखी की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

(क्षेत्र 000 हैक्टे. में)

क्रम सं.	राज्य	क्षेत्र	
		1996–97	1997–98
1.	आंध्र प्रदेश	298.4	340.0
2.	बिहार	7.5	8.0
3.	गुजरात	0.0	10.0
4.	हरियाणा	61.6	100.0
5.	कर्नाटक	876.0	986.0
6.	मध्य प्रदेश	10.3	9.0
7	महाराष्ट्र	537.9	413.0
8.	नागालैण्ड	2.8	
9.	उड़ीसा	2.0	4.0
10.	पंजाब	120.0	95.0
11.	राजस्थान	2.0	2.0
12.	तमिलनाडु	42.8	39.0
13.	उत्तर प्रदेश	32.7	33.0
14.	पश्चिम बंगाल	1.1	1.0
15.	अन्य	0.0	3.0
	योग	1995.1	2043.0

रिक्त स्थान भरना

1759. श्री अनूपलाल यादव : क्या **संचार** मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के दरभंगा जिले में 1997 से आज तक ई. डी. डी. ई./एम. सी. तथा ई. डी. बी. पी. एम. के कितने पद भरे गए;

(ख) इनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी कितने थे;

(ग) क्या उक्त नियुक्ति में भ्रष्टाचार के आरोप का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या त्रिमुहानीघाट, बड़ेरा और दरभंगा में उक्त पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया;

(च) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने कोई जांच करवाई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) दरभंगा जिले में भरे गए अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट/डाक वाहक तथा अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर के पदों की संख्या निम्नानुसार है :

(1)	अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट–सह–अतिरिक्त विभागीय डाक वाहक	–	15
(2)	अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर	–	11

(ख) इनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है :

(1)	अनुसूचित जाति	–	2
(2)	अनुसूचित जनजाति	–	शून्य

(ग) और (घ) उक्त नियुक्तियों के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोप वाले दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ये इस प्रकार हैं :

(1) दरभंगा महानगर जनता दल के अध्यक्ष ने अपने प्रतिवेदन में यह आरोप लगाया है कि दरभंगा डाक डिवीजन के अंतर्गत भराथी उप–डाकघर के साथ सम्बद्ध कंसी अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर में अतिरिक्त विभागीय डाक वाहक की नियुक्ति में गैरकानूनी परितोषण की मांग की गई थी।

(2) श्री जयकांत सादा ने, जो कि अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार थे, यह आरोप लगाया है कि त्रिमुहानीघाट अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर में गैर कानूनी परितोषण लेकर ऐसे उम्मीदवार को अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट/डाक वाहक के पद पर नियुक्त किया गया तो वास्तव में अनुसूचित जाति का नहीं था। इनकी जांच की जा रही है।

(ङ) से (छ) जहां तक त्रिमुहानीघाट में अनुसूचित जाति/जनजाति उम्मीदवारों की नियुक्ति का संबंध है, कृपया भाग (घ) का उत्तर देखें। बडेरा और दरभंगा में ऐसी नियुक्तियों के संबंध में मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, बिहार से, जांच के लिए संबंधित ब्यौरा प्राप्त किया जा रहा है।

बिहार में टेलीफोन एक्सचेंज

1760. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए टेलीफोन एक्सचेंज को मंजूर करने के लिए क्या मापदंड हैं;

(ख) वर्तमान में बिहार में कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं;

(ग) 1997–98 के दौरान स्थान–वार कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए;

(घ) क्या सरकार का विचार 1998–99 के दौरान राज्य में कुछ नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) नए टेलीफोन एक्सचेंज की मंजूरी उस स्थान के लिए दी जाती है, जहां टेलीफोन कनेक्शन के लिए पंजीकृत दत्त मांग 10 या इससे अधिक हो और वह स्थान मौजूदा एक्सचेंज के स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत न आता हो।

(ख) इस समय बिहार में 852 टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं।

(ग) 1997–98 के दौरान 25 टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए थे। स्थान–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण–I

1997–98 के दौरान स्थान–वार खोले गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या

क्र. सं.	स्थान	क्षमता	किस्म
1	2	3	4
1.	सतवारा	88	सी–डॉट 128 पी
2.	सरफुद्दीनपुर	88	सी–डॉट 128 पी
3.	मजोरगंज	56	एम. आई. एल. टी.–64
4.	इसवापुर	88	सी–डॉट 128 पी
5.	मरार	184	सी–डॉट 256 ए
6.	बसिया	88	सी–डॉट 128 पी

1	2	3	4
7.	मोहनपुर	194	सी–डॉट 256 ए
8.	चारिया बारीआरपुर	152	सी–डॉट 256 बी
9.	धनौरा	152	सी–डॉट 256 बी
10.	गंगौर	152	सी–डॉट 256 बी
11.	मघगाई	88	सी–डॉट 128 पी
12.	हेमजापुर	88	सी–डॉट 128 पी
13.	घोसी	88	सी–डॉट 128 पी
14.	ओरहनपुर	88	सी–डॉट 128 पी
15.	बंका बाजार	88	सी–डॉट 128 पी
16.	गुरुआ	88	सी–डॉट 128 पी
17.	सैयदपुर	184	सी–डॉट 256 ए
18.	विजयहाट	88	सी–डॉट 128 पी
19.	प्रताप सागर	88	सी–डॉट 128 पी
20.	मैथोन	272	सी–डॉट 256 ए + 128 पी
21.	मलाही	88	सी–डॉट 128 पी
22.	चेनारी	88	सी–डॉट 128 पी
23.	मुरली चौक	88	सी–डॉट 128 पी
24.	टेकटर	152	सी–डॉट 256 बी
25.	अलीनगर	184	सी–डॉट 256 ए

विवरण–II

1998–99 के दौरान स्थान–वार स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे

क्र. सं.	स्थान	क्षमता	टाइप
1	2	3	4
1.	हटगामारिया	152	सी–डॉट 256 बी
2.	कोपा	152	सी–डॉट 256 बी
3.	गरपुरा	184	सी–डॉट 256 ए
4.	फतेहपुर	152	सी–डॉट 256 बी
5.	जनता बाजार	152	सी–डॉट 256 बी
6.	अड्डहा	88	सी–डॉट 128 पी
7.	अमरपारा	184	सी–डॉट 256 ए
8.	करमानी	88	सी–डॉट 128 पी
9.	रानीपतरा	88	सी–डॉट 128 पी
10.	गलगालिया	88	सी–डॉट 128 पी
11.	बरहाराकोठी	88	सी–डॉट 128 पी
12.	नेमडरगंज	88	सी–डॉट 128 पी
13.	महानडा	88	सी–डॉट 128 पी
14.	डिहराल	88	सी–डॉट 128 पी
15.	सिओहार	88	सी–डॉट 128 पी
16.	सरसे	88	सी–डॉट 128 पी
17.	चेवाड़ा	88	सी–डॉट 128 पी
18.	फरदा	152	सी–डॉट 256 बी
19.	घोरघाट	88	सी–डॉट 128 पी
20.	नडौल	88	सी–डॉट 128 पी
21.	सम्पतचाक	152	सी–डॉट 256 बी
22.	नया सराय	88	सी–डॉट 128 पी
23.	टोटो	88	सी–डॉट 128 पी
24.	गाईघाट	88	सी–डॉट 128 पी
25.	चुहारी	88	सी–डॉट 128 पी
26.	दरियापुर	88	सी–डॉट 128 पी
27.	आलमगंज बाजार	88	सी–डॉट 128 पी
28.	कोंच	88	सी–डॉट 128 पी
29.	किंगेर	88	सी–डॉट 128 पी
30.	भोजूडीह	88	सी–डॉट 128 पी

खाद्यान्नों का उत्पादन

1761. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री विठ्ठल तुपे :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष खाद्यान्नों के उत्पादन की तुलना में वर्तमान में देश में राज्यवार खाद्यान्नों की कुल मांग और उनका वास्तविक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या इस वर्ष सामान्य मानसून होने के बावजूद खाद्यान्न के उत्पादन में कमी आने की संभवना है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) 1995–96 से 1997–98 के दौरान होने वाले राज्यवार खाद्य उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। खाद्यान्नों की राज्यवार मांग उपलब्ध नहीं है। हालांकि देश में खाद्यान्न की वर्तमान मांग लगभग 196 मिलियन मी. टन होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) मानसून के अंतिम भाग में भारी वर्षा होने और देश के कुछ भागों में बाढ़ और चक्रवात के आ जाने से इस वर्ष खरीफ की फसल का उत्पादन पिछले वर्ष से थोड़ा कम होने का अनुमान है, हालांकि रबी की फसल की संभावना अच्छी है। बुआई की प्रगति पिछले वर्ष से अच्छी है और आदानों की उपलब्धता भी संतोषजनक है। अब तक मौसम की स्थिति बुआई तथा पौधरोपण दोनों के अनुकूल है। जलाशय का स्तर भी अच्छा है।

(घ) देश में खाद्यान्नों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार चावल/गेहूं/मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम, एवं राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चला रही है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, स्थान विशिष्ट संकर किस्मों के प्रयोग, समेकित कीट प्रबंध को अपनाने, सूक्ष्म सिंचाई सहित वैज्ञानिक जल प्रबंध के प्रचार, उन्नतम फार्म उपस्करों के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इसके अलावा, किसानों के खेतों पर प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं, जिसमें किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना शामिल है, ताकि प्रौद्योगिकी का प्रभावी अंतरण किया जा सके। इसके साथ शासन हेतु राष्ट्रीय कार्यसूची के अंतर्गत सरकार ने क्षेत्रीय रूप से विशिष्ट वृद्धि कार्यनीति अपनाकर, कृषि अवसंरचना के सृजन तथा संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग को अपनाकर अगले दस वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन को दो गुना करने के लिए नए तरीके से बल दिया है।

विवरण

खाद्यान्नों का उत्पादन

(लाख मी. टन)

राज्य	1995–96	1996–97	1997–98 (संभावित)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	116.7	126.8	102.9
असम	35.6	35.3	36.0
बिहार	129.5	141.3	132.9
गुजरात	41.0	52.1	57.0
हरियाणा	101.4	114.5	111.5
हिमाचल प्रदेश	13.6	12.9	13.3
जम्मू व कश्मीर	14.7	13.2	17.1
कर्नाटक	86.5	92.7	84.7
केरल	9.7	8.6	8.3
मध्य प्रदेश	180.7	195.6	173.1
महाराष्ट्र	116.0	145.9	100.7
उड़ीसा	68.0	48.3	68.5
पंजाब	198.1	215.6	211.2
राजस्थान	95.7	128.4	139.8
तमिलनाडु	64.1	76.5	86.4
उत्तर प्रदेश	383.7	426.9	421.9
पश्चिम बंगाल	128.8	137.4	144.9
अखिल भारत	1804.2	1993.2	1931.2

[अनुवाद]

कृषि लागत और मूल्य आयोग

1762. श्री सी. पी. राधाकृष्णन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि लागत तथा मूल्य आयोग के कार्य की समीक्षा का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र हेतु वार्षिक योजना परिव्यय

1763. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री विठ्ठल तुपे :

श्री डी. एस. अहेरे :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के लिए वार्षिक योजना परिव्यय को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दो वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में इसका क्या प्रतिशत है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने आबंटन में वृद्धि करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा महाराष्ट्र के लिए वार्षिक योजना 1998–99 हेतु 11600.73 करोड़ रुपये का परिव्यय, पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है जो वार्षिक योजना 1996–97 तथा 1997–98 के संशोधित परिव्ययों से क्रमशः 51.64 प्रतिशत और 38.22 प्रतिशत अधिक है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सब्जियों के बीज

1764. श्री आनन्दरत्न मौर्य :

प्रो. प्रेमसिंह वन्दूमाजरा :

श्री पंकज चौधरी :

डॉ. चिन्ता मोहन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आलू, प्याज, बंदगोभी और मटर जैसी सब्जियों की पैदावार में वृद्धि करने के लिए किसानों को रियायती दरों पर सब्जियों के बढ़िया किस्म के बीज उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) भारत सरकार दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें अर्थात् (i) सब्जी बीजों का उत्पादन एवं आपूर्ति एवं (ii) कन्द एवं मूल फसलों का विकास, क्रियान्वित कर रही है, जिनके अन्तर्गत देश के सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में किसानों को विभिन्न सब्जी बीजों एवं आलू कन्दों के अधिक राजसहायता प्राप्त मिनिकिट वितरित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

भारतीय भाषाओं का पढ़ाया जाना

1765. श्री श्रीराम चौहान : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि दक्षिण अफ्रीका सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय भाषाओं का पढ़ाया जाना बंद कर दिया है और भारतीय मूल के लोगों ने इस कार्यवाही पर विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ इस मामले को उठाया गया है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) डरबन–बेस्टाविल्ले विश्वविद्यालय और प्रान्तीय शिक्षा विभाग से भारतीय भाषाओं के पठन–पाठन को पुनर्व्यवस्थित करने का प्रस्ताव है। इस विषय पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) भारत सरकार इस संबंध में घटनाओं की सूक्ष्म रूप से निगरानी कर रही है।

डाक भवन का निर्माण

1766. श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में अनेक डाकघरों के अपने कार्यालय भवन नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्य के लिए कुल कितने किराए का भुगतान किया गया ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) किराए के भवनों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में अदा किया गया कुल किराया 7,56,27,242/–रु. है।

विवरण

जिले का नाम	किराए के भवनों में डाकघरों की संख्या
महाराष्ट्र राज्य	
मुंबई	215
थाणे	103
रायगढ़	61
बुलधाना	21
अमरावती	41
अकोला	36
वर्धा	23
यवतमाल	38
नागपुर	102
भंडारा	27
चन्द्रपुर	30
गढ़चिरोली	13
औरंगाबाद	39
परभनी	21
नांदेड़	40
नासिक	76
जालना	26
लातूर	23
बीड	28
धुले	50
जलगांव	70
उसमानाबाद	29
पुणे	184
सतारा	82
अहमदनगर	101
सोलापुर	86
कोल्हापुर	89
रत्नागिरि	72
सांगली	73
सिंधुदुर्ग	55

सौर ऊर्जा

1767. श्री एस. एस. ओवेसी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सौर ऊर्जा से ग्रामीण विद्युतीकरण की लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का वर्तमान मूल्य निर्धारण नीति में संशोधन करने का विचार है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में प्रतिवर्ष कुल कितनी सौर ऊर्जा का उत्पादन किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) भारत सरकार प्रकाशवोल्टीय और तापीय पद्धतियों के जरिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। सौर ऊर्जा के माध्यम से सौर लालटेनों, घरेलू रोशनी प्रणालियों, सड़क रोशनी और जल पंपन प्रणालियों जैसी निजी प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां लगाकर अथवा ग्रामीण स्तर के प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से कुछ प्रणालियों की लागत में 10% की वृद्धि हुई है। इस लागत वृद्धि के कारणों में आयातित सामग्रियों पर सीमा शुल्क में बढ़ोत्तरी, सिलिकॉन वेफर्स पर उत्पाद शुल्क लगाने, बैटरियों, स्टील संरचनाओं की कीमतों में आम वृद्धि इत्यादि शामिल हैं।

(ग) सरकार के पास ऐसी प्रणालियों के लिए मूल्य निर्धारण नीति नहीं है। केवल केन्द्र सरकार द्वारा दी गई आर्थिक राज सहायता निर्धारित की जाती है और उसकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में संस्थापित सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों से निम्नलिखित विद्युतीय ऊर्जा उत्पादित करने का अनुमान करने का अनुमान है :

वर्ष	अनुमानित ऊर्जा मिलियन कि. वा. घंटे में उत्पादित
1995–96	0.69
1996–97	0.83
1997–98	0.96

इसके अतिरिक्त, यह अनुमान लगाया गया है कि राज्य में संस्थापित/वितरित की गई सौर जल तापन प्रणालियां और सौर कुकर जैसी सौर तापीय प्रणालियां प्रतिवर्ष लगभग 7.34 मिलियन किवा. घंटे (तापीय) ऊर्जा उत्पादित करती हैं।

मूल्य वर्धित सेवाएं

1768. श्री अभयसिंह एस. भोंसले : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या दूरसंचार विभाग ने हाल ही में कुछ मूल्य वर्धित सेवाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सेवाएं निगमित गृहों तथा व्यापारियों द्वारा ठुकरा दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इन सेवाओं की विफलता के क्या कारण हैं; और

(ङ) उत्पादों, विकास संबंधी स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल में इंदौर के स्थान पर आई. एन. सेवाएं हाल ही में शुरू की गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) इन सेवाओं में वृद्धि करने के लिए बाजार एजेंटों की नियुक्ति करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

टी. वी. सीरियल के अनुमोदन के मानदण्ड

1769. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

श्रीमती रानी नरह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा टी. वी. सीरियलों के चयन हेतु अपनाए जाने वाले मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या पहले से दिखाए जा रहे अनेक टी. वी. सीरियलों को अचानक अपने एपीसोड समाप्त करने के लिए कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) प्रसार भारती ने दूरदर्शन की कमीशंड कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत टेलीविजन धारावाहिकों के चयन हेतु मोटे तौर पर निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए हैं :

(1) दूरदर्शन की आवश्यकताओं के अनुरूप कहानी, विषय–वस्तु या विषय की प्रासंगिकता;

(2) विषय/पटकथा का निरूपण;

(3) प्रसारण संहिता का अनुपालन; और

(4) निर्देशक, कार्यकारी निर्माता, लेखक, कर्मियों आदि का पिछला रिकार्ड।

जहां तक प्रायोजित कार्यक्रमों का संबंध है, दूरदर्शन ऐसे कार्यक्रमों को अनुमोदित करने का प्रयास करता है जो मनोरंजन के साथ–साथ उच्च सामाजिक मूल्यों का प्रचार–प्रसार करते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रशिक्षण पर जाने वाले अधिकारी

1770. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विभाग–वार केन्द्र सरकार के कितने अधिकारी प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गये;

(ख) क्या इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था देश में नहीं है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार का प्रशिक्षण देश में ही देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान, तकनीकी सहयोग–कार्यक्रम के तहत विदेशों में प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किए गए केन्द्र सरकार के अधिकारियों की संख्या से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने अधिकांश कार्मिकों को उनके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण हेतु देश के भीतर स्थित प्रशिक्षण–संस्थानों में ही भेजते हैं। तथापि, जिस तरह के विदेशी प्रशिक्षण–कार्यक्रमों हेतु अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है, वे देश के भीतर संचालित विभिन्न प्रशिक्षण–कार्यक्रमों में सुलभ वातावरण और अनुभव की तुलना में बहुत ही अलग तरह का वातावरण एवं अनुभव प्रदान करते हैं। विदेशों में ऐसे प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त अधिकारियों को अन्य देशों से आए प्रतिभागियों से पारस्परिक वैचारिक आदान–प्रदान का अवसर प्राप्त होता है तथा उन्हें विकसित देशों में सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में हुए नवीनतम सुधारों की जानकारी भी मिलती है। देश में ही स्थित प्रशिक्षण–संस्थानों द्वारा उस तरह के प्रशिक्षण की प्रतिकृति कर पाना या उसे प्रतिस्थापित कर पाना संभव प्रतीत नहीं होता जिसके लिए अधिकारियों को विदेशों में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्ष के दौरान, कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग द्वारा तकनीकी सहयोग–कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए गए केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की संख्या :

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष 1995	1996	1997
कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग	121	136	128
गृह–मंत्रालय	34	28	22
कृषि–मंत्रालय	41	18	17
पर्यावरण तथा वन–मंत्रालय	180	66	83
मानव–संसाधन–विकास–मंत्रालय	62	75	43
शहरी कार्य तथा रोजगार–मंत्रालय	53	24	27
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण–मंत्रालय	25	5	11
भूतल–परिवहन–मंत्रालय	19	6	3
उद्योग–मंत्रालय	42	31	36
योजना–आयोग	11	17	15
श्रम–मंत्रालय	7	7	12
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय	28	18	4
वित्त–मंत्रालय	57	45	47
रेल–मंत्रालय	26	6	6
वाणिज्य–मंत्रालय	3	—	4
पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस–मंत्रालय	2		—
सूचना एवं प्रसारण–मंत्रालय	1	—	1
विदेश–मंत्रालय	—	1	1
संचार–मंत्रालय	17	5	6
ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार–मंत्रालय	37	21	7
संसदीय कार्य–मंत्रालय	2	4	4
न्याय विभाग, गृह–मंत्रालय	—	10	10
विधि–कार्य–विभाग	3	4	6
कोयला–मंत्रालय	20	21	1
विद्युत–मंत्रालय	6	11	6
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी–मंत्रालय	9	6	8

विवरण

पिछले तीन वर्ष के दौरान, कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग द्वारा तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए गए केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की संख्या :

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष 1995	1996	1997
सांख्यिकी–विभाग	2	3	3
खान–मंत्रालय	1	8	1
नागर विमानन–मंत्रालय	6		2
इलैक्ट्रॉनिकी विभाग	1	2	4
अंतरिक्ष–विभाग	—	—	1
रक्षा–मंत्रालय	2		4
जल–संसाधन–मंत्रालय	4	1	5
इस्पात–मंत्रालय	3	—	5
रसायन तथा पैट्रोरसायन–मंत्रालय	2	1	1
कम्पनी–कार्य–विभाग	1	—	—
वस्त्र–मंत्रालय		—	1
खाद्य और नागरिक आपूर्ति–विभाग	1		
कुल योग	829	580	535

टिप्पणी : उपर्युक्त आंकड़ों में देश के विभिन्न हिस्सो में कार्यरत किन्तु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रशिक्षण हेतु नामित किए गए अधिकारी शामिल हैं।

कर्नाटक और तमिलनाडु में कोप्पल और सेलम में आकाशवाणी के रिले स्टेशन

1771. श्री एच. जी. रामुलू :

श्री टी. आर. बालू :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1998–99 के दौरान कर्नाटक को कोप्पल तथा तमिलनाडु में सलेम में आकाशवाणी के रिले स्टेशन स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी प्रणाली

1772. श्री रवि सीताराम नायक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान गोवा के किन–किन जिलों में अत्यधिक उच्च फीक्वेंसी प्रणाली का विस्तार किया गया है;

(ख) इस पर कितना व्यय किया गया है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) उत्तरी और दक्षिणी गोवा के जिलों में विस्तार कार्य कर दिया गया है।

(ख) प्रत्येक जिले में लगभग 63 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं।

(ग) वे ग्राहक सीधे लाभान्वित हैं, जो उन टेलीफोन एक्सचेंजों से जुड़े हुए हैं, जहां ये प्रणालियां संस्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त विश्व के किसी भी भाग से इन ग्राहकों को कॉल करने वाले व्यक्ति भी इससे लाभान्वित हैं।

दूरदर्शन नेटवर्क की कवरेज संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट

1773. श्री गिरिधर गमांग : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन नेटवर्क की समुचित योजना और विकास के लिए दूरदर्शन द्वारा जितने क्षेत्रों में दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, उनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार के पास उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सूचना के स्रोत क्या हैं;

(ग) क्या शेष देश के पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अभी भी उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर, कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर तथा अति कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जनजातीय उपयोजना की अवधारण के अंतर्गत उक्त क्षेत्र के लिये कोई विशेष योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नक़वी): (क) और (ख) दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार/उन्नयन करने की स्कीमें विभिन्न केन्द्रों द्वारा समय–समय पर किए गए रिसेप्शन सर्वेक्षणों और विभिन्न मंचों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर तैयार की जाती हैं।

(ग) से (ङ) हालांकि दूरदर्शन के कार्यक्रम उपग्रह प्रणाली के जरिए पहाड़ी, जनजातीय और उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण देश में उपलब्ध हैं जिन्हें उपयुक्त डिश एन्टीना पद्धति का प्रयोग करके देखा जा सकता है तथापि दूरदर्शन का अपनी परियोजनाओं को अंतिम रूप देते समय स्थल की उपयुक्तता, निधियां और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और परिणामी कवरेज जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी/दूर–दराज/उत्तर–पूर्वी क्षेत्र/सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण देश में अपनी स्थलीय सेवा का विस्तार/उन्नत करने का सतत् प्रयास रहता है।

इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज

1774. श्री दिनेश पटेल :

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यवार कितने इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यवार कितने इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज खोलने के लिए वित्तीय आबंटन का ब्यौरा क्या है और नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य के लिए कितना अनुमानित वित्तीय आबंटन किया गया ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में खोले गए इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की राज्य–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की राज्य–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों के लिए कोई पृथक वित्तीय आबंटन नहीं किया जाता है परंतु इन पर आने वाले व्यय को "लोकल टेलीफोन सिस्टम" शीर्ष के तहत दर्ज किया जाता है। एम. टी. एन. एल. सहित आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस शीर्ष के तहत दर्ज किया जाने वाला वास्तविक व्यय 27680.91 करोड़ रुपए था।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में "लोकल टेलीफोन सिस्टम" के लिए एम. टी. एन. एल. सहित 59099.03 करोड़ रुपए के वित्तीय आबंटन का प्राक्कलन है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की संख्या	नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की सं.
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1199	355
2.	अंडमान निकोबार	9	9
3	अरुणाचल प्रदेश	27	32
4.	असम	121	135
5.	बिहार	509	196
6.	दिल्ली	93	54
7.	गोवा	19	26
8.	गुजरात (दमन, दीव, दादरा एवं नागर हवेली सहित)	1035	228
9.	हरियाणा	459	241
10.	हिमाचल प्रदेश	391	120
11.	जम्मू एवं कश्मीर	230	80
12.	कर्नाटक	397	487
13.	केरल (लक्षद्वीप सहित)	477	245
14.	मध्य प्रदेश	1681	121
15.	महाराष्ट्र	953	1975
16.	मणिपुर	7	25
17.	मेघालय	11	31
18.	मिजोरम	22	32
19.	नागालैंड	2	26
20.	उड़ीसा	602	200
21.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	625	356
22.	राजस्थान	1147	500
23.	सिक्किम	8	39
24.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	1004	213
25.	त्रिपुरा	8	739
26.	उत्तर प्रदेश	583	941
27.	पश्चिम बंगाल	500	30

सेल्यूलर ऑपरेटरों पर आयात शुल्क का भार

1775. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 सेल्यूलर ऑपरेटरों ने मोबाइल टेलीफोन पर सम्पूर्ण आयात शुल्क में अत्यधिक कमी करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ज्ञापन दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त ज्ञापन पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारतीय सेल्युलर प्रचालक संघ (सी. ओ. ए. आई.) ने स्थिति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिसमें सेल्युलर सचल टेलीफोन सेवा से सम्बद्ध विभिन्न मुद्दों का उल्लेख किया गया है। उक्त दस्तावेजों में उल्लिखित एक मुद्दा सेल्यूलर हैण्डसेटों पर आयात शुल्क कम करने से भी संबंधित है।

(ग) सी. ओ. ए. आई. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की जांच की जा रही है।

(घ) चूंकि इसमें अनेक पेचीदा मुद्दे शामिल हैं, अतः कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

पाक अधिकृत कश्मीर को खाली कराना

1776. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री नरेश पुगलिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाक अधिकृत कश्मीर को खाली कराने के प्रश्न पर पाकिस्तान वार्ता से कतरा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत कुछ माह के दौरान इस मामले पर हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) पाकिस्तान से भूमि खाली कराने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई नई नीति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) जम्मू तथा कश्मीर का सम्पूर्ण राज्य भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग है। इस राज्य के क्षेत्र का एक भाग पाकिस्तान के अनधिकृत और जबरन कब्जे में है। शिमला समझौते के अन्तर्गत भारत सभी भारत–पाकिस्तान मसलों को प्रत्यक्ष द्विपक्षीय बातचीत के जरिए शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

संयुक्त बातचीत की प्रक्रिया के भाग के रूप में भारत और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में 17 अक्तूबर, 1998 को विदेश सचिवों के स्तर पर जम्मू और कश्मीर के बारे में बातचीत की। भारत ने यह बात दोहराई कि जम्मू तथा कश्मीर का विधिक दर्जा स्पष्ट है और इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। हमने पाकिस्तान के अनधिकृत कब्जे वाले जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्र में लोगों की दुर्दशा के प्रति पाकिस्तान का ध्यान भी आकर्षित किया।

[हिन्दी]

प्रतिबंध हटाया जाना

1777. श्री ब्रजमोहन :

श्री अमरपाल सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री के विशेष दूत श्री जसवंत सिंह ने परमाणु विस्फोटों के पश्चात् किन–किन देशों का दौरा किया;

(ख) उनकी विदेश यात्राओं के दौरान कौन–कौन से समझौते किए गए; और

(ग) क्या इन यात्राओं के पश्चात् विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह ने मनीला में पांचवें आसियान क्षेत्रीय मंच तथा आसियान पश्च–मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। वे कोलंबो में आयोजित सार्क सदस्य राष्ट्रों के प्रमुखों के दसवें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गये भारतीय शिष्टमंडल के एक सदस्य थे तथा प्रधानमंत्री के पेरिस के कार्यकारी दौरे के समय वे सरकारी शिष्टमंडल के भी एक सदस्य थे। प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि के रूप में श्री जसवंत सिंह ने अमरीकी राष्ट्रपति क्लिंटन के विशेष प्रतिनिधि स्ट्रोब तालबोट के साथ भारत–अमरीकी नीतिगत वार्ता के एक भाग के रूप में वार्ता के सात दौर सम्पन्न किये। ये वार्ताएं वाशिंगटन, न्यूयार्क, दिल्ली, फ्रैंकफर्ट तथा रोम में हुई। इनका उद्देश्य भारत के सुरक्षा हितों के प्रति बेहतर समझ तथा भारत द्वारा घोषित स्वैच्छिक कदमों के प्रति एक अभिस्वीकृति का निर्माण करना था। इन वार्ताओं से विचारों का अन्तर कम हुआ है।

(ग) भारत हमेशा से ही यह मानता रहा है कि दंडात्मक उपाय अनुचित तथा हानिकारक हैं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा पूंजी के मुक्त प्रवाह में बाधा पहुंचाते हैं तथा ये परस्पर लाभकारी आर्थिक क्रियाकलाप पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। सरकार को भारत के विरुद्ध अमरीका द्वारा लगाये गये कुछ आर्थिक प्रतिबंधों को उठाने से संबंधित वाशिंगटन से आने वाली खबरों की जानकारी है तथा इस बात पर ध्यान दिया है कि (इन प्रेस रिपोर्टों के अनुसार) चूंकि अमरीका ने कुछ प्रतिबंध हटा लिये हैं इससे इस मान्यता की पुष्टि होती है कि हमारे विचारों का अन्तर कम हो रहा है। सरकार का यह विचार है कि ऐसे सभी प्रतिबंध विशेषकर जो बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों द्वारा कर्ज दिये जाने से संबंधित हैं, उन्हें उठा लिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

तिलहन

1778. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :

कर्नल सोनाराम चौधरी :

श्री ताराचंद साहू :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान खरीफ मौसम में तिलहन के उत्पादन में 2.2 लाख टन की कमी आई थी;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के मुख्य कारण क्या थे,

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में तिलहनों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने संबंधी कोई योजना तैयार करने की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) खरीफ मौसम, 1998 के दौरान तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 159 लाख मी. टन था। इसके मुकाबले खरीफ, 1998 के दौरान उत्पादन का अग्रिम अनुमान 142.6 लाख मी. टन था जबकि खरीफ, 1997 में यह 141.5 लाख मी. टन था। उत्पादन में कमी का मुख्य कारण कटाई अवधि के दौरान खराब मौसम एवं बेमौसम बरसात था।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार तिलहन उत्पादन की एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को बीजों के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण, स्प्रिंकलर सेटों, उन्नत कृषि उपकरणों, जिप्सम/पाइराइट, सूक्ष्म पोषकों एवं राइजोबियम कृषि इत्यादि

महत्वपूर्ण आदानों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, उन्नत उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए किसानों के खेतों पर अग्रिम एवं सामान्य प्रदर्शन भी आयोजित किये जाते हैं। यह स्कीम 23 राज्यों के 374 जिलों में प्रचालित है।

(ङ) से (छ) जैसा कि उपर्युक्त (ग) एवं (घ) में बताया गया है, इस स्कीम के अन्तर्गत किसानों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गई धनराशियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	दी गई धनराशि 1996–97	1997–98
1.	आंध्र प्रदेश	1299.67	1502.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	34.32	40.00
3.	असम	50.00	
4.	बिहार	74.00	
5.	गुजरात	666.00	1142.00
6.	हरियाणा	226.00	296.36
7.	हिमाचल प्रदेश	10.00	
8.	जम्मू व कश्मीर	23.32	
9.	कर्नाटक	694.85	653.14
10.	केरल	26.65	50.00
11.	मध्य प्रदेश	1590.45	1249.00
12.	महाराष्ट्र	1325.66	1050.00
13.	मणिपुर	164.00	110.00
14.	मेघालय	10.00	20.00
15.	उड़ीसा	623.00	500.00
16.	पंजाब	40.32	100.00
17.	राजस्थान	1603.53	1650.00
18.	सिक्किम	46.66	55.00
19.	तमिलनाडु	894.32	832.50
20.	त्रिपुरा	33.32	35.00
21.	उत्तर प्रदेश	932.32	921.00
22.	पश्चिम बंगाल	200.00	250.00
	योग	10568.39	10456.00

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन/आकाशवाणी केंद्रों द्वारा अर्जित राजस्व

1779. श्रीमती कमल रानी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक विज्ञापनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में विभिन्न दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों के रखरखाव और पुनरुद्धार के लिए अलग–अलग कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इन केंद्रों में अलग–अलग कोई निर्माण कार्य आरंभ किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा करा दिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) उत्तर प्रदेश में लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, एवं बनारस स्थित आकाशवाणी स्टेशनों और लखनऊ तथा गोरखपुर स्थित दूरदर्शन केंद्र (अप्रैल, 1998 से) राजस्व अर्जित करने वाले केंद्र हैं। पिछले हरेक तीन वर्षों में आज तक और इन केंद्रों द्वारा अर्जित किया गया सकल वाणिज्यिक राजस्व निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	आकाशवाणी	दूरदर्शन
	(करोड़ रुपयों में)	
1995–96	7.07	4.49
1996–97	6.47	3.70
1997–98	8.80	3.69
1998–99	1.57	2.77
	(सितम्बर, 98 तक)	(अक्तूबर, 98 तक)

(ख) 1995–96 से 1997–98 तक की अवधि के दौरान इन स्टेशनों/केंन्द्रों के अनुरक्षण एवं मरम्मत पर खर्च की गई कुल राशि इस प्रकार है:–

वर्ष	आकाशवाणी	दूरदर्शन (दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ)
	(करोड़ रुपयों में)	
1995–96	8.88	9.99
1996–97	7.20	7.67
1997–98	11.42	11.82

(ग) और (घ) दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। केवल इलाहाबाद तथा लखनऊ के आकाशवाणी केंद्रों पर निर्माण कार्य शुरू और पूरा किया गया था तथा इन पर क्रमशः 1.94 करोड़ रुपये और 3.12 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गयी थी।

असम में बाढ़ नियंत्रण

1780. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को असम राज्य में बाढ़ तथा भू–क्षरण रोकने के लिए उससे कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) असम सरकार ने ब्रहमपुत्र तथा बैराक नदियों में बाढ़ नियंत्रण हेतु एक करोड़ रुपये तथा इससे अधिक की निवेश की योजनाएं तकनीकी एवं व्यय की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार को भेजी जाती रही हैं। इन योजनाओं को समय–समय पर अनुमोदित किया गया है।

(ग) बाढ़ राज्य का विषय होने के कारण असम सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के तहत योजना आयोग द्वारा आबंटित धनराशि में से किया जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र तथा बैराक नदियों में बाढ़ प्रबंधन हेतु केंद्र प्रत्येक वर्ष विशेष मामले के रूप में असम राज्य की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है।

[हिन्दी]

बारगी बांध

1781. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर, मध्य प्रदेश के बारगी बांध में दरार के कारण बारगी बांध की पाटन ब्रांच नहर से 10 किलोमीटर के आसपास के खेत जलमग्न हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दरार के कारण सरकारी सम्पत्ति की हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) ऐसी किसी मामले की सूचना केंद्र को नहीं दी गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

दिल्ली में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति

1782. श्री संदीपन थोरात : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय भू–जल बोर्ड ने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के साथ मिलकर दिल्ली में यमुना के पानी के साथ मिलकर पीने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले भू–जल का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है तथा विशेषज्ञ समिति द्वारा क्या सुझाव/सिफारिशें की गई हैं तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को पेयजल के उद्देश्य से स्वच्छ तथा शोधित जल उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पेय जल की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिल्ली जल बोर्ड ने 6 प्रयोगशालाओं की स्थापना की है, जिसमें वितरण प्रणालियों अर्थात सार्वजनिक स्टैंड–पोस्टों सार्वजनिक स्थलों एवं निजी नलों से 250 से 300 तक नमूने लिये जाते हैं तथा प्रतिदिन उसकी जांच की जाती है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा तैनात किए गए कनिष्ठ अभियंताओं को क्षेत्र में दौरा करते समय जल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए किट उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, रैने कुओं से प्राप्त भू–जल को भी पेय जल के लिए आपूर्ति करने से पहले नाइट्रिफिकेशन एवं ओजोनिजेशन जल उपचार संयंत्र में संसाधित (ट्रिटेड) किया जाता है।

अनाजों के उत्पादन की वृद्धि दर

1783. श्री के. येरननायडू :

श्री माधवराव पाटील :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के खरीफ मौसम में अनाजों के उत्पादन का लक्ष्य लगभग 10.71 करोड़ टन निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लक्ष्य से लगभग 55.60 लाख टन कम उत्पादन होने का अनुमान है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अनाजों के उत्पादन की तुलनात्मक वृद्धि क्या रही; और

(ङ) सरकार द्वारा इस अंतर को कम करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्ष 1998–99 के दौरान खरीफ अनाज के उत्पादन का लक्ष्य अनन्तिम रूप से 10.10 करोड़ मी. टन निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1998–99 में अनाज का उत्पादन 9.54 करोड़ मी. टन होने का अनुमान है। लक्षित स्तर से कम उत्पादन होने का मुख्य कारण देश के कुछ भागों में आयी बाढ़ और असामयिक वर्षा का होना है ।

(घ) विगत तीन वर्षों (1995–96, 1996–97 और 1997–98) के दौरान अनाज के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर नीचे सारणी में दर्शायी गयी है।

	% वृद्धि दर
1995–96	5.27
1996–97	9.97
1997–98	2.75
	औसत = 1.57

(ङ) देश में अनाज के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए चावल/गेहूं/मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में केंद्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम तथा त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम चला रही है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत किसानों को गुणवत्ता प्रद और स्थान विशिष्ट संकर किस्मों के प्रयोग समेकित कीट प्रबंध के अनुप्रयोग सूक्ष्म सिंचाई समेत वैज्ञानिक जलप्रबंध और उन्नत फार्म उपकरों आदि के प्रचार प्रसार के लिए प्रोत्साहन दिये जाते हैं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी के कुशल अंतरण के लिए किसानों के खेतों में प्रदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें किसानों और फार्म श्रमिकों को प्रशिक्षण भी दिया गया। इसके अलावा, शासन ने राष्ट्रीय एजेंडे में सरकार ने क्षेत्रीयता की दृष्टि से भिन्न–भिन्न विकास रणनीति अपनाकर कृषि की बुनियादी सुविधाओं का सृजन करके और ससाधनों को और अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करके अगले 10 वर्षों में अनाज उत्पादन को दूना करने पर पुनः बल दिया है।

खाड़ी के देशों से वापस आए व्यक्तियों का पुनर्वास

1784. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाड़ी के देश से लौटे व्यक्तियों का वादानुसार पुनर्वास उपाय संबंधी एक मुश्त प्रस्ताव लागू करने पर विचार करेगी;

(ख) क्या सरकार खाड़ी से लौटे व्यक्तियों के लिए एक परिवार कल्याण योजना बनाना चाहती है;

(ग) क्या सरकार अनिवासी भारतीयों के लिए कल्याणकारी उपाय कार्यान्वित करने के लिए एक निगम गठित करने हेतु पहल करेगी;

(घ) क्या सरकार अनिवासी भारतीयों को मतदान की सुविधा देने पर विचार करेगी; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) सरकार कानूनी रूप से खाड़ी देशों में बसे भारतीयों के कौंसली और रोजगार संबंधी हितों के संवर्धन और संरक्षण के संबंध में खाड़ी देशों की सरकारों के साथ नियमित सम्पर्क में है। उन लोगों के मामले में जो विभिन्न खाड़ी देशों द्वारा घोषित राजक्षमा योजनाओं का लाभ उठाकर भारत लौट आये, सरकार ने उन्हें सब प्रकार की सभव सहायता प्रदान की है, ताकि वे उन देशों में कानूनी रूप से वापस लौट सकें। केवल संयुक्त अरब अमीरात के संबंध में ही सरकारी अनुमान के अनुसार नवम्बर, 1996 के बाद नये रोजगार वीजा पर 60,000 से अधिक भारतीय वापस चले गये हैं। मानव शक्ति संवर्द्धन परिषद तथा विदेशी मजदूर कल्याण निधि बनाये जाने का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकारें भी खाड़ी से लौटने वाले भारतीयों की विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हैं। केरल सरकार ने राज्य के अप्रवासी भारतीयों के लिए केरल के अप्रवासी मामलों का विभाग तथा "प्रवासी सुरक्षा" के गठन जैसी कल्याण योजनाएं चलायी हैं।

(घ) और (ङ) विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय जो भारत में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, मत देने के अधिकारी हैं।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

1785. प्रो. अजित कुमार मेहता :

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

क्या **प्रधानमंत्री** 7 जुलाई, 1998 के अतारांकित संख्या 3113 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति की अनुमति के बावजूद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने वैधानिक आधार पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के द्वारा खाते की लेखा परीक्षा में अड़चनें पैदा की हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को कोई सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी गत तीन वर्षों का आज की स्थिति के अनुसार वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा वैकल्पिक उपाय किए जाने का विचार है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के खाते की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा उचित रूप से हो ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सोमपाल) : (क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका दायर की है जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जारी किए गए उस आदेश को निरस्त कर दिया जाए जिसमें नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को लेखों की लेखा परीक्षा करने की अनुमति दी गई है। उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के लेखों की नियंत्रण और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग के आदेश को स्थगित कर दिया है।

(ख) जी, हां ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार उन लेखा परीक्षकों द्वारा की जा रही है जो कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत कम्पनियों के लेखा परीक्षकों के रूप में काम करने के लिए विधिवत अर्हक हैं।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा दायर की गई सिविल रिट याचिका के खिलाफ पशुपालन और डेयरी विभाग लड़ रहा है। यह मामला निर्णयाधीन है।

भारत-बंगलादेश संयुक्त कार्यदल

1786. श्री अमर रायप्रधान : क्या विदेश मंत्री 10 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न सं. 2281 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत–बंगलादेश संयुक्त कार्यदल की जनवरी 1997 के दौरान दिल्ली में हुई तीसरी बैठक में किन–किन मुख्य मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया तथा विचार–विमर्श के प्रत्येक मुद्दे का अंतिम परिणाम क्या रहा;

(ख) जनवरी, 1997 तक भूमि सीमा के निर्धारण को पूरा करने हेतु कितने सर्वेक्षण दल कार्य कर रहे हैं तथा अब तक सर्वेक्षण दलों में कितनी वृद्धि की गयी;

(ग) क्या सर्वेक्षण दलों की संख्या में वृद्धि किए जाने के कारण सरकार को भूमि सीमा के निर्धारण कार्य में सहायता मिली है; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) बंगलादेश में भारतीयों के बारे में 10 मार्च, 1997 को दिए गए उत्तर के संदर्भ में जनवरी, 1997 में नई दिल्ली में आयोजित भारत–बंगलादेश संयुक्त कार्यकारी दल की तीसरी बैठक में जिन प्रमुख मुददों पर चर्चा हुई थी उनमें सुरक्षा संबंधी मुद्दे, सीमा पार की गतिविधियां, चकमा शरणार्थियों का प्रत्यावासन, मौजूदा चौजा व्यवस्था की समीक्षा, प्रमुख अधिकारियों की तंत्र–व्यवस्था संचालित करते हुए सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश राइफल्स के बीच महानिदेशक स्तर की बैठकों का आयोजन और सीमांकन संबंधी मुददे शामिल थे। सीमांकन के संबंध में दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच भू–सीमा के निर्धारण का कार्य शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। इस संबंध में दोनों पक्ष कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सर्वेक्षण दलों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर सहमत हुए थे। भारतीय पक्ष ने यह भी कहा था कि एन्कलेवों का आदान–प्रदान सीमांकन कार्य पूरा होने और भारतीय कानून के अनुसार आवश्यक विधिक और संवैधानिक औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद ही किया जा सकता है।

जनवरी, 1997 तक भारत–बंगलादेश सीमा पर पश्चिम बंगाल क्षेत्र, मेघालय क्षेत्र, असम क्षेत्र और त्रिपुरा क्षेत्र में दोनों देशों ने एक–एक सर्वेक्षण दल संयुक्त रूप से तैनात किया हुआ है। दलों की संख्या में तब से कोई वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जहां भारी मात्रा में सीमांकन कार्य चल रहा है, सीमांकन कार्य के लिए संयुक्त रूप से तैनात सर्वेक्षण दलों की संरचना में दिसंबर, 1996 से बढ़ोत्तरी करके दो सर्वेक्षक, चार अमीन और दो कम्प्यूटर कर दिया गया है। 18–21 जुलाई, 1997 तक ढाका में पश्चिम बंगाल क्षेत्र के लिए हुए सीमा सम्मेलन के दौरान दोनों पक्ष सर्वेक्षण दलों की संख्या में और 2 सर्वेक्षक, सात अमीन और दो कम्प्यूटर प्रत्येक पक्ष की ओर से बढ़ाने पर सहमत हुए थे। ऐसा कर दिया गया है।

1996–97 और 1997–98 के फील्ड सत्रों के दौरान पश्चिम बंगाल क्षेत्र में सर्वेक्षण दलों की संख्या बढाए जाने के फलस्वरूप सीमा के सीमा–निर्धारण न हुए भाग पर जिसमें प्रतिकूल अधिकृत क्षेत्रों की परिधि शामिल है, कियोडोलाइट सर्वेक्षण रेखा द्वारा यंत्र कार्य पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त, दक्षिण बेरूबारी, खुदीपाडा और सिंगापाड़ा क्षेत्रों में प्रतिकूल अधिकार वाले क्षेत्रों के सही परिगणन के लिए यांत्रिक पर्यवेक्षण पूरा कर लिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद

1787. श्री माधवराव सिंधिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक दल के अमरीकी दौरे के दौरान अमरीकी सरकार ने भारत को जम्मू कश्मीर और अन्य स्थानों पर पाक–समर्थित आतंकवाद से निपटने में जोरदार अभियान चलाने का कोई भी कदम न उठाने की सलाह दी और ऐसा कोई कदम उठाने के सुझावों का भी विरोध किया जो स्वयं अमरीका ने उठाये थे जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने हेतु अफगानिस्तान और सूडान में आतंकवादियों के ठिकानों पर अमरीकी हवाई हमले किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा क्या सुझाव रखे गए और उन पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया रही; और

(ग) अमेरिका की सलाह पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) नवम्बर, 1998 में रोम में अमरीका के डिप्टी सेक्रेटरी आफ स्टेट के साथ बातचीत के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की हाल की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने निरस्त्रीकरण, अप्रसार, द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से सबंधित मसलों की समीक्षा की।

(ख) बातचीत के दौरान जम्मू और कश्मीर तथा भारत के अन्य स्थानों पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से निपटने के लिए अमरीकी पक्ष ने कोई सुझाव नहीं दिए।

(ग) जैसा कि ऊपर बताया गया, बातचीत के दौरान पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर चर्चा नहीं की गई। तथापि, हमारा मत है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संकट से निपटने के लिए जो अपेक्षित है उसमें एक पक्षीय चुनिंदा कार्रवाई नहीं है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के लिए जिम्मेदार व्यक्ति विशेष, आतंकवादी दल अथवा राज्य जो भी हो, पहचान करने तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सार्थक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। सरकार ने जम्मू और कश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में चल रहे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के मसले की ओर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान लगातार आकर्षित किया है।

पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र

1788. श्री डी. एस. अहिरे :

श्री माणिक लाल होडल्या गावीत :

श्री राजवीर सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष नए पासपोर्ट जारी करने और नवीनीकरण करने के लिए प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से वर्षवार कितने आवेदन–पत्र निपटा दिए गए और कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं;

(ग) पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) लम्बित पासपोर्ट के आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) और (ख) वक्तव्य चार भागों में, विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) पुलिस प्राधिकारियों से नकारात्मक या अधूरी रिपोर्टें प्राप्त होना, आवेदकों द्वारा भेजे गए दस्तावेजों विशेष रूप से डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों में विसंगतियों का पाया जाना, जिन आवेदकों से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाते हैं उनसे उत्तर प्राप्त न होना आदि पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब होने के प्रमुख कारण हैं।

(घ) सरकार पासपोर्ट जारी करने की वर्तमान प्रणाली में सुधार लाने और पासपोर्ट अविलम्ब जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयास करती रहती है। पासपोर्ट शीघ्र जारी करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें नए पासपोर्ट कार्यालय और संग्रहण केंद्र खोलना, आवेदन–पत्रों को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण, चुनिंदा शहरों में पासपोर्टों को स्पीड पोस्ट से भेजना, समयावधि समाप्त होने वाले पासपोर्टों के मामले में पुलिस सत्यापन के बिना पासपोर्ट स्वतः जारी करना, विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना आदि शामिल है।

विवरण

क्र. सं.	कार्यालय	वर्ष 1995			
		नए आवेदन पत्र		विविध सेवाएं	
		प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या	जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या	प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या	प्रदान की गई सेवाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद	105955	99089	45723	45512
2.	बंगलौर	97741	95672	39525	39846
3.	बरेली	36863	35880	10850	10559
4.	भोपाल	20297	20148	9130	8776

1	2	3	4	5	6
5.	भुवनेश्वर	6995	5309	2313	2262
6.	बम्बई	223397	218043	113677	111847
7.	कलकत्ता	50045	47601	28385	25738
8.	चंडीगढ़	84608	103257	31700	34270
9.	कोचिन	80686	80009	41720	40078
10.	दिल्ली	121389	106607	53677	53810
11.	गोवा	15329	14220	12366	14472
12.	गुवाहाटी	7486	6739	2474	2347
13.	हैदराबाद	149422	142770	53618	51701
14.	जयपुर	52942	51893	18378	30713
15.	जालंधर	69384	100743	33233	34164
16.	कोजीकोड	133067	135892	57608	55848
17.	लखनऊ	91266	99127	18085	20087
18.	मद्रास	117333	112475	41501	40885
19.	नागपुर	9541	9037	3220	3233
20.	पटना	41156	38498	8548	8522
21.	त्रिची	164577	139332	56964	56789
22.	त्रिवेंद्रम	90432	83461	37203	37061
23.	जम्मू	11457	8713	1493	1443
		1781368	1754515	721391	729963

क्रं. सं.	कार्यालय	वर्ष 1996			
		नए आवेदन पत्र		विविध सेवाएं	
		प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या	जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या	प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या	सेवाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद	126536	127760	26409	26139
2.	बंगलौर	102248	105905	27556	27644
3.	बरेली	36341	33394	6016	5630
4.	भोपाल	19697	18979	5907	4780

1	2	3	4	5	6
5.	भुवनेश्वर	7683	7029	1285	1245
6.	बम्बई	222007	209835	62229	60069
7.	कलकत्ता	63883	62367	15046	14534
8.	चंडीगढ़	99379	98946	16009	17235
9.	कोचिन	84710	83107	23227	22887
10.	दिल्ली	142804	140904	37725	39598
11.	गोवा	15875	14279	8317	7730
12.	गुवाहाटी	8335	8169	1274	1196
13.	हैदराबाद	190755	176649	32075	31709
14.	जयपुर	48272	47441	9697	13076
15.	जालंधर	95861	95667	15129	15651
16.	कोजीकोड	140574	126400	30050	36973
17.	लखनऊ	103497	90156	10267	10048
18.	मद्रास	140512	134158	27149	26216
19.	नागपुर	12107	11792	1732	1693
20.	पटना	47159	44001	4613	6151
21.	त्रिची	189516	191752	41277	39087
22.	त्रिवेंद्रम	77106	73600	23742	22513
23.	जम्मू	12531	10495	992	926
		1987388	1912785	427723	432730

क्र. सं.	कार्यालय	वर्ष 1997			
		नए आवेदन पत्र		विविध सेवाए	
		प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या	जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या	प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या	सेवाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद	145768	143866	20862	20788
2.	बंगलौर	103436	90637	29300	27074
3.	बरेली	52100	44030	4632	4435
4.	भोपाल	26318	25607	3963	1044

1	2	3	4	5	6
5.	भुवनेश्वर	10530	8808	1209	1184
6.	कलकत्ता	75932	72869	12984	12325
7.	चंडीगढ़	102128	96599	12798	12375
8.	चेन्नई	152322	148411	28368	25805
9.	कोचिन	105615	104522	21294	21161
10.	दिल्ली	178256	154652	31688	30604
11.	गोवा	18259	17522	8458	8648
12.	गुवाहाटी	11494	11251	1485	1449
13.	हैदराबाद	235139	236222	25771	26572
14.	जयपुर	63671	58722	7822	5830
15.	जालंधर	104567	91627	10223	10903
16.	जम्मू	10694	9600	9074	8920
17.	कोजीकोड	148055	146181	27520	27368
18.	लखनऊ	127414	111291	8674	9232
19.	मुम्बई	278507	271556	50507	50301
20.	नागपुर	14171	14282	1582	1618
21.	पटना	63222	53942	3628	3653
22.	थाणे	8453	7323	158	150
23.	त्रिची	209482	188283	29087	28822
24.	त्रिवेंद्रम	92522	88409	20185	20483
25.	विशाखापत्तनम	36000	29400	2147	2119
26.	श्रीनगर*	3827	800	83	83
		2377882	2226412	373502	365863

*श्रीनगर – यह कार्यालय 7 जुलाई 1997 से कार्य कर रहा है।

		कुल लम्बित आवेदन–पत्र		
		1995	1996	1997
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	19999	16049	19599
2.	बंगलौर	10675	6600	20399
3.	बरेली	4700	5497	14108
4.	भोपाल	2821	3185	3679
5.	भुवनेश्वर	3012	3725	4022
6.	कलकत्ता	13555	11578	7304
7.	चंडीगढ़	8290	10923	13362
8.	चेन्नई	13533	18233	22109
9.	कोचिन	2529	7914	8941
10.	दिल्ली	18652	19455	33753

1	2	3	4	5
11.	गोवा	2595	713	2200
12.	गुवाहाटी	2957	3128	2511
13.	हैदराबाद	18916	30156	31383
14.	जयपुर	8586	8600	14647
15.	जालंधर	14564	11069	18456
16.	कोजीकोड	22012	22368	14041
17.	लखनऊ	14613	24311	35316
18.	मुम्बई	18885	13217	17044
19.	नागपुर	1170	1457	1087
20.	पटना	6230	9245	6145
21.	त्रिची	26934	22769	36378
22.	त्रिवेंद्रम	11860	11590	11618
23.	जम्मू	16819	13131	8475
		263907	274913	346577

जैविक गैस फायर

1789. डॉ. वल्लभभाई कथीरिया : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात में जैविक गैस फायर संबंधी किसी कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) गुजरात में कितनी जैविक गैस विधाएं स्थापित की गई हैं और उनमें कितनी मात्रा में बिजली उत्पादित की जा रही है;

(घ) क्या सरकार का निकट भविष्य में गुजरात में और अधिक जैविक विधाएं स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी, हां । गुजरात सहित सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में बायोमास गैसीफायर प्रदर्शन कार्यक्रम (बी. जी. डी. पी.) कार्यान्दित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम राज्य नोडल एजेंसियों को बायोमास गैसीफायरों की स्थापना, ग्रामीण विद्युतीकरण प्रयोजन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी करने और कार्यान्वयन प्रभारों के लिए विभिन्न दरों तथा अनुप्रयोगों के अनुसार भिन्न-भिन्न वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराता है।

(ग) गुजरात राज्य में अब तक तापीय, यांत्रिक और विद्युतीय अनुप्रयोगों के लिए कुल 168 बायोमास गैसीफायर प्रणालियां लगाई गई हैं और उससे उत्पादित की जा रही विद्युत प्रतिवर्ष लगभग 45 लाख किलोवाट घंटों के बराबर से भी अधिक होगी। इसके अलावा, एक पृथक योजना-राष्ट्रीय बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत कोथारा गांव, जिला कच्छ, गुजरात में अनुसंधान और प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए एक 500 किवा. गैसीकरण प्रौद्योगिकी आधारित विद्युत परियोजना फिलहाल ही आरम्भ की गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सभी राज्य नोडल एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि वे बायोमास गैसीफायर प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत 1998-99 के दौरान मंजूरी के लिए बायोमास गैसीफायरों की स्थापना के लिए व्यवहार्य प्रस्ताव तैयार करके भेजें। तथापि, गुजरात नोडल एजेंसी नामतः गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (जी.ई.डी.ए.) ने सूचित किया है कि अब तक कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया जा सका है।

[हिन्दी]

आर्गेनिक प्रोडक्ट इंस्टीट्यूशन

1790. श्री कांतिलाल भूरिया :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार का मऊ और इंदौर में आर्गेनिक प्रोडक्ट इंस्टीट्यूशन स्थापित करने के लिए विदेशी सहायता लेने से संबंधित कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने में विलंब के क्या कारण हैं तथा इस पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रबी की फसलें

1791. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस वर्ष के मानसून को देखते हुए 1998-99 में रबी की अच्छी फसल होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो वर्षा के कारण देश में रबी की फसल का राज्यवार कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या रबी उत्पादन का कोई आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) रबी फसलों के अनुमान अभी अपेक्षित नहीं हैं। तथापि, देश के कई भागों में बाढ़ और असामयिक वर्षा के बावजूद, अनुकूल मौसम, बेहतर जल

भंडारण, बुआई की अच्छी प्रगति तथा आदानों की उचित उपलब्धता के कारण रबी फसलों की संभावनाएं उज्ज्वल हैं।

ड्रिप सिंचाई

1792. डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को ड्रिप सिंचाई के माध्यम से कृषि विकास के लिए 90 प्रतिशत राज सहायता आबंटित करने हेतु किसी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम पहले से ही कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए ड्रिप सिंचाई के लिए छोटे, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को 1996–97 से 90% राजसहायता दी जा रही है। इस स्कीम को सहायता के इसी पैटर्न पर 1997–98 तथा 1998–99 के दौरान जारी रखा जा रहा है।

ऑप्टिकल फाइबर केबल

1793. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ऑप्टिकल फाइबर केबलों की कितनी मांग है तथा इस समय इनकी कितनी सप्लाई होती है;

(ख) क्या राज्य में ऑप्टिकल फाइबर केबलों की मांग और आपूर्ति में काफी अंतर है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने केबलों की सप्लाई शीघ्र बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) महाराष्ट्र में अपेक्षित आप्टिकल फाइबर केबल की मात्रा तथा वर्तमान सप्लाई कि.मी. में नीचे दी गई है :–

आवश्यकता	आबंटन	आपूर्ति
5627	5190	768

(ख) और (ग) हालांकि प्रापण की कार्रवाई समय से काफी पहले की गई थी, पर अदालती मामले के कारण आर्डर देने में विलम्ब हुआ और निविदाशुदा मात्रा का 20% हिस्सों को अलग रखा जाना था, जिसके लिए मामले पर निर्णय के पश्चात आर्डर दिए जाएंगे। दिसम्बर, 1998 में मामले पर निर्णय लिए जाने की संभावना है । अतः अक्तूबर–नवंबर, 98 के दौरान ही आर्डर जारी किए जा सके तथा आशा है कि आर्डर दिए गए ज्यादातर केबल चालू वर्ष के दौरान इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होंगे।

पाकिस्तानी जेलों में कैदी

1794. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी जेलों में युद्धबंदियों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार ने वर्ष 1998 के दौरान उन्हें छुड़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इस संबंध में कौन से नए कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह माना जाता है कि 54 भारतीय युद्धबंदी पाकिस्तान की हिरासत में हैं।

(ख) और (ग) इस्लामाबाद में 15 से 18 अक्तूबर, 1998 तक भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच सम्पन्न विचार–विमर्श के दौरान इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाया गया था। पाकिस्तान यह कहता आ रहा है कि इस प्रकार का कोई भारतीय रक्षा कार्मिक उनकी हिरासत में नहीं है। सरकार इस मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाती रहेगी।

[हिन्दी]

अनुकंपा-आधार पर नियुक्ति

1795. श्री एच. पी. सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी राज्यों, विशेषकर बिहार में संचार विभाग में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के कितने मामले गत तीन वर्षों से लंबित हैं,

(ख) इन सभी मामलों का कब तक निपटान कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) इन नियुक्तियों हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के 102 मामले लंबित हैं, जिनमें से 35 मामले बिहार के हैं।

(ख) नियुक्तियां क्रमिक रूप से की जा रही हैं तथा छः माह के भीतर ये सभी मामले निपटा लिए जाने की आशा है।

(ग) इस विषय में अपनाये गये मानदण्ड, डाक–तार विभाग द्वारा जारी 30 जून 97 के परिपत्र सं. 14014/6/86 –स्था. (घ) में निर्दिष्ट मूलभूत दिशा–निर्देशों व समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुरूप हैं।

[अनुवाद]

केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारी

1796. श्री आर.एस. गवई : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986 के बाद से अवर सचिवों के पदों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों के नियमित पैनल जारी नहीं किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के अधिकारियों के प्रोन्नति अवसरों में भारी कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो ये पैनल कब तक जारी कर दिए जाने की सभावना है; और

(ग) 2.7.97 से प्रभावी रिक्ति आधारित रोस्टर के बदले पद आधारित रोस्टर के अपनाए जाने के सरकार के आदेशों के पहले की अवधि 1987 से 1996 के वर्षों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी पैनलों में आरक्षण उपलब्ध कराने के क्या मानदंड हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दन) : (क) और (ख) सीधे भर्ती हुए अनुभाग अधिकारियों तथा पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों के बीच आपसी वरिष्ठता के बारे में लंबे अरसे तक चली मुकदमेबाजी के कारण, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड–I (अवर सचिव) में नियमित पदोन्नति हेतु, 1986 के बाद कोई भी प्रवर–सूची तैयार नहीं की जा सकी। वर्ष, 1984 से 1986 तक की अवधि के संबंध में तैयार की गई प्रवर–सूचियों को भी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा अपास्त (रद्द) कर दिया गया। उपर्युक्त स्थिति के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड–I में केवल तदर्थ पदोन्नति ही की जा रही है। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 09.05.1997 के आदेश के अनुपालन–स्वरूप दिनांक 03.12. 1997 को जारी की गई अनुभाग अधिकारियों की साझी वरिष्ठता सूची (सी. एस. एल.) के अनुसारण में, अपेक्षित समीक्षा/वर्ष 1984 से 1986 तक की अवधि संबंधी तथा वर्ष 1987 से आगे के वर्षों के ग्रेड–I के पैनल तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में समय लगने वाला है और इसे पूरा कर लिए जाने की कोई निश्चित समयावधि विनिर्दिष्ट कर पाना संभव नहीं है।

(ग) वर्ष, 1987 से आगे के वर्षों की अभी तैयार की जाने वाली अवर सचिवों की प्रवर–सूचियों के संबंध में आरक्षण, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन–स्वरूप, कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार पद–आधारित रोस्टर के संदर्भ में मुहैया करवाया जाना है।

परमाणु निर्यात नियंत्रण तंत्र

1797. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :

श्री यू. वी. कृष्णमराजु :

श्री माधव राव सिंधिया

श्री मोतीलाल वोरा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका के बीच परमाणु अप्रसार को रोकने हेतु विभिन्न निर्यात नियंत्रण क्षेत्रों की खोज करने के लिए कोई वार्ता हुई है;

(ख) यदि हां, तो यह वार्ता किस हद तक सफल हुई;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। 9–10 नवम्बर, 1998 को द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के उद्देश्य से चल रही द्विपक्षीय बातचीत की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में भारत और अमरीका ने निर्यात नियंत्रण मसले पर बातचीत की। इन वार्ताओं के दौरान नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र सहित असैन्य प्रयोग के लिए दोहरे उपयोग की तकनीकों और उपकरणों तक पहुंच पर रोक के संबंध में भारत ने अपनी चिन्ताओं से अवगत करा दिया है। इन वार्ताओं में अप्रसार के प्रति भारत की वचनबद्धता को और बेहतर ढंग से स्वीकार किया गया है जैसा कि निर्यात नियंत्रण के प्रभावी उपायों से परिलक्षित होता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सोयाबीन की फसल

1798. श्री रामानन्द सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सोयाबीन की 50 प्रतिशत फसल बुआई के मौसम में नष्ट हो गई थी और शेष फसल इस वर्ष वर्षा न होने के कारण नष्ट हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का किसानों को कोई सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से सूचना मिली है कि जुलाई और अगस्त, 1998 में अनियमित वर्षा के बावजूद, सोयाबीन की फसल को काफी हद तक बचा लिया गया है। वर्ष 1997–98 में सोयाबीन की बुवाई 42.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई थी और वर्ष 1998–99 में सोयाबीन के तहत अनुमानित क्षेत्र लगभग 44.81 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 1997–98 के दौरान सोयाबीन के 49.19 लाख मी. टन के अनुमानित उत्पादन के मुकाबले वर्ष 1998–99 के दौरान अनुमानित उत्पादन 51.50 लाख मी. टन रहा।

जल प्रबंधन

1799. श्रीमती सूर्यकांता पाटील :

श्री रवि सीताराम नायक :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि देश में जल संसाधन तेजी से कम होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1997–98 के दौरान जल संसाधनों की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) देश में औसतन कुल जल संसाधन उपलब्धता यथावत बनी रहती है। तथापि, जनसंख्या में वृद्धि, तेजी से बढ़ते हुए औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण ताजा जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी हो रही है। स्वतंत्रता के समय देश में प्रतिवर्ष 5000 क्यूबिक मीटर प्रतिव्यक्ति जल उपलब्धता थी। यह उपलब्धता घटकर प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति 2200 क्यूबिक मीटर हो गई है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ढांचागत परियोजनाएं

1800. श्री ए. सी. जोस : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाले निजी क्षेत्र की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की निगरानी करने की है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए स्थापित नोडल एजेंसी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निगरानी के लिए किन क्षेत्रों की पहचान की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की नोडल एजेंसी के रूप में पहचान की गई है। प्रारम्भ में, नागर विमानन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खनन, विद्युत, दूरसंचार तथा भूतल परिवहन क्षेत्रकों में निजी/संयुक्त सेक्टर की आधार संरचना परियोजनाओं की मानीटरिंग की जाएगी।

निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन

1801. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरस्त्रीकरण पर भारत सहित 61 देशों के सम्मेलन विखंडनीय पदार्थ प्रतिबंध संधि पर वार्ता आरंभ करने पर सहमत हो गया है जिसके तहत परमाणु अस्त्र बनाने के पदार्थों के उत्पादन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस उपाय निकाले गए हैं; और

(ग) समिति द्वारा कब तक कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) 11 अगस्त, 1998 को जेनेवा में हुए निरस्त्रीकरण सम्मेलन में एक भेदभाव रहित, बहुपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय तथा प्रभावी रूप से समर्थनीय संधि पर बातचीत के लिए एक तदर्थ समिति बनाई गई थी ताकि नाभिकीय हथियारों अथवा अन्य नाभिकीय विस्फोटक युक्तियों के विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर रोक लगाई जा सके। तदर्थ समिति की दो बैठकें हुई हैं और महत्त्वपूर्ण बातचीत की दिशा में पहले कदम के रूप में अनेक बार विचार–विमर्श हुआ है। इस मुद्दे पर 19 जनवरी, 1999 को बुलाए गए निरस्त्रीकरण सम्मेलन के आगामी सत्र में बातचीत के पुनः आरंभ होने की संभावना है।

भारतीय किसान

1802. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित किए जाने के बावजूद लगभग 80 प्रतिशत भारतीय किसान छोटे और सीमान्त किसान ही रह गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनुपात को बदलने के लिए कोई नीति/कार्य योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) उन योजनाओं के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष–वार और राज्य–वार किसानों को क्या लाभ दिए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) कृषि संगणना, 1990–91 के अनुसार, छोटे एवं सीमान्त किसानों के पास प्रचालित जोतों का 78% एवं प्रचालित क्षेत्र का 82% है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि के विकास के लिए कई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का क्रियान्वयन किया गया है जिनसे छोटे एवं सीमान्त किसानों सहित सभी वर्गों के किसानों को लाभ होता है। लाभ

भोगी किसानों का चुनाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। पत्राचार/बैठकों/विचार–विमर्श इत्यादि के माध्यम से उन्हें सलाह दी जाती है कि लाभ भोगी किसानों का चुनाव करते समय वे छोटे एवं सीमान्त किसानों को प्राथमिकता दें।

(घ) केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की एक सूची, जिसके अंतर्गत किसानों के लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जाती है विवरण के रूप में संलग्न है। इन स्कीमों से किसानों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से लाभ होता है। इसलिए 8वीं योजना के दौरान इन स्कीमों के अंतर्गत किसानों को मिले कुल लाभ की गणना करना कठिन है।

विवरण

उन प्रमुख योजनाओं की सूची जिनके अंतर्गत राज्यों की सहायता दी जा रही है।

क्र. सं.	योजना का नाम
1	2
1.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम–चावल
2.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम–गेहूं
3.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम–मोटे अनाज
4.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास
5.	गहन कपास विकास कार्यक्रम
6.	विशेष जूट विकास कार्यक्रम
7.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना
8.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
9.	आयल पॉम विकास कार्यक्रम
10.	त्वरित मक्का कार्यक्रम
11.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
12.	उर्वरकों का संतुलित और समेकित प्रयोग
13.	कम खपत और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरक प्रयोग का विकास
14.	जैव उर्वरकों का विकास और प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना
15.	समेकित बीज विकास योजना
16.	राष्ट्रीय किस्म विकास कार्यक्रम
17.	प्रमुख अभिज्ञात सब्जी फसलों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन को सुचारु रूप से चलाना।
18.	समेकित कीट प्रबंध केन्द्रों के अंतर्गत राजकीय जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सहायता अनुदान
19.	कीटनाशियों अधिनियम के अंतर्गत राजकीय जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान
20.	कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना
21.	कृषि विस्तार का सुदृढ़ीकरण
22.	देश में किसानों का आवागमन
23.	कृषक वैज्ञानिक अंतर्क्रिया
24.	कृषि में महिलाएं
25.	राज्य भू उपयोग बोर्ड
26.	राज्य मृदा सर्वेक्षण संगठन का सुदृढ़ीकरण
27.	नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
28.	बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्र में मृदा सर्वेक्षण
29.	क्षारीय मृदाओं का पुनरुद्धार
30.	झूम की खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना
31.	मधुमक्खी पालन का विकास
32.	औषधि एवं सुगंधित पौधों का विकास
33.	कृषि में प्लास्टिक का उपयोग
34.	वाणिज्यिक पुष्प कृषि का विकास
35.	मशरूम का विकास
36.	उष्ण कटिबंधीय शुष्क एवं समशीतोष्ण क्षेत्रीय फलों का समेकित विकास
37.	मूल एवं कन्द फसलों का विकास
38.	पान बेल का विकास
39.	सुपारी का विकास
40.	समेकित काजू विकास कार्यक्रम
41.	सब्जियों का विकास
42.	समेकित कोको विकास
43.	समेकित मसाला विकास
44.	लघु पत्तनों पर मत्स्य बंदरगाह सुविधाएं

1	2
45.	प्रशिक्षण एवं विस्तार
46.	समेकित मत्स्य सांख्यिकीय
47.	श्रिम्प एवं मत्स्य कल्चर संबंधी केन्द्रीय परियोजना एकक
48.	खारा पानी मत्स्य फार्म विकास एजेंसियां
49.	समुद्र तटीय मात्स्यिकी का विकास
50.	समुद्रीय मत्स्य विनियमन अधिनियमन का क्रियान्वयन
51.	मत्स्य फार्म विकास एजेंसियां
52.	अंतर्देशीय मत्स्य विपणन
53.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण
54.	भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्रों में निवेश
55.	नॉन ओवरडी व कवर स्कीम
56.	कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष
57.	अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी विशेष योजना
58.	महिला सहकारी समितियों को सहायता
59.	कमजोर वर्गों को सहकारी समितियों की सहायता
60.	समयबद्ध रिपोर्ट योजना
61.	फसल सांख्यिकीय में सुधार
62.	कृषि में सांख्यिकीय की रिपोर्टिंग हेतु एजेंसियों की स्थापना
63.	फल, सब्जी एवं लघु फसलों का फसल अनुमान सर्वेक्षण/मैदानिक अध्ययन
64.	पशुधन संगणना
65.	कृषि संगणना।

तटीय भू-कटाव

1803. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तटीय भू-कटाव को रोकने हेतु अन्य समुद्र तटीय देशों विशेषकर जापान और नीदरलैंड द्वारा व्यवहार में लाए जा रहे आधुनिक प्रौद्योगिकी की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय समुद्र तट क्षेत्रों पर भू-कटाव रोकने हेतु उक्त नए प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों एवं तटों जहां इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा सहित ऐसी परियोजनाओं/उपायों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी लागत आयेगी; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय अवसंरचनात्मक, जल अभियांत्रिकी तथा पर्यावरणीय अभियांत्रिकी (आई. एच. ई.) संस्थान, नीदरलैंड ने भारत को तटीय सुरक्षा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में आई. एच. ई. की संभावित भूमिका के बारे में भारत सरकार को सूचित किया है।

(ख) भारत के समुद्री तटों के साथ-साथ तटीय सुरक्षा के लिए नवीन प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु भारत सरकार ने किसी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया है। तथापि केन्द्रीय जल आयोग में तैयार की जा रही राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना में विकसित देशों से आधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल करने की एक योजना शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रीवा रिले केन्द्र की क्षमता

1804. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के रीवा टी. वी. रिले केन्द्र की क्षमता बढ़ाने का है;

(ख) क्या सरकार दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित तहसील मुख्यालयों में दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने की कोई योजना आरंभ कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इससे त्योंथर और हनुमान तहसीलें कितनी लाभान्वित होंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) प्रसार भारती ने सूचना किया है कि रीवा रिले केन्द्र की क्षमता का उन्नयन करने के लिए एक प्रस्ताव रचनात्मक स्तर पर है।

(ख) जी, नहीं। तथापि, प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए स्थानों का चयन इस तथ्य पर विचार किए बिना कि क्या स्थान जिला/ब्लॉक/तहसील मुख्यालय है, स्थान की उपयुक्तता, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं परिणामी कवरेज जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ग) जी, नहीं। ये स्थान फिलहाल इलाहाबाद स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर से कवरेज प्राप्त कर रहे हैं।

[अनुवाद]

पशुधन

1805. श्री वसुदेव आचार्य : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पशुधन की कुल कितनी संख्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार पशुओं की बीमारियों को रोकने के लिए कितनी राशि का आबंटन किया गया;

(ख) पशुधन और लोगों की जनसंख्या का अनुपात क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक राज्य में पशुधन वृद्धि दर और चारे के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(घ) पशु चारे के उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन–कौन सी केन्द्रीय योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने उपरोक्त योजनाओं की उपलब्धि के संबंध में कोई आंकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) 1992 की पंचवर्षीय पशुधन संगणना के अनुसार देश में पशुधन की संख्या 471 मिलियन है। विगत तीन वर्षों के दौरान पशु रोगों के नियंत्रण के लिए किए गए राज्य–वार आबंटन संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) पशुधन तथा जनसंख्या के बीच का अनुपात लगभग 1 : 2 है।

(ग) पशुधन संख्या की अंतर संगणना वृद्धि दर तथा राज्य–वार चारा उत्पादन संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) आहार तथा चारा उत्पादन की वृद्धि के लिए क्रियान्वयनाधीन केन्द्रीय योजनाएं इस प्रकार हैं :

(1) केन्द्रीय आहार तथा चारा विकास संगठन।

(2) आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता।

(ङ) जी, हां।

(च) इन योजनाओं के मूल्यांकन के लिए विभाग ने अगस्त, 1997 में एक उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तथापि, सिफारिशों के संबंध में सदस्यों के बीच सर्वसम्मति नहीं है। मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

1. क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्र, सूरतगढ़ को केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ के साथ मिला दिया जाए तथा दोनों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अंतरित कर दिया जाए।

2. क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्र, आमाधी को बंद कर दिया जाए तथा राज्य सरकार को अंतरित कर दिया जाए।

3. श्रीनगर, हिसार, गांधीनगर, कल्याणी तथा हैदराबाद स्थित शेष पांच क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्रों को बंद कर दिया जाए।

4. केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा को केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रदर्शन संस्थान के साथ मिला दिया जाए।

5. समिति के दो सदस्यों का मत था कि इन चारा बीज उत्पादन फार्मों में चारा बीज का उत्पादन प्राथमिकता क्रियाकलापों के रूप में जारी रहे।

यह विभाग रिपोर्ट की जांच कर रहा है।

विवरण–I

विगत तीन वर्षों के दौरान पशुरोग के नियंत्रण के संबंध में राज्य तथा संघ शासित सरकारों को प्रदान की गई केन्द्रीय निधियों को दर्शाने वाला विवरण :

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1995–96	1996–97	1997–98
1	2	3	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	67.06	88.87	64.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.25	12.50	18.69
3.	असम	7.25	10.00	
4.	बिहार	64.06	35.68	
5.	गोवा	13.75	6.68	19.75
6.	गुजरात	45.28	51.74	58.83
7.	हरियाणा	90.80	25.00	
8.	हिमाचल प्रदेश	30.92	29.25	18.26
9.	जम्मू एवं कश्मीर	71.80	28.00	24.98
10.	कर्नाटक	105.60	72.20	165.08
11.	केरल	74.01	96.02	22.40
12.	मध्य प्रदेश	43.50		123.64
13.	महाराष्ट्र	59.31	54.74	70.96
14.	मणिपुर	23.26	17.78	27.64

1	2	3	5	6
15.	मेघालय	21.15	14.57	17.50
16.	मिजोरम	43.84	44.41	67.00
17.	नागालैंड	11.13	21.06	27.40
18.	उड़ीसा	111.00	159.00	128.48
19.	पंजाब	131.00	135.00	53.85
20.	राजस्थान	39.33	44.37	44.64
21.	सिक्किम	16.25	12.00	23.50
22.	तमिलनाडु	49.00	150.03	141.99
23.	त्रिपुरा	9.48	13.75	13.77
24.	उत्तर प्रदेश	94.41	80.62	55.41
25.	पश्चिम बंगाल	165.20	76.48	112.00
26.	अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह	10.25	14.25	7.01
27.	चंडीगढ़	5.75	1.10	3.70
28.	दादरा एवं नागर हवेली	0.53		0.80
29.	दमन एंड दीव	—		
30.	दिल्ली	49.72	9.59	25.15
31.	लक्षद्वीप	19.80		9.00
32.	पांडिचेरी	16.80	8.85	8.75
	योग	1502.49	1313.63	1354.76

विवरण–II

पशुधन संख्या की अंतर संगणना वृद्धि दर (1987–1992) तथा चारा उत्पादन की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	कुल पशुधन (संख्या हजार में)		प्रतिवर्ष प्रतिशत वृद्धि दर	चारा उत्पादन मिलियन टन में 1997–98	
		1987	1992		हरा–चारा	सूखा–चारा
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	33667	32911	−0.45	40.32	23.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	810	842	0.78	उ. न.	उ. न.
3	असम	10758	16062	8.35	0.005	उ. न.
4.	बिहार	43449	47930	1.98	उ. न.	उ. न.
5.	गुजरात	16135	18598	2.88	26.00	9.60
6.	गोवा	256	243	−1.04	6.00	उ. न.
7.	हरियाणा	8166	9143	2.29	28.07	9.76
8.	हिमाचल प्रदेश	5337	5106	−0.88	4.00	3.70
9.	जम्मू एवं कश्मीर	7379	8703	3.36	उ. न.	5.00
10.	कर्नाटक	23181	29568	4.99	3.96	1.91
11.	केरल	5483	5834	1.25	उ. न.	उ. न.
12.	मध्यप्रदेश	44276	46744	1.09	87.60	68.43
13.	महाराष्ट्र	34239	36404	1.23	उ. न.	39.50
14.	मणिपुर	1373	1290	−1.24	1.50	उ. न.

1	2	3	4	5	6	7
15.	मेघालय	1109	1182	1.28	0.20	0.10
16.	मिजोरम	160	203	4.88	0.03	0.034
17.	नागालैंड	617	1074	11.72	उ. न.	उ. न.
18.	उड़ीसा	22375	22742	0.33	2.65	11.75
19.	पंजाब	9673	10222	1.11	उ. न.	उ. न.
20.	राजस्थान	40916	48441	3.43	उ. न.	उ. न.
21.	सिक्किम	330	385	3.13	उ. न.	उ. न.
22.	तमिलनाडु	24995	25007	0.01	7.62	9.81
23.	त्रिपुरा	1377	1591	2.93	0.01	उ. न.
24.	उत्तर प्रदेश	61147	64799	1.17	71.14	62.08
25.	पश्चिम बंगाल	47282	35090	−5.79	उ. न.	उ. न.
संघ शासित प्रदेश						
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	134	154	2.82	0.04	उ. न.
2.	चंडीगढ़	32	31	−0.63	उ. न.	उ. न.
3	दादरा एवं नागर हवेली	69	71	0.57	उ. न.	उ. न.
4.	दिल्ली	408	315	−5.04	उ. न.	उ. न.
5.	लक्षद्वीप	16	19	3.50	उ. न.	उ. न.
6.	पांडिचेरी	135	142	1.02	1.26	उ. न.
7.	दमन एवं दीव	उ. न.	13	—	उ. न.	उ. न.

[हिन्दी]

बीज विकास कार्यक्रम

1806. श्री राजवीर सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितने सरकारी फार्म घाटे में चल रहे हैं;

(ख) वर्ष 1996–97 के दौरान सरकारी कृषि फार्म में बीज विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि दी; और

(ग) उक्त कार्यक्रम के लिए वर्ष 1998–99 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) भारतीय राज्य फार्म निगम का केन्द्रीय राज्य फार्म रायबरेली हानि में चल रहा है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के आसानी से न पहुंच सकने वाले दूरस्थ क्षेत्रों के लिए समेकित बीज विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत 51.05 लाख रु. जारी किए गए हैं।

(ग) आसानी से न पहुंच सकने वाले/दूरस्थ क्षेत्रों के लिए समेकित बीज विकास कार्यक्रम स्कीम को 1997–98 से रोक दिया गया है। अतः 1998–99 के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

खराब पड़े टेलीफोन

1807. डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खराब सेवाओं के लिए कठोर दंड लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव भारतीय टेलीफोन नियामक प्राधिकरण के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने सेवा की गुणवत्ता के संबंध में परामर्श दस्तावेज जारी किया है तथा सेवा एक्सेस डिले (सेवा संपर्कता में विलम्ब) कॉल पूर्णता अनुपात, दोष और शिकायतें, सेवा प्रदान करना, बिलिंग कार्य–निष्पादन, ग्राहक शिकायत उपचार तंत्र आदि जैसे कुछ सेवा पैरामीटरों के लिए दंड देने का प्रस्ताव किया है। संबंधित पार्टियों से परामर्श करने के बाद टी. आर. ए. आई. द्वारा इन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय जल प्रबंधन कार्यक्रम

1808. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और कार्यान्वयन की तारीख, परियोजनाओं की लागत क्या है और इन परियोजनाओं को पूरा करने के पश्चात् कितने भू–क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि विकास योजनाएं

1809. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास बिहार सरकार से प्राप्त तथा स्वीकृति हेतु लंबित बिहार कृषि विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन पर निर्णय लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) कृषि विभाग के पास बिहार सरकार से प्राप्त कृषि विकास हेतु किसी नई स्कीम के लिए कोई प्रस्ताव लंम्बित नहीं है।

टेलीफोन एक्सचेंज

1810. श्री सोम मरांडी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बिहार के साहिबगंज और पकुर जिलों में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने संबधी प्रस्ताव लंबित पडा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्लॉक–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त निर्माण योजनाएं वर्ष 1997–98 के दौरान पूर्ण हो जानी चाहिए;

(घ) क्या उपर्युक्त निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) बिहार में साहिबगंज और पकुर जिलों में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) साहिबगंज और पकुर जिलों का ब्लॉक–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बिहार के साहिबगंज और पकुर जिलों में 4 (चार) ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	स्थान	ब्लॉक	जिला	वर्ष के दौरान प्रस्तावित
1.	बोरिया	बोरिया	साहिबगंज	1999–2000
2.	कतालपाखर	बडहरवा	साहिबगंज	1999–2000
3.	गोवालखोर	बड़हरवा	साहिबगंज	1999–2000
4.	अमरापाड़ा	अमरापाड़ा	पकुर	1998–1999

[अनुवाद]

उड़ीसा का गरीबी ग्रसित क्षेत्र

1811. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा के अत्यधिक पिछड़े और गरीबी ग्रसित क्षेत्र कालाहांडी–बोलंगीर और कोरापुट के विकास हेतु 5527 करोड़ रुपए की एक दीर्घावधि कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र और गुजरात के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट (के. बी. के.) के अविभाजित जिलों के लिए संशोधित दीर्घावधि कार्य योजना (1998–99 से 2006–07) तैयार की है जिसमें केन्द्रीय योजना और विभिन्न क्षेत्रकों अर्थात् कृषि, बागवानी, जलसंभर विकास, वनरोपण, ग्रामीण रोजगार, सिंचाई, स्वास्थ्य, पेयजल और ग्रामीण संबद्धता की केन्द्र प्रायोजित स्कीमें शामिल हैं। चूंकि कुछ स्कीमें मांग संचालित हैं और कुछ के लिए मानकों में छूट दी जानी आवश्यक है, निधियों का वास्तविक प्रवाह स्कीमों की प्रगति आदि जैसे कारकों पर निर्भर होगा। तथापि, इन जिलों के लिए निधियों का एक निश्चित स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें रोजगार आश्वासन स्कीम (ई. ए. एस.) के अन्तर्गत निधियों की पहली किश्त को दोगुना करना और के. बी. के जिलों के लिए उड़ीसा की वार्षिक योजना 1998–99 में 37 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम बुनियादी सेवाओं (बी. एम. एस.) के अन्तर्गत 7 करोड़ रुपये आपात भरण–पोषण के लिए और 2 करोड़ रुपए चल स्वास्थ्य यूनिटों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग) से (ङ) किसी क्षेत्र की आयोजना और विकास तथा इस प्रयोजनार्थ निधियों का आबंटन मूलतः संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है। केन्द्र सरकार विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों, अर्थात् जनजाति उपयोजना (टी. एस. पी.) के माध्यम से महाराष्ट्र और गुजरात के जनजाति क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों के विकास में राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों में विभिन्न गरीबी उन्मूलन स्कीमें जैसे कि जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन स्कीम आदि भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

[हिन्दी]

एस. टी. डी./पी. सी. ओ. बूथ स्थापित करना

1812. श्री सुरेश चन्देल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में एस. टी. डी./आई. एस. डी./पी. सी. ओ. बूथ स्थापित करने हेतु राज्य–वार निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : एस. टी. डी./पी. सी. ओ. के लिए लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। 1998–99 के लिए राज्य–वार लक्ष्य संलग्न विवरण पर दिये गये हैं।

विवरण

वर्ष 1998–99 के लिए एस. टी. डी. सार्वजनिक टेलीफोन के लिए निर्धारित लक्ष्य

क्र. सं.	सर्किल/जिला का नाम	एस. टी. डी./आई. एस. डी./ पी. सी. ओ.
1.	अण्डमान और निकोबार	35
2.	आंध्र प्रदेश	6000
3.	असम	1500
4.	बिहार	6000
5.	गुजरात	4500
6.	हरियाणा	1715
7.	हिमाचल प्रदेश	750
8.	जम्मू एवं कश्मीर	750
9.	कर्नाटक	6000
10.	केरल	2250
11.	मध्य प्रदेश	6000
12.	महाराष्ट्र	7500
13.	उत्तर–पूर्व	750
14.	उड़ीसा	900
15.	पंजाब	3000
16.	राजस्थान	4500
17.	तमिलनाडु	7500
18.	उ. प्र. (पूर्वी)	7500
19.	उ. प्र. (पश्चिम)	4500
20.	पश्चिमी बंगाल	4500
21.	मुम्बई	4500
22.	कलकत्ता	5500
23.	दिल्ली	4500
24.	चेन्नई	3000
	कुल	93650

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा

1813. श्री बलराम सिंह यादव :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन के लिए प्रधानमंत्री की हाल ही की अमरीका यात्रा के दौरान भारत के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने, परमाणु शक्ति के रूप में भारत को मान्यता देने, स्थायी सदस्य के रूप में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल करने और एन. पी. टी. को समान रूप से लागू करने के लिए कोई पहल की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो अमरीका प्रशासन और अमरीकी कांग्रेस द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) सितम्बर, 1998 में प्रधानमंत्री की अमरीका की यात्रा संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में हुई थी और उनके स्तर पर भारत–अमरीका मसलों पर कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री ने 24 सितम्बर, 1998 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 53वें सत्र के अपने भाषण में, नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर भारत की स्थिति को सुस्पष्ट किया और भारत के नाभिकीय परीक्षणों के पीछे तर्काधार का खुलासा किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी की बात भी दोहरायी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

1814. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में कहां–कहां आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा इनमें से प्रत्येक केन्द्र की प्रसारण क्षमता क्या है;

(ख) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए राज्य–वार कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू योजनावधि के अंत तक कितने प्रतिशत जनसंख्या और क्षेत्र को आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण के अंतर्गत लाया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) 1.1.1996 से चालू किए गए आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन स्टूडियो/ट्रांसमीटरों और उनकी प्रसारण क्षमता को दर्शाने वाला विवरण–I संलग्न है।

(ख) और (ग) नौवीं योजना के दौरान आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना करने के लक्ष्य को दर्शाने वाला विवरण–II संलग्न है। जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, दूरदर्शन की पंचवर्षीय योजनाएं मौजूदा कवरेज, सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं, लोगों की मांग और पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण देश के लिए तैयार की जाती है राज्य–वार नहीं।

(घ) नौवीं योजना के अंत तक आकाशवाणी से क्षेत्र का 92% और 98.5% जनसंख्या कवर होने की आशा है जबकि दूरदर्शन से क्षेत्र का 84.1% और 93.5% जनसंख्या के कवर होने की आशा है।

विवरण–I

राज्य	आकाशवाणी	दूरदर्शन
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		एस. टी. पोर्ट ब्लेयर अ. अ. श. ट्रां. बरतंग ,, हैवलोक ,, कटचल अ. श. ट्रां. पोर्ट ब्लयेर (डी. डी. 2) अ. अ. श. ट्रां. ग्रेट निकोबार

1	2	3
आंध्र प्रदेश		अ. श. ट्रां. कामारेड्डी
		,, एल. आर. पल्ली
		,, नारायणपेट
		अ. अ. श. ट्रां. चितापल्ली*
		,, पार्वतीपुरम
		उ. श. ट्रां. हैदराबाद
		(डी. डी. 2)
		,, कुरनूल
		,, राजामुंदरी
		(अंतरिम)
		अ. श. ट्रां. अचमपेट
		,, बेलामपल्ली
		,, जदचेरला
		,, कादिरी
		,, मरकापुर
		,, पेडनान्दीपाडु
		,, तम्बलापल्ली
		,, तिरूपति
		,, बांसवाडा
		,, भाईन्सा
		,, दासरी
		,, मचिरला
		,, नरसारोपेट
		,, राजमपेट
		,, तुनी
		अ. अ. श. ट्रां. सीतामपेट्टा
अरुणाचल प्रदेश		एस. टी. ईटानगर
		अ. अ. श. ट्रां. चयांगताजो
		,, कलकतंग
		,, योमचा

1	2	3
		अ. श. ट्रां. मियाओ
		अ. अ. श. ट्रां. बारीरिजो
		,, बोलेंग
		,, गेकु
		,, जेन्सी
		,, इन्कोयोंग
		,, केईग
		,, लिरोमोबा
		,, मारियंग
		,, नामपोंग
		,, पालिन
		,, रूपा
		,, सीजोसा
		,, तालिहा
		,, तिरबिन
असम	दीफू, 1 कि. वा. मी. वे. ट्रां.	अ. श. ट्रां. मार्गहेरिता
		,, तिनसुकिया
		अ. अ. श. ट्रां. दिग्बोई
		अ. श. ट्रां. डिब्रूगढ़
		(डी. डी. 2)
		,, गोहपुर
		,, सिलचर
		(डी. डी. 2)
बिहार		एस. टी. पटना
		अ. श. ट्रां. पटना (डी. डी. 2)
		,, शेखपुरा
		,, सुपौल
		,, लखीसराय
		अ. श. ट्रां. लोमुण्डी
		,, फूलपारस
		,, सराईकेला

1	2	3
		,, सिकन्दरा
		अ. अ. श. ट्रां. सिमडेगा
		अ. श. ट्रां. दौडनगर
		,, कोडरमा
		,, मुशाबनी
		,, सिमरी
		,, बख्तियारपुर
दादरा और नागर हवेली		अ. श. ट्रां. सिलवासा
दमन और दीव		अ. श. ट्रां. द्वीव
गोवा		अ. श. ट्रां. पणजी (डी. डी. 2)
गुजरात		अ. श. ट्रां. ईदर
		,, श्यामलाजी
		अ. अ. श. ट्रां. नेतरंग
		अ. श. ट्रां. अमोद
		,, दीसा
		,, मंगरोल (सूरत)
		,, मोरवी
		,, बतवा
		,, बोतड
		,, धान्धुका
		,, धर्मपुर
		,, धारी
		,, झागडिया
		,, लिम्बडी
		,, राधनपुर
		,, ऊना
		अ. अ. श. ट्रां. सागवाड़ा
		अ. श. ट्रां. रोहतक
हरियाणा		,, चरखी दादरी

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	कुल्लू, 2 × 3 कि. वा.	अ. अ. श. ट्रां. बान्दला
	एफ. एम. ट्रां.	,, भारती
		,, दियार
		,, शिवबादर
		,, वीर
		अ. श. ट्रां. रामपुर
		अ. अ. श. ट्रां. भारमौर
		,, होली
		,, झालमा
		,, कोटखाई
		,, रोहरू
		अ. श. ट्रां. सुजानपुर
		,, सुन्दरनगर
		अ. अ. श. ट्रां. बंजर
		,, चौपाल
		,, कारसाग
		,, निचर
		,, परवाणू
		,, पिरवह्यानन्दु
		,, उदयपुर
जम्मू और कश्मीर	कारगिल 1 कि. वा. मी. वे. ट्रां.	अ. श. ट्रां. राजौरी
		,, नौशेरा
		अ. अ. श. ट्रां. चुशूल
		,, खालसी
		,, मुलबेख
		,, सियाचिन
		,, तंगट्से
कर्नाटक	बीजापुर 2 × 3 कि. वा.	अ. श. ट्रां. अरसीकेरे
	एफ. एम. ट्रां.	,, भतकल
		,, हुंगोंड

1	2	3
		,, कुम्टा
		उ. श. ट्रां. बंगलौर (डी. डी. 2)
		अ. श. ट्रां. बासवा कल्याण
		,, कोकक
		,, हरपनहल्ली
		,, पुट्टूर
		,, सागर
		अ. अ. श. ट्रां. मधुगिरि
		उ. श. ट्रां. गुलबर्गा
		अ. श. ट्रां. हाथीहल
		,, होले नरसिपुर
		,, तुमकूर
केरल		अ. श. ट्रां. चेंग्गानूर
		,, थोडुपूजा
		अ. अ. श. ट्रां. देवीकोलम
		,, कंजिरापल्ली
		अ. श. ट्रां. अदूर
		,, अट्टापाडी
		,, कन्नानौर
		(डी. डी. 2)
महाराष्ट्र	उस्मानाबाद 2 × 3 कि. वा.	अ. श. ट्रां. म्हास्ले
	एफ. एम. ट्रां.	,, राजापुर
		,, रिसोड
		अ. अ. श. ट्रां. खेड
		अ. श. ट्रां. अहेरी
		,, चांदुर
		,, नवागुर
		,, शिरपुर
		,, सिरोंचा
		अ. अ. श. ट्रां. बदलापुर

1	2	3
		,, भोकाड़
		अ. श. ट्रां. खोपोली
		,, महाड
		,, मंगगोन
		,, सतना.
		,, तुमसर
		,, उमरखेड
		अ. अ. श. ट्रां. गोरेगांव
		,, मलकापुर
		,, मालवां
मणिपुर		अ. अ. श. ट्रां. मोरेह
मिजोरम		अ. अ. श. ट्रां. चम्फाई
		अ. श. ट्रां. लुंगलेई
		(डी. डी. 2)
		अ. श. ट्रां. भण्डेर
		,, दुकडेश्वर
		अ. अ. श. ट्रां. जशपुरनगर
		,, कोंडागांव
		अ. श. ट्रां. गदरवाड़ा
		,, केलारस
		,, नारायणपुर
		,, सक्ति
		अ. अ. श. ट्रां. डायमंड मीनिंग
		,, प्रोजेक्ट
		,, कोयलीबेडी
		,, सिंगरौली
		अ. श. ट्रां. बड़ा मलेहरा
		,, भानपुरा
		,, गरोट
		,, पिपरिया

1	2	3
		,, सितामऊ
		अ. अ. श. ट्रां. बीजापुर
		,, सारनगढ़
नागालैंड		उ. श. ट्रां. मोकोकचुंग
उड़ीसा		अ. अ. श. ट्रां. फेक
		अ. श. ट्रां. दुर्गापुर
		,, कुचिन्दा
		अ. अ. श. ट्रां. बड़ा बारबिल
		,, नयागढ़
		,, थुआमल रामपुर
		अ. श. ट्रां. कविसूर्यानगर
		,, कोटपाड
		,, शोहेला
		,, सोनीपुर
		,, उमरकोट
		उ. श. ट्रां. बालेश्वर
		अ. श. ट्रां. मोहाना
		,, पदुआ
		,, पटनागढ़
		अ. अ. श. ट्रां. औल
		,, बारपल्ली
		,, चित्राकोंडा
		,, कलामपुर
		,, कोकसारा
		,, नागची
पांडिचेरी		अ. श. ट्रां. पांडिचेरी (डी. डी. 2)
पंजाब		उ. श. ट्रां. फाजिल्का (अन्तरिम)

1	2	3
राजस्थान	माउन्ट आबू 2 x 3 कि. वा. एफ. एम. ट्रां.	अ. श. ट्रां. पटियाला
		,, बंसी
		अ. अ. श. ट्रां. भीम
		,, फतेहपुर
		,, मंडलगढ़
		,, ज़ावर माइन्स
		उ. श. ट्रां. जैसलमेर
		अ. श. ट्रां. बारी सदरी
		,, करौली
		,, केसरियाजी
		,, माउन्ट आबू
		,, निमज
		,, नोहर
		,, फलोदी
		,, प्रतापगढ़
		,, राजगढ़
		,, शाहपुरा
		अ. अ. श. ट्रां. गंगापुर
		,, नीम का थाना
		अ. श. ट्रां. हिन्डोन
		अ. अ. श. ट्रां. आंधी
सिक्किम		अ. अ. श. ट्रां. रांग्पो
		,, सिंग्टम
तमिलनाडु		अ. श. ट्रां. अरनी
		,, गुडियाटम
		,, कृष्णागिरी
		अ. अ. श. ट्रां. वल्लीउर
		,, वल्पराई
		,, वजापाड़ी
		अ. श. ट्रां. अत्तूर

1	2	3
		अ. श. ट्रां. पत्तूकोट्टल
		,, शंकरन कोविल
		,, तिरूवैयारू
		अ. श. ट्रां. बेडेयार
त्रिपुरा		,, उद्मलपेट
		अ. श. ट्रां. कैलाशहर
		अ. अ. श. ट्रां. धरमनगर
	पौड़ी (गढ़वाल)	अ. श. ट्रां. कैलाशहर (डी. डी.--II)
	1 कि. वा. मी. वे. ट्रां.	,, तेलियापुरी
	पिथौरागढ़ 1 कि. वा. मी. वे. ट्रां.	अ. श. ट्रां. आजमगढ़
	उत्तरकाशी 1 कि. वा. मी. वे. ट्रां.	,, कासगंज
		,, मउ रानीपुर
		अ. अ. श. ट्रां. बागेश्वर
		,, देवप्रयाग
		,, डीडीहाट
		,, गज्जा
		,, घन्डयाल
		,, जोशीमठ
		,, कलजीखल
		एस. टी. मऊ
		अ. श. ट्रां. अथदामा
		,, औरैया
		,, गंजडुंडवारा
		,, महोबा
		,, मऊ डी. डी.--II
		,, नैनीडांडा
		,, नानपारा
		,, नौगढ़
		,, न्यू टिहरी
		अ. अ. श. ट्रां. बसोट

1	2	3
		,, चौखुटिया
		,, कर्णप्रयाग
		,, प्रतापनगर
		,, साहिया
		एस. टी. इलाहाबाद
		अ. श. ट्रां. अमरोहा
		अ. श. ट्रां. छिब्रामऊ
		,, हल्द्वानी
		,, महरोनी
		अ. श. ट्रां. रामपुर (डी. डी.–2)
		,, रथ
		,, रूदाली
		अ. अ. श. ट्रां. मानिकपुर
		,, राज गढ़ी
पश्चिम बंगाल	आसनसोल 2 × 5 कि. वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर	,, थराली
		अ. अ. श. ट्रां. कालना
		एस. टी. शांतिनिकेतन (अंतरिम स्थापना)
		अ. श. ट्रां. बासंती
		,, विष्णुपुर
		,, फरक्का
		,, मुर्शिदाबाद (डी. डी.–2)
		,, रायना
		एस. टी. शांतिनिकेतन (स्थायी स्थापना)
संघ शासित प्रदेश		जलपाईगुड़ा (सिलिगुड़ी)
दमन और दीव	दमन	
पांडिचेरी	कराईकाल	

विवरण–II

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आकाशवाणी परियोजनाओं की संख्या
1	2
असम	03
आंध्र प्रदेश	03
अरुणाचल प्रदेश	03
गुजरात	01
हरियाणा	01
जम्मू और कश्मीर	01
केरल	02
मध्य प्रदेश	04
मेघालय	02
महाराष्ट्र	02
मणिपुर	01
मिजोरम	02
नागालैण्ड	03
उड़ीसा	02
तमिलनाडु	02
त्रिपुरा	02
उत्तर प्रदेश	01
पश्चिम बंगाल	03

वृद्धि दर

1815. श्री अरविंद कांबले : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की औद्योगिक विकास दर के संबंध में सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इस समय प्रत्येक राज्य और विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के संबंध में औद्योगिक विकास दर का ब्यौरा क्या है;

(ग) कथित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कठिनाइयां आ रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) केन्द्र सरकार ने राज्यों के लिए लक्ष्य विकास दरें निर्धारित नहीं की हैं।

(ख) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं, के लिए 1992–93 से उद्योगों में निवल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर, जैसा कि प्रत्येक राज्य के राज्य अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा परिकलित की गई है, संलग्न विवरण में दी गई है। उद्योगों में खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति शामिल हैं।

(ग) से (च) (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

उद्योग में वास्तविक वृद्धि दरें (प्रतिशत)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992–93	1993–94	1994–95	1995–96	1996–97
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	–5.13	8.10	6.56	4.10	4.93
अरुणाचल प्रदेश	–1.29	38.42	6.42	–8.92	1.58
असम	–2.88	4.31	16.15	2.12	4.99
बिहार	–11.80	4.21	–4.04	3.85	7.45
गोआ	22.92	–1.37	5.40	7.60	0.99

1	2	3	4	5	6
गुजरात	44.45	0.72	24.90	9.29	7.88
हरियाणा	−2.23	6.93	9.06	7.84	7.30
हिमाचल प्रदेश	7.59	8.50	10.67	8.52	लागू नहीं
जम्मू और कश्मीर	3.58	2.71	10.11	3.87	लागू नहीं
कर्नाटक	−0.29	3.71	6.81	7.83	6.78
केरल	10.64	15.33	−2.15	5.46	5.22
मध्य प्रदेश	16.73	8.09	6.38	6.24	5.88
महाराष्ट्र	8.01	9.89	11.07	13.19	4.11
मणिपुर	8.18	−21.33	16.79	5.26	लागू नहीं
मेघालय	−3.85	5.94	−1.16	4.49	12.19
उड़ीसा	3.92	−3.26	9.64	11.83	13.31
पंजाब	10.41	9.03	8.91	8.96	9.15
राजस्थान	13.35	3.52	5.85	2.38	2.77
तमिलनाडु	7.42	8.73	15.80	4.10	5.68
त्रिपुरा	5.55	−0.48	−1.16	26.21	10.60
उत्तर प्रदेश	0.14	0.83	4.53	5.17	6.94
पश्चिमी बंगाल	3.19	3.00	6.77	7.22	7.57
दिल्ली	3.32	6.56	6.51	13.64	लागू नहीं
पांडिचेरी	25.17	4.66	4.32	16.53	लागू नहीं

[अनुवाद]

खरीफ फसल की क्षति

1816. श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राकृतिक आपदा के कारण कुल कितने क्षेत्रफल में खरीफ फसल पूरी तरह बरबाद हुई तथा इससे राज्य–वार कुल कितने राजस्व की हानि हुई;

(ख) विभिन्न राज्यों को राहत के तौर पर राज्य–वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार प्रभावित किसानों को कोई मुआवजा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड

1817. प्रो. चमन लाल गुप्त : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा जम्मू और कश्मीर में संपन्न कराये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर के कंडी तथा हिल्ली क्षेत्र में नलकूपों को लगाने में विशेष प्रकार की ड्रिलों तथा अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नलकूपों को सुविधापूर्वक लगाने के लिए केन्द्रीय भू–जल बोर्ड की जम्मू–कश्मीर इकाई के पास ये ड्रिलें और अतिरिक्त उपकरण उपलब्ध हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस इकाई को उक्त ड्रिलों और अतिरिक्त उपकरणों को देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में किए गए कार्य निम्नलिखित हैं :

(i) जम्मू, कथुवा और ऊधमपुर जिलों में 8880 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में भू–जल का जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण।

(ii) भू–जल के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए 48 बोर होल्स (17 अन्वेषणात्मक कुएं, 11 प्रेक्षण कुएं और 20 पी. जी. मीटर) की खुदाई।

(iii) 133 हाइड्रोग्राफ नेटवर्क केन्द्रों के जरिए भू–जल स्तरों का प्रबोधन।

(iv) ग्रामीण, जन–स्वास्थ्य एवं सुरक्षा स्थापनाओं के लिए 111 जल आपूर्ति अन्वेषण करना।

(ख) से (ङ) जम्मू और कश्मीर में भू–वैज्ञानिक दृष्टि से भू–जल अन्वेषण के लिए उचित समझे जाने वाले बहुत से क्षेत्र जलोढ़ अवसादों तथा बड़े–बड़े पत्थरों से घिरे हुए हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों की खुदाई परकशन रिग्स, परकशन–सहरोटरी रिग्स एवं रोटरी रिग्स से की जा सकती है। इस समय जम्मू स्थित केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के मण्डल कार्यालय में दो परकशन, दो परकशन–सह–रोटरी तथा एक रोटरी रिग्स हैं जो बोर्ड द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार भू–जल का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए पर्याप्त हैं।

टेलीफोन लाइनों का विस्तार

1818. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1998–99 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु और अधिक टेलीफोन लाइनें देने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मांग की किस सीमा तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान देश में 36 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है। इससे देश के कुछ भागों में मांग पर टेलीफोन उपलब्ध हो जाएगा।

देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए 9वीं योजना अवधि के दौरान सरकार ने 23.7 मिलियन लाइनें प्रदान करने की योजना बनाई है, जिनमें से दूरसंचार विभाग 18.5 मिलियन लाइनें प्रदान करेगा और शेष 5.2 मिलियन लाइनें निजी प्रचालकों द्वारा प्रदान की जायेंगी।

उच्च श्रेणी लिपिकों का वेतनमान

1819. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमान में संशोधन का मामला लम्बे समय से विनिर्णयाधीन पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमान में संशोधन करने के मामले में अंतिम निर्णय कब तक कर लिए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) विवाचन बोर्ड ने अपने दिनांक 30.07.1998 के आदेश द्वारा केन्द्रीय सचिवालय–लिपिक–सेवा के उच्च श्रेणी–लिपिकों के वेतनमान के संशोधन की मांग अस्वीकार कर दी है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड

1820. डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा इसकी संबद्ध कंपनियों के खिलाफ, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कितने मामले दायर किए गए हैं अथवा दर्ज किये गये हैं; और

(ख) न्यायालय में दायर इन मामलों में केन्द्रीय जाच ब्यूरो ने कितनी बार स्थगन की मांग की है और इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा उसकी सहयोगी कंपनियों के विरुद्ध 3 मामले (2 नियमित मामले तथा एक प्रारम्भिक जांच से संबंधित मामला) दर्ज किए हैं, जिनमें से एक नियमित मामले के संबंध में आरोप–पत्र दायर कर दिया गया है।

(ख) शून्य।

सब्जियों की खेती

1821. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में सब्जियों की खेती को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय मदद/सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कितनी राशि की मांग की है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का निर्णय क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) संशोधित परियोजना प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि 368.50 लाख रु. है।

(ग) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने प्रस्ताव की जांच की है तथा राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। राज्य सरकार के अंतिम जवाब की प्रतीक्षा है।

सौर पम्पिंग प्रणाली

1822. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में सौर पम्पिंग प्रणाली लगाने को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्य–वार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया; और

(ग) सौर पम्पिंग प्रणाली के लिए कितनी राजसहायता प्रदान की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) कृषि और संबंधित उपयोगों के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय (एस. पी. वी.) जल पंपन प्रणालियों के लगाने का कार्यक्रम 1993 से क्रियान्वयनाधीन है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रणालियों के विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं और वित्तीय बिचौलियों द्वारा एस. पी. वी. जल पंपन प्रणालियों का सीधे ही विपणन किया जाता है। लक्ष्यों का राज्य–वार कोई आबंटन नहीं है। 30.11.1998 के अनुसार देश में कुल 2720 जलपंपन प्रणालियां संस्थापित की गई हैं। गत तीन वर्षों के दौरान एस. पी. बी. जल पंपन प्रणालियों की राज्यवार संस्थापना के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 200 वाट से 2250 वाट तक की क्षमता वाली एस. पी. वी. जल पंपन प्रणालियां आर्थिक राज सहायता और उदार ऋण के लिए पात्र हैं। सरकार, उपयोग किए गए सौर प्रकाशवोल्टीय ऐरे का 125 रुपये प्रति पीक वाट की दर पर प्रत्येक पंपन प्रणाली के लिए 2,00,000 रुपये तक की आर्थिक राज सहायता प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में उपयोग किए गए पी. वी. ऐरे की क्षमता पर निर्भर करते हुए 2,50,000 रुपये प्रति प्रणाली तक के उदार ऋण का प्रावधान है।

विवरण

एस. पी. वी. जल पंपन प्रणालियों की राज्यवार संस्थापना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995–96	1996–97	1997–98
आंध्र प्रदेश	93	102	41
असम	12	17	0
अंडमान एवं निकोबार	0	0	0
बिहार	26	40	15
चंडीगढ़	7	0	0
दादरा व नागर हवेली	0	0	0
दिल्ली	16	18	8
गुजरात	2	15	2
गोवा	10	2	0
हरियाणा	9	4	7
हिमाचल प्रदेश	1	0	5
जम्मू व कश्मीर	7	4	1
कर्नाटक	35	47	71
केरल	100	82	102
मध्य प्रदेश	8	4	23
महाराष्ट्र	55	27	8
मणिपुर	1	0	0
मिजोरम	2	26	0
उड़ीसा	0	0	1
पंजाब	48	29	3
पांडिचेरी	0	0	0
राजस्थान	61	47	80
तमिलनाडु	207	93	112
उत्तर प्रदेश	35	26	36
पश्चिम बंगाल	3	27	2
अन्य	738	610	528

डाक सेवा

1823. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र में डाक सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन क्षेत्रों के डाकघरों में कुल कितनी धनराशि जमा की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार इन डाकघरों में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए कुछ नई योजनाएं चलाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) उत्तर क्षेत्र में, जिसमें तीन जिले अर्थात् धुले, जलगांव और भुसावल शामिल हैं, डाक सेवाएं सामान्यतया संतोषजनक हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महाराष्ट्र के उत्तर क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान डाकघरों में जमा की गई कुल धनराशि निम्नानुसार है :

1995–96	–	257.52 करोड़ रु.
1996–97	–	106.57 करोड़ रु.
1997–98	–	755.32 करोड़ रु.

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हज यात्री

1824. श्री टी. गोविन्दन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से केरल के हज यात्रियों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) वर्ष 1998 के दौरान केरल से हज यात्रियों की संख्या कितनी थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। केरल सरकार के स्थानीय प्रशासन मंत्री ने मई, 1998 में प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था।

(ख) इस पत्र में केरल राज्य के हज यात्रियों के कल्याण के लिए हज चार्टर उड़ानों के लिए त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का उपयोग तथा भारत और सऊदी अरब में हज प्रबंध में केरलवासियों की अधिक सहभागिता से संबंधित सुझाव दिए गए थे।

केरल सरकार द्वारा दिए गए सुझावों की सावधानीपूर्वक जांच की जा रही है और उन्हें व्यवहार्य सीमा और व्यापक राष्ट्रीय हज नीति तथा प्रत्येक हज के लिए सरकार द्वारा निर्धारित हज प्रबंधन मानदंडों के अनुरूप कार्यान्वित किया जाएगा।

(ग) हज 98 के दौरान केरल राज्य से 5373 हज यात्री हज पर गए थे।

उड़ीसा की रूशिकुल्या प्रणाली

1825. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रूशिकुल्या प्रणाली की प्रमुख और दसवीं शाखा का आधुनिकीकरण कार्य 1998–99 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) जी, नहीं। उड़ीसा में रूषिकुल्या प्रणाली के मुख्य एवं 10वीं वितरणी के आधुनिकीकरण का कार्य 2001–2002 के अंत तक पूरा होने का कार्यक्रम है।

सी. आई. पी. सी. रयासन

1826. श्री महबूब जहेदी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी. आई. पी. सी. रसायन का उपयोग भंडारों में आलू के अंकुरित होने को रोकने हेतु विश्व भर में किया जाता है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) किन–किन एजेंसियों को आलू के आधिक्य के संबंध में अनुसंधान तथा मूल्यों में गिरावट से निपटने हेतु सी. आई. पी. सी. के उत्पादन तथा आयात हेतु लाइसेंस दिए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय हेतु राष्ट्रीय स्तर पर आलू बोर्ड के गठन पर विचार कर रही है ?

भारत सरकार और मिल मालिक इस संबंध में उदासीन हैं और वे जूट मजदूरों को वापस काम दिलाने के लिए गंभीर उपाय नहीं कर रहे हैं।

यह कृषि से भी संबंधित है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री अजय चक्रवर्ती : कच्चे जूट के उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। जे. सी. आई. अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के प्रति उदासीन है। जे. सी. आई. भी कच्चे जूट उत्पादकों से कच्चे जूट के उत्पाद को खरीदने के लिए समय पर आगे नहीं आ रहा है। पूरा जूट उद्योग और कच्चे जूट उत्पादक गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। इस समय जूट उद्योग की स्थिति बहुत खराब है। इसीलिए मैं भारत सरकार से जूट उद्योग, जूट मजदूरों और कच्चे जूट उत्पादकों की दुर्दशा को सुधारने के लिए सकारात्मक और उपयुक्त उपाय करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला) : अध्यक्ष महोदय, मैंने मध्य प्रदेश के मण्डला आदिवासी जिले के आसपास के जो जंगल हैं, उनके संबंध में सूचना दी है। निरन्तर एक साल से मध्य प्रदेश सरकार ने सारे आदिवासी गांवों के आसपास जो जंगल लगे हुए हैं और जो साल वृक्ष हैं, उनकी अन्धाधुंध कटाई मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग ने कराई है। मैंने निरन्तर इस बात के लिए सूचना दी है और अनुमानित करीब 40 लाख झाड़ काटने की सूचना और अनुमति मध्य प्रदेश सरकार ने दी है। अभी तक करीब 15 लाख झाड़ वहां काट दिये गये हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार के माध्यम से निर्देशित करें कि जो आदिवासी क्षेत्र में या वहां के जंगल हैं, उनके रख–रखाव के लिए कम से कम उन झाड़ों की कटाई को रोका जाए। करोड़ों–अरबों रुपये की सम्पत्ति की वहां लूट हो रही है। अनेक ऐसे बिचौलिये हैं जो पूरा जंगल साफ कर रहे हैं और मैं आपका ध्यान निरन्तर इस बात की ओर आकर्षिक करना चाहता हूं तथा सरकार से संरक्षण चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों के जंगलों की कटाई रोकने के लिए वह उचित कदम उठाये।

[अनुवाद]

श्री एस. अरुमुगम (पांडिचेरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभा का ध्यान पांडिचेरी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए विधेयक को लाने की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले सत्र में सभा में इस विषय पर चर्चा हुई थी। इस प्रयोजन हेतु पांडिचेरी विधान सभा में दस बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री मदनलाल खुराना जी ने पिछले सत्र में घोषणा की थी कि सरकार पांडिचेरी को राज्य का दर्जा प्रदान करेगी। कल माननीय मंत्री ने कहा था कि इस सत्र में तीन नए राज्यों के गठन संबंधी विधेयक को पुरःस्थापित किया जाएगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को इस सत्र में पांडिचेरी के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने संबंधी विधेयक को पुरःस्थापित करने और पारित करने का आश्वासन देना चाहिए।

श्री टी. आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : यह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मामला है। मंत्री महोदय यहां पर उपस्थित हैं। मंत्री महोदय को हमें इस बारे में आश्वस्त करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया (पेरियाकुलम) : जब मैंने यह मुद्दा उठाया था तब मंत्री महोदय ने स्पष्ट आश्वासन दिया था। उन्हें अपने आश्वासन से पीछे नहीं हटना चाहिये। ...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : संसदीय मंत्री महोदय को प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। श्री मदन लाल खुराना, आप उत्तर क्यों नहीं देते हैं? हम चाहते हैं कि आप हस्तक्षेप करें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. सी. पी. ठाकुर (पटना) : सारे अखबार में जो आया है ...*(व्यवधान)* बिहार सरकार को डिसमिस किया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री कृष्ण कुमार चौधरी (गया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गया संसदीय क्षेत्र के तहत बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड की गुरारी शुगर मिल की बदहाली की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। बिहार सरकार की उपेक्षा और उदासीनता की वजह से मौडर्नाइजेशन के नाम पर विगत सात वर्षों से यह चीनी मिल बंद पड़ी है और वहां के शासक, वहां के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। सभी कर्मचारी भुखमरी के कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि गुरारी चीनी मिल को तुरंत चालू किया जाए। सारी मशीन सही सलामत स्थिति में हैं। सरकार द्वारा थोड़ी–सी राशि खर्च करके उस गुरारी शुगर मिल को चालू किया जा सकता है।

श्री आनन्द रत्न मौर्य (चंदौली) : महोदय, बनारस के अन्दर सिल्क धागा नहीं मिल रहा है, इसलिए इस धागे को विदेशों से मंगाने की आवश्यकता है, नहीं तो यह सिल्क उद्योग बंदी के कगार पर जा रहा है। वहां के बुनकरों की हालत बहुत ही खराब है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सिल्क धागा विदेशों से मंगाया जाए और बिक्री की व्यवस्था बनारस के अंदर की जाए, ताकि वहां से जो बुनकरों का पलायन हो रहा है, वह बंद हो सके। इस क्षेत्र में सिल्क उद्योग हजारों वर्षों से चल रहा है। यह उद्योग पुनः जीवित हो सके, इसलिए मैं कपड़ा मंत्रालय से मांग करता हूं कि विदेशों से सिल्क के धागे को मंगाने की व्यवस्था की जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : महोदय, यह सवाल केवल बनारस का ही नहीं है, सिल्क साड़ी के क्षेत्र में सिर्फ बनारस के बुनकर ही नहीं हैं, कालीन क्षेत्र के बुनकर भी हैं। इन बुनकरों को जो ऋण दिया

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जाता है और ऋण की वसूली जिस प्रकार की जाती है, उससे बुनकरों की स्थिति दिनोंदिन दयनीय होती जा रही है। मैं भारत सरकार से, वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि बुनकरों की दयनीय स्थिति को देखकर कालीन क्षेत्र और बनारसी साड़ी क्षेत्र में लगे बुनकरों, जिनको अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त है, की स्थिति को सुधारने के लिए कोई योजना लानी चाहिए, क्योंकि बुनकरों की स्थिति दिनोंदिन खराब होती जा रही है।

डॉ. शकील अहमद (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, दूदर्शन तथा आकाशवाणी कार्यक्रम के कर्मचारी संघ—प्रोग्राम स्टॉफ एसोसिएशन—अपनी मांगों के समर्थन में दस दिसम्बर को हड़ताल पर जा रहे हैं। अगर ये लोग हड़ताल पर चले गये, तो 195 आकाशवाणी केन्द्र और 42 दूरदर्शन केन्द्र प्रभावित होंगे और इसका असर सारे भारत में होगा। उनकी मांगें बड़ी साधारण हैं, सिमपल हैं और बड़ी जायज मांगें हैं। उनकी मांग है कि उनको इंजीनियरिंग कैडर के बराबर वेतनमान दिया जाए। पांचवें वेतन आयोग ने भी इसकी सिफारिश की है। इस संबंध में जो वार्ता हुई थी, उसमें सरकार ने मान लिया है कि हम करेंगे और प्रोग्राम स्टॉफ एसोसिएशन वेतनमान इंजीनियरिंग कैडर के समान के कर रहे हैं। इनके वेतनमान समान करेंगे, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने नहीं किया है। उनकी एक मांग और भी है और वह यह है कि बहुत से रिक्त पद बहुत दिनों से खाली पड़े हैं। इन पदों को भी भरने की मांग एसोसिएशन ने की है। एसोसिएशन की मांग है कि अगर परमानेंटली ये पद नहीं भर सकते हैं, तो कम से कम टैम्पोरेरी भर दें। यह विषय बहुत ही गंभीर है और इसका पूरे देश में प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इस समस्या का समाधान इस दिसम्बर से पहले ही किया जाए।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.39 बजे

[श्री पी. एम. सईद *पीठासीन हुए]*

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : सभापति महोदय, अभी श्री शकील अहमद द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों के संबंध में जो बात उठाई है, वह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। हम सब इस मुद्दे पर बहुत चिन्तित हैं। कृपया संबंधित मंत्री से पूछिए।

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए। मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया बैठ जायें। मैं खड़ा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य कृपया सुनिए। शून्यकाल में उल्लेख किए जाने के लिए 36 विषय हैं। पहले से ही बनाई गई सूची के अनुसार हमें आगे बढ़ना होगा। इस बीच यदि कोई व्यवधान डालता है तो मैं आपसे कह दूं कि उसे बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, मैंने भी इसी विषय की सूचना दी है। आप कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। ...*(व्यवधान)*

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : सभापति महोदय, मेरा नाम माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पुकारा गया था।...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय, डॉ. शकील अहमद द्वारा जो विषय उठाया गया। मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : मैं भी अपने को शकील जी की मांग से संबद्ध करती हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि सरकार उल्लेखित विषय पर प्रतिक्रिया व्यक्ति करना चाहे तो माननीय मंत्री महोदय प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. शकील अहमद : खुराना जी, आप सूचना और प्रसारण मंत्री जी से कहें कि वे उनसे बात करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। मंत्री महोदय प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए खड़े हैं।

[हिन्दी]

डॉ. शकील अहमद : वे दस तारीख से हड़ताल पर जाने वाले हैं इसलिए उनकी जो जायज मांगें हैं उन्हें वह मान लें। ...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति जी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राजवीर सिंह, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। यहां तक कि शून्यकाल भी व्यवस्थापूर्वक चलाया जाता है। यहां पर उल्लेखित एक विषय पर संसदीय कार्य मंत्री प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं। परन्तु आप स्वयं ही बोलने लगे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया व्यवधान मत डालिए।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सभापति जी, अभी जो माननीय सदस्य ने सवाल उठाया उनकी भावनाओं को समझते हुए मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि वह इसके लिए कोई रास्ता निकालें। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : हमें उत्तर मिलना चाहिए। सरकार ने यह पहले ही मान लिया है कि समान वेतन में समानता लाई जाएगी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सुरेश इसका उल्लेख शून्यकाल में किया गया है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि उन्होंने इस बात को नोट कर दिया है।

श्री सुरेश कुरूप : मैंने भी सूचना दी है।

सभापति महोदय : ठीक है। मैं आपका नाम भी पुकारूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : आपको महिलाओं के साथ क्या प्रोबलम है, आप हमें क्यों नहीं बोलने देते।

सभापति जी, 4 दिसम्बर, 1998 को 25 सांसदों ने अधिकारों के हनन का मामला आपको सौंपा था और जब से यह मामला आपको सौंपा है उस दिन से लगातार मैं आपसे प्रार्थना करती रही हूं कि मुझे इस मामले को उठाने दिया जाए। मैं आपकी आभारी हूं। कि आज आपने यह मामला उठाने के लिए मुझे अनुमति दी।

महोदय, यह मामला उठाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि मैं खुद हाउस कमैटी की मेम्बर हूं और अलाटमेंट कमेटी की भी मेम्बर हूं। आज हमें चुनकर आए हुए नौ महीने बीत गए हैं और अभी भी विपक्ष के 40 सांसद अपनी–अपनी सरकारों के गेस्ट हाउसेस में रह रहे हैं। उसमें आठ–आठ बार चुन कर आए हुए श्री जाफर शरीफ, बूटा सिंह जी, राम दास आठवले जी, पांच–पांच बार चुन कर आए हुए श्री अरविन्द कांबले जैसे सांसद हैं। महोदय, आप हमारे कस्टोडियन हैं। हम आपके सम्मुख यह मामला उठाते रहे हैं, क्योंकि आज तक विपक्ष के सांसदों के साथ अन्याय किया जाता रहा है। ...*(व्यवधान)* हम यह अपने अधिकारों का हनन मानते हैं। चुनकर आए हुए सांसदों को रहने के लिए घर और बिजली मिलना, हमारे अधिकारों की बात है। हमारे अधिकारों का हनन किया गया है। हाउस कमेटी ने 135 गेस्ट एकोमोडेशन अलाट किए, वहां काफी समय से लोग रहे रहे हैं। जो सांसद चुन कर आए हैं, वे घर के लिए तरस रहे हैं। हारा हुआ सांसद या किसी सांसद का गैस्ट घर के मजे ले रहा है। 135 गैस्ट एकोमॉडेशन्स आज तक खाली नहीं किए हैं। ...*(व्यवधान)* इविक्शन का नोटिस जाने के बाद भी अरबन डैवलपमैंट मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाले एस्टेट ऑफिसर जगह खाली नहीं करवा रहे हैं। इस बारे में बार–बार माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लिया जा रहा है जो कि गलत बात है। प्रधानमंत्री यह काम कभी नहीं कर सकते। पी. एम. ओ. का भी नाम लेकर अरबन डेवलपमैंट मिनिस्ट्री के अफसरान उन्हें खाली नहीं करवा रहे हैं। खास तौर से कांग्रेस पार्टी के सांसदों के साथ अन्याय हो रहा है। इस तरह पहले कभी हाउस कमेटी ने काम नहीं किया था। हमने 45 बरस तक राज किया। हमने कभी यह काम नहीं किया। हम पिछले काफी दिनों से घर के लिए तरह रहे हैं। हमारे हकों के ऊपर जिस तरह की गदा लाई गई है, उसको देखकर हमें बड़ा दुख होता है। आप हाउस के कस्टोडियन होने के नाते सरकार के तहत चलने वाली इस हाउस कमेटी को बर्खास्त करें। मेरी मांग है कि श्री ...* जो एस्टेट ऑफिसर हैं, बार–बार प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, उन्हें सस्पेंड किया जाए। इस बारे में मेरा प्रिवलेज नोटिस है। आप इसे प्रिवलेज कमेटी को भेजने की कृपा करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : मैं अपने लिए नहीं लड़ रही हूं। मैं उन 40 लोगों के लिए लड़ रही हूं जिन्हें घर नहीं दिए जा रहे हैं। उन्हें घरों से वंचित रखा जा रहा है। सत्ता पक्ष के लोगों को एक ही बार में तीन–तीन घर मिल जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदय, मैंने वैरिफाई किया है कि प्राइम मिनिस्टर और पी. एम. ओ. की तरफ से ऐसी कोई सिफारिश नहीं गई है।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : महोदय, मैंने जो प्रिवलेज नोटिस दिया है, उसे प्रिवलेज कमेटी को भेजा जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : महोदय, कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें। बैठ जाइए। मुझे आपसे कुछ कहना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया इस तरह खड़े न हों, मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : महोदया, कृपया बैठ जाइए। आपने अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

सभापित महोदय : श्री राव, मुझे सभा का संचालन करने दें।

(व्यवधान)

श्री के. एस. राव (मछलीपत्तनम) : महोदय, आवास के इस मुद्दे के बारे में वे पिछले आठ माहों से संघर्ष कर रही हैं।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : *कृपया अब मेरी बात सुनिए।*

(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : महोदय, हम चाहते हैं कि इस बारे में अध्यक्षपीठ अपना विनिर्णय दें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हम एक साल से इंतजार कर रहे हैं। आपके सांसदों को तीन–तीन घर और हमें एक घर भी नहीं। यह कहां का रिवाज है ?

श्री मदन लाल खुराना : किस को तीन घर मिले हैं, हमें इसका उदाहरण दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : आप अपने बंगलों में मजे कर रहे हैं और हम गैस्ट हाउस में रह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगी ? मुझे सभा को कुछ सूचना देनी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : महोदया, क्या आप मेरी बात सुनना चाहती हैं ? आप जो कहना चाहती थी वह आपने कह दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : यह गवर्नमैंट की कमेटी नहीं है। इसे स्पीकर ने बनाया है। वह इस पर एक्शन ले सकते हैं और इसका हिसाब ले सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : यह कैसे हिसाब हो सकता है ? महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : महोदय, कृपया बैठ जाइए। श्री आठवले कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए ? माननीय सदस्या इस मामले को बार–बार उठा रही हैं और उन्होंने विशेषाधिकार की सूचना भी दी है।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, यह कोई सरकारी समिति नहीं है। इस समिति का गठन माननीय अध्यक्ष द्वारा किया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : महोदय, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे सभा को कुछ सूचना देनी है। यह क्या है ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस संबंध में माननीय अध्यक्ष ने शहरी कार्य मंत्री और आवास समिति के सभापति से बात की है। इसका हल ढूंढा जा रहा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष ने प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : सभापति महोदय, हमारे कुछ रिजर्वेशन्स हैं ...*(व्यवधान)* आप हमें जस्टिफाई करें। हम चाहते हैं कि हमारा प्रीवलेज नोटिस प्रीवलेज कमेटी में भेज दें ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. एस. राव : महोदय, यह मामला पिछले आठ महीनों से चल रहा है। यह मामला पहली बार नहीं उठाया जा रहा है।

सभापति महोदय : चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस बारे में शहरी कार्य मंत्री व आवास समिति के सभापति से बातचीत की है। और इसलिए उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। यदि सदस्य कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वे माननीय अध्यक्ष से मिल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : महोदय, विशेषाधिकार संबंधी प्रस्ताव है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोई टेलीफोन नहीं किया है। किंतु एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि उसे प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं।

सभापति महोदय : श्री कालिता इस बारे में अध्यक्ष महोदय निर्णय ले चुके हैं। इस पर अब चर्चा नहीं की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री भुवनेश्वर कालिता : महोदय, एक सरकारी अधिकारी इस मामले में प्रधानमंत्री का नाम कैसे ले सकता है ?

सभापति महोदय : इस मामले में अध्यक्ष ने निर्णय ले लिया है। मैं नहीं चाहता कि अब मैं इस मामले को आगे जारी नहीं रखना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : सभापति महोदय, जिस अधिकारी का

नाम लिया जा रहा है, क्या उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? जो अधिकारी बार–बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात कर रहा है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : किसी भी अधिकारी का नाम कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : डायरेक्टर ऑफ एस्टेट ...*(व्यवधान)** कहते हैं कि पी. एम. ओ. का प्रेशर है, यह घर खाली नहीं हो सकता, वह घर खाली नहीं हो सकता। यह नाम मैंने रैफर किया है। अरबन डैवलेपमेंट मिनिस्ट्री का लोकसभा पूल से क्या लेना–देना ? हम डायरेक्ट एस्टेट ऑफिस को लिख सकते हैं लेकिन सभापति महोदय, आप हमारे कस्टोडियन हैं। आपको हमें न्याय देना चाहिये। मुझे अरबन डेवलेपमेंट मिनिस्ट्री से कुछ नहीं करना है। मैंने ...*(व्यवधान)** का नाम लिया क्योंकि कई बार उनको फोन कर चुकी हूं। यह क्या तरीका है कि जो सदस्य 5–5 बार चुनकर आये, वह घर के लिये तरसता रहे और जो हारे हुये सांसद हैं, वह और उसके गैस्ट्स उनके घर पर रहें ...*(व्यवधान)**

बोलते हैं कि उनके ऊपर पी. एम. ओ. का प्रेशर है। यह मामला सीरियस है ...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : सभापति महोदय, हारे हुये लोग वहां क्यों बैठे हैं ?

[अनुवाद]

श्री के. एस. राव : यदि चार बार सभा का सदस्य चुना गया व्यक्ति सड़क पर हो तो फिर मकानों में कौन रहेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : सभापति महोदय, ...*(व्यवधान)**

डायरेक्टर ऑफ एस्टेट को सरपेंड किया जाये। अगर हमारे मंत्री महोदय कह रहे हैं कि डायरेक्टर ऑफ एस्टेट गलत हैं ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि दूसरे पक्ष को सुन लिया जाये। सदन के सामने दूसरा पक्ष आना चाहिये। इससे गलत मैसेज जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : आप बंगलों को शादीखाना बनाएंगे तो हम कब्जा क्यों नहीं करेंगे ? क्या बात करते हैं ? ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, इससे यह मैसेज जा रहा है जैसे हम चौक पर खड़े हैं और माननीय सदस्या खुद मान रही हैं कि उन्होंने कब्जा किया है ...*(व्यवधान)* उनको कहने दिया जाए।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : आप सांसदों को जबर्दस्ती नहीं घुसने देंगे तो हम जबर्दस्ती कब्जा करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : सभापति जी, हाउस कमेटी, जो अलॉटमेंट कमेटी है, माननीय सदस्या उसकी भी सदस्य हैं। इन लोगों ने अलॉटमेंट करते समय अपने–अपने चेहरे देखे और अपने हिसाब से अलॉटमेंट कराया। माननीय सदस्या की नाराजगी मेरी समझ में इसलिए है कि ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या बात करते हैं। उस कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई। आपकी कमेटी के चेयरमैन किधर हैं ? चेयरमैन छः महीने से नहीं आ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : माननीय मंत्री अनुरोध कर रहे हैं। कृपया माननीय मंत्री और माननीय सदस्यों को बोलने दें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं कह रहा था कि उनके द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष द्वारा पहले ही अस्वीकृत कर दिया गया है क्योंकि हमने इस मुद्दे पर पहले ही शहरी कार्य मंत्री और आवास समिति के सभापति के साथ बातचीत कर ली। इसलिए इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : उन्होंने आज तक मीटिंग नहीं बुलाई है। माननीय सदस्य गलत बात करते हैं। ...*(व्यवधान)* छः महीने से हाउस कमेटी के चेयरमैन सदन में नहीं आ रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं कह रहा हूं कि यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री की बात सुनी जाए। जब इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी गई है तो आप इसे कैसे उठा सकते हैं।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मामला समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यदि मंत्री जी अनुरोध करते हैं और सरकार इस मामले पर चर्चा करना चाहती है तो फिर आप उन्हें क्यों रोकते हैं। मंत्री जी अनुरोध कर रहे हैं। आप उन्हें अनुमति दें।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : यह बात केवल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों या विरोधी दल के सांसदों की नहीं है। सत्तारूढ़ दल के सांसद भी स्टेट गेस्ट अकोमोडेशन पर रह रहे हैं। उनको भी मकान नहीं मिले हैं। सोनकर शास्त्री को मकान नहीं मिला है, गफूर साहब को मकान नहीं मिला है। मकान कोई राजनैतिक दलों के आधार पर अलॉट नहीं हुए हैं। मकानों की कमी क्यों है इस पर चिन्ता करनी चाहिए। मकानों पर पुराने हारे हुए सांसदों ने कब्जा किया हुआ है। कांग्रेस के अधिकांश हारे हुए सांसद मकानों का कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं और ये लोग उनको गेस्ट अकोमोडेशन के नाम पर मकान दिलाते हैं और खुद यहां पर शोर मचाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक लिस्ट बननी चाहिए कि कौन लोग गैर–कानूनी ढंग से मकानों में रह रहे हैं और कौन लोग ऐसे हैं जो मकान खाली नहीं कर रहे हैं, गेस्ट अकोमोडेशन के नाम पर किनके लोग ज्यादा ठहरे हुए हैं ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 12.58 बजे

(इस समय श्रीमती सूर्यकांता पाटील आईं और सभा पटल के निकट खड़ी हो गईं।)

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

अपराह्न 12.59 बजे

(इस समय श्रीमती सूर्यकांता पाटील अपने स्थान पर वापस चली गईं।)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : आपको बहुत बढ़िया बंगले मिले हुए हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तुम्हारी ताकत नहीं है मकान देने की। ...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : सभापति जी, जो लोग चुनाव हार गये हैं, वे मकान छोड़ना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस तथा अन्य दलों के लोग गैस्ट एकमोडेशन के नाम पर उनको मकान दिला रहे हैं। ...*(व्यवधान)* माननीय सदस्या तो एलॉटमेंट कमेटी की मैम्बर हैं। अगर सदस्यों का एलॉटमेंट नहीं हुआ तो ये भी जिम्मेदार हैं। इन्होंने भी 14, बी. डी. मार्ग पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है इसलिए इनका इस तरह से मामले को उठाना ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)* ये तो हाउस कमेटी का फेल्योर है, सरकार का फेल्योर नहीं है। ...*(व्यवधान)* हाउस कमेटी के फेल्योर को सरकार पर क्यों लागू किया जा रहा है ?

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : मैंने नोटिस दिया है, मैं बोलूंगी। सबके लिए दिया है, अपने लिए नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : माननीय सदस्या हाउस कमेटी की मैम्बर होते हुए बिना एलॉटमेंट किये 14, बी. डी. मार्ग पर कब्जा किये बैठी हैं। ...*(व्यवधान)* सभापति जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इनका सामान निकलवाइये क्योंकि इन्होंने बिना एलॉटमेंट के मकान पर कब्जा किया है।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : यह अकेले की बात नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. एस. राव : इस सभा के सदस्यों को अध्यक्षपीठ से संरक्षण मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : मकान हमें मिलने वाला है या नहीं, यह हमें मालूम होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप शून्य काल जारी रखना चाहते हैं तो आपको सभा में व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। अन्यथा हम सभा को मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित करेंगे।

(व्यवधान)

श्री के. एस. राव : महोदय, क्या आप चाहते हैं कि सदस्या सड़कों पर रहें ? आप कब तक सदस्या को सड़क पर रखना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने इस मामले में अध्यक्ष महोदय के निर्णय की घोषणा पहले ही कर दी है।

श्री के. एस. राव : क्या निर्णय है ?

सभापति महोदय : मैंने इसकी घोषणा कर दी है। यदि कुछ और है तो उन्हें इस बात को अध्यक्ष महोदय के साथ उठाना चाहिए।

श्री के. एस. राव : महोदय, यह पहली बार नहीं है। उन्होंने छः बार अभ्यावेदन किया है।

सभापति महोदय : मैं दूसरे सदस्य का नाम पुकारूं या आप इसे यहीं समाप्त करना चाहते हैं।

श्री के. एस. राव : क्या आप चाहते हैं कि वे सड़कों पर रहें? क्या आप चाहते हैं कि एक वरिष्ठ सदस्या सड़कों पर रहे ? कब तक ? छह महीने या साल भर या पांच साल तक ?

सभापति महोदय : श्री राव कृपया बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष इस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं कि इस मामले में विशेषाधिकार के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री राव मुझे इस बात को पूरा करने दें। अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय किया है उसे मैं बताता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे अपनी बात पूरी करने दो। उन्हें बताने दो।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्यों को मकानों के आबंटन के बारे में कोई शिकायत है तो वे ....

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मेघे, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि कोई ऐसी शिकायत है तो आप आवास समिति के पास जा सकते हैं और ऐसा न कर सकने पर अध्यक्ष महोदय से मिल सकते हैं।

श्री के. एस. राव : हम दोनों से ही मिल चुके हैं।

सभापति महोदय : उन्होंने यह निर्णय लिया है।

श्री के. एस. राव : हम दोनों से ही मिल चुके हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्याकांता पाटील : सभापति महोदय, स्पीकर साहब पिछले छः महीनों से ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.06 बजे

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.06 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए]*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : नियम 377 के अधीन सूचना।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति जी, जरा एक मिनट।

सभापति महोदय : आपका क्या है ?

श्री राम विलास पासवान : हम आपके पहले स्पीकर साहब से मिलकर आये थे। मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो लड़के अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी हालत बहुत खराब हो गई है और किसी समय में लड़का मर सकता है। यहां एक तारीख से इनडैफिनिट हंगर स्ट्राइक पर लड़के बैठे हुए हैं। इसी सदन में इस मामले को उठाया गया था और उस दिन मंत्री महोदय ने कहा था कि हम इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

कल मैं स्वयं वहां गया था, प्रैस के लोग वहां गये हुए थे। अभी मैं स्पीकर साहब से मिला हूं। स्पीकर साहब ने स्वयं कहा है कि मैं संबंधित मंत्री से बातचीत कर रहा हूं। कम से कम कोई मंत्री हो जो इस मामले को सीरियसली लेकर सदन को आश्वस्त करे, सदन में इस मामले में ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, अब उठा दिया।

श्री राम विलास पासवान : नहीं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जवाहर लाल यूनिवर्सिटी के लड़के उसमें शामिल हो गये हैं, जामिया मिलिया के लड़के उसमें शामिल हो गये हैं और उसमें हमदर्द के लड़के शामिल हो गये हैं। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़के शामिल होने वाले हैं। यदि यह एजीटेशन बढ़ेगा तो अच्छा नहीं है। यह किसी पार्टी का मामला नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, हो गया। आसन ग्रहण कीजिए।

श्री राम विलास पासवान : इसमें क्या हुआ ? इसमें आपकी क्या रूलिंग है ?

सभापति महोदय : इस पर यही नियमन है कि जो मामला अध्यक्ष महोदय के यहां पहुंच गया है, अध्यक्ष महोदय ही इस पर फैसला करेंगे। इस पर यही रूलिंग है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : आप कम से कम मंत्री को तो कहिये, वे जवाब तो दें। अभी नहीं तो कभी जवाब तो दें। आप इतने स्ट्रोंग हैं, आप चेयर पर हैं, आप मंत्री को डायरेक्टिव दे सकते हैं कि परसों इस पर बहस करा लें। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : सरकार इसमें कुछ करने वाली है या नहीं ? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने महत्त्वपूर्ण सवाल उठाया। कई

दिनों से यह सवाल उठा है। इस पर सरकार जरूर कोई फैसला करेगी।

(व्यवधान)

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, मैंने आज जीरो ऑवर में वी. सी. को हटाने के बारे में कहा था और जो लड़के ...*(व्यवधान)*

ڈاکٹر شفیق الرحمٰن برق (مرآداباد): چیئرمین صاحب، میں نے آج زیرو آور میں وی۔ سی۔ کو ہٹانے کے بارے میں کہا تھا اور جو لڑکے... (مداخلت)

सभापति महोदय : अब जीरो ऑवर नहीं है, अब नियम 377 चल रहा है।

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क : जो पासवान जी ने कहा है, मैं भी उसको सपोर्ट कर रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि फौरन यूनिवर्सिटी खोली जाये, वी. सी. को हटाया जाये और भूख हड़ताल खत्म कराई जाये।

ڈاکٹر شفیق الرحمٰن برق (مرآداباد): جو پاسوان جی نے کہا ہے، میں بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ فوراً یونیورسٹی کھولی جائے، وی۔ سی۔ کو ہٹایا جائے اور بھوک ہڑتال ختم کرائی جائے۔

श्री रामदास आठवले : वहां इतने दिन से हड़ताल चल रही है, इस पर जो भी सवाल पासवान साहब ने उठाया है, उस पर सरकार की नीति क्या है, इसके बारे में सरकार क्या करने वाली है ?

अपराह्न 2.09 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश में पंडरिया तहसील में चीनी मिल खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री घुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश राज्य के जिला बिलासपुर एवं जिला कबर्धा के आस–पास के ग्रामों में तथा पंडरिया तहसील में गन्ने की अधिकांश खेती किसानों द्वारा वर्षों से की जा रही है। शक्कर कारखाना नहीं होने से किसानों द्वारा गन्ने को चरखे से गुड़ निकालकर कम दाम पर बिक्री किया जा रहा है। किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है।

किसानों के हित में केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पंडरिया तहसील में शक्कर कारखाना खोलने की अनुमति दी जाये, जिससे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा तथा गरीब वर्ग को मजदूरी मिलेगी।

(दो) कानपुर स्थित जे. के. कैंसर इंस्टीट्यूट का दर्जा बढ़ाकर उसे क्षेत्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट बनाए जाने और वहां पर आधुनिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : कैंसर के बढ़ते प्रकोप तथा अभी तक इस घातक बीमारी पर नियंत्रण करने में असफलता सर्वविदित है। भारत में इससे बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, परन्तु आवश्यकता के अनुरूप इसके उपचार के साधन उपलब्ध नहीं हैं। इस बीमारी का उपचार बड़ा महंगा होता है जिसे हमारे देश के निर्धन लोग वहन नहीं कर पाते हैं तथा उसके उपचार के प्रयास में अनेक लोग अपने प्रियजन को तो खो ही देते हैं, आर्थिक रूप से भी टूट जाते हैं। भारत जैसे गरीब देश में इस बीमारी के इलाज के साधन पूर्ण रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है तथा कैंसर के इलाज के लिए जिला केन्द्र पर समुचित सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता भी है। कानपुर, इटावा, मैनपुरी, आगरा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर तथा उन्नाव आदि जिलों में ग्रामीण तथा नगरीय लोग तम्बाकू सेवन की लत के शिकार हैं तथा उन क्षेत्रों में मुंह, होंठ तथा गले के कैंसर से पीड़ित लोगों की भरमार है, परन्तु इसके समय से निदान एवं उपचार की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। कानपुर में एक कैंसर अस्पताल है, परन्तु इसमें आधुनिक उपकरणों का अभाव है। साथ ही इस अस्पताल को उच्चीकृत कर रिजिनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने की योजना भी काफी समय से लंबित पड़ी है जिससे आसपास की जनता अनेक कठिनाइयों एवम् कष्ट का सामना करने को विवश है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कानपुर स्थित जे. के. कैंसर इंस्टीट्यूट को रिजिनल कैंसर इंस्टीट्यूट का दर्जा अविलम्ब प्रदान करें तथा इस कैंसर अस्पताल को आधुनिकतम उपकरणों एवम् कैंसर विशेषज्ञों से युक्त करें जिससे नगर तथा पड़ौस के जनपदों के निर्धन एवम् साधनहीन कैंसर रोगी समय से निदान तथा उपचार प्राप्त कर सकें।

(तीन) उत्तर प्रदेश में चंदौली रेलवे स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य (चंदौली) : चंदौली अब जिला मुख्यालय हो गया है। मगर चंदौली स्टेशन पर सार्वजनिक सुविधाओं का नितांत अभाव है। चंदौली रेलवे स्टेशन के विस्तार की मांग निरन्तर की जाती रही है। लेकिन इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। चंदौली रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जाना चाहिए और यहां पर प्रमुख गाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे चंदौली जिले के निवासियों को यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो सके। चंदौली स्टेशन पर अनेक सुविधाओं जैसे विश्रामगृह, पेयजल, शौचालय आदि का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन सुविधाओं को शीघ्र ही चंदौली स्टेशन पर व्यवस्था की जानी चाहिए।

(चार) देश में हीरा उद्योग के विकास के लिए योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : मैं सदन का ध्यान हीरा उद्योग की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस उद्योग में दस लाख से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है एवम् शत–प्रतिशत निर्यात किया जाता है जो देश को विदेशी मुद्रा कमाने में सहायता करता है। परन्तु इस मंदी के समय इस उद्योग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण यह उद्योग धीरे–धीरे बंद हो रहा है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस उद्योग के विस्तार और बढ़ावा देने के संबंध में नई योजनाएं चलाई जाएं जिससे इस उद्योग को बढ़ावा मिल सके।

(पांच) तीन नए राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और वनांचल के शीघ्र सृजन हेतु विधान बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : केन्द्र सरकार ने तीन पृथक राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तरांखंड तथा वनांचल के गठन की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़वासियों को इस बात का आश्वासन दिया गया था कि नए राज्यों के गठन का विधेयक संसद के इसी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। विधान सभाओं के चुनावों के दौरान अनेक मंत्रियों ने भी इस बात की घोषणा की थी। परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा इस सत्र में पेश किए जाने वाले बिलों की प्राथमिकता सूची में नए राज्यों के गठन के बिल का कोई उल्लेख नहीं है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अलग राज्यों के निर्माण हेतु विधेयक शीघ्र लाया जाए।

[अनुवाद]

(छः) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने के निर्णय को वापस लेने और उनके पुनरुद्धार के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, सरकारी क्षेत्र के आठ उपक्रमों, भारत आपथेलमिक ग्लास, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजिनीयर्स लिमिटेड, वे वर्ड इंडिया लिमिटेड, नेशनल वाइसिकल कारपोरेशन, रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, टैनरी एंड फटवियर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बंद करने के निर्णय को वापस लेने की अत्यधिक आवश्यकता है। सरकार के विवरण के अनुसार सरकारी क्षेत्र के इन 8 उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत 517 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। वी. आई. एफ. आर. के समक्ष लम्बित इन उपक्रमों का पुनरुद्धार करने संबंधी प्रस्तावों के तहत 300 करोड़ से भी कम राशि की जरूरत होगी। मैं कुछ खास उदाहरण दे रहा हूं जैसे बी. ओ. जी. एल. के नवीकरण के लिए 20 करोड़ रु. के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी जबकि इसे बंद करने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना पर 25 करोड़ से अधिक व्यय होगा। सरकार एम. ए. एम. सी. के पुनरुद्धार के लिए 141 करोड़ रु. खर्च करने के लिए सहमत नहीं हुई लेकिन वह कंपनी के 4500 से अधिक कर्मचारियों को पैसा देने के लिए तैयार है। बी. पी. एम. ई. एल. को पुनः चालू करने के लिए केवल 15 करोड़ रु. की आवश्यकता है। यह राशि स्वयं कंपनी अपने स्वामित्व वाली भूमि को बेचकर प्राप्त कर सकती है और पुनरुद्धार पैकेज को वित्त पोषित कर सकती है। नेशनल वाईसिकल कारपोरेशन को पुनः चालू करने के लिए तीन वर्षों में वापस अदा होने वाली 9.1 करोड़ रुपये की राशि के ऋण (न कि निवेश) की जरूरत थी लेकिन सरकार एक अर्थक्षम सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को बंद करने के लिए 16 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए तैयार है। मैं यह कहना चाहूंगा कि बी. ओ. जी. एल. मुख्यतः टैंकों/पनडुब्बियों के पेरिस्कोप और टेलीस्कोप के उपयोग में लाए जाने वाले फिलन्ट बटन और ऑपथेलमिक ब्लैंक्स बनाने वाला देश में केवल एक ही एकक है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकारी क्षेत्र के आठ उपक्रमों को बंद करने के निर्णय को वापस ले और इन्हें स्वदेशी दृष्टिकोण के साथ पुनः चालू करने का प्रयास करे।

(सात) उत्तर प्रदेश के लालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दरोगा प्रसाद सरोज (लालगंज) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज, उ. प्र. में कोई भारी उद्योग नहीं है और न ही कोई ऐसा उद्योग है जिससे इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सके। उद्योगों के अभाव में बेरोजगारी में लोग अन्य राज्यों को पलायन कर जाते हैं। इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास उ. प्र. में काफी पीछे है। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए लघु और कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा देना होगा, जो नहीं दिया गया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र के आर्थिक विकास और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यहां पर कोई आधारभूत और भारी उद्योग लगाया जाए और लघु और कुटीर उद्योगों के लगाने हेतु उद्यमियों को करों में राहत दी जाए तथा उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर उद्योग स्थापित किए जाएं।

[अनुवाद]

(आठ) तमिलनाडु में कोल्ली हिल्स में आदिवासियों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. सरोजा वी. (रासीपुरम) : महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान तमिलनाडु में अपने संसदीय क्षेत्र रासीपुरम के सेंडामंगलम विधान सभा क्षेत्र में कोल्ली पहाड़ियों में आधारभूत जनसुविधाएं प्रदान किए जाने की ओर दिलाना चाहता हूं।

कोल्ली पहाड़ियों की बहुसंख्यक आबादी जनजातीय लोगों की है और वहां सड़कों, पीने के पानी इत्यादि जैसी आधारभूत जनसुविधाओं की कमी है। सड़कों की सुविधा न होने के कारण वहां गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को बस पकड़ने और पानी लाने के लिए काफी दूर तक चलना पड़ता है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर कि आदिवासी जनसंख्या बहुल पहाड़ी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने को अधिक प्राथमिकता दे रही है। मुल्लकुरिची से मुडुरिची होकर नारायनकड्डू तक जाने वाली सड़क पर 35 छोटे–छोटे मोड़ हैं। इन स्थानों के बीच एक नई सड़क बाने का प्रस्ताव तमिलनाडु सरकार के पास काफी समय से लंबित है। इसके अलावा कोल्ली पहाड़ियों, वाझावांडी अरिपुर, वलप्पुर, देवानूर पंचायतों के इलाकों में शुद्ध पेयजल की सुविधा भी नहीं है। तमिलनाडु जल आपूर्ति और जल मल व्ययन बोर्ड द्वारा पानी की योजना को कार्यान्वित करने में काफी देरी की जा चुकी है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह तमिलनाडु सरकार को सेंडामंगलम विधान सभा क्षेत्र में कोल्ली पहाड़ियों में, जहां आदिवासी जनसंख्या अधिक है, आधारभूत जनसुविधायें उपलब्ध कराने के लिए निदेश दे।

(नौ) बिहार के समस्तीपुर और वैशाली जिलों में गंगा द्वारा हुए अत्यधिक भू-कटाव को रोकने के लिए बिहार सरकार को तकनीकी जानकारी और पर्याप्त निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, गंगा की धारा की निरन्तर मिथेन्डरिंग प्रक्रिया के कारण बिहार के समस्तीपुर एवं वैशाली जिला के दक्षिण छोर पर दियारा क्षेत्र में कटान की भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। पिछले दस वर्षों की अवधि में कई फलवइया, चांदपुर, जौनपुर, धरणोपट्टी तथा रसूलपुर पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे हजारों लोग बेघरवार हो जाएंगे तथा हजारों हेक्टेयर भूमि को गंगा लील जाएगी। आसन्न कटाव से प्रभावित हजारों लोगों के पुनर्वास में जितने संसाधन की तत्क्षण आवश्यकता होगी उससे बहुत कम में ही अभी समय रहते, कटाव को नियंत्रित किया जाना चाहिए। बिहार सरकार के पास इस संसाधन का अभाव है।

अतः मेरी केन्द्रीय सरकार से मांग है कि इस समस्या से जूझने के लिए बिहार सरकार को आवश्यक तकनीकी सलाह एवं पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएं।

[अनुवाद]

(दस) वस्त्र उद्योग द्वारा झेली जा रही समस्याओं की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. गणेशमूर्ति (पलानी) : मैं लम्बे समय से कपड़ा उद्योगों द्वारा झेली जा रही समस्या की ओर ध्यान आकर्षिक करना चाहता हूं। कपड़ा और कताई उद्योग भीषण मंदी के दौर से गुजर रहा है। किसानों को घटिया बीज सप्लाई किए जाने, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का अभाव, बिजली की दरें युक्तसंगत न होने उत्पादशुल्क, विपणन व्यवस्था, आयात और निर्यात नीति के कारण कपड़ा मिलों को बहुत कठिनाइयां हो रही हैं। कपास की औसत प्रति हैक्टेयर उपज बहुत कम है। मैं सभा को याद दिला दूं कि हमारी कुल विदेशी मुद्रा की आय का 30 प्रतिशत कपड़ों के निर्यात से प्राप्त होता है और कपड़ा मिलों में दस लाख से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं।

'ओपन एंडेड' सूती मिलों की समस्यायें कपड़ा उद्योग द्वारा उत्पादित वेस्ट काटन पर निर्भर करती है। इस 'वेस्ट काटन' से धागा बुनने के लिए कताई मिलों की 50 प्रतिशत आवश्यकता पूरी होती है शेष 50 प्रतिशत की आपूर्ति आयात द्वारा की जाती है। ऐसी स्थिति में भी सरकार ने 'वेस्ट काटन' का निर्यात करने की अनुमति दे दी है।

इस समस्या का समाधान यही है कि 'वेस्ट काटन' के निर्यात पर पूरी तरह रोक लगाई जाये और राष्ट्रीय कपड़ा निगम और सहकारी कताई मिलें हथकरघा बुनकरों की हैंकयार्न की जरूरतों को पूरा करें। अन्य मिलों को हैंकयार्न आपूर्ति की बाध्यता से मुक्त रखा जा सकता है। कपास की खरीद और वितरण व्यवस्था को सरकार द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा बुनाई की ओर भी ध्यान दिए जाने की तत्कालिक आवश्यकता है। विद्युतकरघा और हथकरघा क्षेत्र जो सूती उद्योग के महत्त्वपूर्ण स्तंभ हैं, वे सरकार की सहायता के बिना भलीभांति चल रहे हैं।

इस समस्या के इतना विकट होने के कारण कई सूती उद्योग ऊंची उत्पादन लागत होने पर भी उत्पादन जारी रखने के लिए अपने कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं। इसका सर्वाधिक प्रभाव गरीब कर्मचारियों पर पड़ा है। यदि सरकार कपास उत्पादकों को सहायता प्रदान करे तो यह समस्या हल हो सकती है और इसका लाभ सूती उद्योग और इसके कर्मचारियों को भी मिलेगा।

मेरे संसदीय क्षेत्र में, खासकर पलानी, डिनडीगुल और वाडासंतूर में शीघ्र ही करीब 70 कताई मिलें लगाई जा रही हैं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि कपड़ा और कताई उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाये।

(ग्यारह) जम्मू-कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री उमर अब्दुल्ला (श्रीनगर) : जम्मू–कश्मीर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने की बहुत गुंजाइश है। कश्मीर भारत का सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्यटक केन्द्र रहा है। 1990–96 तक दौरान आतंकवादी गतिविधियों के चलते इस क्षेत्र का पयर्टन उद्योग पूरी तरह खत्म हो गया था। किन्तु अब जम्मू–कश्मीर सरकार अपने सीमित संसाधनों से यहां पर्यटन उद्योग को फिर से शुरू करने की भरसक कोशिश कर रही है।

सरकार को इस क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों को आकर्षिक करने

के लिए एक पैकेज तैयार करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले सरकार को कश्मीर को विदेशी सरकारों द्वारा वर्जित क्षेत्रों की सूची से निकलवाने के लिए राजनयिक प्रयास करने होंगे।

चूंकि राज्य में स्थिति तेजी से सामान्य होती जा रही है और इन ढाई वर्षों में किसी भी देशी या विदेशी पर्यटक पर हमला होने की कोई भी घटना नहीं घटी, इसलिए सरकार को कश्मीर में अब पर्यटन को फिर से शुरू करने के लिए वित्तीय तथा अन्य सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

मैं यह जानता हूं कि जम्मू–कश्मीर सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। केन्द्रीय पर्यटन मंत्री को चाहिए कि वे जम्मू–कश्मीर राज्य में पर्यटन को वांछित सीमा तक बढ़ावा देने और इस संबंध में अपेक्षित कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु विचार–विमर्श के लिए राज्य के पर्यटन मंत्री को आमंत्रित करें।

(बारह) उत्तरी बिहार में चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. शकील अहमद (मधुबनी): सभापति महोदय, उत्तर बिहार की लगभग सभी चीनी मिलें या तो बंद हो रही हैं या बंद होने के कगार पर हैं। इन मिलों के काफी पुराना होने के कारण इन मिलों द्वारा उत्पादित चीनी की कीमत इतनी अधिक हो जाती है कि व्यापारिक दृष्टि से यह सफल नहीं है। किसानों का गन्ने का बकाया सालों–साल चलता है।

अतः आग्रह है कि भारत सरकार उत्तर बिहार की सभी चीनी मिलों विशेषकर रैथाम, लोहत एवं शकरी के आधुनिकीकरण के लिए विशेष राशि उपलब्ध कराए।

अपराह्न 2.26 बजे

[अनुवाद]

उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) संशोधन विधेयक*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं : *"कि उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, नए मुद्रा नोटों की वार्षिक मांग 15 से 20 प्रतिशत की दर से बढ़ती रही है। मुद्रा/बैंक नोटों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने कई उपाय शुरू किए हैं : (1) नासिक और देवास स्थित नोट छापने की विद्यमान दो प्रेसों का आधुनिकीकरण करना; (2) भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में दो नए नोट छापने की प्रेसों की स्थापना करना; (3) 100 रुपये के नोटों पर दवाब कम करने के लिए 500 रुपये के नोट शुरू करना; और (4) 3600 मिलियन तक छपे हुए नोटों का आयात (2000 मिलियन 100 रुपये के तथा 1600 मिलियन 500 रुपये के नोट) जिनका कुल अंकित मूल्य 1,00,000 करोड़ रुपये होगा। इन सभी उपायों के अलावा, सन् 2005 तक नए नोटों की मांग आपूर्ति का अंतर 12680 मिलियन नोटों तक पहुंच जाने की आशा है। वर्ष–वार अंतर इस प्रकार है :

वर्ष	कमी
1998–99	5574 मिलियन नोट
1999–00	2300 –वही–
2000–01	4350 –वही–
2001–02	6600 –वही–
2002–03	7480 –वही–
2003–04	9580 –वही–
2004–05	12680 –वही–

इसलिए सरकार ने 1000 रुपये के नोट छापने का प्रस्ताव किया है जिससे देश में नोट–आपूर्ति की स्थिति सुधर सके।

महोदय, 1978 से पहले, हमारे देश में 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10000 रुपये के नोट प्रचलन में थे। तथापि, उच्च मूल्यांक बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के अनुसार ये सभी उच्च मूल्यांक वाले नोट किसी स्थान पर भुगतान में अथवा खाते में 16.1.78 को अर्थात् जिस तारीख से उपर्युक्त अधिनियम लागू हुआ था, वैद्य मुद्रा नहीं रहे। प्रस्तावित 1000 रुपये के नोटों को जारी करने के लिए उच्च मूल्यांक बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 में संधोधन की आवश्यकता है।

जबकि उच्च मूल्यांक बैंक नोटों (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि "उच्च मूल्य बैंक नोटों की उपलब्धता से वित्तीय लेन–देनों में जो कि अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है अथवा जो कि गैर कानूनी प्रयोजनों के लिए हैं, धन के अवैध अंतरण में सहायता मिलेगी।" मुझे विश्वास है कि इस पवित्र सदन के माननीय सदस्य मेरे विचारों से सहमत होंगे कि अवैध लेनदेन का मूल कारण उच्च मूल्यांक वाले नोट में निहित नहीं बल्कि कहीं और है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि 1978 से, अर्थात् जब से उच्च मूल्यांक नोटों का विमुद्रीकरण किया गया, रुपये की क्रय शक्ति पर्याप्त रूप से कम हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982 = 100) में उतार–चढ़ाव को देखते हुए अब 1000 रुपये की कीमत 160 रुपये ही होगी जिसका अर्थ है कि एक औसत उपभोक्ता को अपनी सामान्य नगद लेन–देन के लिए अधिक अंकित मूल्य के नोटों की आवश्यकता है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए तथा जब तक भुगतान का कोई

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

अन्य तरीका शुरू नहीं होता, तब तक अधिक मूल्य की नगद लेन–देन की मांग को पूरा करने के लिए उच्च मूल्यांक वाले 1000 रुपये के नोट शुरू करना जनहित में होगा।

महोदय, क्या अब मुझे "उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) संशोधन विधेयक, 1998 को इस माननीय सभा में विचारार्थ तथा पारित करने के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति है ?

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. शकील अहमद (मधुबनी) : क्या भाजपा ने भारी–भारी नोट छापकर इलैक्शन की तैयारी शुरू कर दी है ?

[अनुवाद]

श्री पी. सी. चाक्को (इदुक्की) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन विधेयक के विरोध में बोल रहा हूं। 1978 में जब इस पवित्र सदन ने विमुद्रीकरण अधिनियम पारित किया था तब उस अधिनियम का उद्देश्य वह एक वाक्य नहीं था जिसका माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया था। उद्देश्यों और कारणों के कथन में केवल यही एक बात नहीं थी। विमुद्रीकरण विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में उस समय हमारे वित्तीय क्षेत्र में होने वाली कठिनाइयों को उजागर किया गया था। तत्कालीन सरकार को उस समय देश में व्याप्त काले धन के प्रचालन को देखते हुए विमुद्रीकरण की कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मुझे यकीन है कि वित्त मंत्री इस सभा में इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि आज काले धन का प्रचलन 1978 से कम है। काले धन का प्रचलन बढ़ रहा है। संभवतः आज यह इस सरकार या वित्त मंत्रालय की किसी प्रकार की गणनाओं के बस की बात नहीं है। सच तो यह है कि काले धन का प्रचलन बढ़ रहा है। महोदय, मुझे उच्च मूल्य के बैंक नोट छापे जाने के कारणों के स्पष्टीकरण की बात सुनकर काफी हैरानी हुई है। विधेयक में दी गई परिभाषा के अनुसार, दूसरे शब्दों में, उच्च मूल्य बैंक नोट का अर्थ है कि यह विधेयक सरकार को न केवल हजार रुपये के नोट छापने बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पांच हजार या दस हजार रुपये के उच्च मूल्य के नोट छापने का भी अधिकार देता है। इसलिए अगर संसद इस विधेयक को पारित कर देती है तो इससे सरकार को न केवल हजार रुपये के नोट बल्कि पांच हजार और दस हजार रुपये के नोट छापने का अधिकार मिल जाएगा। वित्त मंत्री का यह तर्क है कि रुपये का मूल्य कम हो रहा है। आज, हजार रुपये के नोट की कीमत केवल 160 रुपये है। यह मानना ही वित्त मंत्रालय की भारी असफलता है। सच तो यह है कि सरकार तेजी से गिरते रुपये के मूल्य को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। सरकार इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। मंत्री जी ने यह सुझाव दिया है कि अधिक नोट छापने से ही इसका हल हो सकता है।

पिछले कुछ दिनों से अखबारों में काफी चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं कि उच्च मूल्य के नोट विदेशों में छप रहे हैं। एक दिन "द टाइम्स ऑफ इंडिया" ने छापा था कि उच्च मूल्य के नोट पाकिस्तान में छपते हैं और उन्हें भारत में चोरी–छिपे भेजा जा रहा है। यह भारी संख्या में प्रचलन में है। मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है। करेंसी नोटों की इस तस्करी को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? जब प्रचलन में आ रहे नोट देश की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए तो हमने विदेशों में नोट छापने का निर्णय लिया था। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने कहा है, करेंसी नोट न केवल भारत में छापे जाते हैं बल्कि विदेशों में भी छापे जाते हैं फिर उन्हें भारत में लाया जाता है। आजकल देश में चल रहे कई करेंसी नोटों को केवल विदेशों में ही छापा जाता है।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि क्या उन्होंने कभी भारत की प्रतिभूति मुद्रणालयों की जांच की है जहां करेंसी नोट छापे जा रहे हैं। भारत में करेंसी नोट छापने वाली दो प्रिंटिंग प्रेसें हैं। क्या वे अपनी ईष्टतम क्षमता में काम कर रही हैं ?

वित्त से संबंधित समिति का सदस्य होने के नाते मैं भारत में करेंसी प्रिंटिंग प्रेसों के काम की अक्षमता के बारे में जानता हूं जिसके संबंध में स्थाई समिति को बताया गया था। इस संबंध में एक रिपोर्ट में स्थाई समिति ने सदन को भी एक सिफारिश की थी। सच तो यह है कि आज भारत में अपने ही करेंसी नोटों को छापने की सुविधा नहीं है। भारत जैसे देश के लिए करेंसी नोटों को छापने की सुविधा पैदा करना, आधुनिक ऑफसेट प्रेस से नोट छापना या जो भी अति आधुनिक छपाई की सुविधा उपलब्ध है उससे नोट छापना कोई कठिन काम नहीं है। सच तो यह है कि भारत की दो प्रेसें अपनी ईष्टतम क्षमता में काम नहीं कर रही हैं और इसलिए हम विदेशों में नोट छपवा रहे हैं और उन्हें अपने देश में ला रहे हैं।

हमारी मौद्रिक प्रणाली की सुरक्षा क्या है ? अब विदेशों में नकली नोट छापे जा रहे हैं और भारत में उनकी तस्करी हो रही है।

सरकार के पास इसका कोई लेखा नहीं है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। वित्त मंत्री जी अभी–अभी विश्व आर्थिक मंच से वापस लौटे हैं। इसलिए संभवतः उन्हें भारत की वास्तविकता के बारे में कम ही पता होगा। वे सोचते हैं कि आम आदमी केवल सौ रुपये के नोट का ही उपयोग करता है। मैं नहीं जानता कि इस सरकार या इस वित्त मंत्री के सामने किस ग्रुप का लक्ष्य है। मंत्री जी ने इस विधेयक को इस धारणा के साथ प्रस्तुत किया है कि भारत में आम आदमी केवल सौ रुपये के नोट या हजार रुपये के नोट का उपयोग कर रहा है। महोदय, अगर प्याज का मूल्य 100 रुपये प्रति किलो से अधिक होगा, तभी संभवतः यह तर्क सही लगेगा। मुझे इसका पुर्वानुमान ही लगता है कि भविष्य में जल्दी ही प्याज का मूल्य 100 रुपए हो जाएगा

क्योंकि वे समझते हैं कि आम आदमी को ही सामान्य चीजें खरीदने के लिए हजार रुपये ले जाना होता है, जो उपलब्ध नहीं है। संभवतः भाजपा सरकार में इस वित्त मंत्री के शासन काल में हम यह सोच सकते हैं कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब एक आम आदमी 100 रुपए से अधिक कीमत देकर प्याज खरीद रहा होगा। क्या यह सही तर्क है ?

काला धन किस तरह जमा किया जा रहा है। इस देश में काले धन का किस तरह उपयोग किया जा रहा है ? 1978 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति पर थी, जब भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास भी हो रहा था तब हमने पाया कि नोटों का विमुद्रीकरण करके प्रचलन से इस काले धन को हटाना एक प्रभावशाली हल होगा। 1978 में इस सदन में सावधानीपूर्वक विचार–विमर्श के बाद इस अधिनियम को पारित किया गया था और इसे प्रचलन में काले धन को रोकने के लिए एक प्रभावशाली उपाय के रूप में निर्धारित किया गया था। अब मंत्रीजी कहते हैं कि काले धन का कारण उच्च मूल्य के नोट नहीं बल्कि कुछ और है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करूंगा कि वह 'कुछ और' क्या है क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं है। अवैध तरीकों से धन कमाने वाले लोगों के लिए उच्च मूल्य के नोटों के रूप में काला धन रखना काफी सुरक्षित तरीका है।

फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक कल पांच हजार के नोट और परसों दस हजार के नोट नहीं छापेगा। जैसा कि यहां कुछ मित्रों ने कहा कि चुनाव होने ही वाले हैं और हम यह अफवाह सुन रहे हैं कि चुनाव किसी भी दिन हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में, यह विधेयक काफी महत्त्वपूर्ण है। मैं इसके पीछे किसी अवधारणा की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि वास्तविकता यह है कि दो रुपये, पांच रुपये और दस रुपये के नोट, जो रोज उपयोग में आते हैं, गंदे और कटे–फटे हो गए हैं। हम उन नोटों के टुकड़ों का उपयोग कर रहे हैं। हम इन मूल्यों के करेंसी नोटों में भी काफी टुकड़े जोड़े गए देखते हैं। अगर हम किसी दुकान में जाते हैं तो हमें गंदे नोट ले जाने पड़ते हैं। वित्त मंत्री को उन गंदे नोटों की बिल्कुल परवाह नहीं है जिनका उपयोग इस देश का आम आदमी करता है। जब लोग सब्जी बाजार या मछली बाजार जाते हैं तो वे ऐसे ही नोटों का उपयोग करते हैं। अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं और वहां आपको कटा–फटा नोट मिलता है तो आप यह नहीं कह सकते कि आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। आपको लेना ही पड़ेगा।

वित्त मंत्री नोट छापने के क्षेत्र की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सच तो यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक से संबद्ध कोई भी प्रिंटिंग प्रेस सही काम नहीं कर रही है। प्रेस के कर्मचारी हड़ताल पर थे। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री को इस बात की जानकारी है कि नोट छापने की प्रेसों में काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल पर थे। ये प्रेसें अभी भी अपनी ईष्टतम क्षमता में काम नहीं कर रही है। इन सभी समस्याओं का उन्हें एक ही हल लगता है कि हमें हजार, पांच हजार और दस हजार रुपये के नोट छापने चाहिए। इससे सट्टेबाजों और काला धन जमाखोरों को हर प्रकार के अवसर मिलेंगे। हमने जो कुछ 1978 में किया था वह काफी अच्छे इरादे से किया था। इसके अलावा हमारे देश में तस्करी से आ रहे उच्च मूल्य के नोट बिल्कुल वैसे ही हैं और आम आदमी उनमें कोई अंतर नहीं बता सकता। आम आदमी हजार रुपये के नोट का उपयोग न भी करे परन्तु महोदय, फिर भी अगर नोट प्रचलन में होगा तो वह इसमें अंतर नहीं बता सकेगा। हम पहले ही देश से बाहर नोट छपवा रहे हैं और उन्हें वहां से ला रहे हैं। इसलिए संबंधित लोगों द्वारा चाहे कुछ भी सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरती जाएं नोटों में अंतर नहीं किया जा सकता। यहां ऐसी स्थिति है। बड़े पैमाने पर जाली नोट छापे जाने की रिपोर्ट भी मिली है और बाजार में भारी संख्या में जाली नोट आ रहे हैं। हम विगत में देख चुके हैं और इतिहास हमें बताता है कि जाली करेंसी नोटों ने कई देशों की अर्थव्यवस्था को बरबाद कर दिया है। ऐसा विश्वयुद्ध के समय हुआ था। मुझे वे सभी ऐतिहासिक ब्यौरे देने की आवश्यकता नहीं है परन्तु जाली नोट जो आज देश और बाजार को बरबाद कर रहे हैं हम सभी की परिकल्पना से परे हैं। यह जानते हुए कि भारतीय मुद्रा का स्तर गिर रहा है और यह जानते हुए कि जाली नोट चल रहे हैं वे इन सभी बातों को नियंत्रित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और आम आदमी की मुद्रा अंकित दो रुपये, पांच रुपये तथा दस रुपये के नोट उपलब्ध कराने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय नहीं कर रहे हैं।

अब वे केवल हजार रुपये के नोट छापने के लिए चिन्तित हैं। इससे पता चलता है कि सरकार किस बात को प्राथमिकता दे रही है। मुझे यह कहते हुए काफी दुख हो रहा है कि सभा के समक्ष कई विधेयक पड़े हैं। हमें अति महत्त्वपूर्ण विधेयकों का इन्तजार है जिस पर यह सभा चर्चा करने वाली है।

आपकी प्राथमिकता क्या है ? सरकार को यह निर्णय लेने का विशेषाधिकार है कि कौन–सा विधेयक पहले आए। आपने इस उच्च मूल्य बैंक नोट संशोधन विधेयक को प्राथमिकता दी और दूसरे विधेयक संसद के समक्ष अभी आने हैं। हमें पक्का नहीं पता कि ये आएंगे या नहीं।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए. वी. एस. एम. (गढ़वाल): विधेयकों के संबंध में निर्णय लेना कार्य मंत्रणा समिति का काम है कि किन विधेयकों पर सभा में चर्चा की जाए। यह केवल हमारी ही नहीं प्रत्येक की सलाह लेकर किया जाना है। आप उस प्रणाली का हिस्सा हो।

श्री पी. सी. चाक्को : खण्डूड़ी साहब यह ठीक नहीं है। चार–पांच विधेयक ऐसे हैं जिनके बारे में पूरा देश चर्चा कर रहा है और हमने निर्णय लिया है कि उन्हें सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। परन्तु यह निर्णय करना सरकार का विशेषाधिकार है कि इन विधेयकों को कब प्रस्तुत किया जाए। आपको अन्य विधेयकों को पीछे रखकर इस विमुद्रीकरण विधेयक को प्रस्तुत करना सुविधाजनक लगा।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : कार्य मंत्रणा समिति में हम केवल समय आबंटित करते हैं। उन विधेयकों को पुरःस्थापित करना सरकार का काम है और यह सरकार का विशेषाधिकार है।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए. वी. एस. एम. : मैं यह बात कह रहा हूं कि जब कोई विधेयक लोक सभा में लाया जाता है तो इसकी तारीख और समय के बारे में निर्णय अपने आप नहीं बल्कि परामर्श से निर्धारित किया जाता है।

श्री पी. सी. चाक्को : कार्य मंत्रणा समिति में हम केवल समय निर्धारित करते हैं और इसका फैसला आप करते हैं कि किन विधेयकों को इस सदन के समक्ष लाया जाना है। आप यह अच्छी तरह जानते हैं। आपने देखा कि कपास ओटाई अधिनियम या विमुद्रीकरण संशोधन विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक या फेरा विधेयक या अन्य किसी विधेयकों से अधिक महत्वपूर्ण है। यह आपकी सरकार का विशेषाधिकार है और हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना है। शायद, इस सरकार की कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है। मैं नहीं जानता कि यह सरकार किस बात को प्राथमिकता देती है।

आज, आम आदमी के लिए सब्जियां खरीदना तक काफी मुश्किल हो गया है और लोग बड़ी मुश्किल से गन्दे नोटों से लेन–देन कर रहे हैं। जब कम मूल्य के नोट उपलब्ध नहीं हैं तो यह उत्तरदायी सरकार का फर्ज है कि इन्हें उपलब्ध कराए। परन्तु मैं सरकार को इस विशेषण से नहीं बुलाऊंगा। अभी भी सरकार से यह आशा की जाती है कि कम मूल्य के नोट छापकर आम आदमी के साथ न्याय करे। अगर सरकार यह नहीं कर सकती और अगर ऐसा कोई विधेयक इस सदन के समक्ष लाया जाता है तो मैं समझता हूं कि इस पर इस पवित्र सदन को सावधानीपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है।

आज इस देश में प्रचलन में काला धन सरकारी करेंसी का तीन या चार गुणा से अधिक है। इस देश में प्रचलित काले धन का कोई व्यक्ति केवल अनुमान ही लगा सकता है कोई इसकी निश्चित गणना नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में, जहां जाली नोटों की तस्करी हो रही है और कम मूल्य के नोट उपलब्ध नहीं हैं, मैं यह नहीं समझ सकता कि किस धारणा या उद्देश्य से माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। अगर 1000 रुपये के नोट कल नहीं छपते या 5000 रुपये या 10,000 रुपये के नोट उपलब्ध नहीं होते; तो कोई अनहोनी बात तो नहीं हो जाएगी; और कोई आम आदमी भूखा नहीं मरेगा। उच्च मूल्य के नोट छापना सरकार की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं कोई इसकी प्रतीक्षा में है क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें दबाव में की जाती हैं जिनका पता नहीं चलता है।

भाजपा के माननीय अध्यक्ष ने स्वयं एक बार कहा था कि सत्ता में बैठे लोगों को दबावों का सामना करना पड़ सकता है और हम नहीं जानते कि सत्तासीन लोगों पर किस प्रकार के दबाव पड़ रहे हैं। इससे हम कोई अर्थ या कारण नहीं निकालते हैं परन्तु बाहरी लोगों को इस प्रकार के विधान के लिए अच्छा कारण मिल सकता है। मैं समझता हूं कि यह एक प्राथमिकता नहीं है। इसका उद्देश्य सही नहीं है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ नहीं मिलेगा या माननीय वित्त मंत्री ने जैसा स्पष्ट किया था वैसी स्थिति में सुधार नहीं आएगा।

इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर राजनीतिक दलों और अर्थशास्त्रियों के साथ गम्भीर चर्चा होनी चाहिए। मेरे विचार से आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। मैं नहीं समझता कि सरकार या सरकार चलाने वाला नेतृत्व जनता के साथ काले धन को रोकने, जाली मुद्रा को रोकने और स्थितियों को सामान्य बनाने के लिए क्या किया जाये, ऐसे विषयों पर चर्चा को प्राथमिकता प्रदान कर रहा है। इस प्रकार उच्च मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों का जो प्रस्ताव भारत सरकार कर रही है उससे हमारी अर्थव्यवस्था को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यह मेरी अपनी अनुभूति है।

अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर व्याख्यान देते समय आप पर कई प्रकार के दबाव पड़ सकते हैं। परन्तु सरकार को दृढ़ रहते हुए वास्तविकताओं के बारे में सोचना चाहिए। आम आदमी इस प्रतिष्ठित सभा से यह अपेक्षा नहीं रखता है कि यहां 1000 रुपये की नोटों की छपाई पर निर्णय किया जाए अपितु वे किसी अन्य बात की प्रतीक्षा करते हैं। आप उस "कुछ और" को प्रदान करने में समर्थ नहीं हुए हैं। आप यहां पर कई तरह के बहानों को लेकर उपस्थित हो रहे हैं चाहे इसके पीछे कारण कुछ भी रहे हों।

महोदय, देश और अर्थव्यवस्था के प्रति उत्तरदायित्व, आस्था और प्रेम भावना रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के विधान का समर्थन नहीं कर सकता है।

महोदय मैं, विशेषकर अपने मित्र, माननीय वित्त मंत्री के विरुद्ध किसी तरह का व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। इस विधेयक को चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में लाया गया है पर मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री की ओर से यह बुद्धिमत्तापूर्ण कदम होगा कि वह इस विधेयक को वापस ले लें और विभिन्न मंचों पर निष्पक्ष रूप से उस पर चर्चा होने दें और यह देखें कि क्या यह समय की आवश्यकता और प्राथमिकता है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विधेयक को वापस लें और यदि सरकार इस विधेयक पर अडिग है और इस विधेयक को मतदान के लिए रखा जाता है तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसका विरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी जो बिल लेकर आये हैं मैं उसको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्य श्री चाको की बात मैंने बड़े ध्यान से सुनी। उनका ध्यान मैं एक सवाल पर आकृष्ट करना चाहूंगा, 25 नवम्बर, 1997 का सवाल इस प्रकार था :

[अनुवाद]

"क्या सरकार ने उच्च मूल्य वर्ग जैसे 1000 रुपए, 2000 रुपए और 5000 रुपए के बैंक नोटों को जारी करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो निर्णय सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।"

[हिन्दी]

मैं श्री चाको और बाकी माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि यह सवाल नवम्बर 1997 में था। उस समय सरकार ने उन्हें जवाब दिया था और जिस सरकार को कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही थी, उस सरकार ने यह जवाब दिया था। चाको जी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिये।

[अनुवाद]

मैं 24 नवम्बर, 1997 के प्रश्न का उल्लेख कर रहा था जिसमें कहा गया है :

"क्या सरकार ने उच्च मूल्य वर्ग जैसे 1000 रुपए, 2000 रुपए और 5000 रुपए के बैंक नोटों को जारी करने का निर्णय लिया है --और यदि हां तो निर्णय सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है।"

[हिन्दी]

उस समय माननीय चाको जी आपकी पार्टी इस सरकार को सपोर्ट कर रही थी, उस समय यह जवाब आया था।

[अनुवाद]

"नई करेंसी नोटों की वर्तमान मांग आपूर्ति के अन्तर और नोटों के वास्तविक मूल्य को ध्यान में रखकर 1000 रुपये मूल्य की नोटों को जारी करने का निर्णय किया गया। इससे उच्च मूल्य के नकद लेन-देन की मांग को पूरा करने में आसानी होगी। फिर भी, इस उद्देश्य हेतु, उच्च मूल्य वर्ग बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी, इस हेतु कार्रवाई पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।"

[हिन्दी]

उस समय ही यह तय हो गया कि डिमोनिटाइजेशन बिल, 1978 में परिवर्तन करना है और एक हजार के नोट प्रिंट करने हैं और उस समय सरकार ने यह भी कहा था कि अमेंडमेंट के 12 महीने के अंदर मशीन तैयार हो जायेगी और ये नोट प्रिंट होने शुरू हो जायेंगे। आप जो यह बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार यह निर्णय ले रही है और इसलिए ले रही है कि हमें पैसा इकट्ठा करना है या ब्लैक मनी इकट्ठा करना है।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. चाक्को : तो क्या आप मानते हैं कि आप पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं ? मैं इस बात से प्रसन्न हूं।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान : इसलिए आप सोच लीजिए और इस प्रकार के आरोप सरकार पर मत लगाइएगा। यह निर्णय पुरानी सरकार ने लिया है और उस सरकार का आप समर्थन कर रहे थे।

दूसरी बात आपने ब्लैक मनी के बारे में कही थी। 1978 में एक हजार के नोटों को डिमोनिटाइज कर दिया गया, चूंकि ब्लैक मनी बहुत इकट्ठा हो गया था। हमें इसकी तह में जाना पड़ेगा कि 1978 में ब्लैक मनी क्यों इकट्ठा हो गया था, उस समय रेट ऑफ टैक्सेज क्या थे और बाकी टैक्सेज क्या थे। ब्लैक मनी क्यों जनरेट हो रहा था, इसके बारे में जरूर विचार करना पड़ेगा। लिबरेलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन आप ही की सरकार 1991 में लेकर आई है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप ही ने समझौता किया था, वह आप ही लोग हैं। उसके बाद से जो इस समय वातावरण बना है और जो टैक्सिज कम हुए हैं, उससे ऐसा माना जा रहा है कि ब्लैक मनी काफी कम हो गई है। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी कहा कि एक हजार के नोट की कीमत आज 160 रुपये हो गई है।

मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि जो आज एक हजार रुपए के नोट की कीमत.160 रुपए रह गई है, यह कार्य किसने किया है ? देश में पिछले 50 साल से किसकी सरकार थी ? इस पर आपको विचार करना चाहिए। इसके बारे में आप हमसे सवाल मत पूछिए।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. चाक्को : कृपया गलतियों को दोहराइये मत, उन्हें ठीक कीजिए।

श्री चेतन चौहान : हम उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मैं एक और बात यहां पर कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे देश में नोट प्रिंट करने के लिए जिन मशीनों का प्रयोग किया जाता है वे जर्मनी से खरीदी जाती थीं और उन पर हमारे देश में अच्छी तरह से नोट प्रिंट किए जाते रहे हैं। मैंने तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी जिससे जानकारी मिली कि इस देश में चार नोट प्रिंटिंग की मशीनों का आयात किया जाना था जिसमें से दो जर्मनी से और दो जापान से आयात की जा रही थी, जबकि जापान की मशीनों पर ट्रायल नहीं हुआ और उनको टैस्ट नहीं किया, लेकिन सीधे आयात कर लिया गया। हालांकि मैंने चिट्ठी में लिखा था कि जो टैस्टेड और ट्रायल्ड मशीनें हैं, उन्हीं को जर्मनी से खरीदा जाए, ताकि परेशानी न हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके कारण मुझे मालूम हुआ है नोट प्रिंटिंग में परेशानी आ रही है। अब वस्तुस्थिति से मैं परिचित नहीं हूं कि वास्तव में दिक्कत कहां है, लेकिन मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे अपने उत्तर में इस बात को बताएं। इस बात को माननीय चाको जी ने भी अपने भाषण में माना है और स्टैंडिंग कमेटी में भी इस बारे में चर्चा हुई थी।

[श्री चेतन चौहान]

सभापति महोदय, यह बड़ा संवेदनशील मामला है औ गंभीर विषय है कि 50 साल की आजादी के बाद भी हमें अपने देश के नोट दूसरे देशों में छपवाने पर विवश होना पड़ रहा है। सिक्के तो दूसरे देशों से छपकर आ ही रहे हैं, लेकिन अब नोट भी दूसरे देशों से छपकर आ रहे हैं। हमारी स्थिति यह है कि हम अपने नोट भी नहीं छाप सकते हैं। यह बड़े शर्म, दुख और कष्ट की बात है। इसलिए मैं इसके ऊपर भी माननीय वित्त मंत्री से जवाब चाहूंगा।

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : आपको एक हजार के नोट छापने की तो इतनी चिन्ता पड़ी है, लेकिन मार्केट में एक, दो और पांच रुपए के नोटों को टुकड़े–टुकड़े जोड़कर लोग चला रहे हैं और परेशानी भुगत रहे हैं उस तरफ आपका ध्यान नहीं है ?

श्री शान्तिलाल चपलोत (उदयपुर) : यह स्थिति पिछले चार साल से हुई है जिस समय में आपकी और आपकी समर्थित सरकार चली थी। उसी का यह परिणाम है। यह तो वही बात हुई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।...*(व्यवधान)*

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सी. पी. राधाकृष्णन : कांग्रेस पार्टी देश को प्रगति की दिशा में ले गई। इसीलिए भारतीय रुपए का मूल्य इतनी बुरी तरह कम हो गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : बिना आसन की इजाजत बीच में उठकर बोलना उचित नहीं है। जो माननीय सदस्य भाषण कर रहे हैं, उनके भाषण के बीच में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री चेतन चौहान : सभापति जी, मैं इतिहास में जाना नहीं चाहता। 50 साल में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सिर्फ चिल्लाना सीख लिया है। काम तो कुछ कर नहीं पाए और देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। मैं भी वही बात कह रहा हूं।

सभापति महोदय : बिल पर बोलिए।

श्री चेतन चौहान : सभापति जी, मैं विधेयक के विषय पर ही बोल रहा हूं। यह विधेयक बहुत व्यापक है। इसलिए इसमें यह विषय भी आ जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि छोटे नोटों की परेशानी है। यह बात स्टेडिंग कमेटी में भी आई थी। हमारी एक माननीय सदस्या थीं, वे मेरे बराबर में बैठीं थीं। वे बड़े पुराने–पुराने नोट लेकर आईं और मुझे दिखा रही थीं कि दो रुपये के नोट आजकल कैसे आ रहे हैं। खासकर उन्होंने नोर्थ ईस्ट में समस्या बताई कि नोर्थ ईस्ट में छोटे नोटों की बहुत परेशानी है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि छोटे नोटों की परेशानी है, एक, दो, पांच और दस रुपये के नोट तो आजकल दिख ही नहीं रहे हैं। दस रुपये के नोट तो नये प्रिंट होकर आ गये हैं, लेकिन छोटे नोटों की बहुत भारी समस्या है और इनकी बहुत परेशानी हो रही है। चिल्लर, कोइंस लेकर चलने और घूमने में बहुत ही परेशानी होती है, इसलिए छोटे नोटों की उपलब्धि के ऊपर भी ध्यान दिया जाये।

एक बात यहां पर फेक करेंसी नोट्स की आई है। मेरी कांस्टीट्वेंसी में यह चर्चा बहुत दिनों से चल रही है, जिसे इस प्रकार की एक कांसिपिरेसी या षड्यंत्र माना जा रहा है। इस प्रकार का षड्यंत्र लोगों से सुनने में आ रहा है कि अपने पड़ोसी मुल्क ज्यादा से ज्यादा फेक करंसी नोटस हमारे देश में बढ़ाना चाहते हैं, जिससे यहां इन्फ्लेशन बढ़ जाये, जिससे आप यहां पर जो कण्ट्रोल करना चाहते हैं, जो मनी सर्कुलेशन, जो एम थ्री को आप कण्ट्रोल करना चाहते हैं, उस पर आप कण्ट्रोल न रख पायें, इस तरह की एक साजिश पड़ोसी देशों के अन्दर चल रही है। यह कहा जा रहा है, यह आम चर्चा है और खासकर मेरी कांस्टीट्वेंसी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह आम चर्चा हो रही है कि इस प्रकार से फेक करंसी नोट्स हिन्दुस्तान के अन्दर फ्लड कर दिये जाएंगे, भर दिये जाएंगे, जिससे पैसे का सर्कुलेशन बहुत अधिक हो जायेगा और पैसे का सर्कुलेशन अधिक होने से महंगाई बढ़ जाएगी। यह जो षड्यंत्र है, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कृपया इसके बारे में जरूर कदम उठायें, इसके बारे में जरूर जांच करायें कि ऐसे कौन–कौन से लोग हैं और जो करंसी पकड़ी जा रही हैं, बहुत सारे फेक करंसी नोट्स हैं, कल भी अखबार में फ्रण्ट पेज पर बहुत बड़ा आर्टिकल था, उसके बारे मे यह लिखा हुआ था कि फेक करंसी नोट्स अपने यहां आने वाले हैं, इसके बारे में भी जरूर विचार किया जाये।

यहां पर यह बात कही जा रही है कि सरकार प्रैशर में काम कर रही है। मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा कि सरकार पांच साल चलेगी, सरकार को कोई परेशानी होने वाली नहीं है, सरकार किसी प्रैशर में काम नहीं करने वाली है। सरकार धड़ल्ले से चल रही है, स्वतंत्रता से चल रही है और मजबूती से चल रही है। आप तीन राज्यों में जीत जरूर गये हैं, लेकिन आपको बड़ी गलतफहमी है। आप लोगों को बहुत ज्यादा गलतफहमी हो गई है। आप इस गलतफहमी के शिकार मत होइये। चुनाव में कोई जीतता है, कोई हारता है। देश को आजाद हुए पचास साल हो गये हैं, 50 सालों में आप लोग जाने कितनी बार हारे हैं और जाने कितनी बार जीते हैं, इसलिए आप हमारी चिन्ता ज्यादा मत करिये, आप लोग अपनी चिन्ता करिये।...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : अब जनता आप लोगों को कहां का कहां भेज देगी।

श्री चेतन चौहान : आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, आप जरा चुप रहिये। हमारा आपको सुझाव यह है कि थोड़ा पढ़कर आयें और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलना भी शुरू करिये, ज्यादा चिल्लाइये मत।

माननीय मंत्री जी यह जो बिल लेकर आये हैं, इसका मैं स्वागत

करता हूं, मैं उसका समर्थन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो एक हजार रुपये के नोट आएंगे, इससे जनता को राहत मिलेगी। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं इन सभी सज्जनों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार नहीं करता हूं। मेरा अपना मत है। 1978 में जब विमुद्रीकरण का विधेयक इस सदन में लाया गया था तब भी हमने इसका विरोध किया था क्योंकि हमें यह विश्वास था कि इससे काले धन की समस्या हल नहीं हो सकेगी। उस समय यह कारण बताया गया था कि विमुद्रीकरण के द्वारा काले धन के प्रचलन पर पूरी तरह रोक लगायी जाएगी और इस उद्देश्य हेतु मूल विधेयक पुरःस्थापित किया गया था और पारित किया गया था। अब हम बीस वर्षों के अनुभव के बाद उन्हीं उपायों पर चर्चा कर रहे हैं।

मेरे विद्वान मित्र काले धन के प्रचलन पर बोल रहे थे। औसत प्राक्कलन के अनुसार मैंने हाल ही के पाक्षिक पत्रिका में पढ़ा कि भारत में 50,000 करोड़ रुपये काला धन प्रचलन में है।

अपराह्न 3.00 बजे

कोई भी इसका पता नहीं लगा सकता है, कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। यह देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति है। हम इस स्थिति से कैसे बच सकते हैं ? हमने हवाला मामले के बारे में सुना है जिसमें कई राजनीतिज्ञ संलिप्त थे। यह मामला भी काले धन से सम्बन्धित था।

जाली नोट और काला धन दो अलग–अलग चीजें हैं। भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत जाली नोटों की छपाई और उन्हें रखना अपराध है। जाली नोटों के लिए आपको जेल भेजा जा सकता है। लेकिन कालाधन जाली नोट नहीं है। यह बिना हिसाब–किताब का धन है। मैं बिना हिसाब–किताब धन के बारे में बोल रहा हूं जो कि प्रचलन में है अर्थात् जो वास्तविक कालाधन है जिससे देश की अर्थव्यवस्था को खतरा है।

यह स्वीकार किया गया है कि उच्च मूल्य वाले नोटों का मुद्रण दो एजेंसियों द्वारा अन्य देशों में कराया जाता है। इनमें से एक है भारतीय रिजर्व बैंक और दूसरी है केन्द्र सरकार। वे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों का मुद्रण बाहर कराकर फिर उन्हें यहां देश में लाते हैं। यह वैध प्रचलन है। परन्तु एक और तन्त्र है जिसके अन्तर्गत बड़े नोटों का मुद्रण बिना केन्द्र सरकार की अनुमति से किया जाता है। ऐसा धन भी प्रचलन में है। यह विभिन्न देशों जैसे–पश्चिमी देश, सूदूर पूर्व और मध्य–पूर्व देश में उपलब्ध है। किसी देश या किसी विदेशी बाजार में माननीय वित्त मंत्री जाते हैं तो उन्हें हजार रुपये मूल्य वर्ग के भारतीय नोटों की गड्डियां आसानी से मिल जाएंगी। यदि आपको किसी प्रकार की शंका है तो आप मध्य–पूर्व या सूदूर–पूर्व के किसी देश में जाकर स्वयं इस बात का परीक्षण कर सकते हैं। आप वहां पर भारत से व्यापारिक संबंध रखने वाले किसी भी उद्योगपति के पास जाइए आपको कितनी भी मात्रा में भारतीय मुद्रा बिना किसी परेशानी के मिल जाएगी। यह कैसे सम्भव है ? यह इसलिए सम्भव है क्योंकि हमारी मुद्रा पूरी दुनिया में उपलब्ध है और उसे हमारे देश में लाया जा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। क्या हम इस कठिनाई को विमुद्रीकरण की सामान्य प्रक्रिया के द्वारा दूर कर सकते हैं ? मैं नहीं समझता कि यह सम्भव है। पूरी मुद्रा प्रणाली को परिवर्तित करना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं ? क्या आप उच्च या कम मूल्य वर्ग पर ध्यान दिए बिना पूरी मुद्रा प्रणाली को बदल सकते हैं और नए नोट ला सकते हैं। यह अत्यधिक जोखिम भरा कदम है जिसके लिए राजनीतिक ज्ञान और राजनीतिक साहस होना चाहिए। यदि आप इस प्रक्रिया को आरम्भ कर सकते हैं तो आप काले धन के प्रचलन पर पूरी तरह नहीं तो कम से कम कुछ हद तक रोक लगा सकते हैं। हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। यह मेरा सुझाव है।

मैं यहां उपस्थित अपने माननीय मित्रों से मुझे दो रुपए के पांच नोट एक साथ लाकर देने के लिए कहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है आप नहीं ला पाएंगे। किसी भी बाजार में आप जाइए आपको बकाया पैसे कभी भी दो रुपयों के नोटों में नहीं मिलेंगे। यदि आपको भुगतान किया गया तो नोट गन्दे होंगे। हमारा बाजार में यही अनुभव रहा है। गरीब आदमी का वास्ता दो रुपये के नोट से पड़ता है लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। पिछले एक वर्ष से मैंने एक रुपये का नोट नहीं देखा है। मेरे कई प्रयासों के बाद भी मुझे एक रुपये का नोट बाजार में नहीं मिला। मैंने पूरी दिल्ली में दो रुपए का नोट प्राप्त करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की लेकिन मुझे गन्दा–पुराना नोट ही मिला और वो नोट भी पेट्रोल पम्प पर मिला। इस प्रकार हमें दिन–प्रतिदिन के कार्य के लिए कम मूल्य वर्ग जैसे एक रुपये के नोट और दो रुपये के नोट नहीं मिल रहे हैं। पांच रुपए के नोटों की स्थिति क्या है ? इसकी भी स्थिति बहुत खराब है। आपको पांच रुपये के नोट दो टुकड़े में प्लास्टिक कागज से जुड़े मिलेंगे।

मैं आशा करता हूं आप इससे सहमत होंगे। आपको पांच रुपए के नोट कभी नहीं मिल सकते।

श्री सी. पी. राधाकृष्णन : हम सब आपसे सहमत हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन : आपको पांच रुपये के नए नोट नहीं मिल सकते। यदि कोई मुझे वह देगा तो मैं उसे 10 रुपये दूंगा। पांच रुपये के नोट मिलना एक नई बात होगी और इस मामले को लोगों को बताया जाना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। मेरे विद्वान मित्र, माननीय वित्त मंत्री इन सब बातों से चिन्तित नहीं हैं। वह आम आदमी के बारे में चिन्तित नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसके लिए केवल वे ही जिम्मेदार हैं। इस विधेयक को उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसीलिए कानूनी अर्थ में वे विबन्धित हैं परन्तु मुझ पर किसी तरह का विबन्धन नहीं है। इस विधेयक को सभा में पहले लाया गया था परन्तु हमारे समर्थन का यह औचित्य नहीं है।

इसीलिए मैं माननीय वित्त मंत्री को ऐसा विधेयक लाने का सुझाव

[श्री वारकला राधाकृष्णन]

देता हूं जो गरीबों की मदद कर सके। फिर भी आप काले धन को नियंत्रित नहीं कर सकते। यह प्रचलन में रहेगा और यह हमेशा हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौती बना रहेगा। इसे कोई भी नहीं रोक सकता। परन्तु आप एक रुपये, दो रुपये और पांच रुपये के मूल्य वर्ग वाले नोटों का प्रचलन जारी रखकर गरीबों की मदद कर सकते हैं। यह एक बात है।

मैं पूरी ईमानदारी से वित्त मंत्री से एक बात पूछूंगा। इस सभा के समक्ष 'फेमा' या विदेशी मुद्रा प्रबन्धन विधेयक है। फेरा अर्थात् 'फेरा' अर्थात् विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के स्थान पर 'फेमा' पुरःस्थापित किया गया था। यह विधान विशेष रूप से कालेधन के प्रचलन के मामले में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य हेतु हमारे पास जांच एजेंसी भी है। इस प्रकार हम विदेशी मुद्रा प्रबन्धन विधेयक के उपबन्धों पर विचार करने वाले हैं और उन्हें इस विधेयक पर सभा में निर्णय किए जाने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों है ? मैं इसके पीछे क्या तर्क है इस बात को समझ नहीं सका हूं।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की महत्वपूर्ण बात क्या है ? विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, धन शोधन या कालेधन का व्यवसाय एक दण्डनीय अपराध है, दोषी व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा और उसे एक अपराधी के रूप में जेल भेजा जाएगा। विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम में यह सबसे महत्त्वपूर्ण बात है।

अब इसे 'फेमा' के अन्तर्गत सिविल अपराध बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि हम उदारीकरण और सार्वभौमिकीकरण की बात कर रहे हैं और हम अपनी सहायता के लिए भारत आने वाली विदेशी मुद्रा के बारे में भी बात करते हैं। इन परिस्थितियों में अपराधी तत्त्वों को समाप्त होना चाहिए। अतः आप कितना भी धन ला सकते हैं आपको जेल नहीं भेजा जाएगा और आपको एक सिविल अपराधी माना जाएगा। आपको उच्च दर्जा दिया जाएगा। 'फेमा' के अन्तर्गत यह प्रावधान है जो कि इस सभा के समक्ष रखा गया है। यहां उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। यहां तक कि यदि वह हर्षद मेहता भी हो तो फेमा के प्रावधानों के अनुसार उसे भी अपराधी नहीं माना जाएगा। उसे भी सिविल अपराधी माना जाएगा। जब वह यह विधेयक प्रस्तुत करेंगे तो इस सभा द्वारा इस संशोधन को स्वीकार किया जाएगा। इसलिए लोग धन ला सकते हैं। वह विदेशी मुद्रा में गुप्त रूप से कोई भी सौदा कर सकते हैं। वह विदेशी मुद्रा अथवा भारतीय मुद्रा की कितनी भी धनराशि आयात कर सकते हैं और उन्हें अपराधी नहीं माना जाएगा। यदि वह देश की अर्थव्यवस्था अर्थात् बाजार अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले अपराध भी करते हैं तब भी उन्हें सिविल अपराधी ही माना जाएगा।

भारत की बाजार अर्थव्यवस्था में इसको महत्त्व नहीं दिया गया है। इसीलिए वह प्रस्तुत करने जा रहे हैं।

भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार धोखाधड़ी अथवा चार सौ बीसी एक अपराध है। इसे एक गैर–जमानती अपराध माना गया है। एक व्यक्ति जो अर्थव्यवस्था के साथ धोखा कर रहा है, वह देश के साथ धोखा कर रहा है लेकिन उनसे सम्माननीय व्यवहार किया जाएगा। उनके द्वारा किया गया अपराध एक साधारण धोखाधड़ी ही समझी जाएगी। लेकिन 'फेमा' के प्रावधानों के अनुसार उन्हें केवल सिविल अपराधी ही माना जाएगा। क्या यह सही होगा ? क्या यह काले धन को रोकने में सहायक होगा ? मैं नहीं समझता ऐसा है, जब तक कि उसे उस देश का अपराधी नहीं माना जाएगा, हम इसे नहीं रोक सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय, निदेशक तथा अन्य इस संबंध में जांच करेंगे।

मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं इस पर तब विचार व्यक्त करूंगा जबकि विधेयक सभा के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मैंने इस विधेयक विशेष का हवाला इसलिए दिया है क्योंकि इसका वर्तमान विधेयक से सीधे ही संबंध है। जब तक सभा इसके बारे में निर्णय नहीं ले लेती, वित्त मंत्री जी को इन्तजार करना चाहिए था। यदि सभा इसके पक्ष में थी तो वह इस विधेयक को पेश कर सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए, मैं कहूंगा कि उनके द्वारा इस विधेयक को पेश करना उचित नहीं है और शायद मेरे द्वारा इसका विरोध करने का यही मुख्य कारण है। मैं माननीय वित्त मंत्री को परामर्श दूंगा कि वह इस संबंध में बार–बार सोचें। यदि मंत्री महोदय वास्तव में काले धन को रोकना चाहते हैं तो मंत्री जी को सबसे पहले कम मूल्य के करेंसी नोट लाने चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं है। आज, हजार रुपए के नोट का क्या मूल्य है ? मेरे विचार में यह केवल 160 रुपए के मूल्य के बराबर है और कौन जानता है कि एक बार इस विधेयक को पारित हो जाने के बाद इस मूल्य को बनाए रखा जाएगा। कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। अर्थव्यवस्था पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और प्रतिदिन रुपए का मूल्य गिरता जा रहा है। बदलते हुए परिवेश में वर्तमान विमुद्रीकरण विधेयक अर्थव्यवस्था को ठीक करने अथवा बनाए रखने में अधिक सहायता नहीं देगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : यह एक बहुत ही छोटा संशोधन विधेयक है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि हो रही है कि छोटे सिक्के और छोटे नोट बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। कल भी हम मूल्य–वृद्धि पर चर्चा कर रहे थे हालांकि मैंने चर्चा में भाग नहीं लिया था क्योंकि हमारे दल के प्रतिनिधि श्री सुदीप बंधोपाध्याय ने इस पर काफी देर तक बोला था। हम चाहते थे कि सरकार ऐसा संशोधन स्वीकार न करे जिससे काला–बाजारियों अथवा जमा–खोरों को कोई राहत मिले। इसके बजाय सरकार को एक व्यापक तथा कठोर विधेयक पेश करना चाहिए ताकि काला–बाजारियों तथा जमाखोरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके। निश्चय ही, इस संशोधन से बड़े–बड़े लेन–देनों में सहायता मिलेगी लेकिन आम लोगों के लिए यह बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होगा। आम लोगों में कृषक तथा ग्रामीण लोग शामिल हैं अथवा मैं कहूंगा कि इसमें सभी शामिल हैं। अतः मैं कहूंगी कि अभी कुछ भी सब कुछ किया जा सकता है। चूंकि मूल्यों में बहुत अधिक

वृद्धि हो रही है इसलिए यदि हम यह संशोधन विधेयक पारित करते हैं तो देश को एक गलत संदेश जाएगा कि इससे बड़े–बड़े लोगों को सहायता मिलेगी इससे केवल काला–बाजारियों तथा जमाखोरों को सहायता मिलेगी ...*(व्यवधान)* निश्चय ही हमारा समर्थन सरकार के साथ है और रहेगा। हम आपको समर्थन देंगे। लेकिन हमारी विचारधारा और दार्शनिक प्रणाली भिन्न है। हम निर्धन लोगों और जनता के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। इसलिए मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे सकती हूं। इस समय हम यह महसूस करते हैं कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की मुख्य जिम्मेवारी मूल्य–वृद्धि को नियंत्रित करना और यह देखना है कि अधिक सिक्के और अधिक से अधिक कम मूल्य के नोट उपलब्ध करवाये जायें। ये उपलब्ध नहीं हैं।

महोदय, हमारी अपनी टकसाल है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वह बाहर से नोटों का मुद्रण क्यों करवा रहे हैं। हमारा अपना आधारभूत ढांचा है। हम अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत बनायें, ताकि हमें अपने सिक्कों का मुद्रण बाहर से न करवाना पड़े। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इस विधेयक को समर्थन देने की बजाय हम इसका विरोध कर रहे हैं। मेरे विचार में सरकार को लोगों की आम भावनाओं पर भी विचार करना चाहिए।

मैं जानती हूं कि करेंसी नोटों की कमी है। सरकार ने अपने उद्देश्यों के बारे में कहा कि करेंसी नोटों की कमी है और इसलिए सरकार 1,000 रुपए मूल्य के नोट जारी करने जा रही है। लेकिन यदि आप बाजार जाएं तो आप देखेंगे कि 100 रुपए के बदले छोटे नोट उपलब्ध नहीं हैं। यदि आप दुकान पर जायें तो आप देखेंगे कि 50 रुपए के बदले छोटे नोट भी उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए सरकार को इस संबंध में अधिक ध्यान देना चाहिए। लोगों को कम मूल्य के सिक्के तथा नोट उपलब्ध करवाए जाने चाहिए।

दूसरा, मैं एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूं। हमने कहा था हालांकि हम उदारीकरण की नीति का स्वागत करते हैं, अभी हम जनता के हित में इस विधेयक का विरोध करेंगे। इस सरकार ने यह विधेयक पेश नहीं किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी इसे पेश किया था। इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है लेकिन हर चीज का एक समय होता है। मैं यह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यदि आप अभी 1000 रुपए का नोट छापते हैं तो मैं नहीं जानती कि इन कम मूल्य के करेंसी नोटों का क्या होगा। 1000 रुपए के नोट छापने में अधिक रुचि दिखाई जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वेतन के रूप में केवल 1000 रुपए प्रति माह ही मिलते हैं। यदि वह दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार कहेगा कि मेरे पास छोटे नोट नहीं हैं। कभी–कभी आपको इस कारण अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जब आप रिक्शे वाले, ऑटोरिक्शा वाले अथवा दुकानदार को पैसे देते हैं तो वह शेष छोटे नोट वापस नहीं करते हैं। लेकिन हम उनको दोष नहीं दे सकते क्योंकि छोटे नोट उपलब्ध ही नहीं हैं। सरकार को इस संबंध में गंभीरता से विचार करना चाहिए।

अब मैं वह मुद्दा उठाना चाहती हूं कि मैंने इस सभा में पहले भी उठाया था। महोदय, क्या आप जानते हैं कि उत्तर बंगाल में भारतीय मुद्रा उपलब्ध नहीं है ? भूटान की करेंसी ने उत्तर बंगाल में पूरी तरह कब्जा कर रखा है। इस संबंध में मैंने श्री पी. चिदम्बरम् को एक पत्र लिखा था जब वह वित्त मंत्री थे और उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस मामले पर विचार करेगा। मैंने यह सभी दस्तावेज तत्कालीन वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम् को दे दिए थे। वह इस बात से सहमत हो गए थे कि यह एक वास्तविकता है। क्या आप भूटान के करेंसी नोट की कीमत जानते हैं ? इसकी कीमत भारतीय मुद्रा से आधी है। अब दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, बलूरघाट, उत्तर दीनाजपुर और दक्षिण दीनाजपुर में कोई भारतीय नोट प्रचलन में नहीं है। वहां केवल भूटान की मुद्रा प्रचलन में है। इसका अर्थ है कि हमारा वहां पर कोई नियंत्रण नहीं है। तब रिजर्व बैंक का क्या कार्य है ? जिला मैजिस्ट्रेट और राज्य सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए थी। वे इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि कोई विदेशी मुद्रा हमारे देश पर कब्जा कर लेती है तो भारतीय मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। मैं चाहती हूं कि यह पता लगाने के लिए इस मामले की जांच की जानी चाहिए कि कौन लोग भारतीय मुद्रा के स्थान पर भूटान की मुद्रा को बढ़ावा दे रहे हैं।

आप एक समझदार व्यक्ति हैं। कृपया इस विधेयक को पारित करने में जल्दबाजी न करें। अन्यथा, इससे गलत संदेश जाएगा। मेरे विचार में इस विधेयक को वापस लेना बेहतर है। आप सभी दलों के नेताओं से बात कीजिए। कभी–कभी संसदीय, लोकतंत्र में नैतिकता कहती है कि हमें एक साथ रहना चाहिए। हमें इस संबंध में प्रत्येक व्यक्ति के साथ चर्चा करनी चाहिए। जब भी निन्दा होती है तो केवल सरकार को सुननी पड़ती है लेकिन, जब श्रेय मिलता है तो वह सभी के बीच बंट जाता है। अतः इस प्रकार की स्थिति में, मेरे विचार में यह बेहतर होगा कि इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने की बजाय आप सभी राजनैतिक दलों से विचार–विमर्श करें और एक ठोस निर्णय लें। हमें इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति जी, मैं इस विधेयक के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि बड़ा नोट छापने से मुद्रास्फीति बढ़ती है, काले धन में वृद्धि होती है और हवाला करने में बहुत आसानी हो जाती है। हम भारत के नजदीक के देशों में जब जाते हैं और डालर नहीं रहता तो पूछते हैं कि हम भारतीय मुद्रा से सामान खरीदना चाहते हैं तो उत्तर मिलता है कि 500 रुपये का नोट हो तो लेने के लिए तैयार हैं। बड़े नोट का हवाला करने में और उसका घोटाला करने में कुछ विशेष आसानी होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर 1978 में 1000 के नोटों को विमुद्रित कर दिया था। उस समय हमने अखबारों में खबर पढ़ी थी कि इस देश के जखीरेबाजों ने या नोटों का धंधा करने वाले लोगों ने पैसे को वापस न करके बालाजी महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। इस देश में लाखों–करोड़ों रुपए का विमुद्रीकरण होने के बाद ब्लैकमार्किटियर्स उसे तमाम मंदिरों में रखकर चले गए थे। हमें इसका अनुभव है। मैं

[श्री मोहन सिंह]

चौहान साहब की बात से बहुत ही सहमत हूं। 1985 में सरकार ने सिक्का ढालने का ठेका यूरोप की एक संस्था को दिया। उस समय इस सदन में बहुत हल्ला हुआ और इस बात पर जोर दिया गया कि भारत जैसे देश में वित्त मंत्रालय, जो दूसरे विभागों को कल-कारखाने खोलने के लिए धन मुहैय्या करता है, अपने ही नोट छापने और अपना ही सिक्का ढालने के लिए टकसाल खोलने में असमर्थ है। इसके लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। 1985 से इस बात पर लगातार दबाव डाला जाता रहा है लेकिन आज भी हमारे देश का सिक्का विदेशों में ढाला जाता है। सिक्के और छोटे नोट बाहर ढालते हैं या उसको छपवाते हैं तो उससे बाहर मुद्रा के सर्कुलेशन की संभावना कम रहती है लेकिन जब बड़े नोट विदेश में छपवाते हैं तो उनके जरिए जो देश में उपद्रव करने वाली ताकतें हैं, टेरारिस्ट ग्रुप्स हैं, राष्ट्रविरोधी शक्तियां हैं, उन राष्ट्रों के जरिए भारत विरोधी गतिविधियों को सम्मिलित करने में, मदद करने में, वित्तीय सहायता करने में आसानी होती है।

महोदय, दुर्भाग्य इस बात का है कि छोटे नोटों का छापना भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने बंद कर दिया है। 1-2 और 5 रुपये के नोट छपने बंद हो गए हैं। 5-10 और एक पैसे तथा उनके साथ चार आने को भी ढालना बंद कर दिया है, क्योंकि सरकार और रिजर्व बैंक का कहना है कि जितनी कीमत इनके ढालने और छापने में होती है, वह बाजार में सर्कुलेट करने पर महंगी पड़ती है इसलिए 1-2 और 5 रुपये के नोट छापने बंद कर दिए गए हैं। समाज के साधारण गरीब आदमी की कठिनाइयां बहुत हैं। साथ-साथ हमारी छोटी यूनिट्स लगातार बढ़ रही हैं। अभी मंत्री जी ने इस बिल के कारण और उद्देश्य प्रस्तुत करते समय कहा कि 1981 के भाव के हिसाब से आज का एक हजार रुपया 1981 के 165 रुपए के बराबर हो गया। धीरे-धीरे मुद्रा सिकुड़ती जा रही है। इसका बड़ा कारण यह है कि पैसे की छोटी यूनिट को निर्धारित करने में परेशानी महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि छोटी यूनिट दस रुपये हो जाएगी और एक-दो रुपए के सिक्के बाजार में महंगे पड़ने लगेंगे इसलिए उन्हें ढालना बंद हो जाएगा। बड़ी मुद्रा से मुद्रास्फीति और कालाधन बढ़ता है।

श्रीमन्, माननीय मंत्री ने सदन में एक आश्वासन दिया था कि पैन की आवश्यकता नहीं है जब कोई बैंक में खाता खोलने के लिए जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अखबारों में विज्ञापन करके बैंकों ने इसे अनिवार्य बना दिया। हमारे यहां जब बाढ़ आई तो दो-तीन हजार रुपए की सरकार ने चैक द्वारा सहायता की तो बैंक वाले कहने लगे कि पैन नम्बर लाइए।

यदि आपके पास पैन नं. नहीं है और गरीब आदमी को बैंक में जाना है तो लम्बा-चौड़ा फार्म और फार्मेल्टी है जिसके कारण लोगों को बैंक में खाता खोलने से रोक रहे हैं और उनका डिपाजिट नहीं ले रहे हैं। इस साल के आंकड़ों के अनुसार बैंकों में 22 फीसदी डिपाजिट बढ़ा है, यह क्यों बढ़ा है। इसका कारण यह है कि क्रेडिट नहीं है बैंकों ने कारोबार के लिये पैसा लेना बंद कर दिया है। आम आदमी बैंक में जाना चाहता है क्योंकि जितनी प्राइवेट वित्तीय संस्थायें हों, उन्होंने गरीब लोगों का करोड़ों रुपया लूटा है। वे लोग बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाने के लिये मजबूर हैं। पोस्ट ऑफिस और बैंक क्रेडिट में लोगों को पैसा दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि कारोबारी बैंकों के पास अब नहीं जा रहे हैं। इसलिये आने वाले 2-3 सालों में बैंक भी परेशानी में पड़ने वाले हैं। उनका घाटा बढ़ने वाला है। भारत सरकार और वित्त मंत्रालय इस समस्या के प्रति कितने जागरूक हैं, मैं इस बहस के माध्यम से जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय, प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों ने गरीब लोगों का एक-डेढ़ हजार करोड़ रुपया लूट लिया है और यहां तक कि सेवानिवृत्त लोगों ने जेवीजे, कुबेर कंपनियों में अपना पैसा लगा लिया था इसी तरह की किसी संस्था में लगा दिया तो वे पैसा लेकर अपने घर चले गये हैं और सरकार हाथ मलती रह गई है। भारत सरकार का कहना है कि केवल यू. टी. आई. के बारे में यह बेल आउट करेगी। चूंकि वह एक सार्वजनिक संस्था है, इसलिये यूटी-64 में फाइनेंस किये गये इन्वैस्टर्स के पैसे को दिलाने में मदद करने के लिये तैयार है। लेकिन जिन प्राइवेट कंपनियों ने गरीब लोगों का अरबों रुपया लूटा है, उसके बारे में सरकार की क्या नीति है और सरकार क्या करने जा रही है, यह वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। जब इन कंपनियों से लुटकर लोग बैंक जाना चाहते हैं तो बैंक हाथ में डंडा लेकर खड़ा है और कहता है कि हम पैसा जमा नहीं करेंगे। इस हालत में आपने एक आसान तरीका सोचा कि हम एक हजार के नोट छाप देंगे जिसे जेब में डालकर टहलते रहेंगे और बैंक में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। वित्त मंत्रालय ने सोचा कि साधारण आदमी की समस्या से कतराने के लिये एक हजार, दो हजार, पांच हजार रुपये के नोट छापो और जेब में लेकर टहलते रहो। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो असली मौद्रिक समस्या है, उसको हल करने के लिये ठोस कदम उठाये जायें। जो बड़े नोट छापने का सिलसिला है, उसको बंद किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, एक हजार रुपये के मूल्य के करेंसी नोटों की आवश्यकता से इंकार करना उचित नहीं होगा। स्थिति की इस वास्तविकता को मैं स्वीकार करता हूं। मैं इस तथ्य के विस्तार में नहीं जाना चाहता कि यह स्थिति किस प्रकार उत्पन्न हुई है। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि एक हजार रुपये के मूल्य के करेंसी नोटों की आवश्यकता है।

महोदय, विधेयक के संबंध में मेरी आपत्ति विधेयक के बताए गए उद्देश्य से है जिसे विधेयक प्राप्त करेगा। वित्त मंत्री द्वारा बताए गए उद्देश्य की तुलना में विधेयक का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। वित्त मंत्री जी ने हमें बताया है कि यह विधेयक इसलिए लाया जा रहा है कि सरकार को एक हजार रुपये के करेंसी नोट मुद्रित करने का अधिकार प्राप्त हो सके। लेकिन यह सच है कि इस विधेयक का अधिकार क्षेत्र इतना व्यापक है और इसी को लेकर मुझे विधेयक के संबंध में आपत्ति है।

यह विधेयक वस्तुतः सभा को गुमराह करता है। यह विधेयक सरकार को अधिकार देता है कि वह 5 हजार, 10 हजार और उससे

भी उच्च मूल्य वर्ग के करेंसी नोट छाप सकेगी यह उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस सभा के समक्ष रखे गए विधेयक के प्रावधानों और उद्देश्यों के संबंध में यह सभा को गुमराह कर रहा है यह समय के प्रतिकूल और गलत है। वास्तव में इस विधेयक की जितनी आवश्यकता इस देश के लोगों को है उससे भी अधिक आवश्यकता जमाखोरों कालाबाजारी करने वाले लोगों और अपराध जगत को है। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे कि इन करेंसी नोटों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सके तथा समाज की आवश्यकता भी पूरी हो सके।

मैं इस विधेयक का विरोध इस आधार पर कर रहा हूं कि इस विधेयक का अधिकार क्षेत्र जो हमें बताया जा रहा है उससे भी अधिक है। दूसरा, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि कम मूल्यवर्ग के नोटों और सिक्कों की तरफ भी अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। कम मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों के संबंध में समाज की आवश्यकता की घोर उपेक्षा की जा रही है मैं इस विषय विशेष पर अधिक नहीं बोलूंगा क्योंकि हर एक सदस्य ने इस विषय विशेष पर जोर दिया है। चल रहे फटे पुराने नोट वास्तव में सरकार के लिए कलंक हैं। सरकार को वास्तविकता को जानना चाहिए। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि फटे पुराने नोटों को बदलने का अच्छा खासा कारोबार चल रहा है।

दिल्ली में मैंने स्वयं यह लिखा हुआ देखा है कि यहां उचित दरों पर फटे नोटों को नए नोटों में बदला जाता है। अतः आप मानेंगे कि यह फटे पुराने नोट एक समानान्तर अथवा कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं। उनको बदला जा रहा है। इन्हें किस मूल्य पर बदला जा रहा है। इस संबंध में कारोबार करने वाले कहते हैं क वह इन्हें उचित दरों पर बदल रहे हैं। यह एक गंभीर स्थिति है जिस पर देश को पहुंचाया जा सकता है। यह इस देश के लिए अच्छा शकुन नहीं है कि इसकी सरकार अपने ही नोटों को देश में मुद्रित करने की स्थिति में नहीं है इसलिए मैं इस बात पर अत्यधिक बल देना चाहता हूं कि सरकार को कम मूल्य वर्ग के नोटों और सिक्कों की आवश्यकता पर पूरा ध्यान देना चाहिए।

हमें अपने करेंसी नोटों का आयात करना पड़ता है और इन्हें विदेशों में मुद्रित कराना पड़ता है इसमें जोखिम उठाना पड़ता है। यहां पर सुरक्षा की बात आती है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे करेंसी नोटों के विदेशों में मुद्रण और फिर उनके यहां आयात में सुरक्षा का प्रश्न उठता है कि वह किस यातायात के साधन से यहां लाए जाते हैं इन सभी में भारी जोखिम है। इन समूची बातों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए और इस विशेष क्षेत्र से जुड़ी हुई सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

हमें बार–बार बताया जाता है कि जाली नोट प्रचलन में हैं इस विशेष संबंध में आई. एस. आई. का नाम प्रायः उद्धृत किया जाता है लेकिन हम सरकार से जानना चाहते हैं कि परिचलन में आए हुए कथित जाली नोटों के चलन को रोकने में सरकार की उपलब्धि क्या है ? हम सरकार से यह भी जानना चाहते हैं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है जिससे कि समाज की कम मूल्यवर्ग के नोटों की आवश्यकता पूरी हो सके।

महोदय, ये कुछ विचार हैं जो मैं सभा के सम्मुख रखना चाहता था। एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है वह यह है कि हमें बार–बार बताया जा रहा है कि यह सरकार सर्वसम्मति पर चल रही है जो सर्वसम्मति में विश्वास रखती है और हम यहां देखते हैं कि इस विधेयक के संबंध में सभा में दलों ने अपनी शंकाएं और संकोच व्यक्त किया है। यह सरकार के सर्वसम्पति के बार–बार किये गये दावे के विपरीत है।

अतः मैं इस सरकार से अति विनम्र अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस ले ले। यह कोई इतना अविलम्बनीय महत्त्व का मामला नहीं है कि सर्वसम्मति के आधार की अनदेखी कर दी जाए। मुझे विश्वास है कि यदि सभी मिलकर विचार–विमर्श करें तो अपने देश की करेंसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बेहतर उपाय ढूंढा जा सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सभी के हित में इस विधेयक को वापस लिया जाए। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि कम मूल्य वर्ग के नोटों, विदेश में उनके मुद्रण और यहां उनके आयात से जुड़े उनकी सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान दिये जायें।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि काला बाजारी करने वालों जमाखोरों और अपराध जगत सरगनों को उच्च मूल्य वर्ग के नोटों से कारोबार करने में आसानी होती है इसलिए सावधानीपूर्वक और सर्वसम्मति से कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले ले और विधेयक के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस सभा के विभिन्न वर्गों के साथ सर्वसम्मति को बनाने का प्रयास करे जिसके बारे में हम सभी चिन्तित हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (मुंबई उत्तर-मध्य) : चेयरमैन साहब, सरकार जो बिल लाई है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक हजार रुपये के नोट छापकर ब्लैकमार्केटिंग करने वाले व्यापारी आदि जो लोग हैं, इससे उनको ब्लैकमार्केटिंग करने में बढ़ावा मिलेगा। इसलिए हम इस बिल को क्यों सपोर्ट करें ?

सभापति महोदय, इस देश की 100 करोड़ की आबादी में से 99.50 करोड़ लोगों को एक हजार रुपये का नोट छापने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे केवल 50 लाख लोगों को फायदा होगा। इसलिए हम इस बिल का समर्थन क्यों करें ? हमारे देश में आज आम आदमी, जैसा श्री राधा कृष्णन जी ने कहा, एक रुपए, दो रुपए और पांच रुपए के नोट चाहता है। यदि आप उन्हें ये नोट छाप

[श्री रामदास आठवले]

कर दे देंगे, तो ठीक होगा। आज आम आदमी छोटे नोटों के लिए परेशान है और वे उसे नहीं मिल रहे हैं जिसके कारण वे टुकड़े–टुकड़े चिपकाकर नोटों को चला रहे हैं।

सभापति महोदय, हमारे देश की इकोनोमी गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए। अगर सरकार यह समझती है कि एक हजार रुपये का नोट छापने से महंगाई कम हो जाएगी, तो वह भ्रम में है। ऐसी बात नहीं है क्योंकि जो महंगाई बढ़ाने वाले लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उन्हीं के लिए इससे फायदा होने वाला है और उन्हें उन्हीं लोगों की सुविधा के लिए ये नोट छापे जा रहे हैं। एक हजार रुपए के नोट छापने से इकोनोमी में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। शायद आप यह समझें कि अभी तीन राज्यों के विधान सभा चुनावों में आपकी पार्टी को जो हार का मुंह देखना पड़ा, तो एक हजार रुपए का नोट छापने से आपकी इमेज़ अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उससे आपको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। आज यहां से आपको देश की पूरी 100 करोड़ जनता देख रही है कि आपके इस बिल से सिर्फ बड़े और व्यापारी लोगों जिनकी इस देश में संख्या 50 लाख है, सिर्फ उन्हीं को फायदा होने वाला है। देश के शेष 99.50 करोड़ लोग इस बिल के विरोध में हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को वापस ले लीजिए।

सभापति महोदय, हमारी पार्टी बाबा साहेब अम्बेड़कर को मानने वाली है और हम इकोनोमिक डिवेलपमेंट चाहते हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि एक, दो या पांच हजार के नोट छापने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मैडम बनर्जी ने आज अच्छा स्टेंड लिया। हालांकि केवल आज अच्छा स्टेंड लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं है बल्कि आपको चाहिए कि हमेशा के लिए अच्छा स्टेंड लिए रहें। वित्त मंत्री जी चाहे आप एक हजार, दो हजार, पांच हजार, दस हजार या एक लाख रुपए का नोट छापिए, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि आप इस बिल को तुरंत वापस लें। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। आप हमारी बात सुनने का प्रयत्न कीजिए। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात मत सुनिए। आप देश की गरीब और बहुसंख्यक जनता की बात सुनने का प्रयत्न कीजिए। कुमारी ममता बैनर्जी हमारे साथ आई हैं। समता वाले भी हमारी तरफ देख रहे हैं। अगर आप इस बिल को यहां मंजूर कराना चाहते हैं, तो सोच लीजिए गड़बड़ होने की संभावना है। इसलिए मेरा फिर निवेदन है कि इस बिल को वापस ले लीजिए।

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : माननीय सभापति जी, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, हम चार माह के अंतराल के बाद संसद के इस शीतकीलीन सत्र में मिल रहे हैं। संसद के कार्य के दिन 120 से घटकर 54 हो गए हैं। मैं श्री पी. सी. चाको द्वारा व्यक्त विचारों का पूरा समर्थन करता हूं।

इस सरकार की प्राथमिकता क्या है ? इस शीतकालीन सत्र के दो सप्ताह बीत गए हैं। हमने कपास ओटाई विधेयक और रेल दावा अधिकरण विधेयक 1977 पर चर्चा की और आज हम हजार रुपये के उच्च मूल्य बैंक नोटों के मुद्रण का प्रावधान करने वाले विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। इस सभा के समक्ष अनेक महत्त्वपूर्ण विधेयक लंबित पड़े हैं। लोगों के सामाजिक, आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने वाला एक महत्त्वपूर्ण विधेयक लंबित पड़ा है। मैं मंत्री जी या सरकार से जानना चाहता हूं कि विधायी प्रक्रिया विशेष रूप से महिला संरक्षण विधेयक और कृषि कर्मकार विधेयक के बारे में इस सरकार की प्राथमिकता क्या है। अनेक अन्य विधेयक भी लंबित पड़े हैं। यहां तक बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक भी लंबित पड़ा है। नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन निरसन विधेयक भी लंबित पड़ा है।

इसलिए एक मायने में यह नुकसान रहित विधेयक है किंतु मैं तकनीकी कारण से इसका विरोध करता हूं जिसका उल्लेख श्री जी. एम. बनातवाला पहले ही कर चुके हैं। इस विधेयक को लाने का क्या इरादा है ? इस संशोधन विधेयक का कोई वास्तविक लक्ष्य नहीं है, क्योंकि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में विशेषरूप से कहा गया है कि इससे भारतीय रिजर्व बैंक को तत्काल हजार रुपये मूल्य का नोट जारी करने में आसानी होगी। इस विधेयक का आशय उक्त उद्देश्य को प्राप्त करना है। इसलिए इस संशोधन विधेयक के उद्देश्य और कारण हजार रुपये मूल्य के नोटों का मुद्रण करना है। इसके किस खंड में संशोधन किया जाना है ? खंड 2 में संशोधन किया जाना है। इसका उपखंड (घ) कहता है :

> " 'उच्च मूल्य बैंक नोट' से अभिप्रेत है 'भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित एक हजार रुपये, पांच हजार रुपये या दस हजार रुपये मूल्य के बैंक नोट' "

इसलिए विधेयक के उद्देश्यों और लक्ष्यों तथा प्रस्तावित संशोधन में स्पष्ट विरोधाभास है। इसी तकनीकी कारण से मेरा कहना है कि सरकार द्वारा इस संशोधन विधेयक लाने के लक्ष्यों में वास्तविकता का अभाव है। अतः मैं मंत्री जी से इस विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करता हूं क्योंकि विधेयक के उद्देश्य व लक्ष्य प्रस्तावित संशोधन से बिल्कुल भिन्न हैं।

महोदय, माननीय मंत्री महोदय के आरंभिक वाक्यों में एक स्तब्ध कर देने वाली सूचना दी गई कि मुद्रित किए जाने वाले 1000 रुपये के करेंसी नोट का मूल्य 160 रुपये होगा। अपने सीमित ज्ञान के आधार पर मैं माननीय मंत्री को बता सकता हूं कि 1960 मे जब हम किसी सब्जी की दुकान या उपभोक्ता भंडार पर 16 रुपये लेकर जाते थे तो हमें कुछ वस्तुएं या सब्जियां मिल जाती थीं। 1998 में यदि हम उसी दुकान पर वही वस्तु खरीदने जाते हैं तो हमें 100 रुपये का नोट देना पड़ता है। इसलिए 160 रुपये का स्थान 1000 रुपये ने ले लिया है। हमारे देश का वित्तीय संकट, आर्थिक परिदृश्य यह है। मूल्य वृद्धि के बारे में पिछले दो दिनों में हमने इस सभा में व्यापक चर्चा की है। यह आम आदमी, कामकाजी वर्ग की दशा बताता है। 1000 रुपये का नोट मुद्रित करने वाले विधेयक को लाने का क्या लाभ है ? इससे सरकार को क्या लाभ मिलने वाला है ?

यह पहले ही कहा जा चुका है कि एक रुपये, दो रुपये और पांच रुपये मूल्य वर्ग के नोटों की कमी है। जब हम सांसद, जनता के प्रतिनिधि टेम्पो और मेटाडोर से सफर करते हैं तो शेष राशि प्राप्त करना कठिन हो जाता है। जब हम किराए में 10 रुपये देते हैं तो 5 रुपये का नोट वापस मिलना मुश्किल होता है। अब हमारे देश में निम्न मूल्य वर्ग के नोट गायब हैं। आज सुबह मुझे मेटाडोर वैन के ड्राइवर से पांच रुपये का बहुत ही फटा–पुराना नोट वापस मिला है। पांच रुपये के नोट की यह स्थिति है। इसी तरह दो रुपये का नोट नहीं दिखाई देता है। सरकार को या भारतीय रिजर्व बैंक निम्न मूल्य वर्ग के नए नोटों को मुद्रित करने के बारे में चिंता नहीं है किन्तु वे ऐसा संशोधन लाने के लिए अति उत्सुक है जिससे 100 रुपए के नोटों को मुद्रित किया जा सके। इसलिए इस विधेयक के लक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं और इसका आम आदमी से कोई लेना–देना नहीं है। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस विधेयक को वापस लेने का भी अनुरोध करता हूं ताकि इस बारे में आम सहमति बने और इसमें समुचित संशोधन किया जा सके।

श्री एस. सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि एक के बाद एक सदस्य और हमारे कई वरिष्ठ सहयोगियों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आज प्राथमिकता एक हजार रुपये का नोट नहीं है। दुर्भाग्यवश, मुद्रास्फीति, जो हमारे देश में एक रोजमर्रा की बात बन गई है, के कारण रुपये का मूल्य काफी कम हुआ है।

यदि आज हम एक प्याली चाय भी पीना चाहते हैं तो पटरी पर स्टाल लगाने वाला भी कम से कम तीन रुपये लेता है और यदि मुद्रास्फीति इसी तरह जारी रहा तो एक वर्ष में एक प्याली चाय 5 रुपये की हो जाएगी। रुपये के वास्तविक मूल्य के अवमूल्यन के कारण हो सकता है कि एक हजार रुपये के नोट की आवश्यकता समझी जाए किंतु मैं सरकार से प्राथमिकताओं के बारे में विचार करने की अपील करता हूं।

सर्वप्रथम, यदि मुद्रास्फीति नियंत्रित नहीं की जाती है तो अगले वर्ष सरकार को पांच हजार रुपये का नोट मुद्रित करने का प्रस्ताव और फिर दस हजार रुपये का नोट मुद्रित करने का प्रस्ताव संसद में लाना पड़ेगा। कुछ देशों में करेंसी नोटों का कोई मूल्य नहीं है। उन देशों में विदेशी मुद्रा का ही कुछ मूल्य है। अनेक एशियाई देशों में आर्थिक संकट के कारण ये देश इस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं।

कई सदस्य 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये जैसे निम्न मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों की आपूर्ति की आवश्यकता को सभा और सरकार के ध्यान में लाए हैं जो देश के अधिकांश भागों में दुर्लभ बन गए हैं। मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने को महत्त्व और प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन समस्याओं का समाधान 1000 रुपये के नोटों को मुद्रित कर नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मुद्दे पर आम सहमति बनाएं। भाजपा सरकार को समर्थन करने वाले गठबंधन के सहयोगी दल जैसे कुमारी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस और अन्य सरकार से इस विधेयक को वापस लेने की अपील कर रहे हैं।

भाकपा की और से मैं भी सरकार से इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने और इस विधेयक को वापस लेने की अपील करता हूं। सरकार को इस बारे में आम सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए। मैं पुनः कहता हूं कि सरकार की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने की होनी चाहिए न कि 1000 रुपये के करेंसी नोटों के मुद्रण की।

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह बात अपने आप में सही है कि आज बड़े नोटों की आवश्यकता है क्योंकि रुपये का अवमूल्यन हुआ है। चीजें महंगी हुई हैं। वेतन आयोग की रिपोर्ट के कारण वेतन वृद्धि भी हो गई है और यह सब हमारे मंत्री जी को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि देश की आजादी के बाद लगातार 45–47 साल तक इस देश में और इस पवित्र सदन में कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस की गलत अर्थ नीतियों के कारण...*(व्यवधान)*

श्री दत्ता मेघे (वर्धा) : कब तक बोलते रहेंगे ? ...*(व्यवधान)* आप क्या कर रहे हैं, यह बताएं ...*(व्यवधान)* यह आप क्यों बोल रहे हैं ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम. मास्टर मथान (नीलगिरि) : हम आपके भाषणों को धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। अब आप हमारे भाषण में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं। आपको इस तरह बात करने की आवश्यकता नहीं है। बेहतर होगा यदि आप यह समझ लें।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : जब तक आप जिंदा रहेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। मैं और यह सदन ...*(व्यवधान)* मैं और यह सदन कांग्रेस को और उसकी सरकार को उन्होंने जो पाप किया है, तब तक उसको याद करते रहेंगे जब तक कांग्रेस यहां बैठी रहेगी। चार लोग भी अगर कांग्रेस के हों तो आपको ...*(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : आप यह सुनाते–सुनाते अभी चुनाव में तीन स्टेट में बैठ गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचंद गेहलोत : इस सदन में अगर कोई विषय कानून बनाने के लिए आता है तो उसके गुण–दोष के साथ–साथ पहले क्या हुआ है और पहले के जो क्रिया–कलाप थे, नियम–कायदे और कानून थे, उससे क्या लाभ या हानि हुई है, उस पर भी विचार करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम उनका नाम लेते हैं। उनको नाराज नहीं होना चाहिए, वे हमारे मित्र हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि

[श्री थावरचंद गेहलोत]

आपके समर्थन से ही पिछली सरकार चल रही थी और तत्कालीन वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि इस देश को इस बात की आवश्यकता है कि बड़े नोट, हजार, पांच हजार और दो हजार के छापे जाएं। उसके जो भी कारण रहे हों, उस समय के मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया था और मंत्रिमंडल ने जब यह निर्णय लिया था तो कांग्रेस के विचार भी उसमें सम्मिलित थे। यहां जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, दो–तीन दलों के सदस्यों को अगर छोड़ दें तो सभी दलों के सदस्यों ने उस नीति से या हजार रुपये के नोट छापने की बात से सहमति व्यक्त की थी। मैं यह भी कहने की स्थिति में हूं कि आप को तो मुश्किल से नौ–दस महीने ही हुए हैं। इस सदन में जो बात कही थी, आपको उस पर पाबंद रहना चाहिए, उसके अनुरूप क्या करना चाहिए। इस सदन और इस देश की जनता के प्रति जो विश्वास है, वह बनाए रखना चाहिए।

उस वक्त जो आपने कहा था, उसका समर्थन करना चाहिए, अर्थात् इस विधेयक का समर्थन भी आपको करना चाहिए।

महोदय, वर्तमान समय में और पिछले दस सालों से इस देश में नोटों की मांग और उसकी आपूर्ति में काफी अंतर बढ़ गया है। यह सब पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ। मेरे अन्य साथियों ने भी इस बात का उल्लेख किया था कि 1985 से इस देश में नोटों की जितनी मांग थी, उसकी पूर्ति भारत की सरकार या रिजर्व बैंक कर नहीं पाया और इसके कारण विदेशों से नोट छपवाने लगे। इसी कारण एक रुपया, दो रुपए और पांच रुपए के नोट छापने बंद कर दिए, क्योंकि उनकी पूर्ति करने के अपने यहां जो कारखाने थे, वे पर्याप्त नहीं थे। कमी होने के कारण मांग बढ़ती जाती है, इसी कारण 1985 के बाद इन्हीं की सरकारों ने विदेशों से नोट छपवाने चालू कर दिया। इतना ही नहीं सिक्के भी विदेशों से ढलवाने शुरू कर दिए। गुजराल जी और देवगौड़ा जी के समय में माननीय पी. चिदम्बरम् जी ने विदेशों से नोट छपवाए और सिक्के भी ढलवाए। उस समय भी इसका विरोध किया गया था कि विदशों से नोट नहीं छपवाने चाहिए और सिक्के नहीं ढलवाने चाहिए, परन्तु उन सरकारों ने नहीं माना और कहा आर. वी. आई. देश में वर्तमान मांग को पूरी नहीं कर पा रही है। इस संबंध में मैं एक उल्लेख और करना चाहता हूं। देश में नोट छापने के दो कारखाने नासिक और देवास में थे। 12–13 साल पहले दो और नए कारखाने खोलने का निर्णय हुआ। केन्द्रीय सरकार ने बजट में प्रावधान किया और एक पश्चिम बंगाल में तथा दूसरा कर्नाटक (मैसूर) में खोलने का निर्णय हुआ ये कारखाने लगभग दो साल पहले बनकर तैयार हो चुके थे, किन्तु उधर जो बैठे हुए माननीय सदस्य हैं, उस समय उनके समर्थन से जो सरकारें चल रही थीं, देवगौड़ा और गुजराल साहब की सरकारें, उन्होंने उन कारखानों को समय पर चालू नहीं किया इसलिए भी वर्तमान के कारखाने नोट के मांग की आपूर्ति नहीं कर पाए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। भारत में नोट छापने की स्याही मेरे अपने संसदीय क्षेत्र देवास में बनती थी। वह बहुत अच्छी स्याही थी। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परन्तु उस समय की सरकारों ने विदेशों से स्याही को भी मंगाने का काम किया और देश के कारखानों को चौपट करने का काम किया। मैं जब उन कारखानों में गया, तो मुझे इस बात को बताया गया। यहां सदन में मैंने प्रश्न किया, उसका उत्तर भी मुझे मिला था। मैं बताना चाहता हूं कि विदेशों से जो स्याही मंगाई गई, उसकी क्वालिटी भी खराब थी और भारत में जो स्याही बनती थी, उसकी लागत भी कम थी। इसके अलावा महंगे भावों पर और ज्यादा लाने–ले–जाने के खर्च के साथ विदेशों से नोट छपवाने का काम किया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि महंगी दरों पर नोट छपवाए और लाने के खर्च में भी वृद्धि हुई। इस कारण स्थित यह है कि हमारे देश के कारखाने बंद होने की स्थिति में आ गए हैं। जब देवास और नासिक के कारखानों के विस्तार का प्रस्ताव आया, तो कारखाने को चलाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार पानी व्यवस्था करने के लिए तैयार थी। इस प्रस्ताव का समर्थन यहां बैठे हुए देवगौड़ा जी सरकार के समर्थकों ने भी किया था, लेकिन विस्तार के प्रस्ताव के निर्णय को रोक दिया गया। इसलिए आज की परिस्थिति में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि कारखानों के विस्तार के प्रस्ताव जो लंबित पड़े हैं, उनकी ओर ध्यान देकर उन कारखानों का विस्तार किया जाए। मैं इस बात से सहमत हूं कि एक रुपया, दो रुपए और पांच रुपए के नोट भी देश की जनता को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यह निर्णय जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण हुआ है, उसमें सुधार करने का काम माननीय वित्त मंत्री जी आपको करना है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का भाषण कल जारी रहेगा। अब हम नियम 193 के अधीन विषय पर चर्चा करेंगे।

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार–जारी

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब नियम 193 के अधीन बहस शुरु होगी। श्री आरिफ मोहम्मद खां, आप 40 मिनट बोल चुके हैं, दो–चार मिनट और बोल लीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : सम्मानित सभापति जी, उस 40 मिनट में आधे से ज्यादा विघ्न डालने में चला गया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देने के साथ–साथ मुझे उनकी भी स्तुति करनी चाहिए जो विघ्न डालते हैं। असल में कल मुझसे गलती हुई। मैंने कल भी एक बात कही थी और आज फिर दोहरा रहा हूं। मैं यह नहीं मानता, नोटिस जरूर ऐसा है। नोटिस में कहा गया है–"अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार" लेकिन निश्चित तौर पर यह अत्याचार बहुसंख्यक वर्ग की तरफ से नहीं हैं, यह मैंने कल भी कहा और आज फिर दोहरा रहा हूं। श्रीमन्, संविधान बन जाने के बाद, संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ. अंबेडकर ने कहा–

[अनुवाद]

"प्रत्येक प्रणाली में उसकी सामाजिक व्यवस्था के शीर्ष पर रह रहे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होता है। कसौटी यह है कि इसमें निचले स्तर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है।"

[हिन्दी]

श्रीमन्, धर्म और भाषा के आधार पर अल्संख्यक वर्गों को संविधान में चिन्हित किया गया है, विशेष प्रावधान किए गए हैं। मैंने कई घटनाओं के बारे में कल जिक्र किया था। मैंने यह कहा था, हालांकि गृह मंत्री जी ने मुझसे कुछ बात कही, उसके जवाब में मैं यह कह रहा हूं कि मैंने अगर कोई बात कही, जब मैंने कहा कि विधवाएं बना कर या बच्चों को यतीम बनाकर हम धर्म का काम नहीं कर सकते तो निश्चित तौर पर मैंने गवर्नमेंट या पार्टी को नहीं कहा, लेकिन वे लोग जो आपकी फ्रंटल आर्गनाइजेशंस हैं, जो आपकी सहयोगी संस्थाएं हैं वे अगर देश में ऐसे वातावरण बनाती हैं जिससे देश में साम्प्रदायिकता फैलती है, हत्याएं होती हैं, हिंसा होती हैं तो फिर हिंसा होगी, विधवाएं बनेंगी। क्या 1992 के बाद सूरत में जो घटनाएं हुई उन्हें हम भूल जाएंगे ? क्या हम कानपुर और मुंबई की घटनाओं को भूल जाएं या देश के दूसरे भागों में होने वाली घटनाओं को भूल जाएं ? उस राजनीति के नतीजे में, जो राजनीति जीवन देती नहीं बल्कि जीवन लेती है उसमें यह बात निःसंदेह है कि पता नहीं कितनी बहनें विधवा हुई हैं और कितने बच्चे यतीम हुए हैं।

महोदय, मैं नहीं कह रहा हूं, आप मेरी बात पर मत जाइए। लेकिन आज जो मौजूदा सरकार है, मेरे मित्र अकाली दल के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गुरु चरण सिंह तोहड़ा जी ने 6 दिसम्बर को चंकोर साहब में कहा—

[अनुवाद]

हिन्दू कट्टरवादियों द्वारा ईसाई मिशनरियों पर हमले का स्पष्ट उल्लेख करते हुए आज सुबह यहां संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पूरे देश में अल्पसंख्यकों के पूजास्थल असुरक्षित हैं।

[हिन्दी]

श्रीमन्, यह मैं नहीं कह रहा, यह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष कह रहे हैं और आज ही अखबार में आया है।

अपराह्न 4.05 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

आज ही अखबार में सत्ता पक्ष के दूसरे मित्र दल समता पार्टी के इस सदन के सम्मानित सदस्य का बयान आया है।

[अनुवाद]

वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समता पार्टी के वरिष्ठ संसद सदस्य श्री अब्दुल गफूर हैं। वे कहते हैं :

"भाजपा अपने एजेंडा पर काम कर रही है और इसलिए इसमें सहयोगी दलों का कोई स्थान नहीं है।"

वे आगे कहते हैं भाजपा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करने में विश्वास नहीं करती है।

[हिन्दी]

यह मेरा कहना नहीं है। इस सरकार में जो लोग शामिल हैं, उनका यह कहना है। श्रीमन्, आज अखबार में इस सरकार के एक मंत्री माननीय श्री राम कृष्ण हेगड़े का बयान आया है।

[अनुवाद]

"मंगलवार को दि एशियन ऐज" को दिए गए साक्षारकार में श्री हेगड़े ने इन संगठनों के अल्पसंख्यक विरोधी रुख की कड़ी आलोचना की। यद्यपि उन्होंने विश्व हिन्दू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बीच अंतर करने का प्रयास नहीं किया है।"

[हिन्दी]

यह वह लोग कह रहे हैं जो इस सरकार में शामिल हैं। उनका कहना है कि सरकार अल्पसंख्यक वर्गों के हित की रक्षा नहीं करना चाहती। इस सरकार की जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो सहयोगी दल हैं, यह उन पर निर्भर करता है कि अगर वह अपने मौजूदा तौर–तरीकों को बरकरार रखेंगे ..*(व्यवधान)* इसका हैडिंग भी यह है :

"वी. एच. पी. एक्शंस विल लीड टू वाजपेयीज फाल"

(विश्व हिन्दू परिषद के कार्यों से वाजपेयी का पतन होगा।)

इस सरकार में जो लोग शामिल हैं, वह इस बात को कह रहे हैं। पिछले हफ्ते शायद चार तारीख को जब क्रिश्चियन संस्थाओं की तरफ से दिल्ली में एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, उस दिन यहां बताया गया कि गुजरात सरकार ने क्रिश्चियन मिशनरियों के जरिए चलाए जाने वाले स्कूलों को चेतावनी दी कि अगर वे इस प्रदर्शन में शामिल हुए तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। उस समय इस सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से बड़े जोर से कहा गया कि ये गलत खबरें हैं। मेरे पास वे दो नोटिस हैं जो अहमदाबाद में सैट जेवियर हाई स्कूल और सैंट मैरी हाई स्कूल को दिए गए। आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि सरकार ने इस मामले में बड़ी चुस्ती दिखाई। काश, इतनी चुस्ती सरकार ने किसी और मामले में दिखायी होती तो अच्छा होता। नोटिस में कहा गया कि आपके स्कूल में इंस्पैक्टर गए, चार तारीख को आपका स्कूल बंद था जबकि आपको पहले से चेतावनी दी गई थी। उसमें कहा गया :

[अनुवाद]

"इसलिए एतद् द्वारा आपको व्यक्तिगत रूप से जिला शिक्षा अधिकारी से 'कल' इस मामले को स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है कि क्यों न आपका अनुदान घटा दिया जाए।"

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

[हिन्दी]

ये दो क्रिश्चियन स्कूल को दिए जाने वाले नोटिस थे। यह उस समय दिए गए जब इस माननीय सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से जोर देकर कहा गया कि ऐसी कोई कार्यवाही गुजरात सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है।

श्री दिलीप संघाणी (अमरेली) : यह क्रिश्चियन स्कूल के लिए नोटिस नहीं था। कहा गया था कि अगर कोई भी स्कूल ऐसा करेगा तो कार्यवाही की जाएगी। जिन्होंने ऐसा किया उनको नोटिस दिया गया। जिन्होंने नहीं किया, उनको नोटिस नहीं दिया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खां, कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपने आज पहले ही 15 मिनट से अधिक समय ले लिया है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, इस सभा में पहली बार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मुद्दे पर चर्चा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्य भी इस विषय पर बोलने वाले हैं। हमें उन्हें भी बोलने के लिए अवसर देना है। अतः अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : निश्चित रूप से अधिक समय दिया जा सकता है। अन्य मुद्दों के लिए भी अधिक समय दिया गया है ...*(व्यवधान)*। बीच-बीच में काफी टोका-टाकी की गयी है। मेरे भाषण के दौरान काफी व्यवधान डाला गया इसलिए मुझे थोड़ा और समय चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही 15 मिनट से अधिक का समय ले लिया है। कृपया समझने का प्रयास कीजिए।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ये नोटिसेज हैं जो पिछले 7-8 महीने में दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में रहने वाले मुसलमानों को दिये गये हैं। जिनके पास बड़ी-बड़ी प्रापर्टीज हैं, उनको नोटिस में कहा गया है कि आप आकर यह साबित करो कि आप पाकिस्तानी नेशनल नहीं हैं। अब आप बताइये जिनके पास ज्यादा प्रापर्टीज हैं, उनकी मानसिकता क्या होगी, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वे नोटिस पाकर डर गये और उस आफिसर से जाकर मिले। किसी तरह उनमें से 4-5 बहादुर लोग नोटिस लेकर एक वकील के पास गये। उस वकील ने दिल्ली सरकार के अधिकारी को लिखा कि सिर्फ यह बता दिया जाये कि यह नोटिस किस कानून या किस सैक्शन के अंदर दिया है। आज तीन महीने से ज्यादा का समय हो गया है। आज की तारीख में ऐसा पहला नोटिस है जिसमें यह नहीं लिखा हुआ कि किस कानून के तहत यह नोटिस दिया गया है। सिर्फ मुसलमान होने के नाम पर यह कहा जाये कि आकर बताइये कि आप पाकिस्तानी तो नहीं हैं। कल माननीय खुराना जी इशारा कर रहे थे कि ऐसा कोई नोटिस नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि आपकी सरकार आने के बाद इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है जो विघटनकारी हैं, उत्पीडन पैदा करने वाले हैं और ज्यादती करने वाले हैं। ये प्रवृत्तियां धर्म, बिरादरी, जाति और जन्म के नाम पर अछूत और मलेच्छ बनाती हैं और किसी की जान लेती हैं।

[अनुवाद]

शीर्षक "वंदना आलोचक भारतीय नहीं हैं" दिया गया है। मैं रिपोर्ट से उद्धृत करता हूं :

> "राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने आज कहा : "सरस्वती वंदना भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और जो इसका विरोध कर रहे हैं वे भारत की संतान नहीं हैं।"

[हिन्दी]

इस दल से आप प्रेरणा पाते हैं जिनको यह मालूम है कि सरकारी अधिकारी जानता है कि उस संगठन के इशारे पर यह सरकार चल रही है और इस संगठन के प्रमुख कह रहे हैं कि जो लोग अपोज करेंगे, वे भारत की औलाद नहीं हैं। फिर पाकिस्तानी होने का नोटिस नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा ? जुल्म और ज्यादाती का यह सिलसिला पिछले आठ महीने से इस देश में जारी है।

मैं यहां पर राजस्थान के एक वाकये का जिक्र करना चाहूंगा। मुम्बई के एक फिल्म एक्टर के खिलाफ एक इल्जाम लगाया गया कि उसने जंगल में एक जंगली जानवर को मार दिया है। अगर उसने मारा है...

श्री भजनलाल (करनाल) : यह सच्ची कहानी है, इसमें झूठ नहीं है और ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया गया।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आप पहले मेरी बात तो सुन लें। मैंने कहा कि जब तक अदालत में फैसला नहीं हो पाता, श्री शिवशंकर जी भी एक्यूज्ड रहेंगे... मुलजिम से आगे कुछ नहीं रहेंगे। मैं तो यही कह रहा हूं कि यदि कानून तोड़ा है तो सख्त से सख्त कार्यवाही करें। लेकिन जिस दिन जंगली जानवर को मारने की खबर अखबार में छपी तो राजस्थान के मुख्यमंत्री फौरन सरकारी मीटिंग छोड़कर पहुंचे और एडीशनल एडवोकेट जनरल को जोधपुर भेजकर कहा कि मुलजिम की जमानत नहीं होनी चाहिए। उस वक्त अखबार में यह खबर छपी कि एक दलित को बारात में घोड़े पर बैठने से मना कर दिया और उसके घर में आग लगा दी गई। साथ ही पूरे गांव में आग लगा दी गई। ऐसे ही दूसरे मामले में टोंक जिले में एक दलित को पान खाने के आरोप में गिरा-गिराकर मारा गया और उसके घर में आग लगा दी गई। मेरा सिर्फ यही कहना है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरे खिलाफ प्रिवेलेज नोटिस ला सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री शान्तिलाल चपलोत : विष्णोइयों ने बहुत बड़ा बलिदान किया है और कभी भी कोई जंगली पशु वहां नहीं मारा जा सकता। आप उनके बलिदान को नकार रहे हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं कहां उनके बलिदान को नकार रहा हूं ?...*(व्यवधान)*

श्री शान्तिलाल चपलोत : आप गलत बात करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अगर हमारी पिटाई होगी और हमें बोलने नहीं दिया जाएगा तो मैं नहीं बोलता। ...*(व्यवधान)* अगर आप चाहते है कि हम पिटें भी और बोलें भी नहीं, तो मैं नहीं बोलूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री शांतिलाल चपलोत : कोर्ट में मुख्य मंत्री की चलती है क्या?

आरिफ मोहम्मद खां : अगर यह तरीका है तो मैं नहीं बोलूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? आप पहले ही 55 मिनट से अधिक बोल चुके हो।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं इस प्रकार नहीं बोलूंगा। महोदय, उन पर नियंत्रण रखना आपका उत्तरदायित्व है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय वे आपत्ति क्यों कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यदि वे कहते हैं कि वे हमारा जीना मुश्किल कर देंगे और वे हमें बोलने भी नहीं देंगे तो मैं अब बैठ जाता हूं। मैं नहीं बोलूगा...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.17 बजे

(इस समय श्री अकबर अहमद आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

अपराह्न 4.18 बजे

(इस समय श्री अकबर अहमद अपने स्थान पर वापस चले गये।)

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको अपनी बात समाप्त करनी है।

श्री शारिफ मोहम्मद खां : नहीं, मैं इस प्रकार नहीं बोलना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* महोदय, मैंने किसी के नाम का उल्लेख भी नहीं किया है।

[हिन्दी]

मैंने विष्णोइयों का नाम भी नहीं लिया है और ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यह कोई तरीका नहीं है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने पहले ही 55 मिनट से ज्यादा समय ले लिया है।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, पहले आपको व्यवस्था तो बनाए रखनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कीजिए। अन्यथा मैं अब दूसरे वक्ता का नाम पुकारूंगा।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : ठीक है, मैं तो बैठ ही रहा हू।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात जारी करें और उसे पूरा कीजिए।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं इस तरह से नहीं बोलूगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको समझना चाहिए कि कई अन्य महत्त्वपूर्ण माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना वक्तव्य जारी रख सकते है और इसे पूरा कीजिए।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : लेकिन मैं इस तरह से पूरा नहीं कर सकता ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं आरिफ मोहम्मद खान अकेले

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

नहीं, बी. एस. पी. के मेम्बर की हैसियत से बोल रहा हूं। मैं दलित की बात यहां करूंगा, मैं ऐसी व्यवस्था को तोड़ने की बात करूंगा जो भेदभाव करती है।

श्रीमन्, मैं एक बात बताना चाहता हूं। तमिलनाडु में ...*(व्यवधान)* अब मैं नहीं बोलता।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : अगर वे वहां से उठकर बोलते हैं तो आप क्यों बैठ जाते हैं ? हाउस उनका ही नहीं है। आप बोलिये।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, तमिलनाडु में एक बहुत बड़े लीडर अन्ना दुरई हुए हैं जो मुख्य मंत्री हुए हैं। वे कमजोर वर्ग के परिवार से आते थे। इतने कमजोर वर्ग के परिवार से आते थे जिस परिवार की औरतों की इज्जत लूट ली जाती थी। शुरू के दिनों में एक सभा को वह संबोधित कर रहे थे तो पीछे से किसी ने उनको शर्मिन्दा करने के लिए पूछा कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है। अन्ना दुरई ने अपनी जेब से पांच रुपये का नोट निकाला और कहा कि तुममें से जिस किसी के बाप में यह ताकत थी कि पांच रुपये देकर एक कमजोर औरत की इज्जत लूट सके, वह मेरा बाप था। मेरा आंदोलन इसलिए है कि आईन्दा फिर कोई किसी गरीब महिला की इज्जत न लूट सके। हमारा आंदोलन और कुछ नहीं है। हमारा आंदोलन यही है ताकि फिर जन्म के आधार पर इस देश में विभेद न किया जा सके, ताकि फिर इस देश में धर्म के आधार पर किसी की जिन्दगी को तंग न किया जा सके, ताकि धर्म के आधार पर किसी की बाइबल को न जलाया जा सके, किसी के गिरिजाघर को न जलाया जा सके, ताकि किसी अली मियां के घर पर छापा न मारा जा सके। हमारा आंदोलन और कुछ नहीं है। चाहे कोई कितना शोर मचाए, आप जान ले सकते हैं, लेकिन आवाज को नहीं दबा सकते हैं, चाहे जो तरीके इस्तेमाल कर लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए। आप एक घंटे से अधिक समय कैसे ले सकते हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मुझे कुछ आंकड़े उद्धृत करने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं अन्य सभी सदस्यों को बोलने का मौका कैसे दूंगा ? श्री खां ने एक घंटे से अधिक समय ले लिया है।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सर, इसी को आप मेरा कंक्लूजन मान लीजिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : इसे पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कई अन्य सदस्य भी बोलने के इच्छुक हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : महोदय, नियमों के अनुसार अब भारतीय जनता दल की बारी होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री खां अब आप समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सर, मैं पांच मिनट में कंक्लूड कर दूंगा। मेरा आपके माध्यम से आग्रहपूर्वक अनुरोध है कि मैं और वक्त न लूं, इसलिए मुझे जल्दी से कंक्लूड करने दिया जाए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज सरकारी संस्थाओं में मुसलमानों के ताल्लुक से क्या पोजीशन है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो इस प्रकार हैं—पब्लिक सैक्टर्स में 82 पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स में पिछले साल के आंकडे उपलब्ध हैं, जिसके मुताबिक 449 डायरेक्टर्स में केवल 21 मुसलमान हैं, जो कि 4.2 प्रतिशत है। सीनियर ऑफिसर्स 13,900 में केवल 321 मुसलमान हैं, जो कि 2.32 प्रतिशत हैं। जूडीशियल ऑफिसर्स में सात प्रतिशत से कम हैं। रिजर्व बैंक में 19 मैम्बर्स हैं, जो कि हाइएस्ट बॉडी हैं। ...*(व्यवधान)* आपको यह सुनने में भी तकलीफ है। आप जो चाहते हैं वह इस देश में हो रहा है, आज मुसलमानों को बाहर रखा जा रहा है। यह भी सुनने में आपको तकलीफ हो रही है। रिजर्व बैंक सैंट्रल बोर्ड में 19 मैम्बर्स हैं, इनमें एक भी मुसलमान नहीं है, यानी कि जीरो प्रतिशत है। डायरेक्टर्स और सीनियर एक्जीक्यूटिव्ज कुल 60 हैं, इनमें केवल दो मुसलमान हैं। नेशनलाइज्ड बैंक्स में 2.5 प्रतिशत से कम हैं। एल. आई. सी. में पांच मैम्बर्स हैं, जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है। जो सीनियर मोस्ट बॉडी है। 18 सीनियर एक्जीक्यूटिव्ज हैं जिनमें एक भी मुसलमान नहीं है। इस टॉप एकेलॉन में जीरो प्रतिशत रिप्रजेन्टेशन है। प्राइवेट सैक्टर में एक्जीक्यूटिव लेवल पर दो प्रतिशत से कम हैं। सुपरवायजरी लेवल पर तीन प्रशित से कम है। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सिज में तीन प्रतिशत से कम हैं। बैंक्स में पावर्टी एलीविएशन प्रोग्राम हैं उसमें जिन लोगों ने कर्जा लिया है उनमें 9.41 प्रतिशत और जितना कर्जा लिया गया है वह कुल कर्जे का 3.73 प्रतिशत है, यानी कि जो कुल कर्जा दिया गया है। बैंकों से लेने वालों में 9.41 प्रतिशत हैं, लेकिन जो कर्ज का अमांउट है यदि वह सौ रुपये दिया गया है तो उसमें 3.73 प्रतिशत है। सैंट्रल मिनिस्ट्रीज में ग्रेड डी. में डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में 25 में जीरो है। डिपार्टमेंट ऑफ पावर में 69 में जीरो है। डिपार्टमेंट ऑफ कोल में 39 में जीरो है। वाटर रिसोर्सेज में 3106 में 153 हैं। एग्रीकल्चर में 283 में एक है। सरफेस ट्रांसपोर्ट में 227 में तीन हैं। कॉमर्स में 591 में 17 है। यह सब मैंने आपको इसलिए बताया है कि ताकि यह अंदाजा हो सके कि आज क्या हालत है। उस मामले में अगर कानून तोड़ा है तो मेरी कोई हमदर्द नहीं है। भजन लाल जी मेरा कहना यह था कि दो मापदंड से काम नहीं होना चाहिए। अगर एक एडीशनल डायरेक्टर को आप हवाई जहाज से भेजते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक दूसरे कमजोर वर्गों के इंसानों के खिलाफ जानवरों को मारने का मामला है, वहां पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। देश का संविधान सबको बराबर अधिकार देता है। हर किसी का ट्रीटमेंट बराबर हो। यह न हो कि सलमान खान किसी खास परिवार में पैदा हुआ, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और दलित के खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि वह किसी गरीब के घर पैदा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए अन्त में सिर्फ यह कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं :

"निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहां
चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले
जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले
नजर चुरा के चले जिसमों जां बचा के चले"

श्री भजनलाल (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि आरिफ साहब ने मेरा नाम लिया है इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुझे इजाजत दी जाए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। जैसा कहा गया कि झूठा फंसाया गया है और हेलीकाप्टर से आदमी को भेजा गया कि उनकी जमानत न हो पाए, तो मैं तो कहता हूं अच्छा किया जो हैलीकॉप्टर से आदमी को भेजा गया क्योंकि ऐसे जालिम की जमानत नहीं होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आरिफ भाई सदन को यह भी बता दें कि ये आंकड़े कब के हैं किस सरकार के समय के हैं यानी नेशनल फ्रंट सरकार के हैं या कांग्रेस सरकार के।

अपराह्न 4.27 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

सातवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 4.28 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा–जारी

देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली) : महोदय, यह कहने की जरूरत नहीं है कि अत्यन्त संवदेनशील मुद्दा है। जबकि भाषा की अभिव्यक्ति में संयम बरतना चाहिए विशेषकर सत्ता पक्ष की ओर से भड़काऊ और उत्तेजित आवरण इस गंभीरप मुद्दे पर विचार करने के प्रयोजन का कोई हल नहीं है। मुझे तो उम्मीद थी कि सत्ता पक्ष यह आत्मचिन्तन करेगा कि हाल में हो रहे सामुदायिक झगड़ों में तेजी क्यों हुई है ? यह हमारे लिए अशोभनीय है कि चिरकाल से रहने वाले नागरिकों में से एक समुदाय के लोग मैत्रीपूर्वक संबंधों के साथ रहने में असमर्थ हैं और समाज के भीतर झगड़े–लड़ाइयां और भेदभाव की घटनाएं जो मानव विनाश की ओर ले जाती हैं, अभी भी घटित हो रही हैं। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह तो एक घिसापिटा जुमला हो गया है कि इस देश में साम्प्रदायिक सद्भावना कायम रखे बगैर देश में एकता को बनाए रखा नहीं जा सकता। हमारा विविधतापूर्ण समाज धर्म, जाति, भाषा, खान–पान के तरीके, अत्यधिक गरीबी, निरक्षरता में विभाजित है इसलिए इस देश की एकता के लिए पारस्परिक सहिष्णुता मुख्य आधार है। समानतावादी व्यवस्था हासिल करने और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने तथा विविधता में एकता कायम रखने के लिए एकमात्र उपाय सर्वसम्मति का रवैया अपनाना है। संवैधानिक प्रावधानों की व्यवस्था न केवल इस नितान्त जटिल, बहुलवादी समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए की गयी है बल्कि ये प्रावधान भाषा अथवा घर्म पर आधारित अल्प संख्यकों के अधिकारों की सर्वोत्तम गारन्टी भी है।

यह दुखद स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी संगठनों पर विगत में अधिकतर उन राज्यों में साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप लगे हैं। जिन राज्यों में काग्रेस सरकार सत्ता में थी वे दावा कर रहे थे जहां कहीं उनकी सरकारें थी वहां साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए यह भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार रहा है लेकिन इस मामले में तथ्य यह है कि जब केन्द्र मे एक बार उनकी सरकार आ गई तो उनके राज्यों और उनके योद्धाओं द्वारा चलाए जा रहे राज्यों में उन्हें इसी नाम से पुकारुगां– अथवा उनके सहयोगियों द्वारा चलाए जा रहे राज्यों में साम्प्रदायिक गतिविधियों में तेजी हुई है। इस गतिविधि को यदि प्रोत्साहन दिया जाए तो देश का विघटन हो सकता है। यह यह गतिविधि है जिससे समाज में न केवल विघटन होता है बल्कि समाज में मेल मिलाप से रहना भी कठिन होता है। क्या मैं यह कहूं कि भा.ज.पा. और उनके सहयोगी दल केन्द्र में भा.ज.पा.की सरकार बनाते ही अपने वास्तविक रंग में आ गए है?

इतना कहने के बाद मैं इस सभा के जानकारी में साम्प्रदायिक दंगों के व्यापक आयाम को लाना चाहूंगा । यह स्पष्ट है कि जहां तक अल्पसंख्यकों का प्रश्न है कराधान कानूनों में किये गए प्रयासों द्वारा धर्मार्थ कार्य को विशेष प्रोत्साहन देने में कमी आई है । क्या यह सच नहीं है कि अल्पसंख्यकों के संबंध में विचार करने के लिए सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय खण्डपीठ का गठन करने में बिलम्ब करने अथवा उस पर बल न देने से अल्पसंख्यकों के रहन सहन में सुधार नहीं हो रहा है। सरकार स्वयं और सवोच्चतम न्यायालय में उनके वकील खण्डपीठ के गठन पर बल नहीं देते । जो खण्डपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी उसमें इसकी अधूरी सुनवाई ही हो पाई और मामला वहीं छोड़ दिया गया तथा उनके अधिकारों और उनकी संस्थाओं के अधिकार आज भी अधर में हैं। विचारों को अपने अनुसार फेरबदल कर पेश करने के लिए सरकारी मीडिया का दुरूपयोग और अल्पसंख्यकों को मीडिया से अपने विचार प्रस्तुत करने का समान अवसर प्रदान न करना हम सभी के लिए चिन्ता का विषय है। मैं जब

[श्री पी. शिव शंकर]

बोलता हूँ तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि सत्ता पक्ष उस मामले पर जिस का मैं उल्लेख कर रहा हूँ आत्म निरीक्षण करेगी।

पिछले आठ माह के दौरान अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम के मामलों में कोई कार्यवाही नहीं हुई हैं। वे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और विशेषकर साम्प्रदायिक दंगों के सन्दर्भों में और उसमें उठने वाली समस्याओं के सन्दर्भ में समय समय पर सरकार को दिये जा रहे निर्णयों की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। आयोग अपने निर्णय देता है और उसे सरकार के पास भेजता है लेकिन सरकार उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । हाल ही में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों और म्युनिसिपल निकायों द्वारा उनके कब्रिस्तान और स्कूलों के लिए नई भूमि की स्वीकृति देने और उनकी परिसम्पत्तियों पर विदेशियों के अतिक्रमण को हटाने में निरन्तर विलम्ब हुआ है । प्राधिकारियों की ओर से ढुलमुल रवैया अपनाया गया है।

मैं और भी आगे जाता हूँ और निवेदन करता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा और युवा कार्यक्रमों का किया जा रहा हिन्दुत्वीकरण, जिससे इस देश की शिक्षा प्रणाली पर कुठाराघात हो रहा है और इसकी विविधा और प्रजातान्त्रिक ढांचा क्षीण हो रहा है, व्यापक रूप से फैलता जा रहा है। मैंने सोचा कि मुझे इन आम बातों को सभा के ध्यान में लाना चाहिए क्योंकि ये मामले केवल हमारे लिए ही चिन्ता का विषय नही है बल्कि इन मामलों पर आत्मनिरीक्षण किये जाने की भी आवश्यकता है। ये वे मामले हैं जो लोगों की भावनाओं में घर कर जाते हैं। एक बार ये भावनाएं उमड़ पड़ती हैं तो यह स्पष्ट है । विभिन्न रूप साम्प्रदायिक दंगे भड़कने लगते हैं।

याद कीजिए जब उत्तर प्रदेश में कल्प योजना को लागू करते हुए क्या हुआ था जब वन्दे मातरम और सरस्वती वन्दना का गान अनिवार्य कर दिया गया था। श्री अब्दुल हसन नक्वी ने वक्तव्य जारी किया था। उनका वक्तव्य इस प्रकार था : "हमें मजबूर किया जाएगा कि हम मुस्लिम छात्रों से कहें कि वे इन स्कूलों से निकल जाएं।" जैसे ही यह वक्तव्य जारी किया गया– यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्वक है– उनके घर की तलाशी ली गई । आप इसको किस प्रकार स्पष्ट करेंगे ? यह अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व वाले महान पांडित्य वाले और अध्यात्मि महिमा वाले व्यक्ति हैं जिनका कहा गया शब्द ही कानून है क्योंकि वह इस्लामिक बोर्ड के चेयरमैन हैं। क्यश इनके घर की तलाशी ली जानी चाहिए थी ? हम सरकार की ओर से किसी वक्तव्य की उपेक्षा कर रहे थे। हमें एक बार यह बताया गया था कि गृह मंत्री यहां वक्तव्य देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में आप क्या संदेश दे रहे हैं ? नकवी साहब के संबंध में अपने मूल मुद्दे पर आते हुए उन्होंने एक वक्तव्य दिया था–कि मुस्लिम बच्चों को स्कूलों से हटा लेना चाहिए–हो सकता है कि हममें से कुछ सदस्य इस प्रकार के वक्तव्य से सहमत न हों–क्या यह तलाशी ऐसा वक्तव्य दिए जाने के कारण की गई? क्या हम प्रजातांत्रिक रूप से कार्य कर रहे हैं ? जो लोग सत्ता में होते हैं उन्हें अधिक संयत होकर काम करना पड़ता है। उन्हें भावना में बहकर कार्य नहीं करना होता है और सत्ता पक्ष का उत्तरदायित्व भी यही बनता है। प्राधिकारियों को तलाशी करने की जरूरत क्यों हुई और उसके बाद ऐसे मामले में अल्पसंख्यकों के घावों पर नमक छिड़कने का प्रयास क्यों किया गया ? क्या आप स्वयं को संयत नहीं कर सकते थे ? क्या कारण था? तलाशी क्यों ली गई ? किसी को इस घटना का पता नहीं है। क्या यह दर्दभरा मामला नहीं है ? आप कल्पना कीजिए यदि यह शंकराचार्य के निवास स्थान पर घटित होता तो क्या बृहत् समुदाय के लोग व्यथित नहीं होते ? ये संवेदनात्मक मामले हैं। सरकार ने ऐसा करने की अनुमति क्यों दी इसके विरूद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? यदि मान लीजिए किसी प्राधिकारी ने गैर जिम्मेदाराना कार्य किया तो क्या राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार को उस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी जिसने ऐसा गैर जिम्मेदाराना कार्य किया था? आप अनावश्यक रूप से मामले को सुलगा रहे हैं और इसी बात पर मैं आपत्ति कर रहा हूं। हम बहुवादी समाज में रहते हैं। हमें सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और माननीय गृह मंत्री जी इससे भली भांति परिचित हैं। यह अवधारणा कि समाज की खुशियां मापने के प्रयोजन के लिए आपको अनिवार्य रूप से यह देखना होगा कि भाषा पर आधारित अथवा धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक कितने खुश हैं। हम किस प्रकार कार्य कर रहे हैं ?

इसके साथ भा.ज.पा. जब वे यहां थे – मैं समझता हूं वे आज भी उसी अवधारणा पर अड़े हैं। वे हमेशा सद्भावना के लिए कहते रहे हैं। जब मैं विधि मंत्री था, मुझे भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि हम सही कार्यवाही करते थे तो वे न्यायाधीशों के स्थानांतरण की नीति के प्रश्न पर हम में गलतियां ढूंढने का प्रयास करते थे मुझे अभी भी याद है 1980 में जब पहली बार श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने मद्रास के एक हरिजन को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया तो जो कुछ यहां 1980 में कहा गया था। वह यहां रिकार्ड में दर्ज है और मुझे विधि मंत्री के रूप में मुझे बचाव का रवैया अपनाना पड़ा था। अब मुझे विश्वास है कि वे अपनी बात पर कायम रहेंगे।

यदि ऐसा है तो मुम्बई उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश श्रीकृष्ण ने रिपोर्ट दी और आपके सहयोगी, मैं तीखे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा किंतु उनके नेता, मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि उच्चतम न्यायालय भी मुझे निर्देश देता है तो मैं उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने वाला । क्या यह एक ऐसा मामला नहीं जहां पर राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है ? अकारण और मैं यूं कहूं केवल समस्या पैदा करने के लिए आपने केंन्द्र सरकार के अधिकारियों को तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार भेजा और गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जहां पर दंगे हो रहे हैं सांप्रदायिक उन्माद व्याप्त है आपने एक भी अधिकारी नहीं भेजा। आप चुप रहे, क्या चुप रहकर आप इसे भूल–चूक से नहीं उकसा रहे हैं ? जब आप चुप रहते हैं तो संदेश कुछ और ही होता है। एक मुख्यमंत्री ने यह कहने की गुस्ताखी की कि वह रिपोर्ट देने वाले सेवारत न्यायाधीश की परवाह नहीं करते हैं,

वह कहता है कि वह शिव सेना प्रमुख के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगा। आपने कुछ भी इसलिए नहीं कहा क्योंकि आप भी सरकार में उनके सहयोगी हैं। आप अल्पसंख्यकों में क्या संदेश दे रहे हैं। समाज के अन्य कमजोर वर्गों को आप क्या संदेश दे रहे हैं ? ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो भी श्री पी. शिव शंकर उद्धृत कर रहे हैं वह शब्दशः हो तो कुछ भी गलत नहीं है। किंतु उन्हें उस समय की बातों के साथ अपने इरादे को नहीं जोड़ना चाहिए। उन्हें अपने वक्तव्य को सही करना चाहिए।

श्री पी. शिव शंकर : मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उस समय क्या इरादा था और आज क्या इरादा है ....*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : आपने कुछ शब्द उद्धृत किए हैं, वह बिल्कुल गलत वक्तव्य है। हमें श्री शिव शंकर जैसे व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं है।

श्री पी. शिव शंकर : मैं वहीं कही रहा हूं जो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छपा है।

श्री मधुकर सरपोतदार : आखिर वे जब भी यहां पर कोई वक्तव्य देते हैं तो प्रामाणिक होना चाहिए। अन्यथा उन्हें उसे प्रमाणित करना होगा।

श्री पी. शिव शंकर : मैं समाचार पत्रों के आधार पर कह रहा हूं।

श्री मधुकर सरपोतदार : यह बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में कही गई थी।

श्री पी. शिव शंकर : मैं यहां अहं या प्रतिष्ठा के कारण खड़ा नहीं हूं। यदि जो मैं कह रहा हूं वह गलत है और यदि मेरे मित्र सप्रमाण यह स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सकते हैं कि यह सही नहीं है तो मुझे क्षमा मांगने में कोई हिचक नहीं होगी। यह हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है और वही मैं कह रहा हूं।

गृहमंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : श्री शिवशंकर, मुझे पता है कि महाराष्ट्र सरकार ने श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है किंतु मुझे यह जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री ने ऐसा वक्तव्य दिया है। मुझे खुशी है कि उनकी पार्टी के सहयोगी ने इसका खंडन किया है।

श्री पी. शिव शंकर : श्री आडवाणी मैं उस बात को दोहराता हूं जो मैने कही है और मैं इसका समर्थन राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छपी खबरों से कर सकता हूं। मैं इसे आपके पास भेज सकता हूं। आप कृपया इस पर गौर करें ...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा है इसीलिए मैं यह कह रहा हूं। क्या कानून के प्रति यही आदर है ? मैं यही कह रहा हूं। मैं इसे आपके ध्यान में लाने के लिए तैयार हूं।

किंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब यह बात समाचार पत्रों में छपी तो मेरे मित्र सहित किसी ने भी नहीं कहा कि यह नहीं कहा गया था। बाद में किसी भी समाचार पत्र में इसका खंडन नहीं किया गया। इसीलिए मैं अपनी बात पर दृढ़ हूं।

श्री मधुकर सरपोतदार : जो समाचार पत्रों में छपा है उसे प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। वह आपने नहीं ली। केवल समाचार पत्र ही ऐसा माध्यम नहीं हैं जिस पर आप भरोसा करें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भजनलाल (करनाल) : आप अपने जवाब में डिनाई कर देना।

श्री मधुकर सरपोतदार : जरूर कर दूंगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री दत्ता मेघे : मुख्यमंत्री ने इसका खंडन नहीं किया है।

श्री पी. शिव शंकर : यदि उन्हें खंडन करना होता तो वे ऐसा कभी नहीं कहते।

अध्यक्ष महोदय : न केवल श्री शिव शंकर अपितु सभी माननीय सदस्य सभा में समाचार पत्रों से उद्धृत कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : वे ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं जो सभा में उपस्थित नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। नियमानुसार भी उनसे ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है ... *(व्यवधान)* बेहतर होता यदि वे महाराष्ट्र जाते किंतु उन्हें अपनी बात पर बल देना है।

श्री पी. शिव शंकर : मेरे विचार से यह कानून के प्रति आदर के अभाव को दर्शाता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डॉ. शकील अहमद यह क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। डॉ. शकील अहमद यह क्या है ? आप बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

श्री मधुकर सरपोतदार : जब श्रीमती सोनिया गांधी के नाम का उल्लेख किया गया तो वे चिल्लाने लगे।

अध्यक्ष महोदय : डॉ. शकील अहमद यह क्या है ?

(व्यवधान)

श्री पी. शिव शंकर : यदि श्री सरपोतदार के पास लक्ष्य हो तो उन्हें मेरी बात का प्रत्युत्तर देने और खंडन करने का पूरा अधिकार है।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नही किया गया।

[श्री पी. शिव शंकर]

मैं उन्हें कहने का मौका देने के अधिकार के लिए लडूंगा किंतु उन्हें भी मुझे वह कहने देना चाहिए जो मैं कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं आपके बोलने में व्यवधान पैदा नहीं करूंगा। वह मेरी आदत नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : कृपया आप अपना वक्तव्य दें।

श्री मधुकर सरपोतदार : यदि जिस व्यक्ति के बारे में आप कहना चाहते हैं वह सभा में उपस्थित है तो आप वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री पी. शिव शंकर : यदि वे इस तरह से सरकार चलाना चाहते हैं तो यह निंदनीय है।

श्री मधुकर सरपोतदार : आपने सभा में गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : क्या सत्ता पक्ष को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए ? यह क्या है ?

महोदय, हमारे देश में कुछ प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं जिनके बारे में हमें वास्तव में गर्व है, उनमें से एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय एक कठिन दौर से गुजर रहा है। इस मुद्दे को इस सभा में भी उठाया गया किंतु लगता है सरकार इस सारे मुद्दे के बारे में संवेदनाहीन है। जिस क्षण केन्द्र में भा.ज.पा. सरकार आई उप–कुलपति नं रंग बदल दिया। मानव संसाधन विकास मंत्री का वक्तव्य क्या कहता है ? जब यह सभा इतनी आंदोलित है, जब सभा चाहती है कि इस मुद्दे को सौहार्दपूर्वक हल किया जाय और इसके लिए सरकार कदम उठाये तो मानव संसाधन मंत्री वक्तव्य में कहते हैं, 'मैंने उपकुलपति को सलाह दी है।' बस यही कहते हैं। पहले भी समस्याएं थी। मैं भी मानव संसाधन विकास मंत्री था। मैं उस विश्वविद्यालय में गया था। मैंने उनके साथ बैठक की और कठिनाइयों को दूर किया। क्या संबंधित मंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए था ? आप क्या संदेश दे रहे हैं ? आप यह संदेश दे रहे हैं कि आप अल्पसंख्यकों की संस्थाओं की उपेक्षा कर रहे हैं। क्या यह उचित दृष्टिकोण है ? क्या यह आम सहमति का दृष्टिकोण है ? जब आप अल्पसंख्यकों से संबंधित समस्या चाहे वह भाषाई हो या अन्यथा, को हल करना चाहते हैं तो आपको चिंता जतानी चाहिए और आम सहमति बनानी चाहिए अन्यथा आप हर मोर्चे पर विफल रहेंगे। पहले हमने एक कांग्रेस शासित राज्य में ऐसी स्थिति देखी थी जहां पर कुछ लोग एक भाषा थोपना चाहते थे किंतु हम उस राज्य में विगत 30 वर्षों से सत्ता में नहीं आ सके हैं। क्या हम इतिहास को भूल गए हैं? क्या हम यह महसूस नहीं कर रहे हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। एक छोटी सी चिंगारी समस्या पैदा कर देती है। यहां तक कि लापरवाही भी समस्या उत्पन्न कर देती है। मेरे पास मानव संसाधन विकास मंत्री का वक्तव्य है। वे कहते हैं, "विश्व–विद्यालय को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है।" क्या इससे समस्या हल हो जाएगी ? क्या आप इस तरह से समस्या को हल करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : महोदय, अगर होम मिनिस्टर इंटरफियर नहीं करेंगे तो आज एक लड़का मर जाएगा। नौ दिन से तीन लड़के आमरण–अनशन पर बैठे हैं, उनकी हालत खराब है। कल हम लोग गए थे। आज एक लड़के की हालत चिन्ताजनक है इसलिए आप डायरेक्शन दीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी. शिव शंकर : महोदय, मैं एक और पहलू की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसका व्यापक प्रभाव है। हमें उर्दू भाषा पर गर्व है, इस देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा का प्रादुर्भाव, विकास व प्रसार हुआ। यह हमारी भाषा है। यह पाकिस्तानियों की भाषा नहीं है। पंजाबियों की मातृभाषा पंजाबी हो सकती है, सिंधियों की भाषा सिंधी हो सकती है। किंतु यह भाषा इस देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जन्मी है । मेरी समझ में नहीं आता कि अनेक लोग इस भाषा को धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। हम हर समय अंग्रेजी बोलते हैं। क्या हम ईसाई हैं ? मैं नहीं जानता कि केवल उर्दू के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है। मैं सरकार की उन मांगों पर गौर करने का प्रयास कर रहा हूं जिन्हें बजट में प्रस्तुत किया गया है। 80 लाख रुपये की छोटी राशि का प्रावधान किया गया है। उर्दू भाषा का प्रसार सारे देश विशेष रूप से उत्तर भारत में सर्वत्र है। किंतु जहां तक उर्दू के प्रसार का संबंध है ऐसा कोई राज्य नहीं है जो तेलुगू या तमिल, कन्नड़ और अन्य भाषाओं की तरह उर्दू का ध्यान रखे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांग में कहा गया है, उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति और उर्दू शिक्षण के प्रोत्साहन के लिए बस यही कहा गया है, उससे वे कैसे संतुष्ट होंगे ? इससे लोग कैसे संतुष्ट होंगे ? उस संबंध में उस समुदाय या अल्पसंख्यकों की प्रतिक्रिया क्या है ?

महोदय, हाल ही में गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है। कर्नाटक में बाबा बुदनागिरी की मजार है, उस मजार को मुक्त करने की क्या आवश्यकता थी ? सदियों से हिन्दू और मुसलमान इस मजार पर प्रार्थना करने जा रहे हैं। यह प्रसंगातीत नहीं होगा यदि मैं गृह मंत्री के ध्यान में इस बात को लाऊं कि मेरे जन्म स्थान मेरे गांव के निकट बाबा शफुद्दीन की मजार है। मेरे पूर्वज काफी समय तक मुतावल्ली थे और उस मजार पर हम लोगों का ही नियंत्रण था। उस मजार पर हिन्दू व मुसलमान दोनों जाते थे। वहां पर नारियल तोड़ने के सिवाय कोई बलि नहीं दी जाती थी, यह प्रथा आज भी जारी है। ये सूफी हैं। सूफीवाद भारतीय संस्कृति का एक विशेष घटनाक्रम है। बाबा गुरुनानक, कबीर और हजरत निजामुद्दीन जैसे व्यक्तियों ने सूफीवाद का विकास किया। ये सभी व्यक्ति महान सूफी सन्त थे।

विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल उनके सहयोगी संगठन हैं।

जब मैंने उन्हें उनका सहयोगी संगठन कहा तो हाल ही में कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति की। वे कहते हैं कि ये उनके अग्रणी संगठन हैं। वे उन्हें अग्रणी संगठन कहें या जो वे चाहें कहें किंतु वे उनके सहयोगी हैं। मैं कह रहा हूं कि जब हिन्दू और मुसलमान दोनों वहां प्रार्थना करने जाते हैं तो उन्हें वहां जाने और उस मजार को मुक्त करने की क्या आवश्यकता है, फिर उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया है।

महोदय, अभी तक हम अयोध्या को नहीं भूले हैं। अयोध्या के संबंध में वहां पर मंदिर निर्माण के उद्देश्य से चल रही तैयारियों के बारे में यहां पिछले सत्र में भी उल्लेख किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के 1998 के चुनाव घोषणा पत्र में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भा.ज.पा. अयोध्या में राम जन्मस्थल पर एक भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण करवाने के बारे में वचनबद्ध है जहां पर पहले ही अस्थायी मंदिर विद्यमान है। इस प्रकार के चुनाव घोषणा पत्र से वे क्या संदेश दे रहे हैं ? ...*(व्यवधान)* ठीक है उन्होंने वचन दिया है किंतु क्या वे यह देश के विखंडन की कीमत पर उस वचन को पूरा करना चाहते हैं ? क्या वे इस देश में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं?

महोदय, क्या हुआ जब कुमारी ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि वे 6 दिसम्बर को काला दिवस के रूप में मनाने जा रही हैं ? विश्व हिन्दू परिषद ने 6 दिसम्बर को काले दिवस के रूप में मनाने की घोषणा के प्रत्युत्तर में काशी विश्वनाथ ज्ञानवादी मंदिर को मुक्त करने के लिए एक 21 सदस्यीय ज्ञानवादी धर्मस्थल न्यास का गठन किया । क्या उनके सहयोगी संगठनों की ओर से यह दृष्टिकोण उचित है ? मैं खामी इस बात में पाता हूं कि यदि वे स्वयं को उन संगठनों से अलग रखना चाहते हैं । तो वे खुलकर सामने आएं। किंतु उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है। इसके विपरीत उन्होंने यह छाप छोड़ी कि वे उनके साथ हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

वे आपके सहयोगी हैं और आप उन्हें ऐसे अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं जिसमें वे संलिप्त हैं । यह स्थिति की विडम्बना है। ताजा स्थिति यह है कि शिव सेना ने कहा है कि वे पाकिस्तानी क्रिकेटरों को इस देश में कहीं भी खेलने नहीं देंगे। हो सकता है इस मुददे पर मेरे मित्र श्री सरपोतदार उत्तेजित हों। हालांकि प्रधानमंत्री ने मधुर वक्तव्य दिया है किंतु उसके बाद क्या किया गया ? क्या वे उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं ? क्या आप इस तरह के कार्य से धार्मिक उन्माद पैदा नहीं कर रहे हैं ? जब ईसाई समुदाय के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध ईसाई संगठनों ने 4 दिसम्बर को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया तो इस सभा में कहा गया था कि गुजरात सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि उस दिन अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यालय बंद रहे तो उन्हें अनुदान जारी नहीं किया जाएगा। उस पक्ष के अनेक सहयोगियों ने इसका प्रत्युत्तर यह कह कर दिया कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था। किंतु उसी दिन मेरे पास समाचार पत्र की कतरन है, भाजपा के उपाध्यक्ष जो संयोग से संसद सदस्य भी हैं, ने कहा, "हां, यदि ये लोग विद्यालय बंद कर देते हैं तो और क्या किया जा सकता है ? गुजरात सरकार राशि जारी करने पर रोक लगाकर ठीक कर रही है।" यहां सभा में भाजपा के सदस्यों ने कहा कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है किन्तु पार्टी के उपाध्यक्ष कुछ और ही कहते हैं। क्या आप इस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों में आत्मविश्वास पैदा करना चाहते हैं और समाज को चलाना चाहते हैं? विश्व हिन्दू परिषद ने यहां तक कहा है कि वे 6 दिसम्बर को दीवाली के रूप में मनाएंगे ? हम इस तरह की क्या बेहूदी बातें कर रहे हैं ? क्या हम विश्व को यह संदेश दे रहे हैं कि हमारा एक परिपक्व या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम समाज के विभिन्न वर्गों को समायोजित कर रहे हैं ? आप समाज के दूसरे वर्गों की भावनाओं को भड़काने और साम्प्रदायिक समस्या पैदा करने के लिए उस दिन को दीवाली के रूप में मनाना चाहते हैं।

महोदय, मैंने गुजरात के कुछ क्षेत्रों का दौरा किया है। अल्संख्यकों पर हुए अत्याचारों की खबर मिलते ही सतारूढ दलों को वहां के लोगों को शांत करने तथा उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए उन क्षेत्रों में अपने–अपने प्रतिनिधि मंडल भेज देने चाहिए थे। मैं इस संबंध में थोड़ी–बहुत जानकारी मिलते ही गुजरात गया था। मेरे दल ने मेरे नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था। मैं स्वयं उस स्थान पर गया था; मेरा ख्याल है वह जगह कपडवंज थी। ...*(व्यवधान)*, फिर भी अगर मुझे उस जगह का नाम ठीक से याद न हो तो आप नाम को लेकर मुझ में गलती न ढूंढें। मैं वहां गया था और मैंने वह स्थान देखा था जहां उस ईसाई को दफनाया गया था। हुआ यह था कि उस कब्र को खुदवा दिया गया था, शव को बाहर निकाल दिया गया था और कुछ दूरी पर फैंक दिया गया था। बाद में इसे चर्च ले जाया गया था जो उस स्थान से एक किलोमीटर दूर था वहां उस शव को रखा गया था।

जैसे–तैसे वहां पर एक मंदिर बना दिया गया है। क्या यह हमारे लिए ठीक है ? प्राधिकारी इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। जब मैं वहां पूछताछ के लिए गया था और जब मैं लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा था तो लोग सच बताने से कतरा रहे थे। लोग हमें यह बताने को तैयार नहीं थे कि क्या हुआ था। अंत में, कुछ लोगों ने मेरे पास आकर कहा कि वे बहुसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं; वे अल्पसंख्यक समुदायों के नहीं हैं। उन्होंने मुझे बहुत सी दिल दहला देने वाली कहानियां सुनाईं। केन्द्र सरकार क्या कर रही है ? राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

गृह मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि शव उस चर्च में अगले दिन अपराह्न 3.00 बजे तक पड़ा रहा। वहां से चार किलोमीटर दूर रह रहे हरिजनों ने उस शव को दफन करने की जिम्मेदारी ली और उन्होंने उसे कब्रिस्तान में दफन किया। इसका कारण यह था कि उस शव को दफनाने के लिए कोई स्थान नहीं था। हरिजन ही उस शव को दफनाने के लिए आगे आए थे। मैंने जाकर उन सभी स्थानों को देखा है। अगर ऐसी घटनाएं होंगी; अगर राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है और केन्द्र सरकार कुछ करने

[श्री पी. शिव शंकर]

में असमर्थ है तो हम समाज के विभिन्न वर्गों को क्या संदेश दे रहे हैं ? क्या हम यह सोच सकते हैं कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या अल्पसंख्यक शांति से रह सकेंगे ?

महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी को एक और घटना बताना चाहूंगा कि रणधीरपुर गांव के सभी 59 मुस्लिम परिवारों ने वह स्थान खाली कर दिया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उन्हें धमकी मिली थी कि वे वहां नहीं रह सकते। ऐसा दो युवाओं में प्रेम प्रसंग को लेकर हुआ था जिससे कुछ लोग भावुक हो गए थे तथा इसका परिणाम यह हुआ कि पूरा रणधीरपुर गांव मुसलमान अल्पसंख्यकों का दुश्मन बन गया और उन्होंने वह स्थान ही खाली कर दिया। हम किसलिए हैं? मैं केवल कुछेक घटनाओं को उद्धृत कर रहा हूं जिनसे पता चलता है क्या–क्या हो रहा है।

महोदय, जब ईसाई अल्पसंख्यकों का प्रश्न उठता है तो यह पता चलता है कि जिन राज्यों में भा.ज.पा. या इनके सहयोगी दलों का शासन है वहां उन्हें हिंसा का डर बना रहता है जो शुरू हो चुकी है। हिंसा काफी बड़े क्षेत्र में फैल चुकी है इसलिए इसे रोका जाना चाहिए। अगर हम इसे नियंत्रित नहीं करते तो इसके निश्चित ही काफी बुरे परिणाम निकलेंगे। राजनैतिक तत्त्वों की मिली भगत और सत्तारूढ़ राजनैतिक दलों का हाथ होने से उस अल्पसंख्यक समुदाय को अपने सांवैधानिक अधिकारों के अनुसार काम करने में कठिनाई आ रही है। राज्य मशीनरी विशेषकर पुलिस की जटिलता के कारण मामलों को पंजीकृत तक नहीं किया जा रहा है और केन्द्र सरकार जिस तरह से इस ओर ध्यान दे रही है वह और भी निन्दनीय है।

अपराह्न 5.08 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए)*

महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि ईसाई समुदाय के मानव अधिकार विंग ने एक दस्तावेज तैयार किया है जिसमें विस्तार से आंकड़े दिए गये हैं और मैं इस सभा को इससे अवगत करवाना चाहूंगा। जहां तक ईसाइयों का संबंध है। 1964 से 1996 तक अल्पसंख्यकों से भेदभाव के केवल 33 मामले ही थे। 1964 से 1996 तक ईसाई समुदाय पर किए गए अपराध की कुल संख्या केवल 33 है। मेरे पास ब्यौरे हैं और गृह मंत्री जी मैं उन्हें आपको बताने को तैयार हूं जिससे आप इसकी जांच कर सकें। 1997 में 14 घटनाएं हुईं।

उनका प्रतिनिधि मंडल मुझसे और विपक्ष के नेता से मुलाकात की थी। उन्होंने यह दस्तावेज प्रधानमंत्री जी को भी दिया था। मुझे बताया गया है कि उन्होंने यह दस्तावेज माननीय अध्यक्ष महोदय को भी दिया था। उन्होंने 1990 में हुई 64 घटनाओं की सूची बताई थी जो उन 20 घटनाओं के अतिरिक्त थी जिन्हें उन्होंने अभी सूची में शामिल नहीं किया था अर्थात् 1998 के आठ महीनों में कुल 84 घटनाएं हुई थीं। अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि 1964 से 1996 तक इतने अधिक समय में केवल 33 घटनाएं हुई थीं। इस वर्ष भाजपा के सत्ता में आने के बाद पिछले 50 वर्षों की तुलना में बहुत अधिक घटनाएं घटी हैं। यह सच्चाई श्रीमती मेनका गांधी ने अपने वक्तव्य में बताई थी। इसी सभा में जुलाई 1998 में उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया था कि 50 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं परन्तु उस अवधि के दौरान उतनी घटनाएं नहीं हुई जितनी अब हुई हैं। यह इस सरकार के किसी मंत्री की स्वयं की स्वीकृति मानना है। अगर यही हाल रहा तो क्या स्थिति होगी ?

मेरे पास घटनाओं का ब्यौरा है जिनमें से मैं कुछ का केवल संदर्भ दूंगा। उनके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। सरकार बनने के बाद से ईसाई समुदाय तथा मुस्लिम समुदाय पर होने वाले हमले बढ़ रहे हैं। ये हमले गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हुए हैं। यहां भी संघ परिवार ही समस्या खड़ी कर रहा है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक दो राज्यों में ही अपराधियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं, जांच की गई है और आरोप पत्र तैयार किए गए हैं। अन्य राज्यों में जहां भाजपा की सरकार सत्ता में है कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गहलौत (शाजापुर) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में ननों के साथ बलात्कार की घटना में जिसका हाथ था उसी को इलेक्शन में उम्मीदवार बना दिया। ....*(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : इस तरह का स्टेटमैंट नहीं चलेगा, ये बतायें कि कौन से केस में रजिस्टर्ड किया था ....*(व्यवधान)* ये बतायें तो सही।

सभापति महोदय : आप बैठिय।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : आप गलत जानकारी न दें ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये, जब आपको मौका मिलेगा तक बोलियेगा, अभी क्यों बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. शिव शंकर : महोदय, क्या मैं संसदीय कार्य मंत्री से अपील कर सकता हूं कि वे अपने सदस्यों को रोकें जिससे वे व्यवधान उत्पन्न न करें अथवा बिना कारण भावुक न हों जबकि भावुक होने की आवश्यकता नहीं है ? ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : हम सबको सिखाकर बैठाया है, इसलिए बीच में बोल रहे हैं। ....*(व्यवधान)*

प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े (चिमूर) : क्या ये संघ परिवार के बच्चे हैं, जब भी संघ परिवार का नाम आता है, ये चिल्लाने लगते हैं। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. शिव शंकर : महोदय, 8 जुलाई को विश्व हिन्दू परिषद के सचिव श्री अरविन्द भट्टाचार्य ने **एशियन एज** अखबार वालों को गुवाहाटी में बताया कि इस वर्ष के अंत में पूर्वोत्तर राज्यों के ईसाई–बहुल राज्यों में व्यापक पैमाने पर धर्म परिवर्तन का काम किया जाएगा और वे सभी पूर्वोत्तर राज्यों में हिन्दू मिशनरियों को नियुक्त कर रहे हैं ताकि ईसाइयों को हिन्दू बनाया जा सके। ....*(व्यवधान)*

श्री सी. पी. राधाकृष्णन : (कोयम्बटूर) : यह 'परिवर्तन' नहीं, 'पुनः परिवर्तन' है। ....*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : आपको इस बात का गर्व है। मुझे इससे शर्म आती है। आपको इसका गर्व है और राष्ट्र इससे शर्मिन्दा है। ...*(व्यवधान)* आप बलप्रयोग करके यह काम करवाना चाहते हैं। आपको उसके लिए शर्म आनी चाहिए। ....*(व्यवधान)*

श्री सी. पी. राधाकृष्णन : जी, नहीं। ....*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : महोदय, संसद के पूर्व भाजपा सदस्य और वर्तमान में विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय सचिव श्री बी. एल. शर्मा ने अल्पसंख्यकों पर इन सभी अत्याचारों की पुष्टि करते हुए कहा है कि 'ये हमले राष्ट्रविरोधी ताकतों के विरुद्ध देश भक्त हिन्दू युवाओं के गुस्से का परिणाम हैं।' बातें सभी समाचार पत्रों में इस प्रकार दी गई हैं।

इसी तरह से श्री एस. के. जैन, जो कि बजरंग दल के सचिव हैं, ने 4 सितम्बर, 1998 को कहा था कि बजरंग दल ने ईसाइयों के विरुद्ध दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए ईसाई मिशनरियों की पहचान करना आरंभ कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि 'ईसाई मिशनरियां राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कार्य कर रही हैं' और वह उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर देगी। 'उनको भारत में रहने का कोई नौतिक अधिकार नहीं है'। महोदय, इस तरह की बातें की जा रही हैं । मैं नहीं जानता कि गृह मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है। राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। हाल ही में गुजरात के भरूच शहर में हुए उप–चुनाव में जो कुछ हुआ, उससे भी बुरा हुआ है। मेरे पास श्री विधाल देसाई द्वारा बांटे गए पर्चों की एक फोटोस्टेट प्रति है और उसको विश्व हिन्दू परिषद्, कल्याणम् नम्बरम् काम्पलेक्स द्वारा छापा गया है। पर्चे को (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) भागों में बांटा गया है। मैं यहां से पढ़ रहा हूं। एक प्रश्न पूछा गया है :

"आज की कांग्रेस क्या है ?"

उत्तर में कहा गया है :

"आज की कांग्रेस मुस्लिम और इसाई कांग्रेस है।"

अब प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है :

"आप कांग्रेस को मुस्लिम धर्म का क्यों कहते हैं ?"

उत्तर में कहा गया है :

"(क) क्योंकि वह सरस्वती वंदना का विरोध करते हैं,

(ख) क्योंकि वह संस्कृत भाषा का विरोध करते हैं;

(ग) क्योंकि वह राम जन्म भूमि का विरोध करते हैं ....."

किस तरह से तथ्यों को तोड़ा–मरोड़ा गया है !

सभापति महोदय : श्री शिव शंकर जी, कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री पी. शिव शंकर : महोदय, मैं 5–10 मिनट और लूंगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : आपने पहले ही 45 मिनट ले लिये हैं।

श्री पी. शिव शंकर : मैं पांच से दस मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

इसके बाद, प्रश्न 3, 4 और 5 है जो कि श्रीमती सोनिया गांधी से संबंध रखते हैं और मुझे इस बात पर शर्म महसूस हो रही है। मैं उन्हें पढ़ना भी नहीं चाहूंगा। उनकी यह संस्कृति है।

पर्चे में, प्रश्न संख्या 6 के भाग (क) में कहा गया है कि कांग्रेस ईसाइयों के संरक्षण के लिए खुले तौर पर प्रचार कर रही है। भाग (ख) में कहा गया है कि 'आज कांग्रेस हिन्दुओं की नहीं रही'। महोदय, श्री इकबाल काकू जी कांग्रेस के उम्मीदवार थे जो कि भरूच निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के उपचुनावों की मांग कर रहे थे।

इसमें कहा गया है : 'इकबाल काकूजी इस्लामी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस को वोट देने का अर्थ है 'बाबर भक्त' और **देश द्रोही** को वोट देना, कांग्रेस को वोट देने का अर्थ है उन लोगों को वोट देना जिनके साथ हिन्दू लड़कियां भाग जाती हैं।' इस तरह का प्रचार किया जा रहा है। मैंने यह श्री विधाल देसाई द्वारा प्रकाशित पर्चे में से पढ़ा है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन भरतकुमार ठक्कर (बडोदरा) : यह प्रपोगंडा इनकी ओर से किया गया है। इस तरह की भी पत्रिकाएं छपवाई गई थीं जिसमें कहा गया है कि हिन्दू व्याहता महिलाओं को ले आयो, तो तुम्हें एक लाख रुपये मिलेंगे। ....*(व्यवधान)* ऐसी पत्रिकाएं भी हमारे पास हैं। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री पी. शिव शंकर : इसका व्यापक प्रचार किया गया था। ...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री महोदय, मैं यह आपके पास भेजने के लिए तैयार हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन भरतकुमार ठक्कर : आप उन पत्रिकाओं को भी पढ़ें ....*(व्यवधान)* वे भी आपके पास होंगी। ....*(व्यवधान)* हिन्दू लड़कियों को ले आने के लिए 50 हजार, एक लाख रुपये इनाम, इसे भी आप पढ़ें। ....*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि आप बरसों से राजनीति में हैं। चुनाव में किस-किस तरह की पत्रिकाएं बाहर निकलती हैं, उसके नमूने मेरे पास हैं। ....*(व्यवधान)* वे सब मैं आपको दे दूंगा। ....*(व्यवधान)* आप बहुत बड़े नेता हैं और मैं आपका बड़ा आदर करता हूं। चुनाव में जिस ढंग से प्रचार किया जाता है, वे पत्रिकाएं हमारे पास हैं ....*(व्यवधान)* ऐसी जो भी पत्रिकाएं निकाली गई हैं ....*(व्यवधान)* उन पत्रिकाओं की कापी मैं आपको दे दूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, वह आपके दबाव में नहीं आ रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री पी. शिव शंकर : क्या यह हमारी प्रशंसा है। ....*(व्यवधान)* मैं आपको बता सकता हूं कि इन्हें क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित किया गया था और जैसा कि मैंने कहा मैं इसे माननीय मंत्री महोदय को उपलब्ध कराने को तैयार हूं ताकि वह इस पर विचार कर सकें।

इस तरह से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इसलिए, हमने इस बात पर जोर दिया था कि इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए। हमें यह डर था कि यदि हम इस विषय पर चर्चा नहीं करते, यदि हम परस्पर बातचीत नहीं करते तो समाज में विघटन की संभावना थी। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। इसलिए प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय चिन्तित है और इसी वजह से हमने अपनी चिन्ता व्यक्त करनी चाही है। विशेषतः इसी कारण हम इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं।

मेरे पास अनेक उदाहरण हैं मैं चाहूंगा कि उन्हें माननीय मंत्री महोदय पढ़ें क्योंकि मैं उन्हें पढ़कर सुनाना नहीं चाहूंगा ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे यह पता चलता है कि क्या हो रहा है और किस तरह से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उनका जीवन बहुत दयनीय बन गया है। मेरे पास वह उदाहरण है लेकिन उनको पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया उन पर विचार करें। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री पी. शिव शंकर : मैं जानता हूं, माननीय सभापति महोदय चाहते हैं कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं।

यह मामला केवल मुस्लिमों अथवा ईसाइयों का नहीं है। यह समान रूप से सिक्खों का मामला भी है जिनके बारे में श्री आरिफ मोहम्मद खां ने बताया है। उनके प्रबंधक समिति के चैयरमैन श्री जी. एस. तोहड़ा पर राष्ट्र-विरोधी होने का आरोप लगाया गया है। यह स्थिति है। दुर्भाग्यवश, वह अभी भी आपके साथ हैं। यह उनकी इच्छा है। ...*(व्यवधान)*

श्री सी. पी. राधाकृष्णन : इतिहास इस बात का साक्षी है कि आपने दिल्ली में सिक्खों के साथ कैसा व्यवहार किया था। इतिहास इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा।

श्री पी. शिव शंकर : प्रश्न यह नहीं है। आज प्रश्न यह है कि आप क्या कर रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि विगत में क्या हुआ था। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री पी. शिव शंकर : महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री पी. शिव शंकर : इससे उनकी असहिष्णुता का पता चलता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री पी. शिव शंकर : इससे उनकी असहिष्णुता का पता चलता है। जब मैं यहां बैठता हूं, तो मैं कभी किसी के बोलते समय व्यवधान उत्पन्न नहीं करता हूं।

सभापति महोदय : जो कुछ भी श्री शिव शंकर जी कह रहे हैं उसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री पी. शिव शंकर : यह असहिष्णुता आपको कठिनाई में डाल देगी। हमें इस बात की चिन्ता है कि इस असहिष्णुता के कारण कहीं राष्ट्र को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। वह इतने असहनशील हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी. शिव शंकर : हमें अपने देश पर गर्व है क्योंकि हमें बहुत सहनशील लोग कहा जाता है। उनमें इस तरह की असहनशीलता है। यहां तक कि वह किसी के व्यक्त किए गए विचारों को भी बरदाश्त नहीं कर सकते हैं, जो कि इतनी नम्रता से व्यक्त किए गए हैं। मैं बहुत कटु भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। मैं उन्हें केवल तथ्यों से अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूं, और वह इतने असहनशील हैं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : हम असहनशील नहीं हैं। हम केवल आपको याद दिला रहे हैं ....*(व्यवधान)* हम असहनशील नहीं हैं। हम केवल आपको याद दिला रहे हैं। हम पिछले एक घंटे से आपकी बात सुन रहे हैं।

श्री पी. शिव शंकर : आपको हमें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप वहां बैठे हैं और इसलिए आपको जवाब देना है, और हम यहां बैठे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री पी. शिव शंकर : महोदय, अन्त में, मैं इस सरकार पर इस देश में साम्प्रदायिक सौहार्द को कायम न रख पाने का आरोप लगाता हूं। मैं इस पर लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच अलगाव फैलाने; शिव सेना जैसे अपने जत्थों तथा अन्य को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, भूल से अथवा जानबूझकर अपराध करने के लिए प्ररित करने और संघ परिवार को नृशंसतापूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने और अहिंसा को फैलाने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाता हूं। यह सरकार इस राष्ट्र की मूल्यवान भावनाओं को नष्ट कर रही है। जिन्हें हमने सैंकड़ों वर्षों से बहुत गौरव से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त किया है।

मैं इस सरकार पर, संविधान के नाम पर शपथ लेने के बाद संविधान के विरुद्ध कार्य करने और संवैधानिक मूल्यों को विभाजित करने और नष्ट करने का भी आरोप लगाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : सभापति महोदय, कल से जो बहस शुरू हुई थी, इस हाउस के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य, बहुत सीज़न्ड पार्लियामेंटेरियन श्री आरिफ मोहम्मद खां ने इसकी शुरुआत की। मैं कल भी उनके सारे भाषण के दौरान मौजूद था, आज भी मौजूद था और मैंने बड़े ध्यान से उनका भाषण सुना। उन्होंने मेजें थपथपाकर, अपने डैस्क पर मुट्ठियां मारकर इस बहस में हमें भगवान राम की याद दिलाई, धर्म, परम्परा और व्यवस्था का विवरण भी किया और अंत में एक शेर सुनाकर अपनी बात समाप्त की। माननीय श्री शिव शंकर का बयान भी मैंने सुना है। उन्होंने भी हमारी सरकार को चार्ज किया है। शिव शंकर जी, आपके भाषण का जिक्र मैं बाद में करूंगा। आपने जो हमको चार्ज किया है, हम भी आपको डिस्चार्ज करने वाले नहीं हैं, हम भी बाद में आपको चार्ज करेंगे, उस पर मैं दो मिनट में आने वाला हूं।

आरिफ साहब ने राम का जिक्र किया, भगवान गणेश का जिक्र भी किया। मैं पूरे सम्मान के साथ कहता हूं, जिस लहज़े में आपने किया, जिस भाषा में किया, अगर उस भाषा में न कहा गया होता तो अच्छा होता क्योंकि यदि हम इस तरीके से एक–दूसरे की भावना को आहत करने का प्रयास करेंगे तो बहस सार्थक नहीं होती, उस बहस में से गलत बात निकलती है। ...*(व्यवधान)* मैंने आपको टोका नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं आपको टोक नहीं रहा हूं। मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। श्रीमन्, मैंने आज सुबह आकर अपनी तकरीर, जो पार्लियामेंट से आई थी, माननीय सरपोतदार जी को दी और कहा कि इधर के साथियों ने कल कुछ आपत्ति की थी। अगर आप इसमें कोई आपत्तिजनक चीज़ निकालें तो मैं उसे वापिस भी लूंगा, आपसे माफी भी मांगूगा और अगर आप कोई सज़ा दें तो वह भी लूंगा। माननीय सरपोतदार जी यहां बैठे हुए हैं। आप यह वाक्य बता दें और शब्द बता दें जो मैंने बोले हैं, सिर्फ यह कह देना कि मैं आहत करूंगा, मैं क्यों आहत करूंगा, मुझे पूरा आदर है, लेकिन अगर आप हिन्दुत्व के नाम पर मेरे गले पर छुरी चलाएंगे, फिर मैं उसके बारे में बात तो करूंगा, कम से कम मैं उसको बताने की कोशिश तो करूंगा। मैं अभी भी तैयार हूं, मैं अपना भाषण आपको भी देने के लिए तैयार हूं, आप बता दें।

श्री सत्यपाल जैन : खां साहब आपके भाषण का मैं कोई अंश निकलवाना नहीं चाहता, हमारी पार्टी भी नहीं निकलवाना चाहती। आप जो कहना चाहते थे, आपने कहा। मैं सबसे पहला पाइंट यह कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इस मुल्क में 85 प्रतिशत हिन्दू होने के बावजूद हिन्दुस्तान की संसद में कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर जो चाहे बोल सकता है, जो चाहे कह सकता है, यह आजादी इसलिए है कि हिन्दू सेक्यूलर है, हिन्दू समाजवादी है ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया शांत रहें।

श्री पी. शिव शंकर : यह दया की बात नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है ...*(व्यवधान)* ये लोग नहीं देते हैं ....*(व्यवधान)* हम आपकी मेहरबानी पर नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं कार्यवाही वृतांत को पूरा पढ़ूंगा। यदि कोई आपत्तिजनक टिप्पणी है तो उसे कार्यवाही वृतांत से से निकाल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । मैं कार्यवाही वृतांत को पढ़ूंगा। यदि माननीय सदस्य ने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की है तो इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : हम इसकी अनुमति नहीं देंगे ... *(व्यवधान)* हम उनकी दया पर भी नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठ जाएं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हम किसी के रहमोकरम पर नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि उसमें कुछ आपत्तिजनक है तो उसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री अजित जोगी (रायगढ़) : महोदय, आप उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहिए ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : **(आरामबाग)** : यह सदन की अवमानना है आप उन्हें कहिए कि वे क्षमा मांगें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : यह कह रहे हैं कि इन्होंने आजादी दी है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री चेतन चौहान : महोदय, उन्होंने ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है।

[हिन्दी]

डॉ. शकील अहमद (मधुबनी) : हम अपने बलबूते पर आए हैं। ...*(व्यवधान)* आपकी मेहरबानी पर नहीं आए हैं। आप पूरे हाउस से माफी मांगिए। ...*(व्यवधान)* आपने पूरे हाउस का अपमान किया है। ..*(व्यवधान)* जैन साहब आप पूरे हाउस से माफी मांगिए, आपने सदन को अपमानित किया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए ।

(व्यवधान)

डॉ. शकील अहमद : अठारह पार्टियों से सरकार बनाई है और यहां भाषण दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति महोदय, इस सदन में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसका कारण हमारा संविधान, हमारे नियम हैं। ...*(व्यवधान)* मैं मानता हूं कि यह हमारा संविधान और हमारे नियम भी हमारी परम्परा का एक हिस्सा है। यहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा नहीं है लेकिन मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि संसद की बहस के लिए हमारे शिव शंकर जी जैसे पुराने जो नेता हैं, उनसे कुछ सीखें। आज उन्होंने कई बातें कही जिन पर मैं सहमत नहीं होऊंगा और यहां पर बैठे हुए बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे लेकिन उनकी स्पीच में कहीं कोई उत्तेजना नहीं थी, अपना तर्क था। मुझे खुशी होती अगर इस बहस का आरम्भ करने वाले ने भी इस प्रकार की शैली अपनाई होती और इस प्रकार की बात नहीं कही होती। जो कुछ हुआ है, वह अच्छा नहीं था। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार कई बातें जो मुझे आरिफ मोहम्मद खां जी की पसंद नहीं आई तो भी मैंने उनको टोका नहीं और आखिर में जाकर कल पांच मिनट के लिए टोका–टोंकी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। हमने उनको बाद में जाकर कहा कि मुझे जो बातें पसन्द नहीं आईं, वे ये थीं और मैं चाहूंगा कि अभी–अभी जिस प्रकार से आपको इनकी शैली पसन्द नहीं आई तो उसके परिणामस्वरूप यह कहना कि यह नहीं चलेगा, यह उस शैली का अनुसरण नहीं है। ...*(व्यवधान)* यह तरीका *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरा करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति महोदय, आप सहिष्णुता की बात कह रहे थे, तो मैंने उसी समय कहा ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, सदन में ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए, जिससे उत्तेजना पैदा हो ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए । होम मिनिस्टर को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं किसी की बात से सहमत नहीं हूं। फिर भी मुझे उसका आदर करना चाहिए। सहिष्णुता से व्यवहार करना चाहिए, मैं आपके निर्णय से सहमत हूं, चाहे हमारे इधर के सदस्य हों या उधर से हों, जो अनपार्लियामेंट्री शब्द हैं, वे निकाल दें और साधारणतः शिवशंकर जी के अनुसार बहस को जारी रखें ...*(व्यवधान)* किसी को किसी का दलाल कहना संसदीय नहीं है।

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : क्या वे 85 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर चले जाएं।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : बिल्कुल नहीं। महोदय, हम यहां उनकी दया पर नहीं हैं। हमें लोगों द्वारा यहां भेजा गया ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. शकील अहमद : सभापति जी, उनसे माफी मांगने के लिए कहिए । ... *(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : यह आप नहीं कह सकते है, सभापति जी से कह सकते है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : गृह मंत्री ने इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अजित जोगी : इनके रहमोकरम पर हम यहां नहीं हैं। भारत के संविधान से हमें अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता मिली है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हम इस सदन में उनकी दया पर नहीं हैं। ...(व्यवधान) गृहमंत्री जी प्रयुक्त किये गए असंसदीय शब्दों के बारे में कह रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मैंने क्या कहा है कि जो कि असंसदीय है ? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री खां, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं नारेबाजी आदि करने में विश्वास नहीं रखता। मैंने स्वयं को अनुशासित किया है। मैं नियम 376 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। बात यह है कि माननीय सदस्य के वास्तविक कथन से संविधान का उल्लंघन हुआ है। जैसा कि गृह मंत्री ने कहा, कि एक सदस्य होने के नाते हमें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। लेकिन सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए विचार के निहित अर्थ से सदन और संविधान का अपमान हुआ है। अब इसका हल क्या है ? इसका हल है कि वह उस शब्द को वापस लें और वह सदन से माफी मांगें। हम कार्यवाही वृतांत से निकालने वाली कोई बात नहीं चाहते हैं ...*(व्यवधान)* उन्हें इसे वापस लेना होगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. शकील अहमद : वह तो भड़काने की बातें कर रहे हैं। ..*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : जब नियम के विरुद्ध बात होगी तो कैसे हाउस चल सकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज : सभापति महोदय, हम नहीं चाहते कि आप कोई बात कार्यवाही वृतांत से निकालें। इन्हें वापस लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : सभापति जी, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर इन्होंने कोई ऐसी बात कही है जो संविधान के खिलाफ है तो उसे निकाल देना चाहिए, मैं उससे सहमत हूं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज : यह उनका तरीका नहीं है। यह उनके विचार की अभिव्यक्ति है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : आप पहले मेरी बात सुनिए। कल से लेकर लगातार मेरे मित्र आरिफ साहब इस बात पर बल देते आए हैं, मैं बहुमत पर, माइनोरिटी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं इसको मेजोरिटी, माइनोरिटी का सवाल नहीं मानता हूं। मैं उत्तर दूंगा। इसलिए इनकी भाषा से मैं सहमत नहीं हूं कि 85 प्रतिशत के कारण है। ...*(व्यवधान)* यह हमारा अधिकार संविधान के कारण है लेकिन यह बात भी सही है कि यहां पर जो संविधान बना है वह यहां की परंपरा और यहां के बहुमत के आधार पर बना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इनका जो स्टाइल है मैं उससे सहमत नहीं हूं। जो वस्तुस्थिति है आप उससे सहमत हों या न हों लेकिन यह बात सही है कि हिन्दुस्तान की परंपरा के अनुसार हिन्दुस्तान की मेजोरिटी ने यह संविधान बनाया, बहुत अच्छा किया। फिर भी मैं कहूंगा कि अगर 85 प्रतिशत का जिक्र न करते तो अच्छा होता। लेकिन क्या हरेक के स्टाइल के आधार पर आप निर्णय करेंगे कि इनका अधिकार है या नहीं। इसलिए अगर कोई संविधान के खिलाफ बात कही है तो आप उसमें से निकाल दीजिए। ...*(व्यवधान)* अन्यथा यह असहिष्णुता हमारी परम्परा के खिलाफ है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि वहां कोई आपत्तिजनक टिप्पणी है तो मैं उसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दूंगा। मैंने यह पहले भी कहा है।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : महोदय, आरिफ साहब ने अपनी तकरीर से सलमान साहब के साथ जो केस हुआ उसका जिक्र किया और इन्होंने ऐसा इम्प्रेशन देने की कोशिश की, क्योंकि सलमान खां के खिलाफ जो सरकारी वकील गया वह उनकी बेल रद्द करवाने के लिए गया। वह भी शायद अल्पमत पर एक अन्याय वाली बात थी। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे लगता है कि अगर सलमान खां ने खुद भी उनका भाषण सुना होगा तो शायद वह स्वयं भी बहुत इमबेरेस महसूस करते होंगे कि मेरे प्रकरण को माइनारिटी के साथ एट्रोसिटीज़ पर जोड़कर आपने पेश करने की कोशिश की।

महोदय, एक फिल्म आई थी– "हम आपके हैं कौन", यह फिल्म आरिफ मोहम्मद साहब ने भी देखी होगी, मैंने भी देखी थी। उस फिल्म में सलमान खां और माधुरी दीक्षित का प्यार दिखाया था। इन दोनों की शादी होनी थी लेकिन माता–पिता ने अन्जाने में इनकी शादी उनके बड़े भाई से तय कर दी थी। मैं तो डर रहा था कि कहीं आरिफ साहब यह न कह दें कि वह फिल्म की स्टोरी लिखने वाला भी साम्प्रदायिक था, क्योंकि ये माइनोरिटी कम्युनिटी के आदमी थे इसलिए उसका नाम लिख दिया और वह भी माइनोरिटी कम्युनिटी के एट्रोसिटी वाली बात थी।

[श्री सत्य पाल जैन]

महोदय, उन्होंने हमारी परंपराओं का एहसास किया है, इस बात में मैं उनसे 100 परसैंट सहमत हूं। यह जो एट्रोसिटीज की बात हो रही है, यह मेजोरिटी कम्युनिटी माइनोरिटी कम्युनिटी पर नहीं कर रही। मैं कहना चाहता हूं कि जब आरिफ साहब के गलत सिगनल आते हैं तो भी यह माइनोरिटी कम्युनिटी की तरफ से नहीं होते। हिन्दुस्तान का मुसलमान, हिन्दुस्तान का बराबर का नागरिक है। उसने हिंदुस्तान की आजादी में बराबर का हिस्सा लिया है। वह हिन्दुस्तान के विकास में पूरा योगदान करना चाहता है, उसकी हिन्दुस्तान के विकास में भागीदारी है। हम उसकी तरक्की चाहते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि उनके नाम पर कुछ लोग बहुमत की चिन्ता नहीं करते, अल्पमत की चिंता नहीं करते, वे सिर्फ वोट, मत की चिन्ता करते हैं। ...*(व्यवधान)*

मैं दावे से कहता हूं, मैंने शिवशंकर जी, आरिफ साहब का भाषण सुना है। आप कांस्टीट्यूशन की बात करते हैं, हिन्दुस्तान की संविधान की धारा 14,19,226 और धारा 32 किसी को भी कचहरी में जाने का अधिकार देती है। शिवशंकर जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप वकील हैं, मैं आरिफ साहब को भी चुनौती देता हूं, आप हिन्दुस्तान की सारी कचहरियों में घूम आइये, हमारे आठ महीने के दौर में किसी एक मुसलमान भाई ने, क्रिश्चियन और सिख भाई ने जाकर हमारी सरकार के खिलाफ मुकदमा डाला हो कि मेरे ऊपर धर्म के नाम पर ज्यादती हुई है तो जो सजा आप कहेंगे मैं यहां स्वीकार करने को तैयार हूं। ...*(व्यवधान)*

आपने हमें परंपरा की याद दिला कर बहुत अच्छा किया। मैं उनका बड़ा आभारी हूं। अच्छा होता, आपने हमारी सांझी परंपराएं बतायी होती कि हिन्दुस्तान की परंपरा धर्म के नाम पर सिर लेने की नहीं है। गुरु तेग बहादुर ने सिर देकर धर्म की रक्षा करने की परम्परा डाली है। यह मेरे देश की परंपरा है। शिव शंकर जी ने जो कहा मैं उन्हें उसकी कुछ याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने गुरुचरण सिंह तोहड़ा का जिक्र किया। भाजपा जत्थेदार गुरुचरण सिंह तोहड़ा का बहुत सम्मान करती है। वह राष्ट्रभक्त और देशभक्त हैं। उनकी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति पर कोई शक नहीं कर सकता लेकिन मैं हैरान हूं कि आपको सिखों की चिन्ता कब से हो गई, आपको पगड़ी की चिंता कब से हो गई ? आप 1984 का वाकया भूल गए। आपके राज में 3400 सिखों के गले में टायर, मिट्टी का तेल डाल कर, उनकी हत्या कर जिन्दा जलाया गया था, उनको आप भूल गए। ... *(व्यवधान)*

खां साहब विधवाओं का जिक्र कर रहे थे। आप मेरे साथ पंजाब, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर चलें। आज भी चार हजार सिख परिवार की विधवाएं दिल्ली में रोज दरवाजे पर आकर देखती हैं कि कहीं से उनका पति आ जाए और उनकी मांग में सिंदूर भरे, उनको पत्नी कह कर बुलाए। आप उन यतीम बच्चों को देखिए जो आज भी अपने दरवाजे पर खड़े होकर अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं। चार हजार सिख भाइयों का आपके राज में कत्ले आम हुआ। यह मेरा शिव शंकर जी के ऊपर चार्ज है। पंजाब में तीस हजार हिन्दुओं का कत्ल हुआ। आपके राज में मुसलमान भाइयों का कत्ल हुआ। आज आप हमें सबक सिखाना चाहते हैं।

आरिफ साहब परम्परा की बात करते हैं। उन्होंने विधवा की परम्परा की बात कही। यह देश की परम्परा नहीं है। इस देश की परंपरा में अब्दुल हमीद हिन्दुस्तान में लड़ता हुआ शहीद हुआ था। सारे देश को उस पर गर्व है। लेकिन सोचिए अब्दुल हमीद के मन पर क्या बीतती होगी जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की टीम का मैच हो, पाकिस्तान टीम जीत जाए और भारतीय टीम हार जाए। अगर कुछ लोग किसी आधार पर हिन्दुस्तान के झंडे गिराते होंगे तो राष्ट्रभक्त मुसलमानों पर क्या बीतती होगी ? इसका भी आपने अन्दाजा लगाया होता। यह हमारे देश की परंपरा नहीं है। हमारे देश की परम्परा गुरु गोविन्द सिंह के बच्चे दीवारों में चुनवाने की परम्परा है। हमारे देश की परम्परा सिर कलम करने की परम्परा नहीं है। इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करना इस मुल्क की परंपरा है जिसके आप और मैं सांझे वारिस हैं। आप एक कम्युनिटी पर अत्याचार की बात कर रहे थे। क्या मुसलमानों में शिया और सुन्नी के बीच विवाद नहीं होते ? क्या हिन्दुओं में जैनियों के आपस में झगड़े नहीं होते ? मैं जैन समुदाय से हूं। दिगम्बर और पीताम्बर अपनी बात कहते हैं। मंदिरों में जहां मूर्तियां हैं, वहां भी झगड़े चल रहे हैं। क्रिश्चियन्स के चर्चों में झगड़े चल रहे हैं। हर झगड़े को कम्युनल कलर देने की कोशिश करेंगे तो हिन्दुस्तान के साथ न्याय नहीं होगा। यह ज्यादती है। इसे करने की कोशिश न कीजिए।

यहां राम मंदिर का बहुत जिक्र हुआ। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली थी, उसे चलाने वाला एक मुसलमान नौजवान था जो पूरे गर्व के साथ रथ यात्रा लेकर अयोध्या तक गया था। हिन्दुस्तान का मुसलमान राम मंदिर का विरोध नहीं करता है ...*(व्यवधान)* हिन्दुस्तान का आम मुसलमान लाल चौक पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का विरोध नहीं करता है।

डॉ. शकील अहमद : जोशी जी श्रीनगर में लाल चौक पर उल्टा झंडा फहरा कर चले आए थे। हमारा सारी दुनिया में मजाक उड़ गया और हमारी नाक कट गई। ... *(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन : सभापति महोदय, यह अच्छा हुआ शकील साहब आपने लाल चौक की याद दिलाई। मैं बहुत खुश हूं कि आपने इसका जिक्र किया। लाल चौक पर झंडा फहराने की मुखालिफत हिन्दुस्तान का मुसलमान नहीं करता। कुछ चुने हुए लोग थे जिन्हें डर था कि उनकी नेतागिरी समाप्त हो जाएगी। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी श्रीनगर जाते हैं तो लाखों मुसलमान उनका जलसा सुनने के लिए आते हैं और भारत माता की जय का नारा लगाकर स्वागत करते हैं। और आप उलटा झंडा फहराने की बात कहते हैं। आपके होम मिनिस्टर को श्रीनगर जाने की हिम्मत नहीं होती थी ...(व्यवधान) जब डॉ. मुरली मनोहर झंडा फहराने गए..

डॉ. शकील अहमद : उस समय हमारी सरकार थी और हमने उनको सुरक्षा प्रदान की थी।

श्री सत्य पाल जैन : सभापति महोदय, मैं दो बातें कहकर इस पाइंट को खत्म कर अगली बात पर आऊंगा। यह इस मुल्क की परम्परा है कि सैकुलरिज्म कायम है। मैं इसके लिए छोटे–छोटे दो उदाहरण देना चाहूंगा। यहां पर सरदार बूटा सिंह जी बैठे हुए हैं । अभी गुरु साहब का जिक्र किया गया तो मैं आपको बताता हूं कि गुरु गोबिन्द सिंह जी के सिपाही कन्हैया से बढ़कर सैकुलरिज्म का उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है। भाई कन्हैया घायल सिपाहियों को पानी पिलाया करता था। एक दिन गुरु जी से शिकायत की गई कि भाई कन्हैया मुगल बादशाह के घायल सिपाहियों को पानी पिला रहा है। गुरु जी ने उसे बुलाया तो भाई कन्हैया ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि महाराज मैं पानी पिलाता हूं लेकिन पानी पिलाते समय मुझे इस बात का मंत्र नहीं होता कि कौन मुसलमान है और कौन सिक्ख है। मुझे तो हर घायल सिपाही को पानी पिलाते समय उसमें आपका रूप नज़र आता है। इसलिए पानी पिलाते समय यह मालूम नहीं होता कि कौन सिक्ख है और कौन मुसलमान।

सभापति महोदय, शिवाजी महाराज जब लड़ाई लड़ रहे थे तो एक दिन उनका सैनिक एक सुन्दर सी महिला को पकड़कर उनके दरबार में ले आया और कहा कि महाराज मैं दुश्मन के कैम्प से एक सुन्दर महिला को ले आया हूं। शिवाजी ने कहा बेशक यह दुश्मन की महिला है लेकिन हर महिला की इज्जत करना हमारा धर्म और परम्परा है। इसलिए इसे ले जाकर आदर सहित दुश्मन के कैम्प में छोड़कर आओ। इसके साथ यह भी कहा काश मेरी मां भी इस तरह से सुंदर होती। इस प्रकार शिवाजी के मन में मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना सम्मान था।

सभापति महोदय, इसी प्रकार गोल्डन टैम्पल की नींव एक मुसलमान सूफी फकीर ने रखी थी। इस मुल्क में धर्म के नाम पर कभी ज्यादती नहीं हुई और न ही अन्याय हुआ है। ये लोग हमें परंपरा सिखाना चाहते हैं। यदि आप अपनी परम्परायें ठीक से पढ़ोगे तो सारी बातें आपको ठीक से समझ में आ जायेंगी।

सभापति महोदय, जहां तक बहुमत और अल्पमत का सवाल है, संविधान में कोई बहुत विश्लेषण नहीं किया गया है। हमारे संविधान की कई धाराओं में माइनरटीज का जिक्र किया गया है। यह स्वाभाविक है कि जब आप माइनरटीज की बात करेंगे तो आपको मेजारिटी की बात भी करनी पड़ेगी। यह रिलेटिव टर्म है। हिन्दुस्तान के संविधान में माइनरटीज को राइट्स दिये गये हैं और उसका परिणाम यह निकला कि आज गंभीर चिन्ता का विषय है। मैं चाहता हूं कि श्री शिव शंकर जी इस बात को कहते। आज कचहरियों में होड़ लगी हुई है कि हर कम्युनिटी जाकर कहती है कि वह माइनरटीज है। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का निर्णय आया कि सनातनधर्मी और आर्यसमाजी माइनरटीज हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि रामाकृष्ण मिशन माइनरटीज में हैं। हरियाणा का गौड़ ब्राह्मण कहता है कि वे माइनरटीज में हैं। मैं खुद जैन हूं और मेरी कम्युनिटी के लोग मेरे पीछे पड़ रहे हैं लेकिन मैं स्पष्ट मत का हूं जैन कभी माइनरटीज में नहीं हैं। वे समाज का एक पार्ट हैं। इनको अलग करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने यह है कि मेजोरिटी और माइनरटीज के बारे में निर्णय लेना पड़ेगा। हिन्दुस्तान में कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो सब जगह मेजोरिटी में हो। हमारे मुसलमान भाई कश्मीर में मेजोरिटी में और हमारे हिन्दू माइनरटीज में हैं और सिक्ख भाई...

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अगर हिन्दुस्तान में ...

श्री सत्य पाल जैन : आप मेरी पूरी बात सुन तो लीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जम्मू कश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा है और उसे कोई अलग नहीं कर सकता और आप क्या कह रहे हैं हिन्दू जम्मू कश्मीर में माइनरटीज में हैं ...

श्री सत्यपाल जैन : हमारे सिख भाई पूरे हिन्दुस्तान में माइनरटीज में हो सकते हैं लेकिन पंजाब में मेजारिटी में हैं। हमारे हिन्दू भाई पाकिस्तान में माइनरटीज में हैं लेकिन हमारा जम्मू और कश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा था, है और हिस्सा रहेगा।

दुनिया की कोई ताकत उसको अलग नहीं कर सकती। हिन्दुस्तान के अलग–अलग प्रांतों में अलग–अलग स्थिति है। अगर सिख भाई पंजाब में मेजारिटी में हैं तो दिल्ली में माइनॉरिटी में हैं। मुसलमान जम्मू–कश्मीर में मेजारिटी में हैं तो दिल्ली में, पंजाब में, यूपी में माइनारिटी में हैं। अगर हिन्दू हरियाणा में मेजारिटी में हैं तो पंजाब में माइनारिटी में हैं। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि इस बात का निर्णय हिन्दुस्तान में होना चाहिए कि आखिर क्या एक प्रांत में जो मेजारिटी राइट क्लेम करती है या माइनॉरिटी राइट क्लेम करती है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब 6 बजे हैं। आप कितना समय लेंगे।

श्री सत्यपाल जैन : कम से कम आधा घंटा।

सभापति महोदय : क्या यह सभा की राय है कि हमें सभा की बैठक 7 बजे तक बढ़ा देनी चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, काफी वक्ता बोलने वाले हैं इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि सभा का समय बढ़ा दिया जाय।

कुछ माननीय सदस्य : ठीक है, महोदय।

सभापति महोदय : सभा की बैठक 7 बजे तक के लिए बढ़ाई जाती है।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : सभापति जी, मैं राज्यों की बात कर रहा था। मैं दो–तीन राज्यों का विश्लेषण आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं।

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : सभापति जी, आपने सात बजे तक समय बढ़ाया है मगर हम जानना चाहते हैं कि क्या हमें भी इस बहस में एडजस्ट करेंगे ? इस पर कई लोग बोलना चाहते हैं। सवाल यह है कि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आरिफ साहब ने मामला उठाया, उस पर बड़ी गंभीर चर्चा शुरू हुई है। चर्चा ठीक से होनी चाहिए।

सभापति महोदय : जैन साहब को बोलने दीजिए। आप बैठिए।

श्री रामानन्द सिंह : हम लोगों को भी समय मिलेगा ?

सभापति महोदय : सबको समय मिलेगा ।

श्री अजीत जोगी : रामानन्द सिंह जी का नाम उनकी पार्टी नहीं देती है।

श्री सत्यपाल जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रांतों का जिक्र कर रहा था। प्रांतों में पंजाब एक प्रमुख प्रांत है जहां पर सिख भाई मेजॉरिटी में हैं और हिन्दू भाई माइनॉरिटी में हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 50 सालों में हमारे कांग्रेस के भाइयों का अधिकांश समय राज पंजाब और दिल्ली में रहा। यह एक ऐसा प्रांत है जहां केंद्र की आई सरकारों में प्रमुख तौर पर हमारे सामने बैठे हुए साथियों की सरकार थी। इन्होंने दोनों कम्युनिटियों को नहीं बख्शा। आप तोहड़ा साहब का जिक्र कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा जब स्वर्गीय राजीव गांधी चंडीगढ़ गए थे। वहां एक पत्रकार सम्मेलन किया और संत जरनैल सिंह भिण्डरवाले जिन पर आरोप लगे कि उन्होंने पंजाब में उग्रवाद को बढ़ावा दिया था, उनको धार्मिक संत चंडीगढ़ के पत्रकार सम्मेलन में स्वर्गीय राजीव गांधी कहकर आए थे। तोहड़ा साहब की तुलना आप भिण्डरवाले से करना चाहेंगे ? तोहड़ा साहब ने इस दौर में पंजाब की एकता के लिए संघर्ष किया है, लेकिन आप उस व्यक्ति को धार्मिक संत बोलकर आए थे जिस व्यक्ति पर उग्रवाद का आरोप लगा था। आपने अकाल तख्त तोड़ा जो सिख भाइयों के लिए सर्वोच्च संस्था है। ठीक कहा आरिफ साहब ने कि तोहड़ा साहब का व्यक्तिगत स्थान जो मर्जी हो, लेकिन सिख संस्था के अध्यक्ष होने के नाते उनका स्थान बहुत ऊंचा है और अकाल तख्त का स्थान सिख परंपरा में बहुत ऊंचा है। इस सरकार ने उसको भी नहीं बख्शा था। आपने वह भी गिराया था। तब आपको माइनॉरिटी पर ऐट्रोसिटी नजर नहीं आई थी ? 30,000 हिन्दू भाई पंजाब में मारे गए, बसों से उतारकर मारे गए, रेलवे स्टेशनों पर मारे गए और उस समय वहां किसकी सरकार थी ? प्रकाश सिंह बादल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी सांप्रदायिक दंगा पंजाब में नहीं हुआ। जितने निर्दोष मारे गए, उस समय मारे गए जब सरदार दरबारा सिंह मुख्य मंत्री थे या वह सज्जन मुख्य मंत्री थे जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि वह हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। आप अल्पमत की बात करना चाहते हैं ? लाला जगत नारायण और रमेश चन्द्र का उदाहरण मैं देना चाहता हूं। शिव शंकर जी होते तो मेरी बात सुनते। आपने घटनाएं बताई हैं। स्वर्गीय रमेश चन्द्र की जालंधर में हत्या कर दी गई थी। इस सरकार ने उनकी शव यात्रा निकालने की आज्ञा नहीं दी थी। कहा गया कि सिर्फ 50 लोगों के नाम भेजिये, तब कर्फ्यू पास मिलेंगे। सारे हिन्दुस्तान में एक ही उदहारण है जब सरकार ने शव यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी और स्वर्गीय रमेश चन्द्र का अंतिम संस्कार श्मशान घाट पर नहीं हुआ, उनके घर के सामने जो ग्राउंड था, वहां उनका अंतिम संस्कार किया गया और आप हमें माइनॉरिटी की बात बताना चाहते हैं।

दूसरे प्रांत दिल्ली के बारे में मैंने जिक्र किया। हमारे सिख भाइयों के खिलाफ जो ज्यादतियां हुई थीं उसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। आपकी सरकार ने उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मैं भारतीय जनता पार्टी की श्री मदन लाल खुराना सरकार को बधाई देना चाहता हूं जिसने सरकार में आने के बाद दोषियों को पकड़ा, उनके खिलाफ केस चलाये, उनको पकड़कर जेल में डाला और आज मुझे शक है कि दिल्ली में आपकी सरकार वापस आ गई है, आप फिर से उस प्रोसेस की डायल्यूट करोगे, आप उनके खिलाफ कार्यवाही करने में अपने हाथ नहीं चलाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह एट्रोसिटीज आपको सिखों पर नजर नहीं आई। क्या शिव शंकर जी आपने इसका जिक्र करना आवश्यक नहीं समझा ?

सभापति महोदय, जम्मू–कश्मीर में आ जाइये। जम्मू–कश्मीर में आपकी सरकार के दौर में हुआ, फारूख अब्दुल्ला की सरकार के दौर में नहीं हुआ। कितने हजार हमारे भाई शरणार्थी बनकर आये। कौन लोग शरणार्थी बनकर आये। वे लोग शरणार्थी बनकर नहीं आये जो हिन्दुस्तान की निंदा करते थे। इस भारत माता को अपनी माता मानने वाले, संविधान में विश्वास रखने वाले, इस देश की परम्परा में विश्वास रखने वाले हजारों–लाखों लोग आज भी शरणार्थी तिलक नगर, दिल्ली के कैम्पों में बैठे हुए हैं, पंजाब के कैम्पों में बैठे हुए हैं, यह आपको 50 साल के राज में नजर नहीं आया कि वे भी अल्पमत के हैं, उनके भी अधिकार हैं। दुनिया भर की बातें हो जाएं, आपके नेता जाते रहे। सभापति महोदय, आप मेरे साथ चलिये, मैं आपको उन लोगों के पास लेकर जाता हूं। आपके नेता कभी उनका हाल पूछने नहीं गये जिनकी लाखों–करोड़ों की प्रोपर्टी थी, आज वे भिखमंगे बनकर दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं और इल्जाम आप हम पर लगाना चाहते हो। आपके राज में अल्पमत के लोग सुरक्षित नहीं हैं। आप किस ढंग से बोलना चाहते हो।

आप मुसलमानों की बहुत बातें करते हैं। मुझे यकीन है आरिफ साहब भले ही आज हमारी निंदा कर रहे हों, हमारी सरकार को क्रिटीसाइज कर रहे हों, परन्तु कांग्रेस पार्टी का कार्यों के बारे में उन्हें कोई शंका नहीं होगी।

इमरजेंसी के समय को लीजिए, तुर्कमान गेट पर मुस्लिम भाइयों पर बुलडोजर चले थे, वह किसकी सरकार में चले थे। जब शाही इमाम ने फतवे जारी किये थे, वे किसकी सरकार के दौरान किये थे। तब आरिफ साहब हमारे साथ जेल में थे। आज भले ही आप सेक्यूलर फोर्सेज को इकट्ठा करने के नाम पर उनके साथ जा रहे हों। आप एट्रोसिटीज की बात करना चाहते हैं। हमारे भाई सेक्युलरिज्म की बात कर रहे थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि श्री नरसिंहराव हिन्दुस्तान

के प्रधान मंत्री थे, नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स में चुनाव होने वाले थे, आज सेक्युलरिज्म की बात करने पर आपको आपत्ति होती है। मैंने एक बात कही तो आपको आपत्ति होती है। आपकी पार्टी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आयेंगे तो बाइबिल के जो सिद्धांत हैं, उनके आधार पर हम अपनी सरकार चलाना चाहेंगे। आज मेरे रेफरेन्स पर आप मेरे से माफी मंगवाना चाहते हो। आरिफ साहब को मैं याद कराना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में मुसलमान महिलाओं को भी अधिकार हैं और हिन्दू महिलाओं को भी बराबरी से रहने का अधिकार है। अगर सती प्रथा गलत है, मैं भी उसको गलत मानता हूं, चाहे वह हिन्दुओं में हो या कहीं भी हो, उसे समाप्त होना चाहिए। लेकिन एक कोशिश हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। धारा 125 सी. आर. पी. सी. की बहुत छोटी सी धारा है। आपको कोई केस डालना हो तो उसके लिए बहुत बड़ा वकील करने की जरूरत नहीं होती। कोई भी मेरे जैसा छोटा–मोटा वकील पकड़ लें, वह आपका केस डाल देता है। धारा 125 में कहा गया कि अगर किसी महिला को उसका पति छोड़ दे या किसी बच्चे के पिता उसको न पालें तो वह कचहरी में जाकर दावा डाल सकता है कि हमें खर्चा दिया जाए और कोर्ट अधिक–से–अधिक पांच सौ रुपये महीना खर्चा दिला सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यह अधिकार हमारी मुसलमान महिलाओं पर भी लागू होता है। सारी मुसलमान महिलाओं ने उसको लागू किया। मैं पूछना चाहता हूं कि उन महिलाओं को उस अधिकार से वंचित करने का प्रयास किसने किया था और उन मुसलमान महिलाओं पर जो एट्रोसिटीज की गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार था। क्या श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जिम्मेदार थी या श्री नरसिंहराव की सरकार जिम्मेदार थी ? मुझे मालूम है ...*(व्यवधान)* आरिफ साहब मैं आपको एमबैरेस नहीं करना चाहता, मैं आपकी स्पीच पढ़कर नहीं सुनना चाहता ...*(व्यवधान)* आप मेरे मित्र हैं लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एट्रोसिटीज का जिक्र करते हुए...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं सहमत हूं, मुझे कहने दीजिए मैं बताता हूं कि वास्तविकता क्या है। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : सभापति महोदय, आडवाणी जी ने ठीक कहा, मुझे यह डर हो गया था नये सेक्युलर फ्रैण्ड्स की कंपनी में जाकर कहीं आरिफ साहब ...*(व्यवधान)*

डॉ. शकील अहमद : जो जजमेंट हुआ था वह बिल्कुल सही हुआ था। वही मुस्लिम महिलाएं चाहती थीं, वही होना चाहिए था। यह आप गलत बोल रहे हैं। जो हुआ था वह ठीक हुआ था। ...*(व्यवधान)* जो संविधान का संशोधन हुआ था वह बिल्कुल सही हुआ था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठिए।

श्री सत्यपाल जैन : अच्छा होता अगर आरिफ साहब उस बात का जिक्र करते। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि चार घटनाएं यहां से और चार घटनाएं वहां से लेकर आप अल्पसंख्यक वर्ग की बात का जिक्र नहीं कर सकते। जो बात उन्होंने अन्त में कही, मैं उस बात को उनसे शुरू में कहने की उम्मीद कर रहा था। मैं आपसे 100 प्रतिशत सहमत हूं कि मुसलमानों का जो विकास होना चाहिए, नौकरियों में जो हिस्सा मिलना चाहिए जितना उनको रोजगार मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। इस सिलसिले में हमारे चंडीगढ़ के एक संस्थान ने उत्तर प्रदेश सरकार के कहने पर अध्ययन किया। यह इंडियन इंस्टीट्यूट फार डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन है। यह इंस्टीट्यूट उन शक्तियों से जुड़ा हुआ नहीं है जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। भारत सरकार 1970–71 से मुसलमानों के स्टेटस के बारे में अध्ययन कराती रही है। 1980–81 में अध्ययन किया गया है। उसके अनुसार 1980–81 में मुसलमानों की जनसंख्या 18.56 प्रतिशत थी और स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या केवल 10.66 प्रतिशत थी। यह किसके राज्य में था ? जो बच्चे एलीजीबल हैं, यानि 100 बच्चों में से केवल 10 बच्चे ही स्कूल जा रहे थे। उस समय आपकी सरकार थी। इसलिए आपको हमारी सरकार के बारे में कहने की बजाय अगर उनके बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा करते तो शायद आप मुसलमान और क्रिश्चियंस की अधिक सेवा करते।

सभापति महोदय, माननीय आरिफ जी ने डाटा दिया कि डायरेक्टर इतने हैं, ऑफीसर्स इतने हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आम मुसलमान आज रोजी–रोटी के लिए परेशान हैं, वंचित हैं। आज आम मुसलमान की जो इकोनॉमिक हालत है वह बहुत कमजोर है। आप उनकी ग्रोथ नहीं करना चाहते। मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूं। धर्म के नाम पर आप उनको एक विवाह करने के सिद्धान्त को नहीं अपनाने देना चाहते क्योंकि इसमें आपका फायदा है। आपकी वोट की राजनीति है। यदि मुसलमान आज इस सिद्धान्त को मान लेते हैं, तो उनकी संख्या सीमित होगी, वे पढ–लिख कर तरक्की करेंगे फिर आपको वोट नहीं देंगे। इसलिए आप अपने वोटों की खातिर उनकी ग्रोथ नहीं चाहते। मेरे पास सारे डाटा हैं कि कितनी-कितनी लिटरेसी कहां–कहां पर है, लेकिन चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से एक भी साम्प्रदायिक दंगा पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ। यह मिसाल आपके सामने है। दिवाली पर, होली पर और रमजान पर, चाहे किसी त्यौहार को देख लीजिए एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। आप पिछले 50 साल के डाटा निकाल कर देख लीजिए कि आपके समय में क्या हालत होती थी। कभी मेरठ में, कभी अलीगढ़ में, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी सदर बाजार में और कभी जामा मस्जिद एरिया में कर्फ्यू लगता था, लेकिन जब से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो और चाहे होली या रमजान अथवा ईद का त्यौहार हो, कोई साम्प्रदायिक दंगा पूरे देश में कहीं पर भी नहीं हुआ।

सभापति महोदय, हमने अपने देश में अल्पसंख्यकों को वे अधिकार भी दिए हैं जो शायद उनके देश ने भी उनको नहीं दिए। विमैन पार्टीसिपेशन इन पॉलिटिक्स के ऊपर एक गोष्ठी में शामिल होने के लिए सउदी अरेबिया से एक शिष्ट मंडल भारत आया था।

[श्री सत्य पाल जैन]

उससे हमें जानकारी मिली कि उनके अपने देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है जबकि हमारे देश ने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक महिला और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं किया है। कानून के अनुसार ये सब बराबर हैं। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां रहने वाला यदि उनके धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म अपनाता है या उसके अनुसार कार्य करता है, तो उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। जबकि हमारे देश में हर आदमी स्वतंत्र है। वह चाहे कोई धर्म, पूजा पद्धति अपना सकता है। आप कह रहे हैं कि वाजपेयी जी की सरकार जब से आई है तब से दंगे बढ़ गए हैं। यदि आप ईमानदारी से कहें, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से देश में दंगे नहीं हुए हैं जैसे आपकी सरकार के समय में होते थे। मेरे पास सभी राज्यों के आंकड़े हैं कि किस–किस राज्य में किस–किस सन् में कितने–कितने दंगे हुए जिनमें मुसलमान भाइयों के साथ ज्यादतियां हुई हैं। मेरे पास 1995, 96, 97 और 1998 के आंकड़े हैं। मैं बिहार के बारे में भी बताता हूं। वैस्ट बंगाल के बारे में भी बताता हूं। मैं उन राज्यों के बारे में भी बताता हूं जहां भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आई।

सभापति जी, वैस्ट बंगाल में भाजपा कभी सत्ता में नहीं रही। वहां तो कभी कुमारी ममता बनर्जी या तपन सिकदार की सरकार नहीं बनी। वहां पर 1996 में 42 और 1997 में 40 दंगे हुए। 1998 में 30 दंगे हुए। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां के दंगों के लिए किसको दोष देना चाहेंगे ? क्या वहां के लिए भी भाजपा को दोष देंगे ? जोगी जी, मैं मध्य प्रदेश में भी आ रहा हूं। मध्य प्रदेश में 1996 में 43 दंगे, 1997 में 43 दंगे और 1998 में 33 दंगे हुए हैं। ये दंगे तब हुए जब आपकी वहां सरकार थी। बिहार में, रघुवंश प्रसाद जी हमारी सरकार कहीं नहीं आई। वहां 1996 मे 146 दंगे, 1997 में 118 दंगे और जब से हमारी सरकार आई है, उसके बाद 84 दंगे हुए हैं। यह हिन्दुस्तान की इन्फोर्मेशन है। ...*(व्यवधान)* कर्नाटक में, देवगौड़ा जी यहां पर नहीं हैं। कर्नाटक में उनकी पार्टी की सरकार है। वहां पर 1996 में 22 दंगे, 1997 में 31 दंगे और 1998 में 33 दंगे हुए।

सभापति जी, तमिलनाडु, उड़ीसा आदि सभी स्टेट्स के डाटा मेरे पास हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि जहां–जहां भी ऐसी बात होती है तो एक बहाना ढूंढ लेते हैं और उस बहाने को ढूंढकर आप इसके अंदर करना चाहते हैं। मेरा इल्जाम है कि कुछ लोग जान–बूझकर इस हिन्दुस्तान की छवि दुनिया में खराब करना चाहते हैं। हमारे यहां मैजोरिटी और माइनोरिटी का कोई डिस्टिंक्शन्स नहीं है। हमने सबको बराबर के अधिकार दिये हैं तब भी इस फोरम का दुरुपयोग आप दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए करना चाहते हैं।

सभापति जी, यह एक ऐसा देश है जहां के राष्ट्रपति सभी धर्मों के रहे हैं। चीफ जस्टिस सभी धर्मों के रहे हैं। धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म के नाम पर न तो किसी के साथ ज्यादती करेगी और न ही किसी के साथ विशेष रियायत करेगी। न किसी की एपीजमैंट होगी और न किसी के साथ इनजस्टिस होगा। इन दोनों लोगों को हमारी सरकार में निराशा होगी, यह बात मैं कहना चाहता हूं।

वंदे मातरम् का जिक्र आया और दिल्ली में नोटिस का भी जिक्र आया। इस मुल्क में 12 करोड़ या 18 करोड़ के करीब मुसलमान भाई हैं। उसमें से अगर दिल्ली के किसी अधिकारी ने 20–50 या 100 लोगों को नोटिस जारी कर दिया, तो क्या बाकी कम्युनिटी के लोगों को उस तरह के नोटिस नहीं जारी होते ? क्या किसी बॉर्डर पर क्रास करने वाले चाहे वह हिन्दू हो, सिक्ख हो, मुसलमान हो या ईसाई हो, उसको रोककर नहीं पूछा कि आप कौन हैं और क्या आपने अपनी नागरिकता दिखाई है ? क्या नार्थ ईस्ट के अंदर जाने वाले लोग चाहे वह किसी भी धर्म के हों, उनको हम चैक नहीं करते हैं ? आप उनको माइनॉरिटीज के साथ, जाति की बात कैसे ले जाते हैं।

वंदे मातरम् का बहुत जिक्र हुआ है। वंदे मातरम् और राष्ट्रीय गान का एक साथ सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी किसी को मजबूर नहीं करना चाहती लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वंदे मातरम् का विरोध हिन्दुस्तान के आम मुसलमानों ने नहीं किया है। कुछ लोगों ने फतवे जारी करके उन लोगों को विरोध करने के लिए उकसाया था। आम मुसलमान वंदे मातरम् गाता है और गायेगा। इस सदन के अंदर हमारे सारे मुसलमान भाई जब हम सैशन एडजर्न करते हैं तब वंदे मातरम् गाते हैं। जब सैशन शुरू होता है तो राष्ट्रीय गान, जन–गण मन से होता है और जब सदन का विसर्जन होता है तो वंदे मातरम् से होता है। राष्ट्रीय गान का जो सम्मान है वहीं वंदे मातरम् का सम्मान होना चाहिए। मैं धर्म का सम्मान करता हूं और किसी धर्म में नहीं लिखा कि अपने राष्ट्रीय गान का सम्मान मत करिये। किसी धर्म ने नहीं कहा कि राष्ट्रीय झंडे का सम्मान मत करिये। किसी ने नहीं कहा कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, उनका अपमान करिये। हम मजबूर नहीं करना चाहते हैं लेकिन यदि उसका कोई विरोध करता है और इस सीमा तक विरोध करता है कि हम फतवे इश्यू कर रहे हैं, तो इस देश का भला होने वाला नहीं है। आज फतवे आपके हक में इश्यू होंगे। आज फतवे कांग्रेस के पक्ष में, दिल्ली के चुनाव में इश्यू हो जायेंगे। आपको अच्छा लगता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो पार्टी धर्मनिरपेक्षता होने का वादा करती है, वह राष्ट्रीय गान का विरोध कैसे कर सकती है। वह कैसे धार्मिक नेता से अपने–अपने फतवे इश्यू कर सकता है, मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को वोट दो। हिन्दुस्तान का मुसलमान पहले भी अपनी मर्जी से वोट डालता रहा है और आज भी अपनी मर्जी से वोट डालेगा। मैं इस मंच से उनसे अपील करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में आपके भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी, हिन्दुस्तान में सिक्योरिटी की सबसे बड़ी गारंटी भारतीय जनता पार्टी और बी. जे. पी. की सरकार में है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में है। जिसके राज में आपको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है।

अंत में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। श्री आरिफ खां ने एक शेर सुनाकर अपनी बात कही थी। श्री आरिफ खां ने हमको

कटघरे में खड़ा किया था। बहुत सारे आरोप लगाये थे और छोटी–छोटी बातों पर हमारे मित्र आपत्ति करते रहे। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सही, रियल सैक्युलरिज्म में विश्वास करती है, सूडो सैक्युलरिज्य में विश्वास नहीं करती है। एपीजमैंट ऑफ नन जस्टिस टू आल, यह हमारी नीति रहेगी फिर भी आप हम पर हमेशा आरोप लगाते रहेंगे। यह आपको खुली आजादी है। इस बात की भी आजादी आपको संविधान देता है। हम भी आपकी वह आजादी तोड़ने वाले नहीं हैं। एक शेर कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

हमारी हालत यह है कि :

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं, बदनाम,

आप कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होती।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि मेरे प्रतिष्ठित पूर्ववर्ती गृह मंत्री आज सभा में उपस्थित हैं क्योंकि जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसका उनसे सीधा संबंध है और उससे बढ़कर गृह मंत्रालय से है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरी बात का गलत अर्थ नहीं लेंगे परन्तु मैं महसूस करता हूं कि शायद वे ही देश के वास्तविक शासक हैं। उन्हें शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते उचित प्रतिष्ठा मिली हुई है जो कि पूर्ववर्ती गृह मंत्री को नहीं मिली हुई थी। और जब कभी भी आवश्यक हो शक्तिशाली व्यक्ति से सशक्त कार्यों की अपेक्षा की जाती है। परन्तु आपने ध्यान दिया होगा कि वर्तमान सरकार के विरुद्ध विपक्ष की आलोचना में ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि जब इस सरकार से दृढ़ता की अपेक्षा की जाती है तो वह शक्तिहीनता दर्शाती है।

सायं 06.21 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए।*)

मैं श्री पी. शिवशंकर का आभारी हूं, उन्होंने कई बातों को अपने भाषण में समाविष्ट किया था और इस प्रकार उन्होंने मेरा काफी समय बचा दिया क्योंकि मैं ऐसी बहुत सी बातें कहने जा रहा था जिनका कि उन्होंने पहले ही उल्लेख कर दिया है। भारत की कुल जनसंख्या में ईसाईयों की कुल संख्या 2.6 प्रतिशत है और मुस्लिमों की 12 से 14 या 15 प्रतिशत है। स्पष्ट रूप से बाकी न तो ईसाई हैं और न ही मुस्लिम हैं।

कुछ देर पहले यहां मेरे मित्र कह रहे थे कि वे 85 प्रतिशत हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं नहीं जानता वे कितनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी गणना करना मेरा दायित्व नहीं है। जो वह कह रहे हैं उसका समर्थन चुनावी आंकड़े नहीं करते हैं। मैं आपके इस विश्वास से सहमत हूं कि 85 प्रतिशत, शायद 80 प्रतिशत या हो सकता है देश के 90 प्रतिशत आम हिन्दू सांप्रदायिक न हों ...*(व्यवधान)* मैं नहीं जानता कि जब भी कोई यहां से बोलता है तो आप लोग इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं। मैं पिछले दो दिनों से आप जो यहां बोल रहे हैं। उन सभी बातों को खामोशी के साथ सुन रहा हूं। मैं किसी के भाषण में व्यवधान डालने का प्रयास नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : आप उत्तेजित न हों, शांत होकर बोलें। ...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं उत्तेजित नहीं होता।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : ठीक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप और मैं एक साथ चलेंगे।

[अनुवाद]

यदि यह बात सही है कि 80 प्रतिशत, 85 प्रतिशत या देश के 90 प्रतिशत आम हिन्दू साम्प्रदायिक होते तो मैं समझता हूं इस देश की एकता और अखण्डता अभी तक सही सलामत नहीं रहती। वे लोग अत्यन्त धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति हैं। इस बारे में कोई दो राय नहीं हैं। परन्तु धार्मिक होने का यह अर्थ होना आवश्यक नहीं है कि आप आक्रामक रूप से साम्प्रदायिक हों, अन्य समुदायों के विरुद्ध आक्रामक रूप से साम्प्रदायिक हों। ऐसा नहीं होता है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी–कभी कुछ लोग यह कहने में गलती करते हैं कि क्योंकि लोग अत्यधिक धार्मिक विचारों वाले हैं और धार्मिक प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हैं और मन्दिरों या गुरुद्वारों या मस्जिदों में नियमित रूप से जाते हैं इसलिए वे अवश्यक ही साम्प्रदायिक विचारधारा वाले व्यक्ति होंगे। परन्तु मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। यह बात हमारे देश के अद्यतन इतिहास में कई बार सिद्ध हो चुकी है।

देश के अधिसंख्य लोग धर्मनिरपेक्ष भाव रखने वाले हैं। वे साम्प्रदायिकता के विरोधी हैं। हम एक मिले–जुले समाज में रह रहे हैं जिसकी मिली–जुली संस्कृति है। हमें इस बात पर गर्व है कि विभिन्न समुदायों के भिन्न–भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, जिनकी संस्कृतियां अलग–अलग हैं, जो अलग–अलग भाषाएं बोलते हैं और जिनकी अलग–अलग परम्पराएं हैं, वे यहां पर एक राष्ट्र के रूप में एक साथ रह रहे हैं। यह सब किसी एक दिन में नहीं हो गया। ऐसा हो भी नहीं सकता। देश में ऐसी संस्कृति और ऐसी राष्ट्रीय अस्मिता को स्थापित होने में सैकड़ों वर्ष लगे हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि इस मिले–जुले स्वरूप का, हमारी संस्कृति के मिले–जुले स्वरूप का और हमारे सामुदायिक जीवन का सम्मान नहीं किया जाता है, यदि इसे सबके द्वारा प्रतिष्ठा नहीं प्रदान की जाती है और यदि कुछ लोग लोगों को विभाजित करने का का प्रयास करते हैं तो यह साम्प्रदायिक वैमनस्य को फैलाने का ही प्रश्न नहीं है अपितु यह इससे भी ज्यादा गंभीर प्रश्न है। इस बात पर मैं श्री शिव शंकर से थोड़ा अलग सोचता हूं। वे सही हैं जब वे यह कहते हैं कि हाल ही में जिस प्रकार की घटनाएं देश में हो रही हैं ये साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। परन्तु मैं कहता हूं कि कुछ ज्यादा खतरा उस बुनियादी

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

और मौलिक बात को है और वह राष्ट्र की एकता। यदि इस विशेष प्रकार की धर्मनिरपेक्षता, जिसे हमने कई वर्षों में संजोया है और जिसमें सभी समुदाय, धर्म और संस्कृतियों के लोग साथ-साथ रहते हैं, की रक्षा नहीं की जाती है या यदि इसके लिए खतरा उत्पन्न किया जाता है यदि कोई जोर-जबरदस्ती से एक भाषा एक संस्कृति और एक धर्म को सभी पर थोपने का प्रयास करता है, तो इस देश की एकता, देश की अखण्डता कायम नहीं रह सकती है। ऐसा करना संयुक्त देश के रूप में उसको समाप्त करना होगा। यह भारत का अंत होगा। इसी कारण जो कुछ हो रहा है उससे हम अत्यधिक चिन्तित हैं।

वास्तव में, ऐसा खेल कई लोग खेल रहे हैं। साझा सरकार चलाने वाले दलों में भाजपा प्रमुख पार्टी है। विभिन्न नामों के अन्तर्गत संघ परिवार के अन्य लोग भी हैं--जो भाजपा के लोग नहीं हैं और भाजपा उन पर अपना दावा नहीं करती है— जैसे विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल। मुझे आर. एस. एस. का नाम उल्लेख करने में शंका है क्योंकि आर. एस. एस. पूर्णतः भिन्न संगठन है। मैं समझता हूं, शिव सेना भी संघ परिवार का हिस्सा है।

श्री मधुकर सरपोतदार : नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई।

श्री मधुकर सरपोतदार : आपको यह कब पता चला ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब मैं गृह मंत्री था तब मैं आपके नेता से मुम्बई में मिला था और उनसे मेरी लंबी बातचीत हुई थी। तब से मैं यही समझता हूं। यदि मैं गलत हूं तो गलत हूं। लोग गलती करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे कभी गलती नहीं करते हैं, वे अपने जीवन में कभी गलती नहीं करते हैं। वे कभी भी किसी बात को मानते नहीं हैं। मैं उनमें से नहीं हूं।

श्री मधुकर सरपोतदार : सी. पी. आई. ने भी असंख्य गलतियां की हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हां। मैं कह रहा हूं कि इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता है कि हाल ही महीनों में देश के विभिन्न भागों में कुछ अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटनाएं होती रही हैं। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता। आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है।

कोई भी प्रश्न कर सकता है, "यह सब कौन कर रहा है ?" भाजपा यह अवश्यक कहेगी या भाजपा नेतृत्व यह अवश्य कहेगा कि वे इन सब बातों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और संघ परिवार के अन्य सदस्यों में से कुछ, जो भाजपा के लोग नहीं हैं, यहां-वहां कुछ दुराचरण कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सब शब्द जाल में उलझाने वाली बात है। चाहे हम मानें या न मानें संघ परिवार के ये सदस्य भाजपा के ही हिस्से हैं। वे स्वयं अपना दूसरा नाम रख सकते हैं, वे स्वयं अपनी अलग पहचान देने का प्रयास कर सकते हैं, परन्तु यह बात निश्चित है कि वे भाजपा के समर्थक और सहयोगी हैं। इसमें उनका ही श्रेय है इसमें कोई शंका नहीं। उन्होंने भाजपा को सत्ता में लाने में उनकी सहायता की है।

महोदय, उदाहरण के लिए, असंख्य ईसाई केरल में हैं, परन्तु केरल से कभी-भी इस प्रकार की घटना का कोई समाचार नहीं मिला है। मैं नहीं जानता कि यदि ऐसा कुछ होता और उसका प्रचार न हो। कम-से-कम वहां इसके बारे में आंदोलन नहीं हुआ है। केरल, मेघालय, नागालैण्ड और पूर्वोत्तर राज्यों में असंख्य ईसाई रहते हैं। जो कि ईसाई बाहुल राज्य हैं। क्योंकि ईसाई बहुसंख्या में हैं। इसलिए वे भलीभांति संगठित हैं, आपस में भली-भांति मेल-मिलाप है और कुछ दूसरे राज्यों में जो इस प्रकार की घटनाएं हैं उसे रोक पाए हैं। उसका परन्तु मुझे यकीन है कि वे भयभीत रहते हैं। पूर्वोत्तर में ईसाई समुदाय निश्चित रूप से अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं है।

श्री शिव शंकर ने लगातार हो रहे हमलों की चर्चा की थी। मैं भी उनका उल्लेख करने जा रहा था परन्तु यह अब आवश्यक नहीं है। कैथोलिक यूनियन नामक संगठन द्वारा अधिकारियों और आपको दिए गए ज्ञापन से यह पता चलता है कि मिशनरियों पर चर्चों पर, पादरियों पर, ननों पर, चर्च के कार्यकर्ताओं पर 1998 में हुए बार-बार हमले स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अब तक या पिछले 50 वर्षों में हुए हमलों की तुलना में बहुंत अधिक हैं। वर्ष 1978 से 1983 के बीच छह मामलों का पता चला था और पिछले दो वर्षों में 80 मामलों का। ये मामले मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र राजस्थान और उत्तर प्रदेश के थे।

इन हमलों को न्यायोचित ठहराने के लिए यह प्रचार किया जा रहा है जैसे कि यहां उल्लेख किया गया है, कि वह जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयासों की प्रतिक्रिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जबरन धर्म परिवर्तन का यह हौआ मात्र एक भ्रान्ति है। अगर हम संविधान को मानते हैं तो हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धर्म का पालन करने, धर्म का प्रचार करने और प्रसार का अधिकार है-संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है संविधान की प्रति इस समय मेरे पास उपलब्ध है और अगर आप चाहें तो मैं इसे उद्धृत कर सकता हूं : यह अधिकार भारत के संविधान में विहित है और यह एक ही धर्म को मानने वाले लोगों पर लागू नहीं होता। यह सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है। इसलिए अगर आप अधिकार के रूप में जो आपको संविधान ने दिया है अपने धर्म का पालन करते हैं, उसका उपदेश देते हैं उसका प्रचार-प्रसार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कभी-कभी कुछ लोगों के लिए कुछ अन्य लोगों पर धर्म परिवर्तन कराने में संलिप्त होने का आरोप लगाना कठिन नहीं है। ऐसे धर्म परिवर्तन भी हुए हैं जो जबरन नहीं किए गए।

हमारे देश में कुछ ऐसे दलित और वंचित समुदाय हैं जिनके बारे में यह माना गया है कि वह सामाजिक अयोग्यताओं, उपेक्षाओं से बचने के लिए, जिनका वे शिकार होते रहे हैं, धर्मपरिवर्तन का रास्ता अपनाते हैं। वास्तव में जबरन धर्म परिवर्तन भी हो सकते हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।

महोदय, हम जानते हैं कि कई मामलों में जनजातीय लोगों को ईसाई या हिन्दू धर्म अपनाने को मजबूर किया गया ताकि वे उस भयावह आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक उत्पीड़न जिसकी वे पीड़ा सहते रहे हैं, से बच सकें। मेरा ख्याल है कि सभी जनजातीय समूहों का धर्म परिवर्तन कराने में विश्व हिन्दू परिषद् अपना एकाधिकार बनाना चाहेगा जब आप किसी धर्म से हिन्दू धर्म में आते हैं तो प्रश्न उठता है कि आप उन्हें हिन्दू धर्म की किस शाखा या किस प्रकार के हिन्दू धर्म में बदलना चाहते हैं। हिन्दू धर्म कोई एकमत वाला धर्म नहीं है इसके कई पंथ हैं, कई जातियां हैं, इसलिए जब आप किसी उत्पीड़न से बचने के लिए हिन्दू धर्म अपनाते हैं तो आपको यह निर्णय लेना पड़ता है कि आप किस तरह का हिन्दू बनना चाहते हैं। किसी ने लिखा है—हिन्दूवाद के बाह्यरूप की निम्न सतह एक विनम्र तरीके से प्रस्तुत करने पर यह है जिस पर इन जनजातीय समूह के लोगों को न्यूनाधिक रूप से अपना धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करने को मजबूर किया गया है।

महोदय, विश्व हिन्दू परिषद् के ये लोग ईसाई धर्म को इस्लाम धर्म की तरह ही मूल रूप से भारतीय धर्म न मानकर विदेशी धर्म मानते हैं, इसे विदेशी धर्म माना जाता है जिसका एक मिशन है, जिसका ईसाई धर्म का प्रचार करने का एक उद्देश्य है, एक ऐसा मिशन जो हिन्दुओं को हिन्दूवाद से दूर ले जाए। इसलिए उन्हें दुश्मन समझना चाहिए। इसलिए यह स्पष्ट है कि संश्लिष्ट भारत, एक सामासिक संस्कृति वाले सामासिक समाज की संकल्पना विश्व हिन्दू परिषद् की रुचि के अनुरूप नहीं है और यह अवधारणा उन्हें काफी परेशान करती है।

महोदय, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं और बस मैं यही चाहता हूं कि श्री आडवाणी जी इसका उत्तर दें क्या इनमें से किसी ग्रुप का आन्तरिक सम्बन्ध सत्तारूढ़ दल से है ? यह एक प्रश्न है। परन्तु प्रश्न यह है कि अगर कोई ऐसा धार्मिक समूह है जो दूसरे अन्य धार्मिक समूहों के इस अधिकार को मान्यता नहीं देता कि वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें तो क्या ऐसे धार्मिक समूह को इस देश में कुछ भी करने की आजादी दी जानी चाहिए ?

महोदय, भाजपा इस पूरे समूह का राजनैतिक गठजोड़ है। संघ परिवार के सभी संघटक हिन्दुत्व के समर्थक और उसी धारणा के हैं। मेरा ख्याल है कि गृह मंत्री जी को भाजपा और इन समूहों के बीच संबंध के बारे में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। भाजपा पुरजोर इस बात को कहती है कि इसका अल्पसंख्यक विरोधी कार्यों या घटनाओं में जरा भी हाथ नहीं है और यह संविधान का शब्दशः पालन करती है। अगर ऐसी बात है तो मेरा यह मत है कि यह गृह मंत्री का कर्त्तव्य है कि इन समूहों की निन्दा करे, इनकी भर्त्सना करे जो दूसरे अन्य समूहों को यह अधिकार नहीं देना चाहते।

मैं तो कहूंगा अपराधों तक का साम्प्रदायीकरण हो रहा है। मुम्बई में श्रीकृष्ण आयोग ने एक लम्बी जांच के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसे महाराष्ट्र सरकार और शिव सेना ने अस्वीकार कर दिया है। यह सब ठीक है अगर वे चाहते हैं तो वे इसे अस्वीकार कर सकते हैं। परन्तु जिस आधार पर उन्होंने इसे अस्वीकार किया है वह मुख्यत यह है कि श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट हिन्दू विरोधी है और इसलिए इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए-- यह मैंने अखबारों में पढ़ा है अगर मैं कुछ गलत कहूं तो मेरी गलती सुधार दें। यह अपराध पता लगाने का अनोखा तरीका है मैं इसे घटना अपराध इसलिए कहता हूं कि इस घटना में हजारों लोग मारे गए थे, उनके घर जला दिए गए, उनकी दुकानें लूट ली गई और उन्हें अपने आम निवास स्थानों को छोड़ना पड़ा और कहीं और जाकर बसना पड़ा जहा बाद में, यद्यपि विलम्ब से, पुलिस और फौज बुलानी पड़ी। हम जानते हैं कि बाबरी मस्जिद ढहने के बाद वहां कितनी भयानक स्थिति हुई थी। इसके बारे में काफी हद तक श्रीकृष्ण आयोग में बताया गया है और इसे हिन्दू–विरोधी कहकर निरस्त कर दिया गया है। उसका अर्थ क्या है ? अगर इसी तरह के अपराध होते रहे, चाहे वे किसी ने भी किए हों, और अगर उन्हें मुस्लिम विरोधी या हिन्दू विरोधी या ईसाई विरोधी या किसी अन्य समुदाय या धर्म विरोधी के रूप में लिया जाता है तो इसका अर्थ है कि अगर आवश्यक हुआ तो संबंधित व्यक्ति को देखते हुए सभी अपराधों की लीपापोती की जा सकती है या उन्हें उजागर किया जा सकता है। इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि महाराष्ट्र में प्रमुख प्रवक्ता--यहां भी शायद सभी नहीं बल्कि उनमें से कुछ--मुम्बई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को खेलने देने की भावना का विरोध कर रहा है। मैंने अखबारों में देखा कि हाल ही में मेरे मित्र श्री सरपोतदार इस मुद्दे पर एक प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे।

श्री मधुकर सरपोतदार : आज भी मैं यह कहता हूं और मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : और कुछ जाने–माने मुस्लिम गायक जो काफी लोकप्रिय हैं और अपने उर्दू गजल गाने के लिए मुम्बई में प्रसिद्ध हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : हम पाकिस्तान की गतिविधियों के प्रति सजग हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हां, आप सजग हैं, मैं इस बात को जानता हूं। आपका फिल्म उद्योग मुसलमान अभिनेताओं से भरा पड़ा है।

श्री मधुकर सरपोतदार : वे खुश हैं और फल–फूल भी रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे क्यों न फलें फूलें ? क्या ऐसा केवल इसलिए है कि वे मुसलमान हैं ?

श्री मधुकर सरपोतदार : किसी ने उन्हें नहीं टोका इसीलिए वे फल–फूल रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अगर वे आपकी फिल्मों में स्वच्छन्द होकर अभिनय कर सकते हैं तो उन्हें गज़ल गाने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए ? उन्हें क्रिकेट खेलने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए ?

श्री मधुकर सरपोतदार : इसका कारण यह है कि वे पाकिस्तानी हैं। हम सभी मुसलमान गायकों, अभिनेताओं, खिलाड़ियों इत्यादि को इस देश में आजादी से रहने की अनुमति दे रहे हैं। हम उनका विरोध कर रहे हैं जो पाकिस्तानी हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तो आप यह नहीं चाहते कि पाकिस्तानी लोग गज़ल गाएं, चाहे वे कितने ही अच्छे गायक हों। आप उनके खिलाड़ियों को यहां आकर क्रिकेट नहीं खेलने देना चाहते।

श्री मधुकर सरपोतदार : वे जम्मू कश्मीर में अपनी गतिविधियों को रोकें। हम उनका स्वागत करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह एक समस्या है। महोदय, देखिए किस तरह राजनीति को संस्कृति और खेलों में भी घुसाया जाता है।

श्री मधुकर सरपोतदार : क्या लोगों को मारना संस्कृति कहलाता है ? हर रोज जम्मू–कश्मीर में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और आप उनके साथ खेलना चाहते हैं और उनसे विचारों का आदान–प्रदान करना चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री सरपोतदार, आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो ?

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बहरामपुर) (पश्चिम बंगाल) : क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी इन सब बातों के लिए जिम्मेदार हैं ?

श्री मधुकर सरपोतदार : इसके लिए पाकिस्तान की सरकार जिम्मेवार है।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : तो फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने क्या नुकसान पहुंचया है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री सरपोतदार, कृपया हस्तक्षेप न करें।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, वे इस बात का उल्लेख कर रहे हैं और मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि हमने किस आधार पर ऐसा कहा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रधानमंत्री कार्यालय में किसी समय एक राज्य मंत्री होता था। वह अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य है। उसका नाम श्री असलम शेर खां है। मेरा ख्याल है उन्हें सभी जानते हैं। वे एक केन्द्रीय मंत्री हुआ करते थे। वे एक बहुत नामी हॉकी खिलाड़ी हुआ करते थे। मैं नहीं जानता कि वह अब किस पार्टी में हैं।

कुछ माननीय सदस्य : वे अब भाजपा में हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बहुत अच्छा।

श्री मधुकर सरपोतदार : कम से कम वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरह नहीं थे। उनके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब वे राज्य मंत्री थे तब उन्होंने एक लंबा वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि 'अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम महाराष्ट्र में बिल्कुल लागू नहीं किया जा रहा है।' उन्होंने यह भी कहा था कि '1984 के सिख विरोधी दंगों में उत्तर प्रदेश में कई दंगा पीड़ितों को वह वित्तीय सहायता नहीं दी गई जिसका उन्हें वादा किया गया था, उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा था कि '1,104 चुनिदा मुसलमान लड़कों को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर चुने जाने के लिए बुलाया गया था। परंतु उनमें से केवल 100 लोगों को ही भर्ती किया गया।' उन्होंने यह भी कहा था कि 'कुछ मुसलमान युवक पुलिस को मारने में शामिल थे' आपको याद होगा कि 1986 में हाशिमपुर और मल्याना में पुलिस हत्याएं हुई थीं। 'उन लोगों का अभी तक पता नहीं चला।' यह श्री असलम शेर खां द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार है न कि मेरे भाषण के अनुसार।

इसलिए मेरा कहना है कि हिंसा की अल्पसंख्यक विरोधी लहर के रूप में अपराधों का साम्प्रदायीकरण हो रहा है और ऐसी स्थिति को हमें गम्भीरता से लेना चाहिए।

महोदय 18 दिसंबर, 1992 को संयुक्त राष्ट्र ने एक घोषणा की थी। भारत सरकार भी उसमें भागीदार थी। संयुक्त राष्ट्र ने अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की घोषणा की थी और इस बारे में यह टिप्पणी की कि 'इस दिवस को सभी देशों में, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, प्रत्येक वर्ष 18 दिसम्बर को मनाया जाए' क्योंकि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का व्यापक रूप से उल्लंघन हो रहा है। यह उल्लंघन कई देशों में हो रहा है।

व्यावहारिक दृष्टि से इस समय हम 18 दिसम्बर की दहलीज पर हैं। इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए। सरकार को विचार करना चाहिए और महोदय, आपको भी लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के रूप में विचार करना चाहिए कि क्या हम 18 दिसम्बर को, हमारे लिए यह प्रवृत्ति ठीक नहीं होगी, किसी न किसी रूप में अल्पसंख्यक संबंधी संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के रूप में मनाएं, या मनाया जाए। अन्यथा यह घोषणा कागजों में केवल मजाक बन कर रह जाएगी।

महोदय, इस देश के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भी समय–समय पर दुर्व्यवहार हुआ है। इस सभा में सदस्यों द्वारा समय–समय पर ऐसे कई मामले उठाए जाते हैं जो मुसलमानों और ईसाइयों के अलावा दलितों, हरिजनों या जनजातीय लोगों से संबंधित होते हैं। हमारे समाज में ऐसे भी कई वर्ग हैं जो लगातार ऐसे अत्याचार और उत्पीड़न का शिकार होते रहते हैं। ये मामले सदन में उठाए जाते हैं और गृह मंत्रालय को चाहिए कि इन सभी की जांच करके आवश्यक कार्रवाई करें।

कुछ समय पहले हमारे सामने एक मामला आया था। मैं नहीं जानता कि उस मामले की ताजा स्थिति क्या है जिसमें मुसलमानों को जबरदस्ती बम्बई, महाराष्ट्र से यह कहकर निकाला जा रहा था कि वे भारतीय नहीं हैं बल्कि बंग्ला भाषी मुसलमान हैं जैसे बंग्ला मैं बोल लेता हूं। यह मेरी भाषा है। मुझे आशा है कि जब मैं अपनी मातृ भाषा में किसी से बात करता हूं तो केवल यही प्रमाण काफी नहीं होता कि मैं बंग्लादेशी हूं। लेकिन ऐसा मानकर वहां यह सब चल रहा है। इस मामले पर सदन में काफी हो–हल्ला हुआ था जो दो–तीन दिन तक चला था।

मेरे पास सही–सही ब्यौरा नहीं है परंतु मुझे विश्वास है कि अंत में कोई समझौता या करार हुआ था जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने एक साथ मिलकर उन नामों की सूचियों की जांच भी करनी थी और यह सत्यापित करना था कि कौन क्या है तथा इसी आधार पर आगे कार्रवाई की जानी थी।

इस बीच इन बदकिस्मत लोगों पर जो नौकरी और रोजगार ढूंढ रहे थे–जो न केवल मुम्बई में हैं बल्कि दिल्ली और दूसरी जगहों पर भी हैं–पर पुलिस द्वारा ज्यादतियां की गईं पुलिस द्वारा उन्हें उत्पीड़ित किया गया है।

लोग जम्मू और कश्मीर के बारे में बात करते हैं। मैं उन्हें कश्मीरी पंडितों के बारे में भी याद दिलाना चाहूंगा। लगभग तीन लाख अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को अपने पुश्तैनी मकानों और सम्पत्तियों को छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया था और घाटी में केवल दो हजार कश्मीरी पंडित बचे हैं। अब वे अपने ही देश में शरणार्थी बन गए हैं। वे विभिन्न जगहों पर तम्बुओं में जीवन यापन कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं माननीय सदस्य कभी समय निकालेंगे और जाकर देखेंगे कि वे किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। अभी कश्मीर घाटी में ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी हैं कि वे सुरक्षित अपने घर लौट सकें। यद्यपि परिस्थितियों में काफी सुधार हुआ है। फिर भी वे इतना आश्वस्त नहीं हैं कि वे वापस जा सकें। उनकी मांग है कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित की जायें जिसमें वे और उनके परिवार वापस लौट सकें।

सीमा पार से आए पाकिस्तान में प्रशिक्षित हथियार बंद उग्रवादी कश्मीरी पंडित परिवारों को चाहे वे कहीं पर भी छोटे गांवों में ही क्यों न रह रहे हों–उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं। जो अभी भी वहां पर रह रहे हैं वे उन्हें आतंकित करने का प्रयास कर रहे हैं उन पर हमला कर रहे हैं और उन्हें कश्मीर छोड़कर जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों ने अपने लिए अल्पसंख्यकों के दर्जे मांग करते हुए और जम्मू और कश्मीर के लिए सांविधिक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन की मांग करते हुए गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा है परन्तु मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने इस मांग पर अभी तक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

सिखों पर हमलों का उल्लेख किया गया। यह बात ठीक है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका निर्णय सिखों को ही करना है। हम सभी जानते हैं कि 1984 में जब उनकी सामूहिक हत्या की गई थी उस समय कौन सी पार्टी का राज था। हम यह भी जानते हैं कि दिल्ली की विधान सभा के चुनावों में, ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जहां पर सिख बहुसंख्या में हैं या ज्यादा हैं वहां पर उन्होंने भाजपा के विरोध में और कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया है। ऐसा परिवर्तन क्यों आया है ? इस बात को मैं नहीं जानता हूं। हमारे सिख मित्र हमें यह बात समझा सकते हैं। किसी को भी वोट देना उनका अधिकार है परन्तु यह तथ्य है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 1984 में कांग्रेस राज में उन पर अत्याचार किए गए, उनकी हत्याएं की गईं परन्तु यह बात उन्हें इन विधान सभा चुनावों में भाजपा के विरोध में और कांग्रेस के पक्ष में जोरदार मतदान करने से रोक नहीं सकी।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : मैं कहना चाहूंगा कि सिख कभी भी कांग्रेस के विरुद्ध अपनी भावनाओं को भुला नहीं सकते हैं। वे कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माफ क्यों करेंगे ? माफ किसी को नहीं करना चाहिए। यह वोट की बात है।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : वोट की बात उस समय बताऊंगा जब मेरी बोलने की बारी आएगी।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कर्नाटक के चिकमगलूर में स्थित सूफी दरगाह। जिस पर श्री पी. शिव शंकर ने विस्तार से चर्चा की, कई वर्षों से पहाड़ की चोटी पर स्थित है जहां पर हिन्दू और मुसलमान दोनों ही जाते हैं। इसकी स्थापना सूफियों द्वारा की गई थी। वहां पर अचानक यह मांग और उस धार्मिक स्थान को मुक्त कराने का आन्दोलन क्यों हुआ था ? हम अभी तक इस बात को नहीं जानते हैं। गृह मंत्रालय को इसकी जांच करानी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है किसने इस तनाव को जन्म दिया और लोगों को यह कहने के लिए आंदोलित किसने किया कि वे वहां जा रहे हैं–मुझे बताया गया, हजारों आदमी वहां गये थे–दरगाह को 'मुक्त कराने' के तथाकथित उद्देश्य से वहां गए थे।

यह न तो हिन्दुओं का पवित्र स्थान था और न ही यह मुस्लिम दरगाह थी। परन्तु वे इसे मुक्त कराना चाहते थे। इस प्रकार के दृष्टिकोण और व्यवहार से हमें अत्यधिक चिन्ता होती है क्योंकि ये इस तरह की घटनाएं हैं जो यदि होती रही तो इससे राष्ट्र के रूप में इस देश की एकता और अखण्डता को अत्यधिक नुकसान होगा। ऐसे कुछ लोग हैं जो हिन्दू राष्ट्र के समर्थक हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं–मैं नहीं वे कौन लोग हैं, यदि ये भाजपा के लोग हैं तो उन्हें हमें बताना चाहिए–कौन कहता है कि यदि पाकिस्तान को उनकी शरीअत के आधार पर इस्लामी राष्ट्र घोषित किया जाता है तो हम क्यों नहीं यहां पर हिन्दू राष्ट्र बना सकते हैं ?

एक ऐसा भी समय था जब हिन्दू राष्ट्र के बारे में बहुत कहा–सुना जाता था। मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में हमारे सिख भाइयों में से कुछ को अलग खालिस्तान राज्य के आंदोलन के लिए उकसाने

का एक कारण–न कि एकमात्र कारण–यह तथ्य भी रहा है कि आपने भारत में लोगों को हिन्दू राष्ट्र के प्रचार करने की अनुमति दी और उन्होंने सोचा कि हमें अब यहां पर रहना संभव नहीं होगा, हम हिन्दू नहीं हैं, हम सिख हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारा विश्वास अलग है। ऐसे में वे सिख गुरुओं के उपदेशों और सिख धार्मिक ग्रंथों पर आधारित अलग सिख राष्ट्र खालिस्तान के आंदोलन तेज करने में कामयाब रहे थे, वो आंदोलन अब समाप्त हो चुका है जो कि बहुत अच्छी बात है।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : आप आनरेबल मैम्बर हैं, मैं आपकी बहुत रैस्पैक्टस करता हूं लेकिन फैक्ट्स को डिसटार्ट कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आपने बोला कि सिख गुरु सेपरेट स्टेट के लिये ऐजीटेशन करते रहे। यह कभी नहीं हो सकता। सिख गुरुओं ने तो इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिये अपनी गर्दनें कटवा दी और अपने बच्चों को जिन्दा मरवा दिया। सिख गुरुओं की टिचिंग तो यह है कि मानव की जाति सबें एक ही पहचान। उन्होंने देश के लिये रिश्ता जोड़ा है। पंजाब में तो मोर पावर्स टू स्टेट के लिये लड़ाई की जिसे सारे हिन्दुस्तान के स्टेट्स मांग रहे हैं। कुछ लोगों द्वारा उसको सैस्निस्ट बनाया गया है। जो लोग उस समय पावर में थे, उन्होंने सेस्निस्ट बना दिया। सिख देश से अलग नहीं होना चाहते वे तो सारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिये कहना चाहता हूं कि सारे फैक्ट्स को डिस्टार्ट किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप जो बोल रहे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। उन दिनों में कुछ और बोला जा रहा था।

[अनुवाद]

फिर मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा। मैं समझता हूं यह अत्यधिक संवेदनशील विषय है परन्तु क्या किया जा सकता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लखनऊ श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा 9 सितम्बर, 1997 को एक आदेश दिया गया था। उस आदेश की प्रति मेरे पास है और यदि आप चाहें तो मैं उसे पढ़ूंगा।

उस आदेश के अनुच्छेद 59 में लिखा है मैं उसका उल्लेख करता हूं :

"इस मामले में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आरोपित व्यक्तियों द्वारा राम जन्म भूमि या बाबरी मस्जिद के विवादग्रस्त ढांचे को गिराने का आपराधिक षडयंत्र 1990 के शुरुआत में रचा गया था और यह 6 दिसम्बर, 1992 को संपन्न हुआ। श्री लालकृष्ण आडवाणी और अन्य व्यक्तियों ने मिलकर भिन्न–भिन्न समयों पर और स्थानों में विवादग्रस्त परिसरों को गिराने का आपराधिक षडयंत्र रचा। इसीलिए मुझे लगता है कि इस आधार पर श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री मुरली मनोहर जोशी और श्री बाला साहेब ठाकरे पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

महोदय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश में यह टिप्पणी की गई थी। न्यायाधीश के द्वारा प्रथम दृष्टया मामले बनाए जाने के पश्चात् क्या हुआ, यह हम नहीं जानते हैं। जहां तक हमारी जानकारी है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इस मामले की अद्यतन स्थिति क्या है, इसकी जानकारी हमें माननीय मंत्री महोदय देंगे। इस देश में ऐसी घटनाएं होती हैं।

सायं 7.00 बजे

श्री सत्यपाल जैन : आरोपों को न्यायालय में चुनौती दी गई है। यह मामला अभी न्यायाधीन है। मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा इसके विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर की गई है।

श्री मधुकर सरपोतदार : ऐसी कई टिप्पणियां की गई हैं और ऐसी टिप्पणियां करने के लिए न्यायालय सदैव तत्पर है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैंने अपने कुछ सहयोगियों से कम ही समय लिया है।

यह मामला एकदम स्पष्ट है। पूर्व–नियोजित हमले न केवल अल्पसंख्यकों के ऊपर किए जा रहे हैं अपितु इनका निशाना बहुधर्मी, विविध संस्कृतियों वाला और बहुभाषी भारतीय समाज भी है। जिस पर भारतीय राष्ट्र की एकता निर्भर है। यह आरोप मैं लगाता हूं। इसीलिए मैं समझता हूं गृह मंत्रालय को अधिक सतर्क, अधिक तत्पर और अधिक क्रियाशील होना चाहिए। मंत्रालय को केवल तकनीकी दृष्टि से ही मामलों को नहीं देखना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार नहीं है।

देश में एक लहर चल रही है। कुछ लोग पूरे देश में एक लहर चलाना चाहते हैं जो कि मेरे विचार से फासिस्ट विचाराधारा की लहर है और आजकल जो हो रहा है उनमें यही सब परिलक्षित है। देश में इस लहर को भड़काकर फैलाया जा रहा है परन्तु मैं नहीं जानता हूं कि इस संबंध में भारत सरकार या गृह मंत्रालय को क्या कहना है ? मेरे विचार से वे कम से कम यही कर सकते हैं कि वे ऐसे कदमों की भर्त्सना कर सकते हैं उनकी निन्दा कर सकते हैं। यदि वे ऐसा नहीं चाहते अथवा ऐसा करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते तो उन्हें कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु जिस प्रकार की घटनाएं प्रतिदिन लोगों के सामने लायी जा रही हैं उन्हें घटित नहीं होने दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की भर्त्सना और निन्दा की जानी चाहिए। इस संबंध में, गृह मंत्रालय की मुख्य भूमिका है, और उसे कार्रवाई करनी चाहिए परन्तु अभी तक इसने कार्रवाई नहीं की है।

इसीलिए, महोदय, इस वाद–विवाद के अंत में, सरकार की ओर से, माननीय गृह मंत्री अत्यधिक स्पष्ट और अधिक सकारात्मक ढंग से बताएं कि वे इस देश के आम लोगों से इन लोगों और इन लोगों द्वारा चलायी जा रही गतिविधियों का सम्मान किए जाने की कैसे अपेक्षा रखते हैं। यदि सरकार खामोश रहती है तो आम आदमी और जनता यह नहीं जान पाएगी कि क्या कहना है और क्या करना है। पूरी स्थिति की यह कमजोरी है और इस कमजोरी से अन्ततः ऐसे ही लोगों को बढ़ावा मिलेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो वह हमारे देश के लिए दुखद दिन होगा। इसलिए, आप, हम और सभी चिन्तित व्यक्तियों जिन्होंने वर्षों से धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की एकता की रक्षा की है, यदि हम बोलेंगे नहीं, जनमत नहीं जुटाएंगे और संभावित खतरे के विरुद्ध सही दृष्टिकोण व्यक्त नहीं करेंगे तो इस स्थिति के लिए हमें ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल गुरुवार, 10 दिसम्बर, 1998 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 10 दिसम्बर, 1998/19 अग्रहायण, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।